(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का सातवां दिवस [संख्या 5

गुरुवार,

दिनांक 22 फरवरी, 1973

विधान सभा की बैठक म० प० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, जनस्वास्थ्य, भू-तल जल बोर्ड, कृषि, श्रम, समाज कल्याण, शिक्षा अकाल-राहत, उद्योग, योजना, पुनर्वास, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना एवं गृह विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 65

श्री बनवारीलाल (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट। श्री नाथूराम !

डूंगरपुर में बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र

66. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विगत जनवरी माह से जो बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण शाला डूंगरपुर में आरम्भ की गई है उसमें प्रवेश के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, कितने आवेदक साक्षात्कार में उपस्थित हुए और कितनों को प्रवेश के लिये चुना गया तथा आवेदक किस किस जिले के निवासी थे ? शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि चयन में स्थानीय आवेदकों और आदिवासियों को प्राथमिकता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र के ही आवेदकों से सीट्स भरने की बजाय अन्य जिलों के आवेदक लेना कहां तक उचित था ? जब कि अन्य जिलों से बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक इन जिलों में नहीं आ रहे हैं और शालाओं में स्थान रिक्त हैं ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, डूंगरपुर में प्रवेश हेतु कुल 2624 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 200 आवेदक चुने गये। इनका चयन निर्धारित क्राइटेरिया के आधार पर वरीयता सूची के अनुसार किया गया था। साक्षात्कार नहीं किया गया। आवेदकों की सूची मय जिला एवं शैक्षणिक योग्यता के संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के स्थानीय आवेदकों को प्राथ-

(श्री जुझारसिंह)
मिकता प्रदान की गई, जिसमें आदिवासी भी शामिल हैं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी यह बतायें कि इनमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अलग-अलग कितने लोग हैं ?

श्री जुझारसिंह : यह तो मालूम नहीं पर जो क्राइटेरिया था उसके अनुसार चयन किया गया है। इनमें डूंगरपुर के थोड़े अधिक हैं और बांसवाड़ा के कम हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : इस क्राइटेरिया को फिक्स करने के क्या आधार थे ?

श्री जुझारसिंह : इसमें पहला प्रिफरेन्स उन उम्मीदवारों को दिया जावेगा जो लेडी टीचर होंगी, वह राजस्थान भर में कहीं से भी आती हो क्यों कि इनकी शार्टेज बहुत है।

दूसरा प्रिफरेन्स दिया गया है शिड्यूल्ड ट्राइब्स व कास्ट को जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के हों ये कितनी ही तादाद में आवें।

तीसरा प्रिफरेन्स शिड्यूल्ड कास्ट के केन्डीडेट्स को दिया गया अप टू 17 परसेन्ट ऑफ टोटल स्ट्रेन्थ।

चौथा अदर मेल केन्डीडेट्स आफ बांसवाड़ा, डूंगरपुर।

पांचवां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डीडेट जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर डिविजन के हों।

छठा किसी भी प्रकार के केन्डीडेट उदयपुर डिविजन के।

सातवां इसके बाद कहीं से भी राजस्थान से लिये जा सकते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अभी जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल हैं उनमें कितनी कमी है, यह बतला सकते हैं और अन्य स्कूलों में कितने टीचर्स की जरूरत है।

श्री जुझारसिंह : यह तो आपने पूछा नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : इसके कारण ही तो वहां शिक्षक प्रशिक्षणालय खोला गया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्कूलों में बाहर के टीचर्स आने को तैयार नही होते और उन स्कूलों में टीचर्स की जगहें खाली रहती हैं, विद्यार्थी सफर करते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में क्राइटेरिया यह बनाया गया था कि यह जो कमी है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा के ही शिक्षकों द्वारा पूरी की जाय और इसके बाद भी जगहें बचे तो उदयपुर डिविजन से पूरी की जाय। तो इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि कितने टीचर्स की कमी आपने देखो जिनके लिये भर्ती करनी थी।

श्री जुझारसिंह : अभी कितने टीचर्स की कमी है, ये फिगर्स तो नहीं दे सकता।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का यह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं हैं, इसे सही उत्तर प्राप्त करने तक स्थगित किया जाय। मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मैंने पूछा है कि आवेदक किस-किस जिले

(श्री नाथूराम)
के निवासी थे ? यह नहीं बताया गया । डूंगरपुर बांसवाड़ा में कई लड़के हायर सैकण्डरी पास हुए बेकार घूम रहे हैं और बाहर के ले लिये गये । यह बुरी तरह से पक्षपात किया गया है इस चयन में । और इसीलिये मैंने यह प्रश्न पूछा है। जब तक जिलेवार संख्या नहीं बताई जावे तब तक यह प्रश्न स्थगित रखा जाय ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, संख्या का चेक आप तो अर्ज नहीं कर सकता पर जितने 200 कैण्डीडेट चुने गये हैं उनमें से एक सिर्फ महिला कैण्डीडेट है जो डूंगरपुर, बांसवाडा के बाहर की है। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के हैं । इतना जरूर हुआ है कि हमने जो परसेन्टेज दी थी वह पूरी कुछ सीमा तक नहीं हुई है।

श्री नाथूराम : मेरा प्रश्न का मूल मुद्दा ही यही था जो आप टाल रहे हैं। आप मुझे यह बताइये कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के कितने कितने कैन्डीडेट लिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि 200 में से एक महिला है, बाकी सब वहीं के हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय प्रश्न साफ पूछा है।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : हमतो यह साफ जानना चाहते हैं कि किस जिले के कितने कितने केन्डीडेट लिये गये हैं। यह आप साफ-साफ बतावें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, जितनों को प्रवेश के लिये चुना गया वे किस-किस जिले के हैं, यह प्रश्न भी साफ है, उसी तरह उत्तर भी साफ आना चाहिये । जब तक साफ जवाब नहीं आवे, इसे स्थगित रखा जावे ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिये सही उत्तर आने तक इसे स्थगित रखा जाना चाहिये ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्न-कर्त्ता की अध्यक्ष महोदय, भावना यह है कि आज कई ग्रेजुएट्स हैं जो आदीवासी हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के हैं और बेकार घूम रहे हैं । दूसरी तरफ टीचर्स की कमी है । जब वहां बेकार हैं तो पहले उनको वहां लगाया जावे। यह अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो नीति है, उसमें खामी है । आप कहते जरूर हैं पर करते उसके मुताबिक नहीं हैं, यही कठिनाई है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मन्त्री महोदय को यह देखना चाहिये कि इस प्रश्न को रखने का हमारा मकसद क्या था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : 28 प्रतिशत का कोटा जब मुकर्रर कर रखा है तो 17 प्रतिशत से सरकार का क्या मतलब है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : शिक्षा मन्त्रीजी अगर पूरी सूचनाएं न लाये हों तो इसे पोस्टपोन कर दिया जाय ।

श्री जुझारसिंह : मैं जवाब दे दूं । इसके बाद भी अगर सन्तोष न हो तो फिर आप कहें ।

श्री नाथूराम : आप जिलेवार बतावें। आपके पास जवाब ही नहीं हैं इसका ।

Page No 4

(4)

श्री झुझारसिंह : उन्होंने सूची मांगी हैं कितने केण्डीडेट ने एप्लाई किया उसकी जिलेवार सूची दी जाय। मैंने सूची दे दी है। इसमें 2624 आदमियों ने एप्लाई किया है। उनमें से 200 को चुना गया है।

श्री नाथूराम : किन किन जिलों के आदमियों को आपने कितनों कितनों को चुना इसका जवाब क्यों नहीं देते फिर ?

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब पहले सुन लीजिये।

श्री विट्ठल : कितने लोग कहां कहां के चुने गये यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब तो सुनिये।

श्री नाथूराम : उनके पास जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री झुझारसिंह : हमारे यहां से डाइरेक्शन्स थे कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को प्रीफरेन्स दिया जाय। उसी के अनुसार कार्यवाही की गई है। चयन भी उसी हिसाब से किया गया है। यह सही है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जितने आदिवासी अवेलेबल थे उनको परसेन्टेज में जितने परसेन्टेज में लेना था उतने नहीं लिये, यह मैं देख लूंगा। इसकी और जांच करवा लूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस तरह से करने वाले अधिकारी को निलम्बित कीजिये फिर।

श्री रोशनलाल शर्मा : आदिवासी सड़कों पर घूमते रहे बेकार और दूसरों को आप भरती करते जावें। यह कैसे चलेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : साथ ही यह जानकारी करके बताया जावे सदन को कि किस किस अधिकारी ने यह किया है और उनके खिलाफ सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है ?

श्री नाथूराम : इसमें अध्यक्ष महोदय, बहुत घोटाला हुआ है।

श्री विट्ठल : आपके अधिकारी नियमों का पालन नहीं करते।

श्री जकशयिन (फागी) : उन अधिकारियों को बर्खवास्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते जाने पर) क्या सदन की मर्यादा की तरफ भी ध्यान आकर्षित मुझे कराना पड़ेगा। एक माननीय सदस्य जब बोल रहे हों तो दूसरों को बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जिस तरह का सिलेक्शन हुआ है उसे माननीय मन्त्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। वे तथ्य सदन से छुपाते हैं। इसमें घोटाले हुए हैं अब वे कहते हैं कि इसकी जांच करवायेंगे तो जांच तो आप करवा लेंगे पर जो शिक्षक चयन से वंचित कर दिये गये हैं उनके जीवन का क्या होगा। आपके जिन अधिकारियों ने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि दूसरों को सबक मिले और आइन्दा इस तरह की गल्तियां करने का किसी को साहस न हो सके।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो तालिका

(श्री फूलचन्द जैन)
प्रश्न के उत्तर में दी गई है उसमें साफ कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं है। जैसा राज्य मंत्री जी ने बताया जांच करेंगे सवाल यह पैदा होता है जिन लोगों को प्रवेश पाने से वंचित रखा गया है, जो वंचित रह गये हैं उसकी क्या जिम्मेवारी है ? उनका भविष्य कैसे ठीक हो सकता है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जांच की पूरी आवश्यकता नहीं है। उदयपुर में घोटाला हुआ है। इसलिये क्यों नहीं अधिकारी को निलम्बित किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मंत्री को भी निलम्बित किया जाय जो प्रश्न को टालने की कोशिश करता है।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय यह पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 350 टीचर्स की आज उदयपुर में खामी है। यह प्रश्न स्थगित किया जाय और जांच के लिये आदेश……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रश्न को……

श्री लक्ष्मणसिंह : (दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)…

मेरा भी यह विचार है आप अगर आदेश दें तो इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। एक बार और इस प्रश्न को सदन के समक्ष लाया जाय ताकि मंत्री महोदय बेरोजगारी का अनुमान लगा सकें। एम० ए०, एल० एल० बी०, बी० ए०, एल० एल० बी०-ग्रेज्यूएट पोस्ट ग्रेज्यूएट बेरोजगारी के चक्कर में घूम रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे भी यह स्पष्ट होता है यह मामला घोटाले का है। जब मामला स्पष्ट घोटाले का है और वे खुद मंजूर करते हैं तो जांच का आदेश देना चाहिये और जल्दी से जल्दी सस्पेन्ड करके एक्शन लेना चाहिये।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक हायर सेकेन्डरी के 150 लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के थे बांसवाड़ा के लड़कों को एक को भी नहीं लिया गया। कई लड़के फर्स्ट डिविजन, सेकिन्ड डिविजन, बी० ए०, एम० ए० मारे मारे फिरते हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं जांच कराई जाय। एक आदमी ने गलती की है उसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : और कुछ फरमाना है।

एक माननीय सदस्य : बस बहुत है साहब।

मुख्य मंत्री (**श्री बरकततुल्ला खां**) : अब जवाब यह है कि एन्क्वायरी करने के बाद गवर्नमेंट के जब क्लियर आदेश थे कि आदिवासी को प्रिफरेन्स दिया जाय अगर नहीं दिया गया है तो सख्त से सख्त उस अफसर के खिलाफ कदम उठाया जायगा, जो जिम्मेदार होगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी !

अकाल के स्थायी हल हेतु योजना

67. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 6

(6)

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

(1) क्या राजस्थान में निकट भविष्य में अकाल का कोई स्थायी हल निकालने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ?

(2) क्या अकाल से छुटकारा पाने के लिये सरकार उन सभी गांवों में बिजली की सुविधा देने जा रही है जहां पानी की बहुतायत है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

अकाल राहत मंत्री (**श्री परसराम मदेरणा** : (1) दुर्भिक्ष जनित कठिनाइयों को कम करने के लिये राज्य सरकार दीर्घकालीन उपयोगी कार्यक्रम हाथ में लेने की कार्यवाही कर रही है। इसके अन्तर्गत राज्य के क्रोनिकली ड्राट एफेक्टेड जिलों में से जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर की परियोजना तैयार करके केन्द्रीय सरकार को भिजवायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त क्रोनीकली ड्राट अफेक्टेड जिलों–नागौर,चुरू,पाली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर एवं अजमेर के लिये अग्रिम कार्यवाही शुरु की जा रही है।

(2) उपरोक्त जिलों में जहां भू-जल इकोनौमिक एक्सप्लायमेन्टेशन हो सकता है, वहां विद्युतिकरण उपयुक्त मानते हुये सुझाव दिया गया है। सुझावों को पूरा करने के लिये जब वित्तीय प्रावधान प्राप्त हो जायगा और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिल जायगी, तभी यह व्यवस्था सम्भव हो सकेगी।

श्रीमती निर्मला कुमारी : क्या इस संदर्भ में भू-जल उपलब्धि का सम्पूर्ण सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री परसराम मदेरणा : सम्पूर्ण डिटेल सर्वेक्षण तो नहीं हो चुका है। इस साल राजस्थान सरकार इस प्रकार की कई योजनाएं बना रही है जिससे समस्त भू-गर्भ जल का सर्वेक्षण हो। राजस्थान सरकार ड्राट अफेक्टेड एरिया में पहले योजना तैयार कर रही है और कुछ डिग्री तक यह हो भी चुकी है। योजना में बिजली उपलब्ध कराये जाने की कठिनाई है। जो योजनायें ट्यूब वैल्स की हैं उनको बिजली मिलते ही कनेक्ट कर दिया जायगा लेकिन जो तीन जिलों की स्थिति बताई है उसमें पशुपालन के साथ-साथ डेयरी के विकास का भी ध्यान रखा जायगा। भेड़ों के विकास का भी है, फोडर बैंक की स्थापना चारे की व्यवस्था आदि का भी है। जो भू-गर्भ जल के लिये खोदा गया है वे इकोनोमिकली चलाये नहीं जा सकते हैं इसलिये ट्रान्समिशन लाइन खींचकर उपयोगी बनाया जा सके ताकि ड्राट की सिवीयरिटी कम की जा सके। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। किसी राज्य की जब तक कोई परमानेन्ट योजना न हो तो यह बढ़ता रहता है। परमानेन्ट सोल्यूशन के लिये बड़ी नदी योजनायें नहीं हों तब तक कोई परमानेन्ट गारन्टी नहीं दे सकते हैं। 10 जिले ड्राट अफेक्टेड हैं। इनका मास्टर प्लान बनाने का मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है। इसके लिये स्टाफ का रिक्रुटमेंट भी किया जा रहा है ताकि उन योजनाओं को सुनियोजित तरीके से हाथ में लिया सके और जब कभी दुर्भिक्ष हो डेयरी से, दूध की बिक्री से, प्लान्टेशन से और फोडर आदि की कार्यवाही करके चलाया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था बाड़मेर और जैसलमेर में बनाई भी जा चुकी है। इसी

(श्री परसराम मदेरणा)

के साथ अभी राजस्थान में डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम चल रहा है। 376 योजनायें हाथ में ली हुई हैं बाकी द्वितीय वर्ष के अन्त तक कम्पलीट करना है और कुल मिलाकर अकाल की सीवियरिटी को कम किया जा सके। लेकिन जहां तक दुर्भिक्ष के परमानेन्ट सोल्यूशन का प्रश्न है कि राजस्थान में अकाल पड़ता है तो पानी की कमी से दुर्भिक्ष पड़ता है, चारे की कमी से, अनाज की कमी से दुर्भिक्ष पड़ता है। इस तरह दुर्भिक्ष को सीमित किया जा सकता है। इन जिलों की योजनायें बनाई जा रही हैं। आगे 6-7 जिलों की योजनायें हाथ में ली जा रही हैं। पिछले फेमिन में 69-70 में राजस्थान के अन्दर 59 योजनाएं हाथ में ली गई थीं और उन 59 योजनाओं में बाड़मेर, नागौर, चुरू की बड़ी-बड़ी योजनायें थीं जो वहां पर सदियों से कड़वा पानी है उसको ठीक किया जा सके 400 योजनायें पिछले फेमिन में ली थीं। इन योजनाओं के साथ डी. पी. ए. पी. डिस्ट्रिक्ट की 29 योजनायें पिछले साल और हाथ में ली थीं। 333 लाख कुल मिला कर खर्च होगा। ऐसी योजनायें किसी भी दूसरे प्रान्त में नहीं ली गई है केवल राजस्थान के साथ यह एक्सेप्शन किया गया है। पानी की किल्लत को देखते हुये यह किया गया है। भारत सरकार की जो योजनायें हैं करीब 33 के आस-पास उसमें 400 लाख का खर्चा है। रीजनल पानी की योजनायें हैं ताकि हमेशा वहां पानी उपलब्ध हो सकेगा। इन योजनाओं के लिये पाइप लाइन की स्कीम चालू रखनी पड़ेगी। जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं 60-65 उनका में जिक्र कर रहा हूं। राजस्थान के कृषि विभाग ने स्पेशल सेल ने 40 लाख से 84 लाख तक करीब 23 योजनायें हाथ में ले रखी हैं। इस तरह आज राजस्थान केनाल में....

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया। आप तो पूरा भाषण देने लग गये। यह भाषण तो बाद में देना....

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : हमारे प्रश्नों पर अकाल पड़ जायेगा इसलिए माफ करें।

श्री फूलचन्द जैन : आपके प्रश्न के उत्तर से यह पूर्णतया सन्तुष्ट हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने अपने उत्तर में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का तो जिक्र किया जब कि उदयपुर जिले के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र में बराबर अकाल पड़ता है तो आपकी सूचना है उसमें पहाड़ी क्षेत्र के तहसीलों का नाम नहीं है तो क्या यह माना जाये कि वहां पर अकाल नहीं पड़ता है ?

श्री परसराम मदेरणा : पिछले अकाल के अकाल के समय में राजस्थान के अन्दर इर्रीगेशन के 1385 काम लिये गये ये उसमें से 562 काम पूरे कर दिये गये। 633 इनकम्पलीट रहे उसमें से 167 को हमने ले लिया। इर्रीगेशन में उस समय उदयपुर जिले के सबसे ज्यादा गांव आज भी इर्रीगेशन के काम में हैं।....

श्री रोशनलाल शर्मा : आप डेजर्ट एरिया के डवलपमेन्ट की बात करते हैं तो आपको पहाड़ी क्षेत्रों के डवलपमेन्ट के बारे में सोचना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य की यह राय कि डेजर्ट में विकास की जैसे बात सोची जा रही है उसी प्रकार से हिली एरिया के डवलपमेन्ट की बात भी सोची जाये, राज्य सरकार उस पर विचार करेगी और हिली एरिया में वहां की पोटेंशीलिटी को देखते हुए वहां पर हम अकाल के असर को कम कर सकें उसकी योजना बनाई जानी चाहिए।

श्री बलपतसिंह (खारची) : अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बा जवाब दे दिया है, इतना लम्बा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर !

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मैंने अगला सवाल ले लिया है। श्रीमती मदन कौर !

बाड़मेर जिले की उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त स्थान

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) चालू शिक्षा सत्र में बाड़मेर जिले की उच्च प्राथमिक (मिडिल) शालाओं में अध्यापकों के कितने पद रिक्त रहे ?

(2) उक्त पदों पर अब तक भर्ती नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(3) क्या अध्यापकों की कमी से छात्रों और छात्राओं को प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक कमी नहीं रहती जिसका कुअसर उनकी उच्च शिक्षा पर पड़ता है ?

राज्य मन्त्री शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) चालू शिक्षा सत्र में बाड़मेर जिले की उच्च प्राथमिक (मिडिल) शालाओं में 30 पद रिक्त हैं।

(2) विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु 75 प्रतिशत अध्यापक पंचायत समितियों से भरने का प्रावधान है पंचायत समितियों से अध्यापकगण आने के इच्छुक प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि बार-बार विकास अधिकारियों से निवेदन करने पर भी अध्यापकों के केवल छः फार्म स्थानान्तरण के लिये प्राप्त हुए जिन्हें विभाग में स्थानान्तरण कर दिये गये हैं।

(3) अध्यापकों की कमी का प्रभाव शिक्षा की गुणात्मक स्थिति पर पड़ना स्वाभाविक है परन्तु समस्त जिले की शालाओं की संख्या को देखते हुए कुछ अध्यापकों की कमी का समस्त जिले की स्थिति पर एक साथ प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि 30 रिक्त स्थान पड़े रहे, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायत समितियों के पास तो पहले से ही अध्यापकों के पद खाली पड़े रहते हैं और वह आपको अध्यापक देने में असमर्थ हैं तो राज्य सरकार ने मिडिल स्कूलों में अध्यापकों को नियुक्त करने के लिये क्या-क्या नई कार्यवाही की इसकी जानकारी दें ?

श्री जुझारसिंह : क्योंकि ट्रेण्ड टीचर्स उस इलाके में कम मिलते हैं इसलिए उनकी कमी की वजह से एस० टी० सी० स्कूल डेजर्ट एरिया में खोले गये है और 6 में से 4 जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और बाड़मेर जिले में करीब 100 टीचर्स (ट्रेनीज़)

(श्री जुझारसिंह)
इन विभिन्न डेजर्ट एस० टी० सी० स्कूलों में गये हैं। यह इसलिये किया गया कि यहां की जो कमी है वह ट्रेनिंग पाने के बाद ट्रेण्ड टीचर्स के द्वारा जगह भरी जा सके।

श्रीमती मदन कौर : ट्रेण्ड टीचर्स की राजस्थान में भले ही कमी नहीं हो लेकिन बाड़मेर जिले में ट्रेण्ड टीचर्स जाने के इच्छुक नहीं है इसलिये राज्य सरकार को हमने सुझाव दिया था कि ग्रेजुएट्स को मिडिल स्कूलों में अध्यापक के स्थान पर लगा दिया जाये तो बच्चों की पढ़ाई में खराबी नहीं होती, क्या राज्य सरकार ध्यान देगी ?

श्री जुझारसिंह : आगे के वर्ष में तो उपलब्ध हो जायेंगे। वैसे एस० टी० सी० का दो साल का कोर्स होता है तो इस इमरजेन्सी को देखते हुए 16 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको तैयार कराया जा रहा है उससे इस कमी को पूरा किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आगे भी तो स्कूल खोले जायेंगे फिर हालत तो वही की वही रहेगी। अगली साल फिर नये स्कूल खोले जायेंगे और फिर वही हालत रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला !

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय...

केवल फैक्ट्री, कोटा में क्वार्टर्स बनाने हेतु सबसिडी

69. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (दीगोद) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केवल फैक्ट्री, कोटा में जो क्वार्टर्स बनवाये गये हैं उसके लिये सरकार ने नियमानुसार सबसिडी दी है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम कितने क्वार्टर्स के लिये दी है ?

(2) उक्त धनराशि को देने के नियम क्या हैं ?

(3) कितना वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकार की मदद से बने हुए क्वार्टर उपलब्ध कराये जाते हैं ?

(4) क्या उक्त भवनों में रहने वाले कर्मचारी इस परिभाषा में आते हैं जो नियमानुसार हैं ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न टाउन प्लानिंग विभाग से सम्बन्धित है इसलिये यह उस विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : टाउन प्लानिंग मिनिस्टर जवाब देना चाहते हैं।

नगर आयोजन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, कुल 1,45,150) रुपये की रकम सबसिडी के रूप में 144 क्वार्टर्स के लिये दी गई है।

(2) उक्त धनराशि का आवंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सबसिडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत किया जाता है जिसके अनुसार सरकार 50 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत सबसिडी के रूप में नियोजकों को देती है।

(3) इन भवनों का आवंटन उन्हीं श्रमिकों को किया जाता है जो फैक्ट्रीज़

(श्री परसराम मदेरणा)
एक्ट 1948 की परिभाषा में आते हैं या जो इस संस्थान में कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार 250) रु० माहवार से कम की आमदनी वाले श्रमिकों को एक कमरे वाला तथा 350) रु० तक की आमदनी वालों को दो कमरे वाला मकान दिया जाता है।

(4) इन भवनों का आवंटन नियोजक द्वारा ही किया गया है। अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया कि अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है इसलिए मैं बहुत जोरदार तो नहीं कहना चाहती हूं लेकिन निश्चित बात है कि वहां के क्वार्टर्स के लिए जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार उन लोगों को नहीं दिये जाकर जो कि उच्च वेतन श्रृंखला में आते हैं और जो कर्मचारी हैं उन उच्च कर्मचारियों को वह क्वार्टर दिये गये हैं और अकसर लोग उसमें रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, लड़ाई इस बात की नहीं है कि कोई लखपति है या गरीब है। प्रश्न इस बात का है कि गरीब जानते हैं कि मेरे अधिकारों का मिसयूज हो रहा है। वहां उन गरीबों को, जिनको मिलना चाहिए, नहीं मिला इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी शीघ्र जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु ऋण

70. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1972 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के गृहहीन व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु राज्य सरकार ने समितियों के माध्यम से ऋण देना स्वीकार किया है ?

(2) क्या सरकार इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो ऋण देती है। उसके बदले सदस्यगण के जमीन के पट्टों को बतौर रहन रखती है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि फिक्स्ड प्राइस पर जो उक्त लोगों को भूमि अलॉट की जाती है वह अहस्तान्तरणीय होती है ?

(4) क्या इस व्यवस्था से होने वाली कठिनाई के प्रति सरकार जागृत है ?

(5) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) जी हां, सन् 1972 से अनुसूचित जाति व जन-जाति के गृहहीन व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु 'दी राजस्थान स्टेट कोओपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि० जयपुर' के माध्यम से सहकारी समितियों को ऋण देना स्वीकार किया है।

(2) जी नहीं, जमीन के पट्टे 'दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि० जयपुर' द्वारा ऋण स्वीकृत करने पर रहन रखे जाते हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पट्टों को रहन रखते हैं और दूसरी तरफ जिस शिड्यूल्ड रेट पर या फिक्स्ड रेट पर उनको जमीन दी जाती है, आवंटित की जाती है उसमें शर्त यह होती है कि अमुक समय तक आराजी नहीं बेची जा सकती है, न रहन कर सकते हैं। इस कठिनाई की वजह से ग्रामों के सरपंच अथवा म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के सामने यह दिक्कत होती है कि इस तरह के पट्टे जारी नहीं कर सकते जो कि ट्रान्सफरेबल हैं। यह इतनी बड़ी दिक्कत है कि आपके नियम हैं वह ऐसे हैं कि जिनको यह लोग कोई पूरा नहीं करते हैं और उस क्षेत्र के अन्दर कोई भी अधिकारी सरपंच से पटवारी, मास्टर से तहसीलदार और एस० डी० एम० से ब्लाक डवलपमेन्ट ऑफिसर तक कोई भी अधिकारी इन नियमों से अछूता नहीं रहता है। इसलिए क्या यह आप समझते हैं कि इन नियमों का सरलीकरण किया जाकर इस काबिल बनवाया जाये जिससे लोगों को पैसा मिल सके वरना यह मृगतृष्णा की तरह की उम्मीद होगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं। मैंने स्वयं ने यह देखा है कि टाउन एक्ट के तहत जो पट्टे दिए गए हैं उनमें मुसीबत आती है, उनको ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार पंचायत समितियों में जो पट्टे दिए जाते हैं उनको भी रहन नहीं रख सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मामला विचाराधीन चल रहा है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं इस आगस्ट बोडी को कि जल्दी ही इसका सरलीकरण किया जाएगा जिससे इच्छुक व्यक्तियों को पट्टे भी मिल जायेंगे और कर्जा भी मिल सकेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : पहले भी मंत्री महोदय ने इस तरह की घोषणायें की हैं। जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने ओल्ड एज पेंशन वालों की आयु कम करने की घोषणा कर दी लेकिन लोगों को कुछ मिलता नहीं, इसी तरह की यह घोषणा भी केवल मात्र घोषणा रहेगी और लोगों को केवल धोखा देने की बात रहेगी। जब तक इसको कार्य रूप में परिणित नहीं करेंगे किसी को लाभ होने वाला नहीं है।

श्री प्रभुलालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से। इस योजना के तहत कितना कर्जा बांट गया है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह वैसे तो अलग से प्रश्न है, फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपया बांटा जा चुका है। और मैं यह भी सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग से जो 300) रु० की सब्सीडी दी जाती है उसमें भी लगभग 12 लाख रुपया दिया जा चुका है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न :

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि

71. श्री **यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान को गत तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में योजना और गैर योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से कुल कितना रुपया मिला ? यह किस किस मद में मिला था और क्या यह सारा रुपया खर्च हो गया था या नहीं ?

योजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : राजस्थान की गत तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में योजना और गैर योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से कुल 291.22 करोड़ रुपया मिला था। इस राशि के आय तथा व्यय का मदवार ब्यौरा संकलन करने में समय लगेगा अतः यह संकलन होने पर सदन की मेज पर रख दिया जावेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा सवाल यह है कि जितना रुपया मिला है वह सब ही खर्च हो गया ? जो रुपया अलग-अलग टाइम पर मिला है वह सब खर्च कर दिया गया क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : यह विभिन्न विभागों में अलग-अलग पैसा आया था और विभिन्न विभागों ने खर्च किया। किस विभाग में किस साल में कितना पैसा आया और किस विभाग ने किस साल में कितना खर्च किया, यह सारे आंकड़े एकत्रित करने में समय लगेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपके जवाब से तो लगता है कि जितना मिला वह खर्च हो गया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना पैसा मिला। लोन के रूप में 221.62 लाख मिला है और ग्राण्ट के रूप में 69 करोड़ 60 लाख रुपया मिला है। कुल मिला कर 291.22 लाख रुपया मिला। इसकी कुछ डिटेल मैं अभी तक एकत्रित कर सका हूं लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स से आंकड़े प्राप्त करना और यह प्राप्त करना कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स ने कितना-कितना पैसा खर्च कर दिया या नहीं कर दिया या कितना खर्च कर दिया उसकी डिटेल देना अभी मेरे लिए सम्भव नहीं है। ज्यों ही मेरे पास आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे सदन की मेज पर रख दूंगा। जिन डिपार्टमेन्ट हैड्स के आंकड़े प्राप्त हो गए हैं उनको जानना चाहें तो उसके बारे में मैं आपको सूचना दे सकता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : फर्मा दीजिए।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : थर्ड फाइव ईयर प्लान की अप्रेजल रिपोर्ट तो आपके पास होगी ?

श्री चन्दमनल बैद : यह अप्रेजल का सवाल नहीं है। आपका पूछना यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी आपको ग्रांट, लोन और दोनों के रूप में असिस्टेंस मिली और यह असिस्टेंस कहां-कहां से आई और किस-किस डिपार्टमेंट में वह आई और वह कितनी आई और कितनी खर्च हुई यह प्रश्न आपका है।

(श्री चंदनमल बैद)

यह आपका एक्जैक्ट प्रश्न है तो एक्जैक्ट प्रश्न का एक्जैक्ट जवाब ही देना पड़ेगा। यह मैं अन्दाज से नहीं कह सकता कि सारा ही खर्च हो गया, या 90 परसेंट खर्च हो गया। इस सूचना को एकत्रित करने में समय लगेगा और ज्योंही मुझे सूचना प्राप्त होगी, मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। किस डिपार्टमेंट्स को कितना रुपया ग्रांट के रूप में मिला और कितना लोन के रूप में मिला इसके हैड्स मैं बता सकता हूँ। लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को कितना लोन के रूप में और कितना ग्राण्ट के रूप में मिला यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि समय बहुत थोड़ा मिला है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपने फरमाया कि कुछ आंकड़े हैं तो वे क्या हैं बता दीजिए। जो जो आंकड़े हैं वही बता दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वे बता सकता हूँ। लोन के तहत हैं :

रिहेबिलिटेशन	1 करोड़ 60 लाख
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एण्ड एलाइड स्कीम	21 करोड़ 93 लाख
मिसलेनियस डवलमेंट परपजेज	113 करोड़ 34 लाख
कम्युनिटी डवलपमेंट, का आपरेशन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज	3 करोड़ 69 लाख
इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट	1 करोड़ 39 लाख
हाऊसिंग स्कीम्स	2 करोड़ 52 लाख
अदर स्कीम्स	77 करोड़ 16 लाख

इसी तरीके से ग्राण्ट का है :—

ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन	25 करोड़ 16 लाख
फारेस्ट	48 लाख
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन	17 लाख
साइंटिफिक डि०	24 लाख
एजूकेशन डिपार्टमेंट	7 करोड़ 63 लाख
मेडिकल	1 करोड़ 29 लाख
पब्लिक हेल्थ	7 करोड़ 9 लाख
एग्रीकल्चर	3 करोड़ 44 लाख
एनीमल हस्बेंड्री	21 लाख
कोआपरेशन	24 लाख
इन्डस्ट्रीज	47 लाख
लेबर एण्ड एम्पलायमेंट	1 करोड़ 13 लाख
मिसलेनियस	77 लाख
कम्युनिटी डवलपमेंट, को आपरेशन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस	6 लाख 93 लाख
सिविल वर्क्स	1 करोड़ 84 लाख
Grant in Bills of tax on Railway Passenger	4 करोड़ 25 लाख
Miscellaneous	2 करोड़ 52 लाख
Misc. Social & Development organisation	57 लाख
पुलिस	4 करोड़

Welfare of Back ward classes	64 लाख

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक निवेदन करूं....

श्री चन्दनमल बैद : सुन तो लें पूरी बात ।

(व्यवधान-शोरगुल)

रिहेबिलिटेशन आफ डिस्प्लेस्ड परसन्स– 8 लाख

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं जानना है कि कितना मिला । मैं यह जानना चाहता हूं कि खर्च कितना हुआ और आप फरमा रहे हैं कितना आया ।

श्री चन्दनमल बैद : यह मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं....

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 15 दिन का समय माननीय मंत्री महोदय को मिला है और इस प्रकार का....

श्री चन्दनमल बैद : यह कहां से प्रिज्युम कर लिया कि पन्द्रह दिन का समय मिल गया । जरा सुनने की कृपा करें । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत कितना रुपया प्राप्त हुआ और कितना खर्च हुआ । इस पर मैंने जानकारी दी है कि इतना रुपया इस इस मद में आया ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमने आपका यह उत्तर तो सुन लिया लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कितना रुपया आया और इसमें से कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और कितना लेप्स हुआ है । राज्य सरकार उस रुपये को जो प्राप्त हुआ है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में यूटिलाईज कर सकी या नहीं कर सकी । यह माननीय सदस्य की जानने की मंशा है ।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब दे दिया है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसकी कोई सूचना नहीं दी है ।

श्री चन्दनमल बैद : किस-किस मद में कितना रुपया मिला था....

श्री श्रीराम गोटेवाला : और कितना खर्च हुआ और कितना लेप्स हुआ ।

श्री चन्दनमल बैद : और कितना खर्च हुआ इसकी विस्तृत जानकारी है । आज सैंकड़ों मदों में पैसा मिला है और पैसा खर्च हुआ है । इन सैंकड़ों मदों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि किस-किस मद में कितनी ग्राण्ट मिली और कितना लोन में दिया और हर मद में कितना पैसा खर्च हुआ, यह बताना मेरे लिए अभी सम्भव नहीं है । अगर मैं अभी इस प्रश्न का जबाव नहीं देकर, जो माननीय सदस्य की वकालत कर रहे हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य की वकालत की जरूरत नहीं है वे स्वयं वकील हैं ।

(व्यवधान प्रश्रम)

श्री चन्दनमल वैद : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि ज्योंही सूचना एकत्रित होगी मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कब तक मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष : यह कह चुके हैं कि सूचना मिलने पर सदन की मेज पर रख देंगे।

श्री दलपतसिंह (खारची) : Sir under sub-rule (3) of Rule 44 of our Rules of procedure, I request that the Minister may answer the question.

प्रश्नकर्त्ता गैर हाजिर हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि सदन की मेज पर रख देंगें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : इसी सेशन में रख देंगे ?

श्री फूलचन्द जैन : आप तो प्रश्न सं. 72 के बारे में कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री दलपतसिंह : There is a rule like that. Under rule 44 (3), I request that the hon. Minister may reply to this question.

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब रखवा देंगे।

प्रश्न संख्या 72

श्री मोहनराज जैन : (अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 73

श्री सुखलाल सेंणचा : अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्रीमती उषा प्रकाश ।

सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेंशन, ग्रेज्युएटी और ग्रेड फिक्सेशन के मामले

74. **श्रीमती उषा प्रकाश** (बैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 30 जून, 1967 को 55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त किये गये अध्यापकों के पेंशन, ग्रेज्युएटी और ग्रेड फिक्सेशन के मामले 3 माह के अन्दर-अन्दर निपटाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे ?

(2) उपरोक्त आदेश के बावजूद अभी तक कितने मामले विचाराधीन हैं और उनके निपटाने में क्या कठिनाई हैं ?

(3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत महुआ पंचायत समिति के सेवा निवृत्त शिक्षा प्रसार अधिकारी श्री भीखाराम वर्मा का ग्रेड फिक्सेशन एवं पेंशन व ग्रेज्युएटी का मामला अभी तक अनिर्णीत क्यों है ?

(4) राज्य सरकार उपरोक्त श्री भीखाराम वर्मा तथा इसी प्रकार के अन्य सेवा निवृत्त अध्यापकों के ग्रेड फिक्सेशन पेंशन व ग्रेज्युएटी के मामलों में अभी तक

(श्रीमती उषा प्रकाश)
निर्णय न लेने के जिम्मेवार अधिकारियों को दण्ड देना चाहेगी।

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उपरोक्त श्रेणी में आने वाले मामलों के निपटारे के लिये अवधि निश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां तो क्या?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) :

(1) यह सही नहीं है।

(2) कुल 333 मामले शेष हैं। यह मामले निम्नलिखित कारणों से बकाया हैं:–

महालेखाकार . .	190
पेंशन आवेदन-पत्र अभाव में	14
अधिक आयु की नियुक्ति की स्वीकृति के अभाव में	8
अन्य सेवा अभिलेख के अभाव में	121

(3) ऐसा नहीं है। संबंधित व्यक्ति के फिक्सेशन एवं पेन्शन, ग्रेचुएटी के मामले तय किये जा चुके हैं।

(4) इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है।

(5) मामलों को यथाशीघ्र निपटाने हेतु विभाग प्रयत्नशील है।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी दिनांक 13-2-67 को फाइनेन्स कमिश्नर ने यह आदेश दिया था कि जो व्यक्ति 1 जुलाई 1967 को रिटायर हो गये हैं उनको तीन महीने के अन्दर पेंशन केसेज का निपटारा कर दिया जाना चाहिये। इस आदेश के बावजूद भी इतने केसेज बाकी पड़े है। इसका मतलब अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। और आप कह रहे हैं मामला निपटा दिया गया है। यह कब का निर्णय है? मेरी सूचना के अनुसार अभी तक इनके मामले का निर्णय नहीं हो पाया है और संबंधित व्यक्ति के पास में 8-1-69 का एक पत्र संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग का है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका मामला सिफारिश के साथ डाइरेक्टर को भेज दिया गया है। परन्तु जो आप यहां पर कह रहे हैं उसकी सूचना संबधित व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी वे अपनी सूचना को दुबारा देख लें।

श्री जुझारसिंह : इस भीखाराम वर्मा का केस पेन्शन और ग्रेचुएटी का तय हो चुका है। उनका विवाद रिवाइज पेन्शन के बारे मे है और उसमें यह है कि यह टीचर 2-7-62 को थर्ड ग्रेड से सेकेन्ड ग्रेड में प्रोमोट हुआ है क्योंकि ट्रेन्ड टीचर नहीं था इसलिये अनट्रेन्ड टीचर की ग्रेड में जो कि 165 पर ही समाप्त होती है वहीं रोक दिया गया। जब तक ट्रेन्ड नहीं होता है टीचर को 165 से आगे बढने से रोक लगा दी जाती है। इसलिये इस टीचर को 165 के ऊपर तरक्की नहीं दी गई है। इस टीचर ने, भीखाराम वर्मा ने जो कि 1962 में प्रोमोट हुए थे 1966 में कश्मीर विश्व विद्यालय से बी. एड. पास किया और उसके बाद इनका प्रोमोशन चालू हो गया यानी 165 से आगे तरक्की दी गई और यह उनको बराबर मिलती रही है। अब उनका क्लेम है कि जब मेरा सैकिन्ड ग्रेड में प्रोमोशन हुआ 1962

(श्री जुझारसिंह)
में तब से ही यह तरक्की दी जानी चाहिये जो कि अनट्रेन्ड होने की वजह से 165 पर स्टाप कर दी गई थी। चूंकि अनट्रेन्ड होने की वजह से इनका क्लेम गवर्नमेंट ने असेप्ट नहीं किया है और जो रिवाइज पेन्शन का मामला है उस पर निर्णय होने के बाद ट्रेन्ड टीचर की ग्रेड में इनको प्रोमोट कर दिया गया है। इनका पेन्शन और ग्रेचुटी का मामला तय हो चुका है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य कर्मचारियों को टीचर्स को इन छोटी-छोटी बातों के लिये आन्दोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। कई जगह टीचर्स का फिक्सेशन नहीं हुआ है, कहीं उनके एरियर्स बाकी हैं और कही उनके लिये सर्विस रूल्स नहीं हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार किसी वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारी को नियुक्त करे जो टीचर्स का फिक्सेशन, एरियर्स और सर्विस रूल्स बनावे। इसके लिये सरकार एक निश्चित अवधि भी मुकर्रर कर दे और उस अवधि तक फिक्सेशन कर उसका भुगतान कर दिया जाये। इस तरह से इस मसले को तय कर दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि सारे राज्य में जो अव्यवस्था, अशान्ति और सत्याग्रह और आन्दोलन हो रहे हैं वे बन्द हो जायेंगे। आशा करता हूं कि राज्य सरकार मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेगी।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स कमिश्नर की एक इनस्ट्रक्शन यह निकली थी कि इस प्रकार के केसेज का निपटारा तीन महीने के अन्दर कर दिया जाये। आज की तारीख तक 365 केसेज पेन्डिंग हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो फिक्सेशन का मामला संबंधित अध्यापक का है वह इससे पहले ही हो जाना चाहिये था। परन्तु वह भी समय पर तय नहीं हो पाया। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि केसेज का निपटारा हो गया है परन्तु मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार मैं कह सकती हूं कि अभी तक इसका निपटारा नहीं हो पाया है। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में ढिलाई बरतने वाले सरकारी अधिकारी के खिलाफ क्या वह कार्यवाही करेगी ?

श्री जुझारसिंह : जहां तक श्री भीखाराम वर्मा का प्रश्न है, अगस्त, 72 में उनका केस फाइनल हो चुका है। आप कहती हैं कि गलत है तो मैं इसको इन्क्वायरी करा कर आपको जवाब भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विद्यासागर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं पूछना चाहता हूं बुजुर्गी से बुजुर्गी को टकरा थोडे ही रहा हूं ..

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनके सवाल का जवाब होना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक अधिकारी का भी नाम बता दीजिये जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्यवाही की हो।

Page No 18

(18)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो बुढ्ढों के बीच में जवान ही जबाव दे सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : खामोशी का भी जवाब होता है।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 75

खेरवाड़ा तहसील में अकाल सहायता कार्य से सड़कों का निर्माण

75. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में अकाल सहायतार्थ कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों पर पक्के कार्य भी कराये जायेंगे ? यदि हां तो कौन-कौन सी सड़कों पर पक्का कार्य कराया जायेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न से सम्बन्धित पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये अगली जो मेरी टर्न है उस अवधि तक इसको पोस्टपोन करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

प्रश्न संख्या 761 श्री मनोहर कोठारी !

नाथद्वारा तहसील के गांवों की जल प्रदाय योजना

76. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा तहसील के कई गांवों द्वारा जन सहयोग की राशि जमा कराई जा चुकी है यदि हां तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम जलप्रदाय योजनान्तर्गत तहसील के कई ग्रामों और ग्राम समूहों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां तो उनकी सूची विस्तृत जानकारी सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सर्वेक्षण किये गये गांवों में से राज्य सरकार का आगामी वर्ष में कहां-कहां योजनायें प्रारम्भ करने का विचार है और उनका कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

(4) क्या राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर जल-प्रदाय योजना स्थापित करने का निश्चय किया है यदि हां तो पंचायत समिति खमनोर का सर्वेक्षण बहुत पहले हो जाने के उपरान्त भी अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने का क्या कारण है ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) जी हां, नाथद्वारा तहसील के जिन-जिन गांवों द्वारा जन सहयोग की राशि जमा कराई जा चुकी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन ग्रामों एवं ग्राम समूहों का जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया जा चुका है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् धनराशि की उप-

Page No 19

(19.)

(श्री मनोहर कोठारी)

लब्धियां के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में योजनाओं की स्वीकृति करने पर विचार किया जा सकेगा। कार्य स्वीकृति के उपरांत शुरू किया जा सकेगा।

(4) जी हां अभी पंचायत समिति, खमनोर की ओर से जनसहयोग की पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। जनसहयोग की बकाया 3560/ रुपये की राशि प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन गांवों की जनसहयोग की राशि जमा हो चुकी है, गत वर्ष भी आपने बजट सेशन में कहा था कि इनकी तकनीकी जांच हो रही है। तो यह जांच कब तक हो जायेगी। यह बात आप पहले भी कह चुके हैं परन्तु क्या अभी तक यह तकनीकी जांच चल रही है। यह तकनीकी जांच कब तक समाप्त हो जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : आपने खमनोर के बारे में पूछा है....

श्री मनोहर कोठारी : जहां-जहां की राशि जमा हो चुकी है....

श्री चन्दनमल बैद : खमनोर, सेमा, सिसोडा कलां, मोलोला इन गांवों की एक क्षेत्रीय योजना बनाई गई थी और इनका अनुमानित व्यय 3 लाख 31 हजार 500 रुपया है और जिनकी तकनीकी जांच हो रही है। चूंकि खमनोर की राशि ढाई परसेन्ट जनसहयोग की जमा नहीं हो पायी है इस वास्ते इसकी स्वीकृति होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया जा सका है। सेमा और सिसोरा कलां इन गांवों की आबादी 2000 से कम है इस वास्ते काम हाथ में नहीं लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको सूचित करना चाहता हूं नाथद्वारा तहसील में दो हजार से पांच हजार की आबादी के केवल पांच गांव हैं जिनकी योजना चालू है। तीन गांवों का सर्वे हो चुका है। खमनोर का काम इस लिये शुरू नहीं हुआ है कि उसकी जनसहयोग की राशि जमा नहीं हो पाई है। पैसा आते ही इस स्कीम का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

श्री मनोहर कोठारी : खमनोर के लिये जो लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम बनाई गई है उसमें करीब दो लाख रुपया व्यय हो चुका है। वहां पर पम्प वगैरह मौजूद है। अतः इसके लिये जलप्रदाय योजना अलग से नहीं बनाकर इसी लिफ्ट इर्रीगेशन से पानी दिया जाये। अलग से जलप्रदाय योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं है और लागत भी कम है। गांव वाले जनसहयोग केश में देने में असमर्थ हैं। क्या यह संभव नहीं है कि जनसहयोग की राशि की पूर्ति लोगों से काम लेकर पूरी कर ली जाये?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न मैं भी इस सन्दर्भ में पूछना चाहती हूं। मंत्री महोदय ने बताया कि दो हजार और पांच हजार के बीच की आबादी वाले गांवों के लिये जल प्रदाय योजना बना रहे हैं। तो क्या सरकार यह मानती है कि दो हजार से कम आबादी वाले गांवों की जनता को पानी की आवश्यकता नहीं है?

श्री चन्दन मल बैद : मैंने यह नहीं कहा कि केवल दो हजार और पांच हजार के बीच वाले गांवों के लिये ही स्कीम बनाई जा रही है। कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां के स्पेशल प्राब्लेम्स हैं जैसे गिनी वर्म हो फ्लोराइड हो, ब्रैकिश पानी हो, ऐसी जगहों पर कुछ भी आबादी हो, वहां पर पानी सप्लाई करने की योजना है। लेकिन जहां मीठा पानी उपलब्ध है वहां यह कोशिश कर रहे हैं कि दो हजार से कम आबादी वाले गांवों को फिलहाल नहीं लिया जाये। उनके लिये अलग से 90 लाख रुपये पंचायत समितियों के द्वारा दिये हुए हैं, जिससे वे नये कुएं निर्माण कर सकते हैं और दूसरी प्रकार का इन्तजाम कर सकते हैं। और दो हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों के लिये, या उन गांवों के लिये जहां पर कोई स्पेशल प्राब्लेम है, जैसे गिनी वर्म का, फ्लोराइड का, ब्रैकिश वाटर का या जहां पर पानी बहुत गहरा मिलता है, ऐसे गांवों के लिये योजना राज्य सरकार हाथ में ले रही है। कुछ क्राइटेरिया तो बनाना ही पड़ता है। भारत सरकार के आदेश से यह तय किया हुआ है। जो ड्राट प्रोन एरियाज के आठ जिले हैं वहां जनसहयोग की रकम नहीं ली जायेगी और बाकी के जो जिले हैं वहां जनसहयोग की रकम ली जायगी पहले वह पांच प्रतिशत थी, अब उसको कम करके ढाई प्रतिशत ही रखा गया है। खमनोर गांव में 236000 की स्कीम है, तो यह कहना कि 2 लाख खर्च हो गया है वह गलत है। 236000 का ढाई प्रतिशत वहां के लोग जमा कर दें तो हम उस स्कीम का काम शुरू करदें। माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को तैयार करें और ढाई प्रतिशत रकम जमा करायें तो उस स्कीम को चालू कर सकेंगे।

श्री मनोहर कोठारी : मेरा यह निवेदन है कि जो लोग गरीब हैं और पैसा जमा नहीं करा सकते, उनसे आप मजदूरी क्यों नहीं ले लेते ? आखिर आपको निर्माण के लिये मजदूर भी तो चाहियेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रस्ताव पहली बार माननीय सदस्य की तरफ से आया है। माननीय सदस्य इस बारे में मुझ से बात करलें, मैं और मेरा विभाग वहां की समस्या को हल करने के लिये हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं। जन सहयोग अगर पैसे के रूप में नहीं आता है और मजदूरी के रूप में भी आता है तो माननीय सदस्य उसके लिये बात करलें, मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मन्त्री महोदय ने बताया कि 90 लाख रुपये जल प्रदाय योजनाओं के लिये दिए हुए हैं, तो वह रुपये किस प्रकार और किस-किस गांव और पंचायत समिति में आवंटित किया गया है, उसकी सूची सदन में पेश करें।

श्री चन्दनमल बैद : इसी साल ही दिया गया है। 50 लाख तो पिछली विधान सभा की बैठक में दिये गये और 40 लाख अभी एक सप्ताह पहले आवंटन किया है। आप पंचायत समिति से पता लगाइये।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : किस-किस पंचायत समिति को कितना पैसा दिया गया है यह बताने की कृपा करें।

श्री चन्दनमल बैद : किस-किस पंचायत समिति को कितना पैसा दिया गया है वह पत्र लिख कर मुझ से पूछ लें। अगर

(श्री चन्दनमल बैद)
जल्दी चाहिये तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ले लें।

श्रीमती मदनकौर : क्या राज्य सरकार ने पीने के पानी की समस्या के हल के लिये कोई मास्टर प्लान बनाया है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं सुन नहीं पाया।

श्रीमती मदनकौर : क्या राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न गांवों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए विभिन्न जिलों के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार कर लिया है या करने के लिये कोई प्रयास किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : कुछ मास्टर प्लान तैयार किये गये हैं और कुछ किये जा रहे हैं। हमारा ऐसा अन्दाजा है कि सारी समस्या को निपटाने के लिये कम से कम 200 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

यू. आई. टी. उदयपुर द्वारा प्लाटों का अलाटमेंट

77. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़),

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में जनवरी, 1972 में पुरानी यू. आई. टी. समाप्त कर दी गई थी ? क्या यह भी सही है कि यू. आई. टी., की समाप्ति से पहले इसने अनेकों प्लाट अलाट किये ? यदि हां, तो किस-किस को कितने कितने मूल्य में ? नाम, प्लाट नम्बर, कीमत, प्लाट का साइज आदि दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यू. आई. टी. ने पोलो ग्राउण्ड के सबसे कीमती प्लाट भी अलाट कर दिये ? यदि हां तो ये प्लाट किस-किस को कितने-कितने मूल्य में अलॉट हुये ? इनमें से कितने सरकारी अफसर हैं ? सरकारी अफसरों के नाम तथा ओहदे आदि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यू. आई. टी. के पदाधिकारियों तथा उनके रिश्तेदारों को कौन-कौन से प्लाट कितने-कितने मूल्य में किस-किस को अलाट हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि यू. आई. टी. द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, गबन, घोटालों आदि के विरुद्ध उदयपुर की जनता लगातार जांच की मांग करती आई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस मांग पर चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर उदयपुर को इसकी जांच के लिये नियुक्त किया था ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

(6) क्या यह सही है कि बाद में चीफ सेक्रेटरी ने आयुक्त जन अभियोग निराकरण विभाग को जांच के आदेश दिये ? यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले तथा जांच अधिकारी बदलने का क्या कारण था ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, जिस सूचना की आवश्यकता थी उसके मिलने में एक सप्ताह और चाहिये। इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। एक हफ्ते के बाद उत्तर दे देंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : एक हफ्ते के लिये स्थगित किया जाये, साहब।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

श्री मीठालाल !

भिखमंगों के रोजगार की व्यवस्था

78. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि जयपुर स्थित ऐतिहासिक हवा महल के पास भिखमंगों द्वारा आगन्तुक विदेशी पर्यटकों से भीख मांगने तथा हवा महल के नीचे बैठे व लेटे रहने का बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया जाता है, जिससे विदेशियों पर देश की बहुत बुरी छाप पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर के भिखमंगों को विशेषकर उक्त स्थान के बारे में कुछ व्यवस्था करेगी, जिससे भिखमंगो को कुछ धंधे में लगाया जा सके और वहां से हटाया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल) : यह सही है कि पर्यटन स्थानों में भिक्षुक, पर्यटकों के लिये परेशानी का कारण है। सरकार इस समस्या को नियन्त्रित करने के प्रयत्न कर रही है। बालकों में भिक्षावृत्ति रोकने के लिये जयपुर व अजमेर में राजस्थान बालक अधिनियम लागू कर दिया गया है। अन्य भिक्षुकों को भिक्षावृत्ति से विमुख करने तथा उन्हें अन्य व्यवसायों में पुनर्वासित करने की दृष्टि से जयपुर व अजमेर में भिक्षावृत्ति नियन्त्रण परियोजना चलाई जा रही है तथा अजमेर के अतिरिक्त जयपुर में भी एक सेवा सदन स्थापित किया गया है जहां भिक्षुकों के निवास, प्रशिक्षण और सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्स्थापन के प्रयत्न किये जाते हैं।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जयपुर और अजमेर में जो सेवा गृह हैं, उनमें कितने-कितने व्यक्ति इस समय हैं। दूसरे मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था इस बात का कि जैसे हवा महल का जिक्र किया है, उन पर वह प्रतिबन्ध लगायेंगे ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं और फोटो खींचकर ऐसे लोगों का ले जाते जिससे कि वह लेजाकर वातावरण बनाते हैं। वह नहीं होना चाहिए।

श्री **ओंकारलाल** : माननीय सदस्य के जो विचार हैं, मैं उनको मानता हूं।

श्री **शीशराम ओला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब ने रोक लगा दी है। ऐसी छोटी-छोटी स्टेट्स ने रोक लगादी है। वहां के जो भिक्षुक हैं वह भी राजस्थान में आते जा रहे हैं। इस प्रकार से भिखमंगों की संख्या कई गुनी बढ़ती जा रही है। दूसरी स्टेट के यहां इकट्ठे होते जा रहे हैं। यहां का वातावरण गन्दा बनता जा रहा है। यहां से

(श्री शीशराम ओला)
लोग फोटो ले जाते हैं और विदेशों में बड़ा गन्दा प्रचार होता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे सड़कों पर घूम कर देखें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो अधि नियम लागू करने के बारे में कहा जाता है, वह लागू कर दिया जाये। सरकार को आज भी हम सुझाव देते हैं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : (अश्रव्य)

श्री मीठालाल : पर्यटक लोग भिखमंगों के साथ में इस प्रकार से फोटो खींचते हैं। इस ढंग के चित्र सामने हैं। इसको बन्द किया जाये, इसकी आप व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए काम धन्धे की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे कि विभिन्न स्थानों पर पर्यटक आते हैं, वहां पर इस प्रकार के चित्र नहीं लिये जायें।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात आ गई है।

श्री औंकारलाल : मैं माननीय सदस्य की बात मानता हूँ। शीशरामजी ओला ने कहा है कि मैं पैदल घूम कर देखूं। मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूँ। पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार का कानून लगा दिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आर्थिक कठिनाई क्या आयेगी।

श्रीमती निर्मलासिंह : (अश्रव्य)

श्री औंकारलाल : मैं आपके सामने यह संख्या प्रस्तुत कर देता हूं:—

अजमेर – 97
जयपुर – 27

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे यहां तो मुहल्ले का मुहल्ला ही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वोटों की भिक्षावृत्ति है, उस पर भी रोक लगा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपन सभी भिक्षुक हैं, इस मामले में।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार स्नातकों को ऋण

63. श्री बनवारीलाल (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को सहायता देने के लिये कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है, तथा कितने व्यक्तियों ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किये तथा उनमें से कितनों को धनराशि मन्जूर की गई ?

(2) टोंक जिले के कितने स्नातकों एवं स्नातकोत्तर आवेदकों को उक्त राशि दी गई ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को सहायता (वृत्तिका) देने के लिये इस वर्ष समाज कल्याण विभाग के बजट में 10,95,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में इस वर्ष 369 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। जिनमें से 340 व्यक्तियों को धनराशि स्वीकृत की गई है।

(2) टोंक जिले के 6 स्नातकों एवं 3 स्नातकोत्तर आवेदकों को उक्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

भारत पाक युद्ध के दौरान आये शरणार्थियों के शिविर

27. श्री **मोहनराज जैन** (बाली) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) भारत-पाक युद्ध के दौरान कुल कितने शरणार्थी पाक क्षेत्र से राजस्थान में आये और कितने शिविरों में इन्हें रखा गया ?

(2) क्या ये शिविर आज तक कायम हैं ? उनमें कितने शरणार्थी हैं ? इन लोगों की पुनर्वास योजना पर सरकार ने कुछ सोचा है ? क्या इन्हें राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

(3) इन शरणार्थियों पर कुल दैनिक व्यय कितना है ? क्या इनसे कुछ काम भी लिया जाता है ?

उत्तर

(1) 1232 परिवार।
10 शिविर

(2) जी हां। 56595 विस्थापित। विस्थापितों के पुनर्वास का विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) लगभग 60,000 रुपया दैनिक। जी नहीं।

घर पर पुलिस गार्ड

73. श्री **सुखलाल संणचा** (जैतारण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री पुखराज कालानी के घर पर ग्राम देवली जिला पाली पर एवं प्रेम केबल्स फैक्टरी, पिपलिया जिला पाली के यहां 10 अक्टूबर, 1971 के बाद से पुलिस की गार्ड लगा रखी है ? यदि हां, तो इसका खर्चा कौन वहन कर रहा है ? और यदि सरकारी खर्चे पर गार्ड लगा रखी है तो किन नियमों के तहत ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में अब तक ऐसे कितने डकैती एवं कत्ल के मामले हुए हैं जिनमें मुल्जिम के फरार होने के समय में प्रभावित पार्टी के घर पर पुलिस की गार्ड लगाई

(श्री सुखलाल)
गई हो ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10-10-71 से एक गार्ड श्री पुखराज कालानी के घर और दूसरी उनकी पिपलिया फैक्ट्री पर लगाई गई थी। यह दोनों गार्ड श्री पुखराज कालोनी के पिता की हत्या के बाद फरार मुल्जिम बच्चनदान से श्री पुखराज और उनके परिवार की सुरक्षा हेतु पुलिस रेगुलेशन के नियम 181 (ए) (प्रति संलग्न) के तहत राज्य सरकार के खर्चे पर लगाई गई थी। दिनांक 15-1-73 को मुल्जिम बच्चनदान के गिरफ्तार हो जाने पर यह दोनों गार्ड हटा दी गई है।

(2) वर्त्तमान में राज्य के सीकर जिले में श्री रामकुमार, अध्यक्ष, सुरक्षा दल, नीम का थाना की हत्या के बाद मुल्जिमानों के फरार हो जाने पर एक गार्ड दिनांक 11-1-72 से उक्त सुरक्षा दल के सक्रिय कार्यकर्त्ता श्री देवीसहाय के घर गुडावाली ढाणी पर उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा हेतु राजस्थान पुलिस रेगुलेशन के नियम 181 (ए) के तहत राज्य सरकार के खर्चे पर लगाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल सहायता कार्य हेतु खरीदा गया सामान

32. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1967-68 से लेकर आज तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य-स्थलों पर कितना-कितना सामान, कितनी राशि का, किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है ? प्रत्येक सहायता कार्य-स्थल पर पड़े सामान की अलग-अलग से सूची देने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देखरेख के लिये सहायता विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है ?

(स्थगित किया गया)

लक्ष्मीनारायणपुरी योजना जयपुर में भू-खण्डों का आवण्टन

33. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लक्ष्मीनारायणपुरी योजना जयपुर में कुल कितने भू-खण्डों का अब तक आवंटन किया गया है ? आवंटियों के नाम, पता व आवंटन तिथि, वर्त्तमान पता, पेशा, आय भू-खण्ड संख्या आदि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) लक्ष्मीनारायणपुरी योजना में जिनको भू-खण्डों का आवंटन किया गया है वे वहां पिछले कितने वर्षों से रह रहे थे ? क्या उनके नाम क्षेत्रीय मतदाता सूची में दर्ज हैं ? नाम किस मतदाता सूची में थे तो उसका क्रमांक, भाग संख्या व वर्ष का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सूची सदन में प्रस्तुत करें।

(3) भू-खण्ड आवंटन में किन आधारों को अपनाया गया है ?

Page No 26

(26)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(4) क्या इस योजना में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी भू-खण्ड दिये गये हैं जो इस बस्ती के मूल निवासी नहीं थे ? क्या न्यास के पास उक्त योजना से सम्बन्धी कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि मूल निवासियों को भू-खण्ड आवंटन न कर बाहर के प्रभावशाली व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन कर दिये गये हैं ?

(5) क्या उक्त योजना पर राज्य सरकार ने निषेधाज्ञा लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लक्ष्मीनारायणपुरी योजना में कुल 335 भू-खण्डों का आवंटन किया गया है। आवंटियों के विवरण के बारे में उपलब्ध जानकारी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लक्ष्मीनारायणपुरी योजना के निवासी काफी वर्षों से कच्चे, पक्के मकानात बना कर निवास करते चले आ रहे थे। अतः न्यास द्वारा सन् 1965–66 में उक्त योजना में बसे परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाकर भू-आवंटन की कार्यवाही की गई थी। मतदाता सूची आदि की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) लक्ष्मीनारायणपुरी योजना में पुराने कब्जे के आधार पर भू-आवंटन की कार्यवाही की गई थी।

(4) इस योजना में भू-आवंटन वहां के पुराने निवासियों को ही उनके पुराने अधिपत्य के आधार पर किये गये हैं। इस योजना के निकटतम स्थित मण्डी खटीकान के नागरिकों के द्वारा राज्य सरकार से मूल निवासियों को भू-आवंटन न कर बाहर के निवासियों को भू-आवंटन करने की शिकायत की गई थी।

(5) निषेधाज्ञा पत्र क्रमांक एफ 3. (74) टी० पी०/67, दिनांक 29-6-72 द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीम व देवगढ़ तहसीलों में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत काम

34. **श्री विक्रमसिंह भाटी** (भीम) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में कितने-कितने कार्यों के एस्टीमेट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ? राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील (भीम व देवगढ़) में स्वीकृत कार्यों के नाम, स्वीकृत राशि अलग-अलग तहसीलवार दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत उदयपुर जिलास्तर अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित भीम व देवगढ़ तहसील के कार्यों को तुरन्त प्रारम्भ करने के आदेश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिये हैं ?

(3) यदि हां, तो अभी तक कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ करवाये गये ?

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में डी० पी० ए० पी० योजना की अब भी राशि बची हुई है किन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा, बार-बार मांग करने पर भी, उन कार्यों का सर्वे व एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार को नहीं भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि डी० पी० ए० पी० मद से इस भयंकर संकट के समय कार्य करवाने से राज्य सरकार का आर्थिक बोझ हल्का पड़ेगा और जनता को रोजगार मिलेगा, आगे चलकर उत्पादन बढ़ेगा, अधिकारियों को भत्ता मिलेगा फिर भी सिंचाई विभाग के अधिकारी कार्यों का सर्वे व एस्टीमेट बनाना नहीं चाहते ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को मुख्य अभियन्ता द्वारा भीम व देवगढ़ तहसीलों के अन्तर्गत निम्न राशि के एस्टीमेट प्राप्त हुये हैं तथा आवश्यक जांच के पश्चात् निम्न तहसीलों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं।

भीम तहसील	15.75 लाख
देवगढ तहसील	22.50 लाख

तहसीलवार प्रस्तावों की सूची मय अनुमानित लागत के संलग्न हैं।

(2 व 3) जी नहीं। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कार्य भारत सरकार की स्वीकृति के बाद भी आरम्भ किये जा सकते है, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य अभियन्ता सिंचाई को आदेश दिये जा चुके हैं कि वह उन कार्यों के बारे में उचित कार्यवाही करलें ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर बिना देरी कार्य तुरन्त आरम्भ किये जा सकें।

(4) जी नहीं। देवगढ़ व भीम तहसीलों को डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत शामिल करने हेतु भारत सरकार ने मई, 1972 में स्वीकृति दी थी तथा इन तहसीलों के लिये कोई भी राशि अलग से नहीं दी गई है। अन्य विभागों तथा जिलों की राशि में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करके ही इन तहसील के कार्य भारत सरकार को भेजना संभव हो सका है। अब किस अतिरिक्त राशि का आवंटन इन तहसीलों के लिये करना संभव नहीं है।

(5) अकाल की भयंकर स्थिति को देखते हुए ही राज्य सरकार ने डी. पी. ए. पी. के मद से भारत सरकार से अधिक राशि नहीं मिलने पर राज्य को सम्पूर्ण आवंटित राशि में से रकम निकाल कर इन तहसीलों के कार्यों को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा है ताकि जनता को रोजगार मिले तथा आगे चल कर उत्पादन में भी वृद्धि हो।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

बून्दी जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

35. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले में अब तक राज्य सरकार द्वारा कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कहां-कहां कायम की गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन स्थानों पर सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं वहां पर अब तक नाममात्र का अनाज पहुँचा है और दुकाने बन्द हैं ?

(3) बून्दी जिले में किस-किस ग्राम की दुकान पर अब तक अनाज की कितनी बोरी भेजी गई हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में अब तक 16 सस्ते गल्ले की दुकाने कायम की गई हैं। तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी है।

(2) केवल एक दूकान के अतिरिक्त शेष सब दुकानों पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम असनावर की जलप्रदाय योजना

36. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर, जिला झालावाड़ की जल प्रदाय योजना के ग्राम पंचायत की ओर से 3000 रु० सन् 59 में जमा हुए थे ? यदि हां तो अभी तक योजना की स्वीकृति क्यों नहीं हुई ?

(2) उक्त योजना (जल प्रदाय) कब शुरू होगी और इस योजना में कितना खर्चा होगा तथा यह कब पूरी हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत की ओर से 3000 रु० की धनराशि सन् 1959 में जन सहयोग के रूप में इस विभाग के मद में जमा न कराकर गलत मद में जमा कराई गई हैं। योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) योजना अगस्त, 1972 में स्वीकृत की जा चुकी है। योजना की अनुमानित लागत 1.16 लाख रु० है। साधारणतया एक योजना का कार्य पूर्ण करने में धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर 2 से 3 वर्ष की अवधि लग जाती है।

महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के वेतन-मानों का एकीकरण

37. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिस समय राजस्थान के महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के वेतनमानों का एकीकरण 250-25-750 में किया गया उस समय राजस्थान की पोलीटेक्निकों में कार्यरत विज्ञान विषयों तथा अंग्रेजी के प्रवक्ताओं के वेतनमान पर समानता के आधार पर विचार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) यदि ऐसा भूलवश हो गया है, तो उसे 1 जनवरी, 1960 से लागू करने के लिए सरकार की ओर से प्रयत्न क्यों नहीं किए गये, जबकि इन्जीनियरिंग कॉलेज

(श्री अमृतलाल गहलोत)
के प्रवक्ताओं के प्रश्न पर वैसा निर्णय लिया गया ?

(3) 13-7-61 से उन्हें उक्त वेतनमान में रखने के पश्चात् भी उनकी पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हताओं में स्नातक स्तरीय शिक्षण के अनुभव के बंधन के द्वारा उन्हें वास्तविक अवसर से वंचित क्यों रखा गया जबकि सही तौर पर उन्हें आर. ई. एस. के साथ समीकृत किया जा चुका है ?

(4) यदि नहीं, तो उनके लिये सामान्य पदोन्नति के द्वारा कब तथा किस प्रकार खोले जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) (3) (4) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

शिक्षा पर जिलेवार खर्चा

38. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान के निर्माण से लेकर अब तक राज्य के किन-किन जिलों में कितना-कितना खर्चा शिक्षा पर हुआ है ? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) किस-किस वर्ष में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा शिक्षा पर हुआ है और जिलेवार कितना कितना खर्चा प्रति व्यक्ति हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान के निर्माण से लेकर अब तक राज्य में शिक्षा पर हुए व्यय की सारणी संलग्न है । विभाग में इस व्यय के आंकड़े जिलेवार उपलब्ध नहीं है ।

(2) जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय का अनुमान निम्नानुसार है:–

वर्ष	रुपया	
1951	1–7	
1962	6–6	
1971	16–7	(केवल प्रा. एवं मा. शिक्षा)

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

राजस्व कर की वसूली

39. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गत पांच वर्षों में राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से प्रति वर्ष कितनी राजस्व कर की वसूली हुई है ? सूची सविवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

नमक उत्पादन करने हेतु भूमि का आवंटन

40. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

(1) जुलाई-अगस्त सन् 1971 में उद्योग विभाग द्वारा राजस्थान में कहां कहां किन किन व्यक्तियों अथवा फर्म्स को नमक उत्पादन करने हेतु कितनी भूमि का आवंटन किया गया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) उपरोक्त आवंटन के सम्बन्ध में कब कब आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये और किन व्यक्तियों के कब कब आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(3) उपरोक्त आवंटन के अन्तर्गत आने वाली भूमि को कब कब किस किस विज्ञप्ति द्वारा नमक क्षेत्र घोषित किया गया था ? कृपया विज्ञप्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(4) क्या यह सही है कि जुलाई-अगस्त, 1971 में नमक उत्पादन के हेतु दिये गये लीज की अवधि में वृद्धि की गई है और रिन्युअल किया गया ? यदि हां, तो किस किस लीज के सम्बन्ध में कितने कितने समय के लिये और क्यों ?

(5) उपरोक्त लीज की अवधि में वृद्धि करने हेतु या इनका रिन्युअल करने हेतु किस किस व्यक्ति अथवा फर्म के आवेदन-पत्र कब कब से राज्य सरकार के विचाराधीन थे ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

आई. पी. एस. व आर. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

41. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पुलिस सेवा के आई. पी. एस. व आर. पी. एस. रेंक के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें जनता द्वारा समय समय पर दी गई है ?

(2) यदि हां, तो कौन कौन से अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें राज्य सरकार के पास पेंडिंग हैं और उनके जल्दी से फैसले करने के लिये क्या राज्य सरकार कोई विशेष कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शिकायतों का शीघ्र फैसला करने की दिशा में राज्य सरकार ने वर्तमान पदों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पद बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है एवं जांच-कर्ता अधिकारीगण को भी इनको शीघ्र निपटाने हेतु आदेश दिये हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की अनवीक्षा करने हेतु एक विशिष्ट न्यायालय की भी स्थापना की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

चोरी का मुकदमा

42. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केस नं. 38 सन् 1971 थाना थमूडवाली द्वारा एक कम्बल की चोरी का मुकदमा श्री रावताराम नायक हरखेवाला ने दर्ज करवाया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि यह मामला तहसीलदार पदमपुर की शह पर झूंठा दर्ज किया गया था ? क्या इस मामले की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने को कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । श्री रावतराम नायक ने कम्बल की चोरी का मुकदमा 58/71 जेर दफा 379 आई.पी.सी. दर्ज करवाया था जो तफतीश से झूठा पाया गया था ।

(2) जी हां । पुलिस तफतीश के सिलसिले में ऐसी बात सामने आई है । मामले की पुष्टि हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को विस्तृत जांच के आदेश दिये जा रहे हैं ।

भीलवाड़ा नगर की मजदूर कॉलोनी के मकानों का किराया

43. श्री भंवरलाल भवाद (भीलवाड़ा): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार भीलवाड़ा नगर की मजदूर कॉलोनी के मकानों को किराये पर निवास करने वाले मजदूरों को ही बम्बई, अहमदाबाद या इन्दौर की तरह हायर पर्चेज पर देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

जी हां । भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होते ही इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

अशासकीय संकल्प-सूचना-तिथि निर्धारण सम्बन्धी घोषणा

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन में जो सदन द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1973 को स्वीकार किया गया है गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए 28 फरवरी, 1973 की तिथि नियत की गयी है।

प्रक्रिया के नियम 106 में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूचना संकल्प प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 15 दिन पूर्व होने का प्रावधान है परन्तु इतना समय उपलब्ध न होने की स्थिति में मैं उक्त नियम के परन्तुक के अन्तर्गत अनुमति देता हूं कि जो माननीय सदस्य संकल्प की सूचना देना चाहें वे 24 फरवरी, 1973 को मध्याह्न 1.00 बजे तक ऐसा कर सकते हैं ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

Page No 32

(32)

(श्री अध्यक्ष)

1. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने बाड़मेर जिले के सरकारी कैम्प्स में सिन्धी शरणार्थियों की बड़ी तादाद में मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होते ही निर्णय लिया जायेगा।

2. दिनांक 20 फरवरी, 1973 को सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने बारी दरवाजा, प्रतापगढ़ में दिनांक 2-2-73 को की गई गौ-हत्या के सम्बन्ध में सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

3. सर्व श्री मीठालाल मीणा, मूलचन्द सामरिया सदस्य, विधान सभा ने लालसोट कस्बे में समुचित पेय जल की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और माननीय सदस्य इसे आगामी बजट की बहस में उठा सकते हैं। अतः मैं इस प्रश्न की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. सर्व श्री मूलचन्द सामरिया और लक्ष्मीनारायण, सदस्य, विधान सभा ने तहसील थानागाजी के बामनवास के सरपंच द्वारा सरकारी गेहूं दिनांक 30-1-73 को ब्लैक में बेच देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न हाल की घटना से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा ने सीकर जिले में अकाल की स्थिति के होते हुए भी लगान की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि सर्व श्री मूलचन्द सामरिया, जिंगिग व विट्ठलभाई, सदस्य, विधान सभा ने भी राजस्थान में व्याप्त अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसी प्रकार कतिपय अन्य माननीय सदस्यों ने इसी विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की सूचना भी दी है। इस विषय पर आज माननीय अकाल राहत मन्त्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के उत्तर में कुछ स्पष्टीकरण करेंगे। अतः मैं इन प्रस्तावों की स्वीकृति देने से असमर्थ हूं।

6. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में व्याप्त आवश्यक उपयोग की वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ने और मंहगाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी इसी विषय पर प्राप्त एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्वी-

(श्री अध्यक्ष)

कृत किया जा चुका है। अत: मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, 66 मन गेहूं व मक्का, 3 बोरी कोटा की चीनी तहसील थानागाजी के वामनवास के सरपंच को अलवर में बेचते हुए पकड़ लिया गया है। राजगढ़ के एस० डी० एम० साहब भी उसमें लिप्त हो गये। अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया।

श्री मूलचन्द सामरिया : राज्य सरकार जो सुविधायें उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, उसके लिए आप कहते हैं कि अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जाये और उसको दण्डित किया जाये। अन्यथा यह भूखे मरते हुए पेट पर लात होगी और भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। लोगों में निराशा होगी। जनता में प्रतिक्रिया हो सकती है। सरकार को इस पर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसे काम के लिए उनको दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत-पाक युद्ध के दौरान जो सिन्धी शरणार्थी आये हैं, वह तम्बुओं में रह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं एक निवेदन करना चाहता था। वहां पर आज चिकित्सा सुविधा न होने से अनेक लोग मरने लगे हैं। जानकारी प्राप्त हो, पहले डाक्टरों की एक टीम भेज दी जाये। शिव तहसील में लगभग लोगों के मरने की सूचना मिली है। जो जानकारी मिले वह वस्तुस्थिति सदन पटल पर रखें।

श्री मीठालाल : यह कहा गया है कि लालसोट कस्बे की पेयजल योजना के लिए डेढ़ लाख रुपया स्वीकार किया गया है। मेरा निवेदन है कि वह डेढ़ लाख वाली योजना शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करें जिससे कि लालसोट कस्बे वालों को जहां आधे आदमियों को पानी मिलता है, आधे लोगों को नहीं मिलता है, इससे कस्बे वालों को पानी मिल सके।

अकाल समस्या पर चर्चा के लिए तिथि निर्धारण सम्बन्धी सूचना

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में जो अकाल छाया हुआ है, उसके बारे में मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : वह आ गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनिट निवेदन करना चाहूंगा, कई माननीय सदस्य अकाल पर बोलना चाहते हैं और माननीय मन्त्री जी, परसराम मदेरणा काफी जानकारी, जिस समय क्वेश्चन आता है, देना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसके बीच में समय नहीं रख

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कर सारे माननीय सदस्यों को अकाल के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दें और उस दिन ही माननीय मन्त्री परसराम मदेरणा उत्तर दे दें तो उत्तम होगा। अकाल के सम्बन्ध में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था जिसे आपने रिजैक्ट कर दिया। मेरा निवेदन है इस पर आप विचार करें।

श्री **अध्यक्ष** : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस पर विचार किया था....

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, माननीय अकाल राहत मन्त्री, अकाल के सम्बन्ध में वक्तव्य दें, उसके पहले अकाल की स्थिति के बारे में कोई नोट माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। मनचन्दा कमेटी ने अकाल के बारे में केन्द्रीय सरकार को पहली बार और दूसरी बार क्या रिपोर्ट दी, मनचन्दा कमेटी को राजस्थान सरकार ने पहली बार और दूसरी बार क्या रिप्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया था, इसने भी इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत नहीं कराया गया है....

श्री **अध्यक्ष** : इसका एडजोर्नमेंट मोशन से ताल्लुक नहीं है। You will confine your views to this point.

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : मैं एडजोर्नमेंट मोशन की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री **अध्यक्ष** : मैं उसी विषय पर बोल रहा था।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अकाल के प्रश्न पर अकाल राहत मन्त्रीजी वक्तव्य दें उसके पहले यदि सारे नोट इस सदन के माननीय सदस्यों को वितरित कर दिये जांय और विस्तृत जानकारी अकाल के बारे में विभागीय तौर पर दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य अकाल के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार विचार व्यक्त कर सकेंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : यह प्रश्न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने आ गया था।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बीच में इसको रखते हैं तो इसकी जो गम्भीरता है वह समाप्त हो जायेगी। मनचन्दा कमेटी की दोनों रिपोर्ट और अकाल के बारे में सारे आंकड़े सदन के माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं हो सके हैं। आप इस पर विचार करें।

श्री **अध्यक्ष** : समझ गया। (श्री झावरमल के खड़े होने पर) आप भी बोलेंगे। (विराम) कहिये।

श्री **झावरमल** : ऐसा है कि अकाल के कारण गम्भीर स्थिति तो बन रही है। उसके साथ ही सरकार का एक हुक्म, जो एक जनवरी से लागू किया गया है उसके कारण काश्तकार परेशान हैं....

श्री **अध्यक्ष** : यह डिस्कशन में फर्मा देना।

श्री **झावरमल** : यह आर्डर कितना विषैला है, काश्तकार कितने परेशान हैं-यह मैं सुनना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मुझे क्यों सुनाते हैं, सबको सुनाना, वक्त पर सुनाना।

श्री झावरमल : यह आर्डर कितना विषैला है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग परसों के रोज हुई थी, सदन का कार्यक्रम क्या हो- इस पर विचार किया गया था....

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं।

उसने जो कार्यक्रम बनाया, उसको स्वीकृत भी किया। कमेटी में हमने भी सोचा था, फेमिन के लिए अलग से टाइम दिया जाय। वह दिया भी जायगा। कमेटी में फेमिन के बारे में विचार करने को अलग से समय दिये जाने की बात आयी थी, वह भी दिया जायगा। इन दिनों में अभी तीन चार आर्डिनेन्स हैं, फिर बजट है, इनके बीच में वक्त मिलता नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ एडजोर्नमेंट मोशन हैं, कुछ काल अटेंशन मोशन है, इसलिए अकाल के बारे में सदस्यों को जानकारी मिल जाय, बाद में इस पर डिबेट हो, पूरी डिबेट हो- यह आपका हक भी रह जाय। अब माननीय मन्त्रीजी इन्फार्मेशन देना चाहेंगे, डाकूमेंट के तौर पर तो वह देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो वह नहीं देंगे। यह उनकी इच्छा की बात है, जो जरूरी इन्फार्मेशन होगी, वह देना चाहेंगे तो वह देंगे। इस वक्त इसलिए कहा कि माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी हो जाय, जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन भेजे हैं उन्हें कुछ जानकारी हो जाय और फुल फ्लेज्ड डिबेट के लिए आगे समय मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : पूर्वी राजस्थान में जो बाढ़ आई है, उसे भी इसके साथ जोड़ लिया जाय।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिये समय निर्धारण सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा उत्तर।

एक सूचना और दे दूं। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए दस-दस मिनिट और नेताओं के लिए बीस मिनिट का समय रखा था। उसका पालन कम हुआ था। खैर कोई बात नहीं। आज इसका ध्यान रखें। आज साढ़े छः बजे मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे। डेढ़ घण्टे का समय इसमें और बढ़ा दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अकाल राहत मंत्री बीच में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह आपकी जानकारी के लिए है। It is in your interest आप चाहें कि नहीं बोलें तो I can ask.

श्री भानुकुमार शास्त्री: अकाल पर डिबेट होगी उस दिन बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने अप्रेल में दिन रखा है तब तक तो अकाल की भयंकरता ही समाप्त हो जायगी....

श्री वृद्धिचन्द जैन : उनका बोलना आवश्यक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नियम यह है कि अकाल के बारे में विचार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होने से पूर्व हुआ करता था, वह होना चाहिए। जो परिपाटी अब तक रही है उसका पालन होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : परिपाटी आपको मालूम है। इस सम्बन्ध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने डिसीजन लिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अप्रेल में होने से लाभ क्या रहेगा ?

शासकीय वक्तव्य

उप जिला विकास अधिकारी, गंगानगर द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार सम्बन्धी

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर गंगानगर ने यह सूचना दी थी कि गंगानगर के जिला परिषद् के रेस्ट हाउस के चौकीदार की धर्मपत्नी के साथ आर. सी. मिश्रा, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है। इस प्रकार की शिकायत है और इसलिए वहां पर काफी उत्तेजना फैल रही है, अतएव किसी अधिकारी को भेज दिया जाय तो इस मामले की जानकारी करे। यहां से कंवरिया, डिप्टी डायरेक्टर को भेजा गया, जो वहां पर दो दिन तक, 16 और 17 फरवरी को रहा। उन्होंने श्रीमती सुशीला देवी, धर्म पत्नी दीनदयाल, चौकीदार, रेस्ट हाउस और दूसरे समर्थकों को कहा कि जो शिकायत है वह शिकायत बयान के रूप में दे दें किन्तु किसी ने न बयान दिया और न शिकायत दी और न पुलिस को फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट लिखाई। इसलिए यह सम्भव नहीं हो सका कि तत्काल कोई कदम उठाया जा सके। किन्तु इसके बाद कलेक्टर ने इन सब लोगों को बुला कर कहा कि आप इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ शिकायत पेश करनी चाहिए। किन्तु किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आने पर दो दिन तक रह कर कंवरिया वापिस जयपुर आ गये। इसके बाद में श्री मिश्रा वहां से छुट्टी पर चले गये और अब तक छुट्टी के ऊपर है। कई लोगों ने यह कहा श्री मिश्रा का चरित्र संदेहास्पद है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसलिए तुरन्त श्री मिश्रा को वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया और अभी वह अवेटिंग पोस्टिंग आॅर्डर में हैं। ए. डी. एम. ने उनका चार्ज ले लिया है और डिप्टी कमिश्नर रिमूवल आॅफ पब्लिक ग्रीवियेन्स को उसका इन्क्वायरी आॅफिसर अपाइन्ट कर दिया गया है। प्राइमाफेसी केस सिद्ध होते ही गवर्नमेंट निश्चित रूप से श्री मिश्रा को सस्पेण्ड करेगी और उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी पड़ेगी वह करेगी। मैं उस क्षेत्र विशेष के लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि गवर्नमेंट की मन्शा है, किसी रूप में किसी के साथ बुरा कार्य या व्यवहार नहीं हो। हम चाहते हैं कि जिस किसी की जानकारी में जो चीज आयी है। वह स्पष्ट रूप से बता दे। हम जो फ्रेम वर्क है कानून का, नियम का, उसके बीच में कार्यवाही कर सकते हैं। इन सारी बातों से वहां के लोगों के बात समझ में आ गई और वहां पर उत्तेजना समाप्त हो गई है

(श्री हरिदेव जोशी)

और कल जो हड़ताल थी वह खत्म हो गई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट बोलना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : किस पर बोलना चाहेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस प्रश्न के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का तो निपटारा हो गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आर. सी. मिश्रा के सम्बन्ध में यहां आज बात आयी है, लेकिन जब से यह वहां हैं, मैं कहता हूं, अतुल घोष की सिफारिश पर वहां गये तब से इक्कीस घोटाले के केस किये हैं और लाखों रुपये का गबन किया है। मैंने विजिलेंस कमीशन में शिकायत की थी लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं की गई है। इसके खिलाफ पूरा का पूरा बलात्कार का केस बना हुआ है, इस केस के बाद भी इसके विषय में तय क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूं कि इसे निलम्बित कर दें।

श्री खेतसिंह : आपके कहने से सस्पेन्ड कर दें?

श्री हरिदेव जोशी: मैं निवेदन करता हूं कि आप ही लिख कर दे दीजिये।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी को....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरी शिकायत विजिलेंस कमीशन के पास पहुँच गई है। विजिलेंस कमीशन ने उस पर क्या जानकारी की?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास विजिलेंस कमीशन का केस नहीं है। आज जो मुद्दा है, जिस पर मुझे निवेदन करना था, वह जो इश्यू हाउस में रेज किया गया, और जिसका उत्तर मुझे देना है उसी के लिए मैं प्रिपेअर्ड हूं। आप दूसरी बात पूछेंगे तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकूंगा। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वह फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट दे देती तो उसके सम्बन्ध में वहां इन्क्वायरी कर दी जाती। पति कह दे, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वह उससे इन्कार करता है. यह इन्कार नहीं करता कि यह नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी कम्पलेन्ट करने को वह तैयार नहीं है। उस हालत में भी गवर्नमेंट ने उस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया, इमीजियेटली ए. डी. एम. को चार्ज दिला दिया है। हू इज एट गंगानगर। हमने इन्क्वायरी ऑफिसर के लिए ऑर्डर कर दिये। वह वहां जाकर इन्क्वायरी करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, जरा सा प्रायमाफेसी कोई चार्ज साबित होता है, कोई कहता है सबूत होने वाली बात जरूर है, कोई कहता है ऑफिसर मस्ट बी इमीजिएटली सस्पेन्डेड....

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी को यूनियन ने लिखकर कलेक्टर को दिया कि ऐसे वाकेआत हुए हैं। 4 फरवरी को दुबारा उसको दोहराया गया और कलेक्टर को लिखकर दिया गया उसके बाद 12 फरवरी को तीसरी दफा

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
लिखकर दिया गया है। अगर तीन दफे लिखकर दिये जाने के बाद भी यह समझें कि कोई लिखकर नहीं दिया गया तो मैं तो इसको उचित नहीं समझूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : जो माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं कि पहले कुछ लिखकर दिया गया है तो मेरी जानकारी में यह नहीं है कि लिखकर कुछ दिया है। अगर पहले कुछ लिखकर दिया गया तो उसकी भी शिकायत मान लिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा निवेदन यह है........

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तथ्य इस प्रकार से है........

श्री अध्यक्ष : व्हेन दी मिनिस्टर हैज एश्योर्ड देट दी एक्शन विल बी टेकन इसके बाद में आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं ? नतीजा यह है कि बोलना है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्रीजी ने जिस प्रकार से शब्द रखे हैं उससे ऐसा लगता है कि जांच नहीं हुई। बुद्धाराम ड्राइवर, जो वहां पर जिला परिषद् का ड्राइवर है, जिसकी शह से यह सारा काम हुआ है, मैं माननीय अध्यक्ष, यह जानकारी देना चाहता हूं.... ...

श्री अध्यक्ष : जरूरत नहीं है सदन को जानकारी की।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह 7 फरवरी से गायब है। आज तक वह बुद्धाराम ड्राइवर जिसके कारण यह हुआ और जिसकी शह से यह हुआ वह शराब पीकर गया और कहा दीनदयाल वह व्यक्ति जिसकी महिला के साथ यह हुआ, से वह 7 फरवरी से मय सरकारी जीप के गायब है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। क्या जीप वहां पर आगई ? क्या वह बुद्धाराम वहां पर आगया ? यह जानकारी दें मंत्रीजी।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, विधायी कार्य।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 का पुरः स्थापन

श्री हरिदेव जोशी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 62 (1) के अन्तर्गत

(श्री हरिदेव जोशी)
राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (अध्यादेश संख्या 2, सन् 1973) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 का पुरःस्थापन

श्री **परसराम मदेरणा** : (नगर आयोजन-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री **परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : पुरःस्थापित किया गया।

श्री **परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान नगर सुधार (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1972 अध्यादेश संख्या 7 सन् 1972) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर वादविवाद

श्री **अध्यक्ष** : धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर वादविवाद।

श्री **केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज बहस का यह चौथा दिन है। इस अभिभाषण में देखा मान्यवर, न तो यह कोई इन्स्पायरिंग अभिभाषण है न ही कोई वह नया थाट देता है, न ही कांग्रेस हाई-कमाण्ड का जो टेन पाइन्ट्स प्रोग्राम है उससे इसका मेल है, और न ही, अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीनों के अन्दर कांग्रेस हाई कमाण्ड ने नई गाइड लाइन्स पेश की है, शहरी संपत्ति के लिए, किसानों के लिए और लेबर रिलेशन्स के लिए उनसे मेल खाता है।

(12.25 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदसीन)

मान्यवर, राज्यपाल महोदय इस अवस्था में भी, यद्यपि उनका भाषण तो इन्स्पायरिंग नहीं है अगर वे खुद लगातार जाकर अकाल की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और सैन्टर को अपनी रिपोर्ट देते हैं तो मैं उनकी तारीफ कर सकता हूं, क्योंकि जब गवर्नर्स की कान्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त हमारे देश की प्रधान मंत्री ने राज्यपालों को यह आदेश दिया है कि आप केवल सैन्टर के

(श्री केदारनाथ)

माउथ आरगन ही वहां पर न रहें। आपको स्टेट की सोशियल लाइफ की पूरी जानकारी होना चाहिए। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है। इसके मान्यवर, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि राज्यपालों के मारफत स्टेट आटोनामी पर सेन्टर हैडलोड्स पैदा करना चाहता है तो इससे एक खतरा पैदा हो सकता है, एक डेन्जर पैदा हो सकता है। अगर राज्यपाल घूम फिर कर इलाके की सोशियल लाइफ पर वह एनेलिटिकल क्रिटिकल स्टेटमेन्ट देते हैं....

अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन में उद्धृत पत्र को सदन पटल पर रखने सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कल एक व्यवस्था स्थगित की थी उस पर पहले निर्णय देना मैं उचित समझूंगा।

कल दिनांक 21-2-1973 को अलवर निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा था कि जयपुर निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला ने फाइव इयर प्लान के एप्रोच पेपर में से जो तथ्य सदन में पढ़कर प्रस्तुत किये हैं उस एप्रोच पेपर को राजस्थान सरकार ने सदन में न रखकर प्रसारित कर दिया है और इसलिए सदन का अपमान हुआ है तथा सरकार ने सदन की शान के प्रतिकूल काम किया है। साथ ही माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने सम्बन्धित दस्तावेज को सदन की मेज पर रखने के लिए भी आग्रह किया था।

आसन की व्यवस्था इस सम्बन्ध में इस प्रकार है:—

आसन की मेज पर वे ही पत्र रखे जाते हैं जिनके लिए संविधान तथा तद्विषयक अधिनियम तथा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम अथवा अध्यक्ष महोदय द्वारा समय समय पर लिये गये निदेशों एवं नियमों में प्रावधान है। सरकार के प्रत्येक प्रकाशन को सदन की मेज पर रखा जाना अपेक्षित नहीं है। किन्तु जहां तक मौजूदा दस्तावेज का प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रसारित किया गया है तो यह उचित होगा कि शासन की ओर से इसकी प्रतिलिपियां सदन के माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी के लिए वितरित कर दी जावें ताकि वे वादविवाद में विशेष रूप से बजट की बहस में उसका उपयोग कर सकें।

मैं समझता हूं कि इस सदन के अपमान तथा सदन की शान के प्रतिकूल कार्य करने का कोई प्रश्न अर्न्तनिहित नहीं है।

धन्यवाद के प्रस्ताव पर अग्रेतर वादविवाद

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अभिभाषण तो इन्स्पाइरिंग नहीं है मगर उस अभिभाषण के ऊपर जिन माननीय सदस्यों, इस ओर और उस ओर के —ने भाषण दिये हैं वह बड़े क्रिटिकल, आब्जेक्टिव और थाटफुल भाषण रहे हैं मगर मंत्रिमण्डल को इतनी फुरसत नहीं मिली कि वह सारे भाषणों को सुनता। एक साल के बाद सेशन का मीट करना। मालूम नहीं किस नेशनल ब

(श्री केदारनाथ)

इन्टरनेशनल कामों में वे व्यस्त रहते हैं कि एक साल के बाद सेशन मीट करे फिर भी वे टाइम न निकाल पायें। हमारे भाषणों को न सुने मगर उनके मेम्बर्स के भाषण, जो आब्जैक्टिव और बड़े क्रिटिकल भाषण हुए हैं, उनको अगर समूचा मंत्रिमण्डल सुन लेता तो फैसला करते वक्त उनको बड़ी सहूलियत, यह जानने में कि राजस्थान की इकोनामिक और पोलिटिकल कन्डीशन्स क्या हैं और राजस्थान की पोलिटिकल और पब्लिक लाइफ क्या है। एक साल के अन्दर जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है उनकी असलियत उनके बयानों से उनको मालूम हो जाती।

तो, मान्यवर, मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सारा ही अकालग्रस्त इलाका है और सेन्टर ने हमारी कोई मदद नहीं की, मगर मैं इसके लिए चार्ज हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर करना चाहता हूँ। अगर आज से 3 माह पहले राजस्थान में असेम्बली की मीटिंग बुला लेते और उस हाउस के मीट करने के बाद में यहां पर यह प्रस्ताव पास करते तो मेरे खयाल से सेन्टर की हिम्मत नहीं पड़ती कि सेन्टर स्टडी टीम यहां पर भेज देता युनेनिमस यह रिज्योल्यूशन पास कर देते कि समूचे राजस्थान को फेमीन एरिया, फेमीन स्टेट डिक्लेयर किया जाय। पार्ट में नहीं, जिलों में नहीं समूचे राजस्थान में ऐसी हालत है कि सारी स्टेट को ही फेमीन एरिया डिक्लेयर किया जाय। यह रिजोल्यूशन, इसमें युनेनिमस होता तो आज यह सेन्टर की जिम्मेदारी होती इस रिजोल्यूशन के तहत कि वह नेशनल फेमीन फाइटिंग आथोरिटी कायम करे। यह जो सुझाव दिया है कि स्टेट्स और सेन्टर मिलकर नान-टेक्स रेवेन्यू में से दो पर्सेन्ट इकट्ठा करके एक डिविजिनल पूल सेन्टर के हाथ में 1000 करोड़ रुपये का बनाया जाय और उसके अन्दर से यह खर्चा हो, अगर यह सुझाव 5-7 साल पहले आता तो आज राजस्थान को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अगर असेम्बली का सेशन तीन माह पहले होता और एक युनेनिमस प्रस्ताव पास होता कि सारे राजस्थान को फेमीन स्टेट डिक्लेयर किया जाय तो उसका राजस्थान की पोलिटिकल और पब्लिक लाइफ पर असर होता।

इस सारे नोट को देखेंगे, एक कम्प्रेहेन्सिव नोट पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का, मान्यवर, आप देखेंगे कि कोई इम्पेक्ट फैमीन का राजस्थान पर है कि नहीं। अगर शहरों में जाकर देखेंगे, अगर बाड़मेर और जैसलमेर जैसे अकाल से इफेक्टेड एरिया का किसान यहां पर आता है यह देखने के लिए तो शहरों की विलासिता को देखकर, एशोआराम को देखकर उसके दिमाग में यह आयेगा कि फेमीन नाम की चीज ही नहीं है। यह गलती किसकी है ? हम जनमत को तैयार नहीं कर पाये, पब्लिक और पोलिटिकल लाइफ का इम्पेक्ट हम नहीं कर पाये। यह राजस्थान सरकार की गलती है कि वह असेम्बली की बैठक नहीं बुला पाई। अगर मान्यवर असेम्बली की बैठक होती तो उस वक्त हम सब लोग यहां आकर ऐसेम्बल होते और राज्य सरकार अपोजीशन को कान्फीडेन्स में लेती तो जो स्टेडी टीम यहां आई, वह नहीं आती। मान्यवर, राजस्थान के अन्दर, जो पैसा सेन्टर से अकाल के लिये मिला है, वह राइट आफ करा दिया जाता। हम यहां पर एक रिजोल्यूशन

Page No 42

(42)

(श्री केदारनाथ)

पास करते और यहां से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भेजते और सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट करते कि इसे राइट आफ किया जाय। मान्यवर, अभी जो पंचवर्षीय योजना, जो फिफ्थ फाइव इयर प्लान बना है, उसके पहले राजस्थान गवर्नमेन्ट पर करीब 825 करोड़ रुपये कर्जा हो गया है और जो हमारी तृतीय फाइव इयर प्लान के एण्ड तक करीब 152 करोड़ रुपये का ही कर्जा था। वे जो आज 825 करोड़ रुपये का कर्जा 152 करोड़ रुपये बढ़ गया है यह जो ज्यादा गेप पड़ गया है उसके बारे में भी लिखते तो मेरा ख्याल है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस बारे में कुछ करती। कुछ राजस्थान की जनता के हितों में होता। मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे किसी प्रान्त को कितनी एड मिले, इसके लिये स्टेट के चीफ मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन को भी देखना पड़ता है। अगर दोनों के रिलेशन कोम्पलीमेन्ट्री नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिलेशन इन सब्रोडिनेशन में आते हैं तो मैं समझता हूं कि उस स्टेट की जनता के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। तो यह होना जरूरी है, जिससे कि स्टेट की पब्लिक के हित सुरक्षित रहें। आज एक बहुत बड़ा संकट प्रान्त के अन्दर आ गया है। वह है मान्यवर, अकाल का। हालांकि स्टेट गवर्नमेन्ट काम कर रही है। फेमीन सेन्टर्स भी खोले हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेन्ट ने फैमिन एरिया में, जो मजदूरी टास्क बैसिस पर देने की बात कही है यह ठीक नहीं है। मैं मानता हूं, कि अकाल मन्त्री महोदय, काफी इन्टेलीजैन्ट हैं उनमें काफी ग्रास्प है, मेहनती भी हैं और उन्हें पूरी जानकारी भी है काम की इसकी मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन वह टास्क बैसिस पर जो आपने मजदूरी की बात की है इसमें तो एक लेबर को 90 पैसे प्रति मजदूर से ज्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन जब हम सोशियलिस्ट सत्ता बनाने को जा रहे हैं तो हमें इन्टर एलिया जो मजदूरी मिनिमम वेज के अनुसार दें तो प्रति लेबर चार रुपये देनी होगी। इसके अलावा मान्यवर, मैं यह सोचता हूं कि जब 5-6 महीने बाद अपने घर जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इन हालतों में वे हाफ स्टारवेशन की हालत में जायेंगे। हम उनका पोलीटिकलाइजैशन नहीं करना चाहते। मान्यवर, आज हमारे यहां पर लेबर ज्यादा है और लैण्ड होल्डर्स कम हैं तो ऐसी हालत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि हमारे यहां जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उन्हें चार रुपये रोज मिनिमम वेजैज के अनुसार दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत लोगों को काम दिया जाता है। मैं अभी झालावाड़ गया था वहां पर मैंने देखा कि किस प्रकार की हालत उन कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत लोगों की है। आज कैश प्रोग्राम के अन्दर, जो लोगों को मिनिमम वेज मिलते हैं वह 3 रु० 11 पैसे ही मिलते हैं। उसमें भी पहले आपका नाम एनलिस्ट करना पड़ता है और उस नाम एनलिस्ट होने के चार महीने बाद उसे वेतन मिलता है। इसके पहले उसमें से 18 परसेन्ट तो ब्याज मनी लैण्डर ले लेते हैं और बाकी वन फोर्थ वहां का ओवरसियर उससे ले

(श्री केदारनाथ)

लेता है। यह ओवरसियर, जो वन फोर्थ लेता है वह उसे आइडेन्टिटी कार्ड की बनायी के ले लेता है। तो फिर उसको क्या मिला। इसके अलावा मान्यवर, मैं एक बात के लिये धन्यवाद राज्य सरकार को देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टेट लेवल के ऊपर अकाल को कन्ट्रोल करने के लिये एक कमेटी बनाई है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई और न ही अभी कोई मीटिंग उसकी की जा रही है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटीज बनी है पर वे कमेटीज भी नाकाम सी हैं। स्टेट लेवल पर जो कमेटीज एम० एल० ए० की बनी है उसकी तो मीटिंग इसलिये नहीं हुई कि हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को फुरसत नहीं हुई तो फिर यह कमेटी बनाना यूजलेस हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होना तो यह चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपने कमेटीज बनाई है उनमें हर एक एम० एल० ए० को आप वीक के अन्दर दो दिन जीप प्रोवाइड करते ताकि वह अपने क्षेत्र में जाकर किस तरह से फेमिन वर्क चल रहे हैं, उन्हें देखता। जो मशीनरी फेमिन के एरिया में काम कर रही है वह खड़ी तो नहीं है। उसमें किस बात की कमी है और एम० एल० ए० जाकर यह सब चेक कर आते। लेकिन आज एम० एल० एज० की कोई वेल्यू ही नहीं है। मान्यवर, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपने एरिया का एम० एल० ए० होता है वह उसका लीडर होना चाहिये। इसके लिये एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वह सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं है बल्कि वह पूरे स्टेट का लीडर है, उसका जनता से सम्पर्क होना चाहिये। नहीं है तो वो एक सही माने में लीडर नहीं हो सकता। अगर एक मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपने आफिस और अपने सेक्रेट्रीज तथा अपने फाइलों तक ही सीमित है तो मान्यवर, उसे सक्सेज नहीं मिल सकती। केवल सेक्रेट्रीज और आफिस की फाइलों को एटेंड करने से ही काम नहीं चलता। इसी प्रकार एम० एल० एज० के लिये भी जरूरी है है कि वह मासेज से कान्टेक्ट करे, अपने इलाके के लोगों की प्रोबलम्स के लिये उन्हें मोबोलाइज करे। आज अगर चीफ मिनिस्टर में सेल्फ कान्फीडेन्स नहीं है, एक एम. एल. ए. में सेल्फ कान्फीडेन्स नहीं, अगर उसमें ड्राइव नहीं है अगर चीफ मिनिस्टर में किसी प्रकार की रिस्क लेने की ताकत नहीं है तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी वहां निश्चित ऊपर आयेगी। वहां ब्यूरोक्रेसी स्टेबल हो जायेगी। मान्यवर, अब मैं फेमीन के बारे में ज्यादा नहीं कह कर दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं। अभी दो साल हुए होंगे यहां पर आम चुनाव देश में हुए। दिल्ली में कांग्रेस सरकार को जनता से पूरा मेनडेट मिला। सारी पावर दिल्ली में कन्सनट्रेट हो गई। जनता ने मासिव मेनडेट दिया। हम हमारी जो पोल में हार हुई उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम उसे डिजर्व करते थे उसके बाद भी स्टेट में पोलिंग हुआ उसमें जनता ने कांग्रेस को मेसिव मेनडेट दिया। हम लोग इकट्ठे नहीं हो सके, हम अपोजिशन वाले अपने आपको मोबेलाइज नहीं कर सके। आज उसका नतीजा यह है कि यहां पर अपोजिशन की कोई वॉइस नहीं है। आज जनता में करेप्ट पोलीटिशियन

(श्री केदारनाथ)

को किसी प्रकार का टेरर नहीं है, आज टैक्स इन्वेडर्स में कोई टेरर नहीं है, आज ठेकेदारों में कोई टेरर नहीं है जिससे की काफी इरेग्यूलरिटीज हो रही है, जिन्हें कि हमें बन्द कराना चाहिये था उन्हें हम स्टोप नहीं कर सके हैं। आज अगर टेरर है तो लेण्ड होल्डर्स में, टीचर्स में, लेबरर्स में, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स में जो कि महंगाई से परेशान हैं। अगर वो किसी बात का प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज का खतरा रहता है। अभी पिछले दो साल से यह भी देख रहे हैं कि राजस्थान में विधान सभा का अधिवेशन भी ज्यादा नहीं चलता। असेम्बली नहीं बुलाने से जो आपोजिशन इस सदन में कुछ जनता की समस्यायें रख सकता है वह भी नहीं रख सकता। आज एम. एल. एज. को खास कर के जो आपोजिशन के हैं उन्हे स्टेट्स को अण्डर माइन किया जाता है। आज कलेक्टर के सामने एम. एल. ए. और एम. पी. का कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को आप पनपाना चाहते हैं तो आपको लैण्डलेस को, श्रमिकों के संगठन को, विद्यार्थियों के एसोसियेशन और उनकी प्रोब्लम्स को जो कि डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन्हें पनपाना होगा। अगर आप डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स के एम्स को एचीव करने में मदद नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस डेमोक्रेसी के व्यू में कौन खड़ा होगा और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी समाप्त हो जावेगी।

डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स समाप्त हो जावेंगी यह इससे साफ जाहिर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े बहुमत के बाद भी असेम्बली मीटिंग्स को कन्सलटेटिव कमेटीज को आप न बुलाओ। एम. एल. एज. के रुतबे को ज्यादा बढ़ाना तब ही हो सकता है. व हमारे आपके रिलेशन्स तब ही ठीक हो सकते हैं जबकि डिविजन पूल का बंटवारा सही तरीके से हो, अोपोजिशन के लिहाज से बंटवारा करो। आप चाहते हैं इस राजस्थान में स्वायत्त शासन नाम की चीज जिन्दा रह जाय वर्कर्स की कद्र हो, डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स कायम रहें तो कमीशन नियुक्त करो, साधन भी उपलब्ध कर दें ताकि एन्क्रोचमेन्ट समाप्त हो जाय और जो संगठन बन रहे हैं, माइनर किसान के संगठन हों, लैंडलेस टिनेन्ट्स के हों, टीचर्स के हों, स्टूडेन्ट्स के हों उनको पैट्रानाइज करें। और इसके साथ साथ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में डाइरेक्ट इलेक्शन इन्ट्रोड्यूस करें, चैयरमेन के इलेक्शन डाइरेक्ट होने चाहियें। यह प्रिन्सिपल आप तो लागू नहीं करते हैं तो डेमोक्रेसी को स्पिलिट कर रहे हैं। टीचर्स के संगठन का सवाल है, उनकी मान्यता का सवाल है, स्टूडेन्ट्स की मान्यता का सवाल है, उसको आप बेलेट सिस्टम से लें कि कौन बहुमत में है। खुद आप कन्फ्युजन पैदा कर रहे हैं। किस यूनियन और फेडरेशन की ज्यादा मेजोरिटी है, यह देखें। आज जो लॉ एन्ड ऑर्डर के साथ कन्फन्ट्रेशन होता है वह कम होगा और डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स पनपेंगी।

श्रीमान् इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता के साथ देखें कि एक साल के बाद ही इस पोलिटिकल लाइफ में क्या स्थिति बनी है। आप यह देखें कि आप हम इस सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। आज

(श्री केदारनाथ)
पोलिटिकल लाइफ इतनी कोस्टली हो गई हैं, इतनी कम्पलेक्स है, इतनी काम्पिटिटिव है कि जो मार्जिनल किसान है वह इसमें शामिल होने के लिये हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेबर इसमें शामिल होने के हिम्मत नहीं कर सकेगा। कभी नहीं। इलेक्शन को आपने इतना कोस्टली कर दिया है, पोलोटिकल और पब्लिक लाइफ को इतना कोस्टली कर दिया है कि उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वह लीडरशिप करे। इसलिये दिमाग के जो कन्सेप्शन्स हैं वे तोड़ने पडेंगे। सही बात को अपनाना पड़ेगा। अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं आप मुख्य मंत्री बने कुछ आपने घोषणाएं की। हमने भी सोचा कि 17 साल का जो राज था उसमें कुछ डिपार्चर्स आयेंगी। एक घोषणा यह थी कि करप्शन में हमेशा के लिये समाप्त कर दूंगा उसके तहत तीन डी. आईजीज पर सेन्ट्रल की मदद से रेड्स की। उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पचास-साठ आदमियों को आपने रिटायर कर दिया। कुछ टीचर्स वगैरा को किया लेकिन उसके बाद मुख्य मन्त्रीजी का कदम आगे नहीं गया। मालूम नहीं किसने कुछ कहां पकड़ लिया ? मन्त्रिमण्डल में ऐसे सदस्य हैं जो बाहर भी ताकते हैं। उनका घैराव।

सेक्रेटेरियेट में कुछ तब्दिलियां आयीं। सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरीज का एक एक्सिस बन गया था उसको तोड़ा और उनको बाहर भेजा। सिम्पलीफाई किया। सेल्फ क्रीयेट की और 8 डिस्ट्रिक्ट सलेक्ट की। बाकी सारा का सारा पेराफरनालियाज वो का वो ही है। वह ही करप्श इन्इफिशियेन्ट जनता का सम्बन्ध तो उन पटवारियों से कोन्स्टिबल से, एल. डी. सी. से नायब तहसीलदार से है। कलेक्टर के पास तो कम जाते हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से जनता के साथ रिश्ता पैदा नहीं करते, रूल्स सिम्प्लिफाई नहीं करते 8 डिस्ट्रिक्ट में चेन्ज लाये तो आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, तब तक कोई आम जनता का फायदा होने वाला नहीं है।

इसके साथ साथ आपने पोलिटिकल लीडरशिप पर बेन लगा दिया। उसको क्रश कर दिया। यह खतरनाक है। जो आदमी पब्लिक का नुमाइन्दा है, उस पर आपने पाबन्दी लगा दी। यह जोन बांध दिये। यह खतरनाक फैसला है। इसको आपको बदलना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी यह कह दें कि एम. एल. ए. ऐसा नहीं कर सकता है, वह दखल नहीं कर सकता है। ब्लेक मार्केटियर दखल करता है वह बर्दाश्त स्मग्लर्स दखल करें वह बर्दाश्त, टैक्स अवेडर्स दखल करे वह तो बर्दाश्त, होर्डर्स दखल करे वह बर्दाश्त, बदमाश ठेकेदार गड़बड़ी करे वह बर्दाश्त। लेकिन एम. एल. ए. सलाह दे, जो अपने इलाके की हालात बताता है, पब्लिक की तकलीफों को लेकर सामने आता है उसका दखल बर्दाश्त नहीं। यह कैसे मेल खायगा ? मेल खाने की चीज नहीं। इस पर कांग्रेस के एम. एल. एज. ने रिवोल्ट किया। कुछ हिम्मत की लेकिन फिर आगे जाकर रुक गये। पांच वर्ष के बाद क्या लाइफ बनेगी कोई नहीं कह सकता, जो कन्फ्युजन क्रीयेट कर रहे हैं उसके कारण क्या पांच साल बाद स्थिति होने वाली है। यह कोई नहीं कह सकता है ? मैं यह कह सकता हूं कि हमारे पास सत्ता नहीं होगी।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : छंगाणीजी मुस्करा रहे हैं।

(श्री केदारनाथ)

श्री केदारनाथ : आपने यह भी घोषणा की कि जो हारे हुए पोलिटिशिन्स हैं उनको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे। इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट में काम करते थे, आपने उनको बरखास्त कर दिया। आपका कदम स्वागत के योग्य था। सोचा कि इससे कुछ चेन्ज आयगी। कोई कांग्रेस का वर्कर है और कमीशन का चेयरमेन हुआ तो स्वागत। मंत्री हार गये और चेयरमेन बनाओ तो यह आपकी घोषणा के खिलाफ है। फिर मैं नहीं समझता कि आप में और सुखाड़ियाजी में कोई भेद है। शुरू में स्टार्ट में घोषणा और एक्शन में फर्क न हो तो मैं समझता कि आपने इस ओर कार्य किया है।

जितने एजीटेशन्स हैं उनके बारे में नया एप्रोच करेंगे यह आपकी घोषणा है। इलेक्शन में रोडवेज ने दखल नहीं किया। बड़ा अच्छा एप्रोच है। उसके बाद लाठी चार्जेज के साथ नया नारा दिया 'लाठी धकेल'। यह कदम आपका ज्यादा सख्त है उससे। लम्बी हड़ताल कर दो अपनी मौत मर जावेंगे। हम से बात जब होती है, हम कहते हैं कि सुखाड़ियाजी डिविजन पैदा करते थे और तोड़फोड़ करते थे। वह तो आपने नहीं किया। यह तो उससे भी खतरनाक है। उनकी हड़ताल लम्बी करके अपनी मौत अपने आप खत्म कर दो। ट्रेड यूनियन्स, टीचर्स और स्टूडेन्ट्स यूनियन कोई भी हो उनको इस प्रकार खत्म कर दो यह डेमोक्रेसी में, मेरे लायक दोस्त, मुख्य मंत्रीजी बिलकुल गलत है। आप उनके मूवमेन्ट्स को मारना चाहते हैं। स्टूडेन्ट्स को अगर ठीक शिक्षा मिलती है, हालत ठीक होती है चाहे टेक्निकल एजूकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी केम्पस में हो, यदि उनके साथ सही तरीके से डायलोग किया जाता तो स्टूडेन्ट्स की हड़ताल लम्बी नहीं होती। लाठी मारो और जितनी धारायें हैं सारी की सारी लगा दो कोई बचे नहीं। 144 तो मामूली बात है। अभी हड़ताल समाप्त है। स्टूडेण्ट्स स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, इम्तिहान नजदीक है लेकिन केसेज की तारीखें उनको भुगतनी पड़ती हैं।

यह रिवोल्यूशन ? यह नई एप्रोच ? इस असेम्बली सेशन से पहले घोषणा कर देनी चाहिये थी कि हमारी राय मान ली गई तो अब सारे के सारे केस विथड्रा करते हैं। पर मेडिकोज पर अब भी केस चल रहे हैं क्योंकि चन्दनमलजी के साथ मैन-हैंडलिंग किया, उनको बदनाम किया गया। मैं कहता हूं आप सत्ता पर रहेंगे और गलत काम करेंगे तो स्लोगन्स तो रेज आपके खिलाफ होंगे ही उनको सुनना भी पड़ेगा। आन्दोलन होंगे तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा मंत्रिमण्डल के सदस्य होने के नाते। इस नाते मैं प्राइवेट लाइफ और इस लाइफ में फरक नहीं समझता। अगर आप ऐसे मामलों में परसनल व्यू लेकर चलते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप यहां पर कांग्रेस संस्था के नुमाइन्दे होकर बैठे हैं। सारे केसेज वापस लें। व्यक्तिगत किसी एक मिनिस्टर की प्रतिष्ठा को सारे मेडिकोज के संगठन के मुकाबले में खड़ा मत करो। वह एक सैक्शन है, कम्यूनिटी है। ट्रेड यूनियन पर भी इसी तरह से आपने केस चला रक्खे हैं। टीचर्स में चल रहे हैं। इसलिए यह एप्रोच कि लाठी प्रहार की जगह लाठी धकेल कर दो, स्ट्राइक को लम्बा कर दो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और बहुत खतरनाक है।

लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कमीशन की बात भी कही गई। मान्यवर, आपको यह भी

(श्री केदारनाथ)

याद होगा कि डिबेट में इन्टरवीन किया गया था मुख्य मंत्रीजी ने और कहा था कि एक परिवार के पास एक धन्धा रहे। जो खेती नहीं करे वह जमीन पाने का हकदार नहीं हो सकता। मेरा खयाल है यही लब्ज थे उनके। इनको एनफोर्स करते हुए सेन्ट्रल लैंड रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई थी, जिस पर कहा गया कि गार्डन्स के अलावा एग्जम्पशन नहीं स्वीकार किये जावेंगे। अब चुपके से जितने आर्चर्डस गार्डन्स हैं न वे 8 एकड़ में आये, न दस और 18 या 57 में आये। 54 एकड़ के गार्डन्स रातों रात पैदा हो गये। लुधियाना से यू. पी. से पेड़ पौधे कुछ ले आये गये, लगा दिये गये इन्जीनियरों और सुपरवाइजरों से एप्रूव्ड हो गये, उनके दस्तखत हो गये और उनको एग्जम्पशन मिल गया। आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि इस तरह से कुछ भी जमीन लैंडलैस काश्तकारों को नहीं मिल पाई। आपके कानून के इम्पेक्ट होने से पहले ही सारी जमीन खत्म हो गई।

ऐसा ही आप शहरी सम्पत्ति की सीलिंग कानून के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें क्या होगा। कितनी ही सम्पत्तियों की खरीद बिक्री हो गई। थोड़ी बहुत बचेगी तो आप यह कह देंगे कि उनको भी रेगुलेराइज कर दो फलां तारीख से। इसी रिवोल्यूशन के नाम से देहातों में भी जमीनों पर किन लोगों ने कब्जा किया ? खेतिहर बेरोजगार किसानों को, भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं मिली वहां किसी को। किसी कांग्रेसी वर्कर को भी मिल जाती तो मुझे खुशी होती, पर इस सारे एन्क्रोचमेन्ट के नाम से जमीनें किन लोगों ने ली हैं, ठेकेदारों ने करप्ट आफिशियल्स ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने और ऐसे ही कुछ अन्य लोगों ने। मैं इसके लिये आपको कहीं और जाने की बात और देखने की बात नहीं कहूंगा। आप जयपुर के आसपास का दस बारह मिल का एरिया हो देख लें। आपको मालूम हो जावेगा कि भूमिहीनों की परिभाषा क्या है। भूमि पर कब्जा करके कौन लोग बैठे हुए हैं और आपके लैंड रिफार्म्स का इम्पेक्ट क्या है ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी बात, यह कहना चाहता था, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुख्य मंत्री ने यह कहा कि मैं करप्शन मिटा दूंगा। अब वे एक लोकायुक्त की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। बिल भी पेश होने वाला है यहां। राजस्थान में इस पर कोई सात आठ साल पहले एक कमेटी बनी थी। हरिश्चन्द्रजी माथुर, जो एम. पी. थे उनकी अध्यक्षता में। मैं भी इसका मेम्बर था। हमने ओम्बड्समेन की स्कीम देने का फैसला किया था। अब उसी पैटर्न पर यह चीज आ रही है।

मान्यवर, Corruption is an offence against humanity, against the State and against the coming generation.

मैं पूछता हूं वहां केस चलाने के लिए उनको लीगल एडवाइज कौन देगा ? अगर कोई मंत्री के खिलाफ शिकायत करता है तो उसको जज के सामने सिद्ध करना बहुत कठिन है। आप हम सब जानते हैं, इनमें कितना खर्चा होता है। आप शिकायत करने वाले को स्टेट की तरफ से एडवाइज दीजिए, वकील अपोइन्ट कीजिए।

शिकायत अब मंत्री के खिलाफ आई या एम. एल. ए. के खिलाफ आई उनके

(श्री केदारनाथ)
खिलाफ तो शिकायत का प्रोवीजन इसमें है, मुख्य मंत्रीजी बच गये हैं। आपको भी बचना नहीं चाहिए। फिर अगर लीगल एडवाइज नहीं दी स्टेट ने तो आप देख लीजिए कोई कम्पलेन्ट करने वाला नहीं मिलेगा क्योंकि हाईकोर्ट से और सेशनकोर्ट से जिनका वास्ता पड़ा है, या पड़ता है वे जानते हैं कि वहां कितना खर्चा होता है। इसलिए वहां दोष साबित करना और खास कर के मंत्री को दोषी साबित करना बहुत मुश्किल चीज होगी। आपने दस साल की टर्म रखी है। ठीक है। पर आप एक काम करिये कि जो भी इलेक्टेड बाडी का सदस्य है, चाहे एम. एल. ए. हो, पंच हो, सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, मंत्री हो, या मुख्य मंत्री हो कोई हो, जो भी निर्वाचित हो जन प्रतिनिधियों से या इलेक्टेड बाडी से इस सूची में शामिल होने चाहियें। चीफ मिनिस्टर सहब आप भी अपने को बाहर मत निकालें। इस आशय का मद्रास की असेम्बली में बिल पेश हो गया। तामिलनाडु में कांग्रेस द्रमुक का झगड़ा है। स्टेट और सेन्टर का झगड़ा वहां चल रहा है। इसका आधार है भूमि बिल। चीफ मिनिस्टर साहब आप भी इसमें आइये। आपका और हमारा स्टेटस अलग अलग नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर बनकर यहां नहीं आये, यहां तो आप भी एम. एल. ए. बन कर ही आये हैं। चीफ मिनिस्टर बनाकर जनता ने आपको नहीं भेजा। आपके और हमारे अधिकारों में यहां कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपके और हमारे बीच में कोई फर्क मानकर नहीं चलता। इसलिए आपका नाम भी इसमें शामिल होना चाहिए। आप भी इसमें शामिल हों और लीगल एडवाइज मुफ्त में आप शिकायत करने वाले को दें नहीं तो यह सारा आपका प्रयास मिथ्या बनकर रह जावेगा। इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है।

ज्यादा समय सदन का नहीं लेते हुए एक सुझाव देना चाहूंगा। राज्यपाल के भाषण में वैसे बेरोजगारी, बेकारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। डिस्पेरिटीज समाज में कैसे कम होगी इसका सुझाव कहीं नहीं है। अब फैसला करने का वक्त है।

शिक्षा नीति पर भिडे कमीशन की रिपोर्ट है। और भी कई रिपोर्टें हैं एक्सपर्टों की। आपका हमारा अनुभव भी है। तो हायर सेकण्डरी एजूकेशन के बाद जितनी भी हायर एजूकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है वह बन्द कर दी जावे। इनको वर्कवाइज कर दीजिये या प्रोफेशनल की स्पेशल इफीसियेन्सीवाइज कर दीजिये।

अगर देश में शिक्षा को सोशल चीजों से और प्रोडक्शन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो यह आपको फैसला तुरन्त लेना होगा। जब कि जाब की सिक्योरिटी उसको दें आप। जाब ओरियेन्टेड एजूकेशन आपको करनी होगी। जो आपके कहने के मुताबिक प्रोफेशनल जोब ओरियेन्टेड स्कूलों में भर्ती हों उनको जोब की गारन्टी दें। इसके बाद अगर कोई अपनी इच्छा से लिटरेचर की स्टडी करने की रूचि से या अपनी मेन्टल एक्सरसाइज करने के लिये पैसा वाले का लड़का कुछ सीखना चाहे तो उस पर छोड़िये। यह अमीर आदमी की तरफ आपको ध्यान देने की अधिक आवश्यकता नहीं है। बाकी 99 पर्सेंट लोग जो गरीब हैं और जोब हासिल करना चाहते हैं तो आपको यह फैसला उनके लिये करना होगा

(श्री केदारनाथ)
एक पर्सेंट रिच लोगों को आप छोड़िये। यहं फैसला करने का वक्त है।

दूसरी बात, मैं उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जैसी इकोनामिक कण्डीशन है, जैसी पोलिटिकल कण्डीशन है, जैसी सोशल कण्डीशन है, उसमें आज का यह मन्त्रिमण्डल क्या कुछ अचीव कर पायेगा। मेरा यह किसी पर व्यक्तिगत रिफ्लेक्शन नहीं है। पर एक मन्त्री से टेलीफोन पर मैंने पूछा तो उत्तर क्या मिला कि क्या यह पोर्टफोलियो भी मेरे पास है ? आपने एक-एक पर इतना-इतना बोझा दे दिया है कि वे उसी में बिजी रहते हैं कि कौनसा आस्पेक्ट है इसमें और वे सेक्रेट्री और फाइलों में ही उलझे रहते हैं। इसलिये इस मौजूदा मन्त्रि-मण्डल के वश की बात नहीं कि वह कोई इम्पेक्ट क्रीएट कर सकें। इनसे आशा नहीं की जा सकती कि जो वेकूम क्रीएट हो गया है उसे वे अपने इनीशियेटिव से भर दें और पोलिटिकल लीडर के रूप में काम कर सकें।

इससे ज्यादा नहीं कहते हुए अन्त में अफसोस के साथ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं राज्यपाल महोदय के इस अभि-भाषण को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हैं नहीं साहब। (विराम) धोती पहन रहे हैं क्या ?

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1973 के अन्दर जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है वह विधान सभा के अधिवेशन के अन्दर एक धन्यवाद के प्रस्ताव के समक्ष अपना मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के अन्तर्गत उन्होंने कई योजनाओं के बारे में हमारी जनता के समक्ष ऐसे विचार रखे हैं उनका मैं बड़ी श्रद्धा के साथ स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो समाज के अन्दर कमियां हैं, यदि उन कमियों को दूर नहीं करेंगे तो उससे राजस्थान की जनता के लिये बड़ी भीषण परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। एक निवेदन और कर दूं इसी अभिभाषण के अन्दर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ आदेश रखे गये हैं लेकिन जिस प्रकार से हरिजनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वह अब सहन होने वाला नहीं है।

आपके समक्ष राजस्थान के अन्दर मुस्लिम लीग नाम की एक संस्था बन कर इस प्रकार की परिस्थिति बनती जा रही है कि वह धीरे-धीरे हमारी सरकार के विचारों से उदासीन होती जा रही है। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के प्रति भी जिस प्रकार की उपेक्षा बरती जा रही है, वे उपेक्षाएं कुछ समय में सहन नहीं होने वाली है। इनके प्रति जिस प्रकार की रीति-नीति बनाई जाती है वह केवल मात्र कागजों तक ही सीमित रह जाती है। इसके पश्चात् वे आगे नहीं बढ़ पाती हैं इसलिये मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं यदि इन गरीबों को पूर्ण रूप से अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें तो जिस प्रकार की योजनायें हमारे सामने उपस्थित होती हैं उनका क्रियान्वयन किया

(श्री जयकिशनलाल तोसावडा)

जाय, तभी जाकर इन गरीब व्यक्तियों को पूर्ण रूप से लाभ मिलने की स्थिति बन सकती है। इस कारण यदि हम प्रत्येक परिस्थिति को लेकर आगे बढ़ें तो हमारा समाज, हमारी राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से सम्पन्न और सुखी हो सकती है।

साथ ही साथ मैं अकाल के सम्बन्ध में विशेष निवेदन कर देना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर हर वर्ष अकाल की भीषण परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित होती हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार यदि हर वर्ष अकाल की परिस्थिति हमारे सामने आये और उन परिस्थितियों को दूर करने के लिये हम बार-बार हमारी केन्द्रीय सरकार के समक्ष या दूसरी सरकारों के समक्ष जो विदेशी हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं तो यह कतई उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि अकाल को स्थायी रूप से हल करने के लिये लगातार योजनाओं का निर्माण कर दिया जाय जिससे हमारी राजस्थान की जनता को अकाल की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। केवल मात्र ये योजनायें जब अकाल की भीषण स्थितियां उत्पन्न होती हैं तभी बनाई जाती हैं। इसको स्थाई रूप से सरल करने की कोई पूर्ण योजना बनाई जाय। चाहे वित्त सम्बन्धी हो, चाहे अनाज सम्बन्धी हो और चाहे चारे सम्बन्धी हो और चाहे पानी सम्बन्धी हो जिससे आने वाले अकाल से बचा जा सके।

जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है राजस्थान में अकाल की भीषण परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिये ऐसी भीषण परिस्थतियों का यदि आप विशेष प्रकार की योजना बनाकर हल कर दें तो हमारे राजस्थान को अकाल का सामना नहीं करना पड़े। यह मेरा विशेष रूप से सुझाव और निवेदन है।

साथ ही साथ अकाल का अध्ययन करने के लिये केन्द्र से हमारे यहां पर एक टोली का पदार्पण दो समय पर हुआ है। पहले समय पर तो शायद वह राजस्थान का अवलोकन करने आई कि कौनसा गांव कहां है और कौनसा शहर कहां है और वहां व्यवस्था कैसी है, लेकिन अकाल की भीषण परिस्थितियों का टोली हल नहीं निकाल पाई। उस टोली के अध्यक्ष श्री मनचन्दा ने राजस्थान का अवलोकन करने के पश्चात् दिल्ली जाकर राजस्थान के बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा लेकिन जब राजस्थान की जनता बड़ी व्याकुल होने लगी और उसी आधार पर हमने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग विशेष रूप से बुलाई। उसमें जाकर विशेष विवरण सुना। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया कि वह टोली पुनः आयेगी और उस टोली के अध्ययन के अनुसार हम केन्द्र से इस अकाल की परिस्थितियों को दूर करने के लिये पुनः निवेदन करेंगे। पुनः मनचन्दा साहब की टोली आई और आकर अध्ययन किया लेकिन साथ ही साथ निवेदन करूंगा वह टोली केवल मात्र बड़े बड़े अधिकारियों से और बड़े बड़े जो लोग थे, उनसे मिलकर चली गई। जनता से मिलकर यदि वहां के इलाके के बारे में, वहां के क्षेत्र के बारे में सुझाव लेती तो बहुत अच्छा होता। अकाल की समस्या गत वर्ष से है। कई जगह ऐसी थीं जहां बाढ़ की परिस्थितियां बड़ी भयंकर थीं लेकिन फिर भी हमारी सरकार उन क्षेत्रों

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

के प्रति अवहेलना की दृष्टि से देखती रही। यदि पूर्ण रूप से योजना बना दी जाती तो भीषण अकाल से हमारा क्षेत्र न गुजरता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस प्रकार की परिस्थितियों को दूर करने के लिये स्थायी रूप से हल ढूंढ लें तो अच्छा होगा। मेरा सुझाव है हर स्थिति से, हर हालत में सरकार हमारी जनता की सहायता करने को तत्पर है, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार की ढील बरती जा रही है। यदि इस प्रकार का आलस्य दूर करके भूख की विभीषिका को दूर करने के लिये कोशिश करें तो यहां की जनता जो राजस्थान की फागी-चाकसू की जनता है, वह भोले स्वभाव की है। उसको किसी भी प्रकार बहकाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का आश्वासन दे देते हैं लेकिन आश्वासन पूरा न हो तब भूख नहीं चल सकती है। इसलिये राजस्थान की सरकार को मैं निवेदन कर दूं कि यह बहुत दिनों से इस प्रकार का आलस्य चला लेकिन अब जनता बहुत सावधान बन गई है फिर भी गरीब जनता है और गरीब जनता को किसी भी प्रकार बहकाते रहे तो वह बहकती रहेगी। लेकिन इस जनता में बड़ी भीषणता पैदा हो जायेगी और शायद हर गांव गांव के अन्दर और हर कस्बे और शहर के अन्दर इतना भयंकर आन्दोलन छिड़ेगा क्योंकि 'विभूक्षितं किम न करोति पापम्' यह हमारी नीतियों का सिद्धांत है, यह बिलकुल सही है और ऐसा हो सकता है कि भूखा क्या नहीं करता, वह सब कुछ करने के लिए उतारू हो जाता है। मैंने सुना है कि कई वर्ष पहले भीषण परिस्थितियों में अकाल पड़ा था और भूख के कारण लोग अपनी सन्तान को भी मार मार कर खा गये। यही स्थिति अब भी आ रही है। हमारी सरकार ने माना है कि इस अकाल के अन्दर कई स्थानों पर घास की रोटियां खाकर लोग जिन्दा रह रहे हैं। आप हमारे इलाके में चलें तो गाजर खाकर लोग रात और दिन भूख से लड़ रहे हैं। आलू तो हमारे यहां होता नहीं है। क्योंकि कई स्थानों में आलू भी खाये जा रहे हैं। यदि इस परिस्थिति को ठीक ढंग से सुधारा नहीं गया तो हो सकता है हमारी सरकार के समक्ष परिस्थितियों को संभालने में बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसलिए मैं सरकार को निवेदन कर देता हूं कि जल्दी से जल्दी अकाल की परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें सब प्रकार की कोशिश करनी चाहिए।

साथ ही साथ मैं यह भी सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी अभी जो हमारे विधान सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी कमेटी हैं, जिसका मैं भी मेम्बर हूं तो मुझे दक्षिण भारत में जाने का अवसर मिला। वहां पर हमारे जो राजस्थानी प्रवासी भाई हैं उनसे विचार विमर्श हुआ। उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमें राजस्थान में अकाल के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं है। यदि हमारे पास इस प्रकार की सूचना हो तो हम वहां के लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। वहां के लोग लाखों रुपया दान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। साथ ही साथ जिस समय मैं कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन था उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला। वहां के लोगों से भी मैं मिला, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने भी हमें संकेत दिया कि हमें राजस्थान में अकाल के बारे में किसी प्रकार

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

का पता नहीं है। हमारे राजस्थान के लोग जो बाहर रह रहे हैं वह लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति रखने वाले हैं और उनको लाख, दो लाख या दस-पन्द्रह लाख रुपया देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती यदि हम कोशिश करें तो हमें दान मिल सकता है लेकिन उनके पास सूचना नहीं है और यदि उनको कोई जाकर कहें, मैं तो यह भी निवेदन कर दूं कि सदन के 10-15 मेम्बरों की एक कमेटी बना दी जाये और फिर उन्हें भेज दिया जाये कि जहां जहां भी राजस्थानी लोग मालदार हैं, उनसे अकाल के लिए, सहायता के लिए चन्दा लें। वह अकाल के लिए सहायता देने के लिए तैयार हैं।

मैं निवेदन कर दूं कि केन्द्रीय सरकार हमारी प्रार्थना नहीं सुने तो हम पांच रोज के लिए या तीन-चार रोज के लिए इस विधान सभा के अधिवेशन को स्थगित कर दें और समस्त विधायक महानुभाव दिल्ली चलें। हमारी प्रधान मंत्रीजी हैं, उनके समक्ष हर क्षेत्र की परिस्थिति को रख दें—यह मेरा सुझाव है। यदि सदन मेरी यह बात माने तो ठीक है। श्री मनचन्दाजी की एक टोली आई और एक दो इलाके में घूमकर चली गयी और दूसरी जगह क्या स्थिति है उसका उसको पता ही नहीं है। मनचन्दा जी ने बस एक प्रधान मंत्री को बता दिया, वित्त मंत्री जी को बता दिया या और एक दो मंत्रियों को बता दिया और वह बात उन्हीं तक सीमित हो गयी।

श्री केसीरमल : 23 मार्च को हम जा रहे हैं आप भी साथ चलें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : केवल मात्र मैं विरोधी दल के लिए नहीं कहता, समस्त विधायकों के लिए कह रहा हूं। यदि समस्त विधायक चलें तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं अभी सरकार को निवेदन कर दूं कि जब तक अकाल की भीषण परिस्थिति का सामना युद्धस्तर पर नहीं किया जायेगा तब तक हमारे राजस्थान में इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। यहां की जो परिस्थिति है आप स्वयं जानते हैं और सारे विधायक महानुभाव अपने अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते हैं और यहां विधान सभा के अन्दर केवल मात्र भाषण देने से और केवल मात्र इस प्रकार की परिस्थिति का अवलोकन करने मात्र से कोई वास्ताविकता या तथ्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब तक हम उस कार्य को पूर्ण रूप से सहयोग से नहीं करेंगे या जनता की भीषण परिस्थिति को नहीं सुनेंगे तब तक यह विपत्ति दूर होने वाली नहीं है। मैं तो यह भी निवेदन कर दूं कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो किसान हमारे लिए अन्न पैदा करके हमारी रोजी रोटी का साधन वह स्वयं करता है आज वह अन्न के लिए एक-एक दाने के लिए तरसता फिरे यह हमारे सब के लिए बड़े शर्म की बात है। क्योंकि वही

समय-समाप्ति सूचक-घण्टी

किसान जो हमारे लिए अनाज पैदा करता है, स्वयं बाजरा और ज्वार खाता है और हमें गेहूं खिलाता है और वह अनाज के लिए दर-दर भटके, जिसका अनाज खरीद कर डिपो में बन्द है, और वह भूखों मर रहा है हमारे साथ ही साथ मैं निवेदन कर दूं कि यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
किसान को यदि इस अकाल के अन्दर भी सहायता नहीं दी गयी तो इस क्षेत्र का क्या होने वाला है, यह ईश्वर ही मालिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं यह भी कर दूं कि राजस्थान में पशुओं की संख्या काफी है। वह पशु जो पांच रतन देता है। दूध, घी, दही और मक्खन। बाकी एक ही रत्न बचता है और वह है शहद। पांच रत्नों को देने वाली गाय और भैंस आज चारे के लिए भूख से तड़फती हुई अपने प्राणों का अन्त कर दे यह बड़े दुख की बात है। आज यदि सरकार पशुओं के लिए सही प्रकार की व्यवस्था कर दे तो शायद उससे हमें सब प्रकार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो मरने के बाद कोई काम नहीं आता लेकिन पशु ऐसा प्राणी है जिसके मरने के बाद उसके शरीर का प्रत्येक अंग मनुष्य की आवश्यक चीजें उपलब्ध कराता है। ऐसे पशु भूख के मारे और प्यास के मारे तड़पते हुए मर जायें यह कोई शोभा देने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर दूं कि अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना ही राजस्थान की जनता को सही व्यवस्थित रूप से रखने के लिए यह जरूरी है कि उनको भूख और प्यास से मरने से बचाया जाये।

इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार से राजस्थान की जनता 2 करोड़ 57 लाख है, यहां पर विभिन्न प्रकार की योजनायें बनाई जाती हैं। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने कल बताया कि जयपुर के अन्दर एक टेलीवीजन का कारखाना खुलने वाला है, लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि उसके लिए तो खुशी है लेकिन गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाये जहां कि किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा इसलिए मैं यह निवेदन कर दूं कि गावों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे यहां पर अधिक जनता 80 प्रतिशत जनता गावों के अन्दर रहती है। शहर वालों की फेशन की सारी चीजों को देने के लिए हमारे गांव वाले मेहनत करते हैं। गांव वाले सब वस्तुएं पैदा करते हैं और वह शहरों में खपत होती है. उसी चीज को पाकर शहर वाले लोग जिन्दा रहते हैं। साथ ही साथ यह भी निवेदन करूं कि गांवों में किसी प्रकार का सर्वेक्षण करायें और वहां पर छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज लगा दी जायें तो गांव वालों को गांव छोड़कर नहीं जाना पड़े और वह शहरों की ओर दोड़ना बन्द कर दें।

हमने अखबारों में पढ़ा है और माननीय राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में उसका उल्लेख है कि जोधपुर के अन्दर, बीकानेर के अन्दर और भी कई शहरों के अन्दर हमने मास्टर प्लान बनाने की योजना निश्चित की है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी खर्चा किया जाता है वह शहरों के लिए ही क्यों? हमारे गावों के अन्दर क्यों नहीं? आज हर क्षेत्र के अन्दर गावों को आदर्श गांव बनाये जायें। करोड़ों का बजट बनता है शहरों के लिए, शहर तो वैसे ही सुव्यवस्थित ढंग से बसे हुए हैं। वहां पर शिक्षा, पानी, बिजील

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

और किस प्रकार की कमी नहीं है, वहां पर व्यापार की कमी नहीं है लेकिन गावों के अन्दर तो सब प्रकार की कमियां हैं। जब वह अनाज देते हैं और दूसरी व्यवस्थायें देते हैं फिर भी गावों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? हर क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक गांव को आदर्श गांव बनाया जाये तो इस राजस्थान का ही नहीं हमारे समस्त भारत का भला हो सकता है इसलिए यह जो प्लानिंग हमारी सरकार के समक्ष केवल शहरों तक ही सीमित रखा जा सकता है, गावों को कोई नहीं पूछता जब कि हमारे गांव आपको सब प्रकार के साधन उपलब्ध कराते हैं।

तीसरी चीज चिकित्सा सम्बन्धी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी हम देखते हैं और अभिभाषण के अन्दर भी मौजूद है कि फलां शहर के अन्दर इस प्रकार के इतने बेड्स होस्पिटल में विशेष रूप से रखे जायेंगे, नये रखे जायेंगे, लेकिन गांवों के लिए क्यों नहीं। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अस्पताल की बात तो दूर रही, वहां आयुर्वेदिक चिकित्सा की छोटी सी दुकान भी नहीं है। आयुर्वेद का कोई छोटा सा औषधलाय नहीं खुला हुआ है जहां पर लोग बीस बीस और पच्चीस पच्चीस मील से दौड़ते हुए अपने बीमार को लेकर जाते हैं और वह रास्ते में ही बीमार बीमारी से तड़फता हुआ अपने प्राणों का अन्त कर देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करदूं कि इस प्रकार की इलाज की उचित व्यवस्था गांवों में दी जाय।

शहरों के अन्दर उच्च शिक्षा की सुविधाएं भी यहीं पर रखी जाती हैं, गांवों में कुछ नहीं। जिस प्रकार के विश्वविद्यालय शहरों में स्थापित किए जाते हैं नहीं करने पर आन्दोलन खड़े किए जाते हैं, सरकार इन आन्दोलनों के समक्ष नतमस्तक होती है और उनकी योजनाओं को पूरा करती है। मैं यह निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की योजनाएं यदि गांवों मे भी स्थापित कर दी जायं और दो तीन तहसीलों के मध्य में एक विश्वविद्यालय खोल दिया जाय तो वहां के किसानों के को, वहां की साधारण जनता के विद्यार्थियों को इस प्रकार की समस्या, रहने की समस्या, पढने की समस्या, इन सब समस्याओं, को इस प्रकार से हल वहां पर किया जा सकता है।

कृषि सम्बन्धी विचार भी मैं अपने रख दूं। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। करीब 80 प्रतिशत जनता गांवों के अन्दर रहती है और उस जनता का मुख्य धन्धा कृषि है। बारबार किसानों को विभिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है। कहीं पटवारी महोदय, कहीं तहसीदार महोदय, कहीं ए. डी. एम. और कलेक्टर महोदय, अर्थात् सब प्रकार से। जैसे कहावत है राजस्थान में कि "अड़े दड़े और डोकरी के सर में पड़े" यही स्थिति हमारे किसानों के साथ है। जो भी विपत्ति हो वह किसानों के जिम्मे। अकाल की भयंकर चपेट में आवें तो किसान, बीमारी की भयंकर चपेट में आवें तो किसान, शिक्षा की परिस्थितियों के अन्दर से गुजरें तो किसान। ऐसा क्यों है। इसलिए इस कृषि के ढांचे को ठीक ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से किया जाय। यदि किसान शिक्षित नहीं है कृषि के अन्दर तो ऐसी योजना बनालें

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
कि हर महीने, एक साल में या छः महीने में उनको कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाय।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्री तो ऊपर गये हुए हैं।

श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** : इसलिए कृषि सम्बन्धित विचार रख रहा हूं।

श्री **योगेन्द्रनाथ** हाण्डा : मंत्री तो नहीं हैं लेकिन मंत्रियों के भूत बैठे हुए हैं।

श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** : मंत्रियों के भूतों को भगाने का मंत्र तो आपके पास है, मेरे पास नहीं।

इसी प्रकार से कृषि सम्बन्धी सही प्रकार की शिक्षा हमारे किसानों को दी जाय तो समय पर किस ढंग से अनाज बोयें, क्या क्या व्यवस्था रखी जाय। सारी परिस्थितियां किसानों को बता दी जाय तो बहुत अच्छा हो सकता है।

अभिभाषण के अन्दर कृषि सम्बन्धी योजनाएं रखी हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि यह अभिभाषण केवल मात्र इस किताब तक ही सीमित रह जाएगा या कागजों तक सीमित रह जायगा। किसानों पर सरचार्ज लगा हुआ है, दूसरी तरफ किसानों पर जरा सी गल्ती होने पर पेनल्टी बांध दी जाती है। तीसरी तरफ अब सीलिंग कानून और किसानों की जान के लिए खड़ा है। गंगानगर और जयपुर जिला समान माना गया है। साथ ही साथ यह भी निवेदन कर दूं कि किसानों के लिए एक तरफ नहरी जमीन है तो दूसरी तरफ एक कुए की जमीन है फिर भी इन दोनों को बराबर माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : की जमीन की।

श्री **उपाध्यक्ष** : पोइन्ट ऑफ आर्डर है। फरमाइए।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बहस हो रही है और अब मंत्रिमण्डल की तरफ से कोई एक भी माननीय सदस्य मंत्रिमण्डल का यहां मौजूदा नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : राज्य मंत्रीजी मौजूद हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : फिर भी मैं

(व्यवधान)

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : ये मंत्री थोड़े ही हैं बेचारे भद्र पुरुष हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में मंत्री की व्याख्या देखने का कष्ट करें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मुख्य मंत्री जी सारी बहस के दौरान इस सदन में नहीं बैठे थे। आखिर उनको उत्तर देना है। बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं जो उनसे सम्बन्धित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है और आपसे आग्रह है कि आप उनको इस सदन में आने के लिए कहें और मंत्रिमण्डल के अन्य माननीय सदस्य भी यदि उनको बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो इस आसन से आज्ञा लेकर उन्हें अनुपस्थित रहना चाहिए। इस तरह की बात, मैं समझता हूं कि पहले भी इस प्रकार की बात कही गई थी और गवर्नमेंट को इस बात के लिए आगाह किया गया था, उपाध्यक्ष महोदय इसको स्वीकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया था। इस तरह से ट्रेजरी बेंचेज खाली रहती हैं और केबिनेट स्तर के मंत्रियों के न रहने से मैं समझता हूं....

(श्री परसराम मदेरणा द्वारा अपना स्थान ग्रहण)

श्री **उपाध्यक्ष** : अकाल मंत्रीजी आ गए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कहीं जाता ही नहीं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : आप भी मंत्री नहीं हैं, भद्र पुरुष हैं।

(व्यवधान)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : जो सीलिंग बिल हमारे सामने उपस्थित है....

श्री **मुंशीलाल महावर** : हम तो उनको मंत्री मानते हैं लेकिन आपको जरूर भद्र पुरुष मानते हैं।

श्री **जयकिशनलाल तोसावड़ा** : कुओं के द्वारा सींची गई भूमि और नहर से सींची गई भूमि को भी समान रखा गया है, यह किसानों के लिए न्यायोचित बात नहीं है। वह किसान जिसके कुए पर इंजिन लगा हुआ है उसको भी क्रूड आयल पर कितना खर्चा करना पड़ता है। माननीय सदस्य इसको जानते हैं, उनमें से भी बहुत से किसान हैं कि इनमें कितना खर्चा आ सकता है या वहां पर बिजली की व्यवस्था है, तब भी उसका बिल कितना महंगा पड़ता है कि वह खेतों का पूर्ण रूप से खर्चा भी नहीं निकाल सकता। लेकिन

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

फिर भी इस प्रकार के किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बिजली की बात भी बता देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर बिजली की बहुत कमी है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट और। मैं फागी का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे कान बहुत खुले हुए हैं, मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। इसलिए बिजली के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर बिजली की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, जिससे किसान लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करूं कि फागी और चाकसू तहसील के अन्दर किस प्रकार का अनाज पैदा अभी करके दे रहे हैं। बिजली की व्यवस्था होने पर उससे चौगुना अनाज हमारे किसान पैदा करके देने को तैयार हो सकते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी तो एक मिनिट ही हुआ है, दो मिनिट के लिए कहा था।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पंचायती राज के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में पंचायत राज की बात कही

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
है, मैं तो यह निवेदन कर दूं कि लगातार 9 वर्षों की लम्बी अवधि तक जो पंचायत राज को स्थापित किया गया है, इससे सिवाय भ्रष्टाचार के हमारे राजस्थान के अन्दर और कुछ नहीं पनपा। हम बारबार बिल लाकर चाहे वह लोक सभा हो, विधान सभा हो या साधारण समाज हो, उसके अन्दर जो पुराने राजा-महाराजाओं के विशेषाधिकार थे उनसे भी ज्यादा विशेषाधिकार आज हमारी सरकार ने पंचायती राज को दे दिए हैं। 9 वर्ष की लम्बी अवधि तक एक ही सरपंच या प्रधान मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपने दल की तरफ से एक ही बोलना चाहें तो दूसरी बात है। वरना आपके दल के मुख्य सचेतक ने, जो मुझे सूची दी है, उसमें 15 सदस्यों के नाम हैं बोलने वालों के और आपको 30 मिनिट हो चुके हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप अपने दल की तरफ से एक ही बोलना चाहें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : एक ही मिनट में समाप्त करता हूं। 30 से 31 नहीं करना चाहता।

इसलिये इस पंचायती राज की अवधि को जल्दी से जल्दी समाप्त कर के इसके दुबारा चुनाव कराये जायें तो इससे साधारण जनता को राहत मिल सकती है। इसी प्रकार से....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पंचायती राज तो समाप्त हो चुका है अब तो फातिया पढ़ना बाकी है ...

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उसमें विशेष प्रकार की योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। यदि इन योजनाओं को अमल में लाया गया तो वास्तव में राजस्थान की जनता को सब प्रकार से सुख सुविधा प्राप्त होगी। और अकाल राहत कार्यों के अन्दर भी उनको साधन उपलब्ध करा दिये गये तो जनता, जो भीषण अकाल की विभीषिका से परेशान हो रही है, उसको राहत मिल पायेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय....

विचारापेक्षी विधेयकों की प्रति माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

उपाध्यक्ष महोदय, कल की विषय सूची के अन्दर, डिसकशन के लिये दो बिल रखे गये हैं परन्तु अभी तक सिवाय एक बिल के दो और बिलों को सर्क्युलेट नहीं किया गया है। इन बिलों पर संशोधनों के प्रस्ताव 24 घण्टे पहले देना होता है। आज एक बजे तक का समय था। अभी तक ये बिल प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन पर संशोधन देने में असमर्थ हूं। इसलिये मुझे यह निवेदन करना है ये बिल भी आवश्यक हैं और संशोधन देने के लिये बाद में समय नहीं मिलेगा इसलिये ये बिल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शीघ्र ही सक्युलेट हो जायें और संशोधन देने के लिये समय की पाबन्दी को हटा दिया जाये वरना सारा प्रोग्राम अपसेट हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अमेन्डमेन्ट तीन बजे तक दे सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो बिल सक्युलेट भी नहीं हुए है। बिल तीन बजे तक सक्युलेट करा दें और 11 बजे तक कल तक अमेन्डमेन्ट देने की अवधि।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं कार्यालय से जानकारी लेकर आधे घण्टे बाद आपको सूचना दे दूंगा।

श्री सामरिया !

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के सिलसिले में बोलने से पूर्व मैं राजस्थान में पड़े भीषण अकाल और उस अकाल के सामने सरकार का घुटना टेक देना, निरुत्साहित हो जाना और राजस्थान की जनता को भूखों मरने देने के लिये मजबूर कर देना और इस कारण अकाल में जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है सर्वप्रथम मैं उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति इन दो शिशुओं का जन्म इस कांग्रेस की सरकार ने कुछ समय पूर्व किया था और उसकी प्रसव पीड़ा से यह कांग्रेस माता अलग नहीं हो पायी है कि इन दोनों शिशुओं की अकाल मृत्यु हो गई है, समय से पूर्व हो गई है। इसके लिये मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप इन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

बड़े दुःख की बात है कि एक तरफ सरकार को इस बात का ध्यान नहीं है कि किस इलाके में बरसात नहीं हो रही है और उसका क्या परिणाम आने वाला है, इससे अनाज की कितनी पैदावार होगी इस बात का आभास इस सरकार को समय से पूर्व नहीं हो सका और दुःख की बात है कि आज हमारी सरकार का जितना प्रेशर केन्द्र पर पड़ना चाहिये था वह नहीं पड़ा। यह प्रभाव केन्द्र पर कभी भी नहीं पड़ सकता है, इसका कारण यह है कि जो चीफ मिनिस्टर केन्द्र से अपाइन्ट होते हैं वे केन्द्र पर अपना दबाव नहीं डाल सकते। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने जो कोटा राजस्थान को अलॉट किया वह कोटा भी राजस्थान की यह सरकार उठा नहीं पायी। एक तरफ राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान जो अपने खेतों में अनाज पैदा करते हैं, वे आज अनाज के दाने के लिये तरसते हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार के मंत्रीगण आराम से बैठे हैं और अनाज का कोटा लेप्स हो रहा है। इसका कारण यह बताया गया है कि हमारे पास में मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, किसी सभ्य व्यक्ति के लिये यह एक शर्म की बात है। भूखी जनता के लिये केन्द्र द्वारा आवंटित अनाज इसलिए नहीं लाया जा सका कि इस सरकार के पास यातायात के साधनों की कमी थी। ट्रकों की व्यवस्था की जा सकती थी और तत्परता के साथ यह काम किया जाना चाहिये

(श्री मूलचन्द सामरिया)

था। मैंने गवर्नर महोदय के अभिभाषण को देखा है और उन्होंने भी इस अलॉट-मेन्ट के बारे में मौन किया है। यह काफी कम है और इसका कारण इस अभिभाषण में नहीं दिया गया है। परन्तु इसका कारण मैंने यहां पर अभी निवेदन किया है। आप यह समझिये कि इस सरकार की नीति ऐसी लगती है इस अकाल के सम्बन्ध में कि, यह अकाल को स्थायी रखकर इस अकाल से जो होने वाले फायदे हैं उनको वह बरकरार रखना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल जनता के लिये हो सकता है, अकाल किसानों के लिये हो सकता है, अकाल मजदूरों के लिये हो सकता है, अकाल गरीबों के लिये हो सकता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो मन्त्रीगण है, जो ये बड़े आई. ए. एस. आफिसर हैं, उनके लिये यह सब से अच्छा मौसम आता है। उनके लिये तो यह सीजन आ जाता है और उनको एक तरह से इससे फायदा होता है। जिनके पास एक मोटर गाड़ी होती है तो दो गाड़ी हो जाती हैं। दो गाड़ियां होती हैं तो उनके पास चार गाड़ियां हो जाती हैं। इस तरह इस अकाल को स्थायी रखने की गरज से यह राजस्थान सरकार इसका परमानेन्ट इलाज नहीं कर सकती है और न ही करना चाहती है। मैं समझता हूं कि अकाल से जूझने के लिये मंत्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केन्द्र से बार बार अधिक अनाज की मांग करने से अकाल का निराकरण नहीं होगा। इसके लिये हमें परमानेन्ट तरीके पर सिंचाई के साधनों को जुटाना होगा। राजस्थान में इतनी जमीन है, यदि उसको पूर्ण रूप से सिंचित कर दें तो राजस्थान की जनता को पूरी तरह से अनाज देने के बावजूद उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार सिचाई के साधनों का पूरा प्रयोग नहीं कर रही है और न जुटा रही है। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज इस निष्क्रिय और निकम्मे प्रशासन के अ. हमारे सभी साधनों का उपयोग नहीं हो पाता है और यह सरकार भी ऐसा लगता है कि नारा तो लगाती है किसानों के हक में, नारा लगाती है मजदूरों के हक में, नारा लगाती है हरिजनों और आदि-वासियों और शोषित वर्गों के हक में लेकिन इस सरकार के कार्यों का अध्ययन किया जाये तो यह सरकार इन्हीं लोगों का शोषण कर रही है। इस सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के साथ मिल कर षड़यन्त्र कर रखा है। जो हमारे यहां पर बिजली पैदा होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कम पैसे में उद्योगपतियों को दिया जाता है। अगर किसान बिजली की मांग करेगा तो उसको बिजली नहीं दी जायेगी और अगर बिजली का वितरण किया भी जायेगा तो वह राजनैतिक आधार पर किया जायेगा और इस तरह से वाल्टेज कम होने की वजह से लोगों को बिजली पूरी नहीं मिल पायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अकाल की यह भीषण विभी-षिका है और दूसरी तरफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है और उसने इलेक्ट्रिसिटी पर बेन लगा दी है। एक तरफ फसलें खड़ी हैं जिसको इस समय पानी देना आवश्यक है और उधर जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया है जिनके पास पंपिग सेट हैं उनको बिजली नहीं मिलेगी तो आप इसकी कल्पना कर सकते

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं कि कितनी अच्छी पैदावार होगी। इसलिये यह सरकार आने वाली फसल को बर्बाद करने के लिये कृतसंकल्प है, इस अकाल को अपने घर में ही रखना चाहती है इसको विदा नहीं करना चाहती है। आज आप यह देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार खाद और बीज किसान की अच्छी खेती के लिए आवश्यक होते हैं उन साधनों को यह समय पर नहीं पहुंचा सकती है। आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर घोटालें हैं और जगह जगह मनचाहे लोगों के एपाइंटमेंट की वजह से उन पर दबाव नहीं दे सकती है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार आई. ए. एस. आफिसर्स की है। उसका एक कारण यह है कि हर अधिकारी आज नेताओं की सिफारिशों के आधार पर एपाइन्टेड है और जब नेताओं की सिफारिश के आधार पर आते हैं तो अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे समय पर मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को किसी भी कीमत पर इस अकाल का मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तत्परता से, जो भी साधन हों, अपने उनके अलावा केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा दबाव देकर मदद ली जाय। अगर यह सरकार केन्द्र पर दबाव नहीं दे सकती है तो इसका कारण यह है कि यह सरकार सत्ता के मोह में है। अगर इसको सत्ता का मोह न हो तो यह निर्भीकता पूर्वक केन्द्र से कह सकती है और केन्द्र के सामने अपनी स्थिति साफ रख सकती है, लेकिन यह सरकार केन्द्र से इस तरह डरती है जैसे शेर के सामने बिल्ली या भेड़ और सही स्थिति का प्रदर्शन नहीं कर सकती है। इसको अपनी कुर्सी का मोह है। माननीय सदस्य जानते हैं कि श्रीमती गांधी आज एक तानाशाह हैं हिन्दुस्तान की जिनके कहने से सब कुछ हो सकता है। आज का भूखा कल डाकू बनेगा, आज का भूखा कल चोर बनेगा, लफंगा बनेगा। मैं कहता हूं कि बड़े बड़े लोगों ने और इस सरकार ने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। अगर ऐसे समय में किसी क्षेत्र के व्यक्ति या नारी के चरित्र का भूख की वजह से पतन हो जाय तो वह समाज में एक भयंकर बीमारी को जन्म देगा। समाज के इस पतन को रोकने के लिए मैं आवश्यक समझता हूं कि इस भुखमरी को खत्म करें। एक भी आदमी भूख से नहीं मरा इससे ज्यादा झूठ की और शर्म की बात नहीं हो सकती है। आप आज आंखें मीच-कर घोषणा कर देते हैं कि भूख से किसी को नहीं मरने दिया जायगा, लेकिन लोग मरते हैं। कोई न कोई कारण तो मौत का होता ही है। कोई यदि भूख से मरता है तो यह कह दिया जाता है कि वह मौत से मरा है। लेकिन आज कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो आप यह कहकर दूर नहीं हो सकते कि उसकी भूख से मृत्यु नहीं हुई है। उसको स्वीकार करके इस सरकार को वास्तविक कदम उठाने चाहिएं।

इस अभिभाषण में अपाहिज और बीमार लोगों को कुछ सहायता देने की बात कही है। इस बारे में एक प्रश्न के द्वारा भी विचार हो चुका है कि वह सहायता देने का जो तरीका है यह बड़ा कम्प्लीकेटेड है। एक अन्धे व्यक्ति को, लंगड़े, लूले व्यक्ति को 45 रुपये और 30 रुपये के लिए अपना फोटो बनाना होता

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है जिसको वह अटेस्टेड गजेटेड आफिसर से प्रमाणित करवाते हैं, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, वह किसी अपने आदमी को भेजकर जांच करवाता है कि इसके मकान कितने हैं, कितनी आय है, क्या स्थिति है। उनकी सिफारिश होने के बाद समाज कल्याण अधिकारी महोदय के पास, कलेक्टर महोदय के पास जाता है। इतना कम्प्लीकेटेड है यह। एक लंगड़ा है, भूखा है और अन्धा है तो तुरन्त साधारण से साधारण और आसान से आसान तरीके से उसको पैसा मिलना चाहिए जिससे वह जिन्दगी का गुजर बसर कर सके।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि यह सरकार समाजवादी होने का ढोंग करती है, लेकिन आज भिखमंगे सड़कों पर भीख मांगते फिरते हैं तो मन्त्री महोदय को डूबकर मरने की बात है। उनको अलग बसाना चाहिए। उनको जाकर व्यक्तिगत तौर से दिलचस्पी लेकर जीवन-यापन के साधन उनके लिए जुटाने चाहिएं। ऐसा कानून होना चाहिए कि एक भी भिखमंगा सड़क पर मिले तो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। इसके लिए कोई अवधि नियत कर दी जाय। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां सड़कों पर मारे मारे फिरें तो उनको जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाय। उनके लिए जीवन-यापन के लिए आवश्यक साधन जुटाये जायं और इन्सान की तरह रहने के लिए उन लोगों को मौका दिया जाय।

पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में, उपाध्यक्षजी, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बढ़ा-चढ़ाकर की गयी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एक तरफ तो अकाल है, एक तरफ तो सूखे की वजह से पीने के लिए पानी नहीं मिलता है और उस पर भी ये मन्त्रीगण, ये उच्चाधिकारी हमारे दौसा शहर की जलप्रदाय योजना को राजनीति के शिकंजे में फंसाकर उसमें देरी करते जा रहे हैं। उपाध्यक्षजी, मेरे पास भीखाभाई का एक पत्र है जिसमें जब वे जनस्वास्थ्य विभाग के मन्त्री थे तो उन्होंने एक पत्र भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री डूंगारामजी को दिया था उसमें उन्होंने यह वायदा किया था कि दौसा में जलस्रोत मिलते ही आगामी गरमी में (1972) में डाइरेक्ट पम्प से पानी दे देंगे। इसके बारे में आन्दोलन हुआ और भूख-हड़ताल हुई और इसके आधार पर लिख कर यह दिया था। एक लाख तीन हजार रुपये इस योजना के लिए पानी पहुंचाने के लिए बिजली के जमा कराये गये लेकिन विद्युत् विभाग ने उसके मुताबिक आज तक भी काफी समय हो जाने के बाद भी बिजली की लाइन नहीं डाली है। आज वहां पर पाइप लाइन पड़ी हुई है। उसका भी पूरा काम अभी तक नहीं हुआ है और डाइरेक्ट पम्पिंग से पानी देने का वायदा 72 में किया गया था और आज 73 आ गया है। जनता के धैर्य की सीमा होती है। सरकार यह चाहती है कि हर मामले में दफा 144, हर मामले में लाठी चार्ज, अश्रुगैस और गोली के उपयोग के बाद ही कुछ किया जाय तो बात दूसरी है, नहीं तो दौसा के नागरिक दुःखी हैं और उनके क्रोध की सीमा नहीं है। वहां ऐसी स्थिति है कि मीठे पानी के कुए आस पास नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां की जनता का खून लेकर पानी देने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

के बजाय प्रेमपूर्वक पानी उनको उपलब्ध कराया जाय। अगर टैंक नहीं बनता है तो डाइरेक्ट पम्प से पानी सप्लाई करने का जो वायदा भीखाभाई ने किया है उसको पूरा किया जाय। मन्त्रि-मण्डल में मतभेद हों, लेकिन राज्य के चलाने में पूर्व सरकार के किये हुए वायदों को पूरा करने के लिए यह सरकार भी उतनी ही उत्तरदायी है और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उस वायदे को पूरा किया जाय। मैं तो बल्कि यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सानियत तो इसमें है कि पूर्व में किए हुए वायदों को शत-प्रतिशत निभाकर उन लोगों की इच्छा का खयाल करें। इसमें किसी प्रकार की राजनीति का रंग नहीं लायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं चारे की बात करना चाहता हूं। चारे की यह व्यवस्था है कि जगह जगह पर गाय, बैल, भैंस और ढोरों के मांस, हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं। अगर उनके खून को ही यह रेड क्रान्ति या उनकी हड्डियों को ही श्वेत क्रान्ति मानते हों तो यह उनकी बात है। भूखी गायें, भूखे बैल, भूखी भैंसें आज सड़कों के ऊपर जो चिथड़े, कूड़ा करकट जो मिलता है वह खा जाती हैं। इस कारण से हमारा पशुधन नष्ट होता जा रहा है। तो आपकी श्वेत क्रान्ति एक कल्पना मात्र होगी। उस समय आप क्रान्ति लाना चाहेंगे जब कि सारी गाय और भैंसों का अन्त हो जायगा।

अभिभाषण में, उपाध्यक्ष महोदय, सस्ते अनाज की दुकानों के बावत जिक्र किया गया है। उसके बारे में मैं एक ही निवेदन कर सकता हूं कि इनमें पक्षपात न किया जाय। आज जगह जगह पर अकाल है। अगर एक जगह पर अकाल है और बदकिस्मती से किसी तरह से किसी जगह को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो राज्य सरकार की नीति डिमाण्ड और सप्लाई के मुताबिक चलना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि 24 जिलों में अकाल घोषित है लेकिन दो में नहीं किया गया तो यह मानना चाहिए कि उसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। आज तो एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त पर असर पड़ता है। यही नहीं बल्कि इन्टरनेशनल मार्केट के फ्लक्चुएशन के आधार पर रेट्स फ्लक्चुएट होती हैं। इसलिए एक जगह पर अनाज नहीं है और दूसरी जगह पर अनाज है तो वह वितरित होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजनीति का झगड़ा अनाज की वितरण व्यवस्था में न लाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय अनाज की खरीद की बात चल रही थी तो एफ. सी. आई. ने किसानों से 73 रुपये क्विन्टल के हिसाब से अनाज खरीदा था और उस समय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि यह भाव बहुत कम है। आज 125 और 150 के बीच में भाव है तो उसके लिए दोषी सरकार है। अनाज किसान से कम से कम भाव में लेकर कन्ज़ूमर को ज्यादे से ज्यादा कीमत देने के लिए मजबूर करना कहां तक ठीक है? इसके लिए दोषी वह व्यापारी नहीं है बल्कि व्यापारियों से मिले हुए अधिकारी और सरकार है जो कि इस प्रकार से उनको मौका देती है अन्यथा कोई

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कारण नहीं है कि किसी व्यापारी के पास अनाज हो तो जिस भाव से उसने खरीदा है, थोड़ा सा उसका मुनाफा लेकर वह बेचने के लिए सरकार के द्वारा मजबूर किया जा सकता है। सरकार उसको मजबूर कर सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, लाखों रुपया जो यह कांग्रेस चन्दे में लेती है, वह फिर कहां से मिलेगा? ऐसी सरकार से मैं निवेदन करूं कि निष्पक्ष तरीके से हर कमजोर वर्ग का ध्यान कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए। आप अपना धन्धा–चन्दा करें वह अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा में सब-डिविजन में दौसा, लालसोट, सिकराय और बांदीकुई ये चार हैं। इन चारों स्थानों के लिए 90 टन मक्का गई है। एस. डी. ओ. साहब ने इत्तिला दी है कि यह मक्का आई हुई है। आज तक वह मक्का वहां से उठाई नहीं गई है। पांच छः रोज तक डी. एस. ओ. साहब आवंटन नहीं करते हैं, इसलिए वह वहां पड़ी हुई है। पालिसी के तरीके पर उसको दूसरी जगह पर भेजने के लिए ऊपर ही ऊपर बातें, चर्चा चल रही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। कम से कम अनाज और पानी के मामले में समानता होनी चाहिए।

गेहूं के व्यापार के बारे में चर्चा की गई है। उसका मेज थप-थपा कर स्वागत किया गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से कोई नेशनलाइजेशन उद्योग धन्धा मुनाफे में नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करूंगा, यह प्रजेन्ट प्रशासन, यह पंगु शासन ऐसे बहुत बड़े काम को हाथ में लेकर कुशलता से चला सके, मुझे भय है। यह अकाल में एक और अकाल पैदा नहीं हो जाये। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपा करके इस कार्य के लिये सदन को बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ायें। नहीं तो जनता के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ होगी। अकाल की स्थिति पैदा नहीं करें।

हरिजनों के मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। हरिजनों को जमीन एलॉट की जाती है। एक रुपये में पट्टा दिया जाता है। उनको जमीन दी जाती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हम जान सकते हैं, अलॉटमेन्ट ऐसी जमीन का किया जाता है जो कंकरीली है, बंजर है। लेकिन उस पर भी ये लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उनको कब्जा नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को समय पर बीज मिल जाता है। कितने लोगों के हल होता है। कितने लोग खेती करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। मैं यह भी कहने का साहस कर सकता हूं कि आज एक हरिजन को एक आदिवासी को जो भूमिहीन है, एक बीघा या दो बीघा जमीन देते हैं और आप यह समझते हैं कि हमने पक्का काश्तकार बना दिया है। जिसके पास जमीन नहीं है, वह तो दुःखी होकर बाहर जाकर काम में लग जायेगा, लेकिन जिसको आपने एक बीघा जमीन दे दी, वह तो उसके लोभ में पड़ा रहेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, एक बीघा, दो बीघा जमीन के प्रलोभन के बजाय मिनिमम या मेग्जिमम एलॉटमेन्ट उसके लिए होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उसको 10 बीघा से कम एलॉट नहीं करें। इस तरह से तो वह परेशान होकर जमीन भी छोड़ता है और जहां किसी मिल में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

लगा होता है, वहां की उसकी मजदूरी भी छूटती है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की वस्तियों में बिजली की बात है। इसके सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि अगर बिजली किसी गांव में पहुँची है तो सारे गांव में बिजली लग जाती है, लेकिन जनजातियों की बस्ती में नहीं लगती है। फिर सरकार सदन में घोषणा करती है कि हम हरिजनों के लिये बिजली लगा रहे हैं। सारे गांव में जब बिजली लगाई गई थी, उसी वक्त क्यों नहीं लगाई गई। सारे गांव में जब बिजली लगती है तो उनको आप एक्सक्लूड कर दें। फिर आप हरिजनों के लिए 5 लाख या 10 लाख रुपये बिजली लगाने के लिये घोषणा करते हैं। उनको इस प्रकार से कितने दिनों तक अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं। कितने दिनों तक शासन करना चाहते हैं। बड़े शर्म की बात है, गांव में नल लगे, कमजोर वर्ग हो तो उसको पानी नहीं मिले। बाद में आप बड़ी उदारता से पानी पहुँचाने की योजना की घोषणा करें। बिजली की घोषणा करें। फिर आप उसका उद्घाटन करें। यह शर्म की बात है। अभी हरिजन और अनुसूचित जाति पिछड़ी हुई है। इसलिये उनको पानी, बिजली की सहूलियत दें। इससे डरने की कोई बात नहीं है।

(समय समाप्ति-चक्सू घण्टी)

पंचायत समितियों के निर्माण के बारे में हाई पावर कमेटी की बात कही गई है। इसके लिये यह भी कहा गया है कि कई मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं, उनको जिन्दा किया जाये। इसका एक ही कारण है कि पंचायत समितियों में ग्राम स्तर पर मत होते हैं। वहां जब विरोधी गुट हो जायेंगे तो हमको नुकसान हो जायेगा। यह सरकार इसीलिये इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। ऐसी पंचायत संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण लोग कुछ समझने लगेंगे। उनको इसलिये कमजोर रखा गया है कि जिससे संस्थाएं शिथिल रहें। लेकिन अब वे कुछ समझने लग गये हैं। आप यह सोचते हैं कि ग्रामीण इन बातों को नहीं समझेंगे क्योंकि वास्तविकता समझना भी खतरनाक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि औपचारिक रूप से घोषणा की जाये, पंचायत राज संस्थाएं बरदाश्त नहीं कर सकती हैं। उनके चुनाव शीघ्र से शीघ्र करवा कर जिन्दा रखने की कोशिश करें। साथ ही इन्हें अगर जिन्दा रखना है तो इन्हें पावर दिये जायें। अभी केवल अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के सिवाय कोई पावर इनके पास नहीं है।

सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए एक प्रकोष्ठ कायम किया है, वह देखेगा कि कितने लोग नौकरियों में हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, किसी बड़ी म्युनिसिपैलिटी में पांच सौ कर्मचारी हों तो निश्चित रूप से उसमें चार सौ हरिजन होंगे, उन चार सौ सफाई करने वालों को भी इस अट्ठाइस पर्सेन्ट के कोटा में मानते हैं तो कम से कम यह जो कोटा निर्धारित किया है, इसके हिसाब से बड़े लोगों में एक पर्सेन्ट भी हरिजन को भर्ती कर लीजिए, टैस्ट के रूप में ही कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने दिनों में वे भर्ती हो जायेंगे। सफाई करने वालों में अठाईस पर्सेन्ट को आप नौकरी दे रहे हैं, यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि दूसरा कोई इस काम को कर नहीं सकता है। दूसरे से पांच सौ रुपये देकर भी यह काम करायें

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तो वह कर नहीं सकता है। जो सफाई का काम हरिजन कर रहे हैं, एक तरह से कहूं तो उनसे रिफाइण्ड वे में बेगार ली जा रही है। जो काम वे कर रहे हैं उससे बुरा कोई काम हो नहीं सकता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं दूसरी तरफ राजस्थान में एक इन्सान दूसरे इन्सान का मैला ढोता है सिर पर, गन्दी नालियों को साफ करता है, गन्दी नालियों को निकालता है। वह जो कास्ट बेसिस पर, जाति विशेष के लोगों के द्वारा काम कराया जाता है, मैं नहीं कहता, इनसे नहीं करायें तो यह काम कौन करेगा, कौन नहीं। मेरा कहना है कि हम यह काम करें। हम यह तय करें कि महीने में एक बार सबको सफाई का काम करना पड़ेगा। किसी स्थान की भी सफाई हो एक महीने में एक दिन वहां सफाई का काम करना होगा। यह जो व्यवस्था है कि जाति विशेष के लोगों से यह काम कराया जाय–इससे ज्यादा बढ़कर डूब मरने वाली बात नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा खराब बात इस हालत में इन्हें नागरिक बनाकर रखने की नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा इन्हें डिमारेलाइज करने की, इनके मोरल को गिराने की नहीं हो सकती है। आज वे इस काम को करते हैं क्योंकि इस काम को करने की उनकी मजबूरी होती है। इससे आप इस अठाईस पर्सेन्ट के कोटे को पूरा करते हैं। सरकार बता सकती है कि राजस्थान के अन्दर जो आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनमें कितने पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, कितने पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। राजस्थान में जो हायर जुडिशियल सर्विस है उसमें कितने पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, कितने पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। जो आर. ए. एस. हैं, आर. पी. एस. हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनसे यह अठाईस पर्सेण्ट का कोटा पूरा होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के जो पेइंग महकमे हैं, उनमें कितने पर्सेन्ट आज हरिजनों के पास हैं। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए, सरकार के कारनामों से जनता ने यह मान लिया है कि ट्रान्सपोर्ट का महकमा पेइंग है, पुलिस विभाग जो है, वह पेइंग है, इन विभागों में कितने पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। उनका पर्सेन्ट आप निकालें या समाज कल्याण मंत्रीजी निकालें।

जहां तक समाज कल्याण……

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : पेइंग से क्या मतलब है आपका ?

श्री **मूलचन्द सामरिया** : पुलिस में ज्यादा भ्रष्टाचार है। सरकार ने इस प्रकार की रीति-नीति बना रखी है, इस प्रकार के टैक्सेज लगा रखे हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : हरिजनों को एक दलदल से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं ?

श्री **मूलचन्द सामरिया** : आज जिन विभागों में लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनमें इन लोगों को उच्च पद दिये जायें तो ये वहां का दलदल खत्म करेंगे, वहां से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं है, इनके फेवर में इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इन विभागों में जो लोग हैं उनके पीछे नेता हैं, नेताओं ने

(श्री मूलचन्द सामरिया)
उनको संरक्षण दे रखा है इसलिए वे भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए इन लोगों को ऐसी जगह पर रखा जाय—

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट में और निवेदन करना चाहता हूं।

आज उद्योग धन्धों की बात कही जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के बड़े भाई के छः उद्योग चलते हैं, उनको लाइसेन्स दिलवा रखा है, उसने एक करोड़ का आफर जो टाटा से मिला उसे इन्होंने ब्लेक में बेच दिया....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : स्वतंत्र पार्टी का उद्योग धन्धा खत्म होगा, इसलिए आप समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : हम लोगों के उद्योग धन्धे हो गये उस दिन आपका बोलना मुश्किल हो जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम प्रसन्न हैं, आपका उद्योग धन्धा चालू है।

श्री मूलचन्द सामरिया : ये छः उद्योग वित्त मंत्री के भाई के चलते हैं, इनको रॉ मेटीरियल का एक करोड़ का आफर दिया, उसको अहमदाबाद और दिल्ली में डाइरेक्ट बेच दिया। इसमें किसी उद्योग को और अलाऊ नहीं किया। इस बारे में जब उद्योग विभाग की मांग होगी उस समय मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

खनिज में काम करने वाले लोगों के लिए आज किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है। दौसा के पास एक खान है जिसको खान भांकरी कहते हैं—वह इसलिए बन्द की गई कि वहां मजदूरों के चढ़ने के लिए सीढियां नहीं थी, इसलिए उनका जीवन असुरक्षित समझा गया। लेकिन अब एक नेता के दबाव में आकर वह खान सरपंच के बच्चे के नाम पर दे दी गई है। अच्छा हुआ, वह खान चालू हो गई, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिस खतरे के कारण वह बन्द हुई थी, उस खतरे को दूर कर दिया जाय। वहां सीढियां बनवाई जायं, जिससे मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके।

बेरोजगारी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसके बारे में जितना ज्यादा कहते हैं उतनी ही यह बढ़ती है। न तो बेरोजगारी को मिटाने की सरकार की कोई योजना है और न ही सरकार के पास बेरोजगारों के आंकड़े हैं। हां, किसी मंत्री की सिफारिश से कोई लग गये हों—यह बात जनता जानती है। और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है दौसा की हास्पिटल में एक्सरे की मशीन नगरपालिका द्वारा 20 हजार रुपये की सहायता से लगायी गयी थी लेकिन वह काम में नहीं आती और एक्सरे मशीन फिल्म प्लेट के अभाव में बेकार पड़ी हुई है। अगर हैल्थ डिपार्टमेंट इसके लिये कुछ करे और इस मशीन को फिल्म प्लेट मुहैय्या करवाकर काम में लाया जाये तो लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। आज छोटे-छोटे एक्सरे फोटो के लिये भी लोगों को जयपुर आना पड़ता है। इसलिये इस मशीन को चालू किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

एक निवेदन और करूंगा कि हरिजनों के लिये आपने 28 प्रतिशत का प्रावधान नौकरियों के लिये रखा है। उसी प्रकार उद्योग-धंधों में भी उनके लिये 28 प्रतिशत ही नहीं, 50 प्रतिशत धंधे हरिजनों के लिये सुरक्षित रखने चाहियें। मेरा निवेदन है कि आप हरिजनों को भूखा रखकर कब तक राज्य चला सकते हैं? इनकी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिये और उनकी गरीबी हटाने के लिये उनको फैसिलिटीज उद्योग-धंधों में रिजर्वेशन करके दी जानी चाहिये।

आज मजदूरों की यह हालत है कि मजदूरों के लिये आफिसर्स हैं, मजदूरों के लिये डिपार्टमेंट है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सारा डिपार्टमेंट उद्योगपतियों के फेवर में चलता है। उद्योगपतियों के इशारे पर काम करता है और जो चीज मजदूरों के लिये बनाई गई थी वह उद्योग-पतियों के काम आ रही है, बाड़ खेत को खा रही है। इस तरफ ध्यान दें तो मजदूरों की उन्नति हो सकती है।

अभिभाषण में फर्माया गया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी रही। इसके बारे में सरकार यह बता दे कि कितने प्रदर्शनों पर लाठी चार्ज किया गया, कितनी महिलाओं का अपहरण किया गया, अखबारों में आया था कि हरिजन महिलाओं को पीटा गया, और कितने लोगों के सर फटे, कितनी बार आपने अश्रु गेस छोड़ी, अगर इन सब का व्योरा मंत्री महोदय अपने उत्तर में दे दें तो कम्पेरेटिवली मालूम पड़ेगा कि कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति रही।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लोक आयुक्त के बारे में एक मिनिट चर्चा करूंगा। इसमें चीफ मिनिस्टर को एग्जैम्प्ट किया गया है, यह नहीं होना चाहिये क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज आल्सो ए ह्युमन बीइंग, इसलिये सभी लोगों को इसके अन्तर्गत लिया जाना चाहिये।

25 प्रतिशत नैशनेलाइजेशन आफ ट्रान्सपोर्टेशन के लिये कहा गया, लेकिन आज जो मौजूदा व्यवस्था है उसको देखने से तो यह मालूम पड़ता है कि प्राइवेट बसेज भी बन्द हो जायेंगी और आपकी इनएफिशिएन्सी भी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अगर आप इसमें कुछ एफिशियेन्सी लायें, तब तो जनता को सुविधा मिल सकती है, वर्ना नहीं।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा। लोकतन्त्रीय व्यवस्था में जहां 80 प्रतिशत लोग गरीब हों वहां लोगों को सस्ता न्याय दिलाने की व्यवस्था से वंचित रखना अन्याय है। अगर सरकार जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला सकी तो वह सरकार किसी काम की नहीं है। माननीय सदस्यों का बहुमत, ओवरव्हेल्मिंग मेजोरिटी ने इस बात के लिये निवेदन किया कि जोधपुर हाईकोर्ट की एक बेंच जयपुर में स्थापित की जाये, हाई कोर्ट जोधपुर के जोधपुर में ही रहे, लेकिन एक बेंच जयपुर में भी होनी चाहिये ताकि राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। आज उनको न्याय बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर महोदय और यह सरकार इस मामले को ओवर एण्ड अबोउ पालिटिक्स से उठकर इस पर विचार करे तो सभी एग्री करेंगे कि जयपुर में बेंच

(श्री मूलचंद सामरिया)
होनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट....

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : पाइंट आफ आर्डर, सर !

श्री मूलचन्द सामरिया : आज पूर्वी राजस्थान के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको मिटाना चाहिये और हाईकोर्ट की बेंच की जो मांग है, वह स्वीकार करनी चाहिये। जय हिन्द।

और अन्त में मैं यही कहूंगा कि मैं अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जयहिन्द बोल दिया, महारावल साहब नाराज हो जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन में अपने विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनका उत्तर तो मुख्य मंत्री देंगे। लेकिन जो विचार उन्होंने राजस्थान की विषम स्थिति के बारे में रखे हैं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी चिंता व्यक्त की है और आपकी चिंता के साथ राज्य सरकार अपनी चिंता जोड़ना चाहती है। यहां यह भी कहा गया कि राजस्थान में 34,571 ग्राम हैं, उनमें से 18,498 गांवों की 1:33 करोड़ जनता अकाल की चपेट में आई हुई है और चपेट में आने के बाद जो कुछ उनको टाइमली राहत मिलनी चाहिए थी उस राहत को पहुँचाने में सरकार ने सतर्कता नहीं बरती है। यहां पर यह भी कहा गया कि सरकार की इस अकर्मण्यता के कारण राजस्थान के कुछ इलाकों में लोग भूख से मरे हैं। यहां पर यह भी कहा गया कि राज्य सरकार जो कुछ कामकाज ले रही है, वे परमानेन्ट यूटिलिटी के होने चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने छोटे सिंचाई के काम और एनीकट्स को पूरा किए जाने की बात कही। माननीय सदस्यों ने अनाज के बढ़ते हुए भाव और महंगाई की तरफ भी चिंता व्यक्त की। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान के अंदर ही महंगाई नहीं है, केवल अनाज ही महंगाई नहीं है। प्राइसेज स्पायरल पूरे भारतवर्ष में है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि दूसरी भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके भाव बढ़े हैं। इन सब के सम्बन्ध में राज्य सरकार इस देश में बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगा सके और आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर और उचित दामों में राजस्थान में अलग से कोई योजना बनाकर वितरित कर सके, यह सदन के माननीय सदस्य भी महसूस करेंगे कि इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है। देश का बजट, देश की फिस्कल नीति, इन्टरनेशनल ट्रेड, रुपए का मूल्य, डिवैल्यूएशन, करेंसी का दूसरा सम्बन्ध उनसे है और जैसा आप जानते हैं, भारत की प्रधानमंत्री ने कई भाषणों में और कई जगह अपने स्टेटमेंट्स में यह बात कह चुकी हैं कि भारत के सवा पांच लाख गांवों में से इस साल ढाई-पौने तीन लाख गांव अकाल की चपेट में हैं। जिस देश के इतने गांव अकाल की चपेट में हों जिसके लिए प्रधानमंत्रीजी ने कहा है कि हिन्दुस्तान क्रिटिकल पीरियड से गुजर रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह बात प्रधानमंत्री ने अपनी कांग्रेस पार्लिमेंटरी

(श्री परसराम मदेरणा)

पार्टी में कही है कि इस समय भारत सरकार और उसकी बहुमत वाली पार्टी टेस्ट पर है। फारेन करेस्पोंडेन्ट्स भी उनसे समय-समय पर मिलते रहते हैं। आपने उनकी इन्टरव्यूज को पढ़ा होगा, उन्होंने बराबर चिंता व्यक्त की है कि भारतवर्ष के लिए यह वर्ष बड़ी कठिनाई का है। इन परिस्थितियों में राजस्थान में जहां 18½ हजार गांव अकाल में हैं वहां देश में 2½, 2¾ लाख गांव अकाल की चपेट में हैं। इस संदर्भ में जो कुछ अनाज की कमी, चारे और अन्न के बोटिलनेक्स और स्टम्बलिंग ब्लाक्स हैं, सब कुछ होते हुए भी राज्य सरकार ने शुरू से बराबर इसको गंभीरतापूर्वक आगे रखा है। यह कह देना कि राज्य सरकार ने इस अकाल के बारे में असेसमेंट नहीं किया था, उसको भान नहीं था, वह कोई स्टेप नहीं लेना चाहती, राहत देने के लिए टाइमली एक्शन नहीं लिया, ठीक नहीं है। राहत देने के टाइमली एक्शन नहीं लिया इसके कुछ कारण हैं। उनका विश्लेषण करके मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने बात कही थी कि अकाल के सम्बन्ध में कोई न कोई नोट विभाग की तरफ से माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए। मैं अगले महीने के पहले सप्ताह में एक विस्तृत नोट तैयार करके माननीय सदस्यों को वितरित करवाऊंगा। बजट सेशन के समय कोई इस पर अलग डिबेट नहीं रखी गई है। माननीय सदस्यों की राय समय-समय पर आती रहेगी तो मेरा विश्वास है कि अनुभव के आधार पर यह वक्तव्य देना चाहता हूं कि जब कभी भी जानकारी जनता के प्रतिनिधियों की ओर से मिले, उसमें बहुत कुछ सचाई रहती है और उनका जो एसेसमेंट है, जैसे हमने अधिकारियों और कर्मचारियों को जहां राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी फील्ड पर उनको दे रखी है, उनकी तरफ से कोई भी कमी रहती है तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि उस कमी को दूर किया जाए और अकाल पीड़ित व्यक्तियों को समय पर राहत पहुंचे। जो राहत उनको आज मिलनी चाहिए अगर कल मिलती है तो उसमें बहुत बड़ी कमी रह जाती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की, मेरी भी उनके साथ सहमति है।

राज्य सरकार भी चाहती है कि राजस्थान के 1.33 करोड़ जनता को राहत मिले और किसी तरह की कमी नहीं रहे, फिजूल खर्ची न हो, और काम सुनियोजित ढंग से हो। सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आई तो हम जनता के साथ रहने वाले हैं, सरकार को डिफेंड करने वाले नहीं। मैं भी महसूस करता हूं कि यह कभी नहीं सोचा गया था कि भ्रष्टाचार होना चाहिए। राज्य सरकार का इरादा नहीं था कि इसमें कोई अनियमितता होनी चाहिए लेकिन एक कन्सीडरेशन था कि सरकार लिबरल रहे। वह इसलिए कि उस समय इम्मीजिएटली लोगों की मांग आती गई, स्टाफ लगा नहीं, नपाई नहीं हुई, कहीं ज्यादा कटौती हो गई, कहीं फिक्टीशस मस्टर रोल्स की शिकायत आई, कहीं दूसरी शिकायत आई, कुल मिलाकर राजस्थान में कितने काम हुए, कितने प्राडक्टिव वर्क्स थे, इनके ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि केवल रेत ही उड़ाई है।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं ग्राफ हैंड तो नहीं कह सकता कि 1969-70 में क्या काम लिए गए थे। मेरे पास लिस्ट है। एक ग्रोर तो यह बात कही जा रही है कि पश्चिमी राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि वहां कहीं भी सिंचाई की संभावना नहीं है, घास का प्लान्टेशन नहीं हो सकता, सैंकड़ों मीलों तक सूखा है। दूसरी तरफ ग्राप चाहते हैं कि यूटिलिटी वर्क्स ग्रभी भी लिए जायें। भीनमाल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा सड़कों के बारे में। जो लोग सोचते हैं कि सड़क का कार्य यूटिलिटी वर्क नहीं है, ग्राप चाहे डेयरी स्कीम लें चाहे दूसरी। हमने लाठी सीरीज की स्कीम ली है। वहां जो कच्ची सड़क बनी हुई है उसमें से करीब 1/3 ग्राउटले इस बात का रखा है। इसी प्रकार हम चोलिंग प्लान्ट लगा रहे हैं ग्रौर उसके हो जाने से हम पूरे हिन्दुस्तान के मार्केट से कम्पीटीशन करेंगे। इसके लिये हमारे यहां दूध लाने के लिये गांवों से सड़कों का लिन्क होना जरूरी है। कहने की तो बीस बातें कही जा सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में पिछले बीस साल से काम कर रहा हूं ग्रौर इन पिछले बीस सालों में मैं करीब-करीब राजस्थान के काफी गांव देख चुका हूं। पिछले बीस-तीस साल पहले जो गांवों में जाने की हालत थी ग्रौर ग्रब जो हालत है उसमें काफी सुधार हुग्रा है। जगह-जगह सड़कें बनी हैं ग्रौर उन सड़कों के बन जाने से ग्राज गांवों में ऐसे वक्त पर, जबकि फैमीन होता है, तो हम उन एरियाज में पानी की व्यवस्था करते हैं, चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। ग्राज ग्रगर हमें ग्रनाज पहुँचाना है तो हम वहां पर पहुँचा सकते हैं। ग्रभी पिछले चार साल पहले, जब भंयकर ग्रकाल पड़ा था तब इस ग्रोर विशेष रूप से कार्य हुग्रा है ग्रौर यह ग्राज, जो सड़कें गांवों में गयी हैं यह सब उसी की उपलब्धि है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि फैमीन के ग्रन्दर कुछ काम नहीं हुग्रा लेकिन मैं समझता हूं कि रिलीफ कार्य के काफी जगहों में काम हुए हैं। इसके ग्रलावा ग्रभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था जैसे कि भीनमाल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब राज्य सरकार को यह पता था कि ग्रकाल पड़ने वाला है, तो राज्य सरकार को पहले से ही इसके लिये राहत कार्य खोल देने चाहिये थे ग्रौर जो श्रमिकों को काम देने का लक्ष्य है वह भी जहां काम खुला है कम है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज राजस्थान में 2001 गांवों में करीब 4 लाख 61 हजार लेबर फैमीन में लगी हुई है। चाहे डी० पी० ए० पी० के ग्रन्तर्गत हो, चाहे सी० ग्रार० ई० एस० के ग्रन्तर्गत हो, चाहे नेशनल हाई वे के ग्रन्दर हो। इसी प्रकार राजस्थान कैनाल के ग्रन्दर ग्रौर इधर जैसलमेर ग्रौर बाड़मेर के इलाकों में भी काम चल रहा है, वहां भी श्रमिक लगे हुए हैं। ग्राज राजस्थान में 34 हजार गांव हैं जिनमें से करीब 16,173 गांव ऐसे हैं जो कि ग्रभावग्रस्त नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन गांवों के ग्रासपास जहां कि फैमीन है यहां के लोगों को काम मिला है वो भी करीब एक लाख ग्रौर कुछ हजार लेबर काम कर रहे हैं, जिन्हें काम मिला है। इस प्रकार ग्राज पूरे राजस्थान में 6 लाख ग्रौर तीस हजार श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। तो यह

(श्री परसराम मदेरणा)

कहना कि बहुत कम काम लोगों को दिया है वह गलत है, क्योंकि अभी पिछले 15 दिनों में करीब 4 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच इन फेमीन एरियाज में करीब 10 से लेकर 12 हजार श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और राज्य सरकार की यह नीति है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जायें। यहां पर विधान सभा में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने समय पर एक्शन नहीं लिया और अगर राज्य सरकार इस ओर सतर्कता से काम लेती तो अकालग्रस्त क्षेत्र में जनता को तकलीफ हुई, वह नहीं होती। मैं माननीय सदस्यों की इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। आप इससे इनफरेन्स ड्रा कर सकते हैं कि राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन 17 अगस्त की रात को समाप्त हुआ और उस दिन भी रात को फेमीन के ऊपर ही चर्चा चल रही थी, ऐसा आप लोगों को याद होगा। उसके बाद 22-23 तारीख को ही मैं जालौर और बाड़मेर गया था और वहां पर मैंने इसका इन्डीकेशन दिया था कि अकाल पड़ सकता है। इसके लिये मैंने यह भी कहा था कि अबकी बार अकालग्रस्त लोगों के श्रमिकों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड बनाये जायेंगे। इसमें आज राजस्थान में, चूंकि अकालग्रस्त एरिया के अन्दर करीब एक करोड़ और 33 लाख की पोपूलेशन आजाती है, इसमें उनके आईडेन्टिटी कार्ड बनने में समय तो लगता ही है। यह आईडेन्टिटी कार्ड बनाने का हमने उस तरह किया जिस तरह कि सन् 1971 में सेन्सस हुआ था। यह इसलिये किया गया ताकि झूठे मस्टर रोल नहीं बन सके, फिक्टिसिस कार्ड बन नहीं सकें, गोस्ट कार्ड नहीं बना सकें। अब जो भी मस्टररोल बनेंगे वे सभी इन्हीं आईडेन्टिटी कार्ड से बनेंगे और इन आईडेन्टिटी कार्ड पर कलेक्टर की सील होगी और उन मस्टर रोल पर भी कलेक्टर की सील होगी ताकि पहले जो अकाल के वक्त शिकायतें आयी कि झूठे मस्टररोल बनाये गये, फिक्टिसियस परसन्स और गोस्ट परसन्स के नाम लाखों रुपये के गोलमाल होने की शिकायतें राज्य सरकार के पास आयी वह नहीं रह सके। यह सब कार्य सितम्बर तक क्लीयर हो गया। इधर 24 अगस्त के बाद जालौर और बाड़मेर के अन्दर वर्षा हो गयी जिससे कि यह इलाका अकाल से बच गया। वरना तो भयंकर अकाल पड़ता। इसका असर यह हुआ कि इस जालौर और बाड़मेर इलाके की करीब 5 लाख मवेशी जो हमेशा इधर उधर अकाल के कारण जाती है, वह नहीं गयी। इसके लिये जो मवेशी वर्षा होने से पहले जो एक लाख की करीब वहां से रवाना हो चुकी थी वह वापस जोधपुर से जैसलमेर की तरफ गयी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इन मवेशियों को वापस लाने में खर्चा करना पड़ता। इसी प्रकार करीब एक लाख मवेशी, जो जैसलमेर और आसपास के इलाकों से निकल कर बाड़मेर की सीमाओं पर घूम रही थी वह भी वापस आ गयी। माननीय सदस्य कहते हैं कि राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया वह गलत है। मैंने 27 तारीख को रिलीफ की मीटिंग राजस्थान के सभी अधिकारियों की की उसमें हालांकि राज्य सरकार ने कोई सरक्यूलर तो इश्यू नहीं किया पर मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को चेतावनी दे दी थी कि करीब 15 से लेकर 16 हजार गांव राजस्थान में

Page No 72

(72)

(श्री परसराम मदेरणा)

अकालग्रस्त होने का खतरा है। तो यह कहना कि राज्य सरकार सतर्क नहीं थी गलत है। मैंने उन्हें कह दिया कि इसके लिये वे तैयार रहें और अपने क्षेत्र के गिरदावरी और पटवारियों की रिपोर्ट तैयार रखें। यह राज्य सरकार की जानकारी में थी, इस साल भी भयंकर अकाल पड़ने वाला है तो माननीय सदस्यों ने जो यह कहा कि राज्य सरकार ने टाइमली एक्शन नहीं लिया उसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इधर अक्टोबर में हमने 4 तारीख को मन्त्रिमण्डल में यह निर्णय लिया कि क्रेश प्रोग्राम का काम चालू किया जाये। इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि जहां-जहां पर अकाल की स्थिति बन गयी है वहां पर कलेक्टर्स को, राजस्थान के 24 कलेक्टर्स उन्हें यह पावर दे दी कि वे इमीजियेट रिलीफ के लिये 5 हजार रुपये अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये खर्च कर सकते हैं ताकि वहां की जनता भूख से नहीं मरे। इसके अलावा जिन-जिन एरिया में अकाल की वजह से, जो मवेशी दूसरे प्रान्तों में जाती थी वह अबकी बार इतनी बाहर नहीं गयी। हमारा अन्दाज था कि करीब 3 लाख मवेशी दूसरे प्रान्तों में जायेगी पर वह करीब 1 लाख 80 हजार मवेशी ही दूसरे प्रान्तों में निष्क्रमण हो सकी। तो उनके चारे के लिये भी हमें डिपोज खोलने पड़े। दूसरे प्रान्तो से हमें चारा नहीं मिल सका तो हमने राजस्थान के एक जिले से दूसरे जिलों में चारा उनके लिये पहुंचाया। इसके लिये हमें कई जगह माइग्रेशन डिपोज खोलने पड़े। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चार-पांच सालों में सिर्फ संवत् 2027 को छोड़ कर राजस्थान में अकाल हीं पड़ा बाकी हमेशा राजस्थान में अकाल पड़ रहा है। आखिर इसमें काम करने में समय तो लगता ही है। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जहां पर ड्रिंकिग वाटर की तकलीफ है फेमीन एरिया में हम वहां पर पानी ट्रान्सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर ट्यूबवेल लग सकते हैं वहां पर हमने कलेक्टर्स को आदेश दे दिया है कि ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था की जाय। करीब तीन सौ ग्रामों में पानी ट्रान्सपोर्ट किया जा रहा है। और उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवेल की कार्यवाही भी चल रही है। उसके साथ-साथ अगस्त के महीने में जिन जिलों में पिछले साल अकाल था और अभी भी अकाल है, ड्रिन्किग वाटर के लिये 25, 30 हजार रुपया दिया है। कलेक्टर की शिकायत आयी थी कि पानी की कमी है और उसके लिये कुओं को गहरा खुदवाना पड़ेगा 4 अक्टूबर को आदेश दिये। फोरेस्ट प्रोड्यूस को रेवेन्यू के हेड में कलेक्टर उनको नीलाम करता है, जो फारेस्ट डिपार्टमेंट की प्रोड्यूस हैं घास, पानड़ी उनकी नीलामी बन्द कर दी जाय। यह आदेश दिये हमने 4 अक्टूबर को, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके जो पशु पालन करने वाले हैं।

अक्टूबर में यह भी निर्णय लिया कि चारे की समस्या बीकानेर में शुरू से है और गंगानगर के कुछ गांवों में भी रहेगी। गंगानगर के कुछ गांव इफेक्टेड थे। जैतपुरा के फार्म में 180 एकड़ में हरी घास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उगायी। काफी बड़ी है और आगे आने वाले दिनों में इसका वितरण शुरू कर दिया जावेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

हमने यह भी स्टेप लिया कि 25 अक्टूबर को कलेक्टर्स की कान्फ्रेन्स बुलायी थी, उनको भी कुछ बातों के आदेश दिये गये कि आपको टाइमली मदद देने के लिये हांलाकि रिलीफ वर्क्स के आदेश नहीं दिये गये जिन्सवार गिरदावरी न होकर रेगुलर कार्य शुरू नहीं हो सकते थे, इसलिये जल्दी गिरदावरी करवा कर राज्य सरकार के पास भेजे। सेप्टेम्बर में ये भी निर्णय लिये गये कि जो पश्चिमी जिलों में कार्य चल रहे थे वे बन्द नहीं किये जावेंगे। लैंड रेवेन्यू, तकावी की वसूली जो गांव इफेक्टेड हैं वहां पर, स्थगित करें और उनमें वसूली नहीं होगी। आज भी कोई वसूली नहीं हो रही है।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के बराबर इसका जायजा लेने के बाद 18 हजार गांव अभाव में आ रहे हैं। सेन्ट्रल स्टडी टीम को इन्वाइट किया। एक स्टडी टीम यहां आयी। माननीय सदस्यों ने मनचन्दा कमेटी के सम्बन्ध में काफी अपने विचार व्यक्त किये। स्टडी टीम पहले भी आयी, मई के महीने में। उसने कहा कि राज्य सरकार जो सीलिंग में से खर्च कर रही है उसको वह खर्च नहीं करना चाहिये। दूसरी बात यह कही कि 50 परसेन्ट सब्सिडी सौइल कन्जरवेशन के काम में नहीं ली जानी चाहिये। प्लान में 25 परसेन्ट सब्सिडी है और 25 परसेन्ट लोन कम्पोनेन्ट है इनकम्पलीट कार्य, जो फैमीन के समय बाकी बच गये थे, उनको पूरा कराया जाय। जो काम शुरू करते हैं उसको स्टिपुलेटेड टाइम में पूरा करना पड़ेगा। कम्पोनेन्ट में से खर्च करना पड़ेगा। सौइल कन्जरवेशन का जहां तक सवाल है, उसके लिये उसको एक्ट के अन्तर्गत फार्म भरना पड़ता है काश्तकार को। मेरी यह स्थिति नहीं है कि 50 परसेन्ट पर यह काम हाथ में ले सकूं।

इसके सन्दर्भ में यह भी निवेदन करूं कि 8 जनवरी तक दूसरी स्टडी टीम ने यहां आने की छुट्टी रखी। कोई इन्डीकेशन नहीं आया तो मंत्रिमंडल को यह निर्णय करना पड़ा कि 30 परसेन्ट मेटीरियल कम्पोनेन्ट है, सौइल कन्जरवेशन की कास्ट पर खर्च किया जा सकता है रेगुलर काम शुरू हो जाने चाहियें। सेन्ट्रल स्टडी टीम का 4 करोड़ 39 लाख रुपया और पिछले फैमीन का 1.40 करोड़ रुपये का इन्डीकेशन मुख्य मंत्रीजी का और मुझे मिला। प्रधान मंत्री के सामने तमाम स्थिति को स्पष्ट रूप से रखा। अनाज की भी स्थिति रखी। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं स्टडी टीम की कुछ भी रिकमन्डेशन होने के बाद भी राहत के कार्यों में, ढिलाई न होकर, बराबर यह चलते रहेंगे और किसी प्रकार मजदूरों की संख्या पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते हैं यह निर्णय ले चुके थे। जो टेक्निकल स्टाफ लगाया वह भी जोइन नहीं कर रहा था। इसको स्टीम लाइन करने के लिये आदेश निकाले जनवरी में कि 5 फरवरी तक जो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स हैं और स्टाइपेन्ड होल्डर्स हैं वे जोइन नहीं करेंगे तो उनका नाम लिस्ट में से हटा दिया जावेगा। हमारा मकसद यही है कि ठीक प्रकार से सर्वे हो, एस्टीमेट तैयार हो। इस तरह काम में लेने में कुछ अनियमिततायें होती हैं वहां पर स्टाफ नहीं लग सका। आज जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश के बाद काफी संख्या में लोगों ने जोइन कर लिया।

(श्री परसराम मदेरणा)

10, 12 हजार श्रमिकों का काम बराबर चलता रहेगा जब तक लोगों को रोजी पर नहीं लगा देते हैं।

सेन्ट्रल स्टडी टीम की हिन्दुस्तान के 500 जिलों में स्कीम चल रही है। फ्लड में जो कुल मिला कर इस साल 20 करोड़ के आसपास है, दूसरा 6 करोड़ का खर्चा आउट-ले का था नेशनल हाई वे, इरिगेशन के काम में फिजिकल शार्टफाल न हो इसके लिये भी स्टेप लिये गये। जो इरिगेशन के सेन्टर्स हैं वहां पर अगली साल खर्च हो जावेगा। फिजिकल टारगेट्स पूरे अचीव कर लिये जावेंगे। सेन्ट्रल स्टडी टीम का ऐसा सोचना था कि पहले 68 के फेमीन में भी किया था। कुछ जिलों में लिया। कुछ जिलों में कमियां थीं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिये नेशनल हाई वे के कामों पर, सौइल कन्जरवेशन आदि के कामों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं। सेन्ट्रल स्टडी टीम आयी उस वक्त में और आज में काफी अन्तर है। पिछले साल 3½ करोड़ रुपयों में से एक करोड़ खर्च हुआ। इस साल वे काम बन्द करने पड़ेंगे। डेवलपमेन्ट कमिश्नर ने आदेश जारी किये। वह लेबर बेकार हो जावेगी। उसको उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। उस चीज को एश्योर करने के लिये ये स्टेप लिये।

महंगाई को देखते हुए श्रमिकों के दैनिक मजदूरी में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 5 फरवरी को मंत्रिमंडल के सामने यह मसला आया। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि कई जगह कटौती जरूर हुई है, फैमीन का लेबर उस प्रोफार्मा से नहीं कर सकता है उसमें भी 20 परसेन्ट की कमी है, आज ढाई तीन रुपया है। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं थी। उनके वेजेज में बढ़ोतरी हो जावेगी ताकि वे इस महंगाई के जमाने में अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

केजुअल रिलीफ में 75 नये पैसे अपाहिजों को दिये जाते हैं। उनकी संख्या राजस्थान में 18 हजार के आसपास है। पर हमने निर्णय लिया कि दिसम्बर के एण्ड में निर्णय लिया कि 1 जनवरी से महंगाई को देखते हुए इनका एक रुपया कर दिया जाय। इस पर भी कुछ को एतराज है, हमारे लोगों को कि आसपास के प्रदेशों में वही 75 पैसा है। पर हमने अपने अनुभव के आधार पर इसे करना ठीक समझा है।

दौसा से आने वाले, सांचोर से आने वाले और दूसरी जगहों से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की कि ओल्ड ऐज पेन्शनर्स के रूल्स को सिम्प्लीफाई किया जाय। उन्होंने एक बात और कही कि समाज कल्याण विभाग भी ऐसी पेन्शनें नहीं दे रहा है। हमने तय किया है कि नये बजट में प्रोवीजन आने से पहले इनको फेमीन के मद में से मार्च के एण्ड तक रकम दी जावे। इस प्रकार के मामले मेरे सामने जिलाधीश बाड़मेर और बाड़मेर रिलीफ एडवाइजरी कमेटी के सामने भी आये थे। वहां कलक्टरी के सामने एक बुढ़िया बैठी भी थी। तो उनकी सुविधा के लिये हमने यह किया कि मार्च तक किसी तरह से काम चल सके।

पेडीग्री सांड-भैंस को भी 37½ रुपया देने की बात हमने तय की है और विकास अधिकारी, और डिस्ट्रिक्ट एनीमल

(श्री परसराम मदेरणा)

हस्बेण्डरी वालों के द्वारा सर्टिफिकेट इश्यू करने पर भैंस-सांड को भी यह रकम हर साल दी जाती रहेगी। इसके आदेश भी प्रसारित कर दिये गये हैं।

इसके बाद, मैं जैसा पहले निवेदन कर चुका हूं, जो कुछ स्टाफ का नार्म्स था कि एक हजार पर एक ओवरसीयर रहेगा और ईरिगेशन में जिसका काम ज्यादा टेक्निकल है वहां 500 पर एक रहेगा। इस टास्क को भी हमने बी. एस. आर. के साथ रिलेट कर दिया है। मेजरमेंट बुक के भरने में भी अधिक समय लगता है, तो यहां भी हमने पांच सौ पर एक ओवरसीयर कर दिया है।

राजस्थान में जितनी लेबर लगाई जा रही है उसके अनुपात से ही हमने टेक्निकल लोगों को भी लगा दिया है, जैसे ओवरसीयर, असिस्टेण्ट इन्जीनियर आदि। ये हमने जिलाधीशों को और टेक्निकल अधिकारियों को उपलब्ध करा दिये हैं।

इस सारी स्थिति को नजदीक से देखने के लिये और आन दी स्पाट पर आवश्यकता होने पर राहत पहुँचाने के लिये यह निर्णय भी लिया गया कि एक-एक एरिया में एक-एक मिनिस्टर को इन्चार्ज बना कर बिठा दिया जाय। इसी तरह इनको यह भी अधिकार दिया है कि स्पाट पर और भी काम वे जरूरी समझें राहत देने के लिये, तो निर्णय लें। जिला रिलीफ कमेटी 25 हजार तक के काम जरूरी समझे तो तुरन्त आरम्भ कर सकती है और बाद में फोर्मल संक्शन दे दी जावेगी ताकि राहत में देरी न हो।

69-70 की तरह राजस्थान सरकार ने इस साल भी यह निर्णय लिया है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर वेजेज पेमेन्ट नहीं करेंगे। पेमेन्ट का प्रबन्ध सेपरेट होगा। इसके लिये हमने करीब 109 तहसीलदारों को पोस्ट किया है और इनके नार्म्स फिक्स किये हैं। असिस्टेन्ट इन्जीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, ओवरसीयर स्पाट पर रहेंगे। बाकी महीने भर में वे कितने दौरे करेंगे, इन्सपेक्शन करेंगे और सीनियर अफसर को रिपोर्ट देंगे इस पर भी नार्म्स फिक्स किये हैं।

राजस्थान में रिलीफ का काम ठीक तरह से चले इसके लिये बहुत बड़े अमले की जरूरत होती है। टेक्निकल आदमियों की जरूरत होती है ताकि टाइमली काम हो। इनके लिये जीप का प्रबन्ध भी हमने किया है। पुरानी जीपों को हम ठीक कर रहे हैं कुछ तो जो मिल रही हैं हमें। रेवेन्यू एजैन्सी के पास बहुत पुरानी जीपें थीं उनको ठीक किया है। बाकी 100 नई जीपें खरीद रहे हैं। पचास तो आठ-दस दिन में ही मिलने वाली हैं, पचास डिफेन्स मिनिस्ट्री से रिलीज करवाई हैं।

पानी के लिये चार बाई चार के ट्रेलरों की जरूरत होगी। वे भी रिलीज करवाई हैं। मरसीडीज हम चाहते हैं ताकि इन्टीरियर में ठीक काम दे सकें। वैसे ब्यावर जैसी जगहों पर और दूसरी जगहों पर पानी के प्रबन्ध के लिये दो बाई दो के ट्रेलर भी हमने खरीदना ठीक समझा है। कुछ भी करेंगे पर पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं रुकेगा। जिलाधीशों को टेण्डर इन्वाइट करके लोएस्ट रेट एक्सेप्ट करके पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिये भी कह

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया है। प्रोजेक्ट की कुछ दूसरी जीपें भी पड़ी थीं उनमें से 160 जीपों को रिपेअर करने का भी आदेश दिया है ताकि वे भी टेक्निकल स्टाफ को सुपरवाइज के लिये दी जा सकें।

मैं निवेदन कर दूं कि इस बार हमारे सारे पड़ौसी प्रदेश भी सूखे की चपेट में हैं। हरियाणा सूखे में है, गुजरात सूखे में है। मध्यप्रदेश भी सूखे मे है। इसलिये पहले जहां पर डे हमें 300-डेढ़ सौ वेगन चारे के मिल जाते थे, इस साल उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। इसमें भी प्रायरिटी मिलती है इसकी प्रायरिटी सी है। दूसरी प्रायरिटी फूड की है। पहली मिलिटरी कन्साइनमेंट की है। तो इनके अभाव में हमने टेण्डर इन्वाइट करके ट्रांसपोर्ट का प्रबन्ध किया है। जिस किसी भाव पर ट्रांसपोर्टेशन हमें मिलेगा। 6 करोड़ का चारा भेजने की हमने योजना बनाई है। आवश्यकता होगी तो दूसरे जिलों को भी भेजने की व्यवस्था करेंगे। पर पहली साल की तरह हम कर सकेंगे इसकी सम्भावना कम प्रतीत होती है।

जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में हमने कैटल फीडिंग सेन्टर कायम कर दिये हैं। आज भी जो संस्थाएं इस काम में आगे आ रही हैं उसमें एक रुपया फी मवेशी देने का प्रावधान है। इसमें से पचास पैसे राज्य सरकार का अनुदान होगा। 30 नये पैसे इसमें से गो-पालक का है और 20 नये पैसे वालन्टियरी ओर्गेनाइजेशन वाले देंगे। राजस्थान गो-सेवा संघ ने पहले भी काफी अच्छा काम किया है। यह एक रिलायेबल संस्था है इसलिये हमने उनका पन्द्रह पैसा रखा है उनकी मांग दस की है। तो इस योजना को भी प्रारम्भ किया है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जो आज राहत के काम, पीने के पानी की राहत, पशु के संरक्षण के लिये उठाये जाने वाले कदम और जो प्रभावित कदम हैं उनको रोजी लगाने का काम ; इन तीनों में योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग जिलों में टार्गेट्स लेकर चल रहे हैं। हमको जो कुछ इस साल असिस्टेन्स मिली है वह 5 करोड़ 81 लाख मार्च के अन्त तक थी। सेन्टर स्कीम आ गई है। इस सदन के माननीय सदस्यों को इस सत्र में मालूम हो जायगा कि उन्होंने क्या रिकमण्डेशन की है और भारत सरकार का योजना मन्त्रालय किस योजना को कितना हेर-फेर के साथ मानता है या कैसे मानता है? लेकिन राजस्थान सरकार का केस प्रस्तुत करने में, बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे, मनचन्दाजी से मैंने पांच तारीख को बात की थी कि आपको एटरेन्डम किसी ढ़ाणी या झोंपड़ी में घुसना चाहिये। आप कह रहे हैं राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं, राजस्थान में तो अकाल पड़ते रहते हैं या नार्मल फीचर हैं। राजस्थान के लोगों को भूख नहीं लगती, अनाज की कमी आने के बाद वे खड़े नहीं होते। आप यह कैसे असेसमेन्ट कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में एक साल अकाल पड़े। राजस्थान में 1938 से 64 तक हजार दो हजार गांवों को छोड़ दीजिये लेकिन एक ऐसा लम्बा अकाल नहीं पड़ा। 64 के बाद 72 तक हर दूसरे-तीसरे साल के अन्दर कभी आधे में, कभी एक-तिहाई में और कभी वन-फोर्थ में राजस्थान में अकाल की स्थिति

(श्री परसराम मदेरणा)
बराबर रही है। उसके साथ दूसरे देवी प्रकोप 68 में, 70 में, 70 के बाद 71 में और 71 के बाद 72 में फ्लड की स्थिति बन जाती है। दोनों प्रकार की मार राजस्थान की जनता को पड़ती है। जो भी राहत के काम, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी निभाने के काम होते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है।

यहां पर करप्शन के सम्बन्ध में बात कही गई। मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं। हमने स्टेप्स लिये हैं। इस सदन के माननीय सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं उसमें जो काम हो रहा है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता हो रही हो और उनकी जानकारी में हो तो हमें बतायें हमने करप्शन फ्लाइंग स्क्वेड भी मुकर्रर किया। हम उसको कहां भेजना चाहेंगे और कहां नहीं भेजना चाहेंगे राजस्थान के किसी भी कोने में भेजेंगे ताकि वह एक्शन ले सके।

इस तरह माननीय सदस्यों को अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं, इस सत्र के अन्दर एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिये, काल अटेन्शन के जरिये, क्वेश्चन के जरिये और उसके अलावा जो कुछ कमी किसी इलाके में रह रही है उस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान दिलायेंगे तो राज्य सरकार प्रोम्प्ट एक्शन लेगी और इफेक्टिव एक्शन लेगी। यहां पर माननीय सदस्या .. दूसरी बात है मनचन्दा के सम्बन्ध में और स्कीम के सम्बन्ध में कही। यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सोचने की बात है लेकिन राजस्थान के पक्ष को पहली दफा और इस वक्त भी सभी अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए रिलीफ के मेजर लेने के लिये किन-किन ऑर्गेनाइजेशन की ओर किस-किस साधन की जरूरत होगी, इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, जहां डाउट था वहां क्लियर किया है।

मैंने ऑफिसर्स की टीम को लीड करके ढ़ाई-तीन घंटे बात की है और आगे भी मुख्य मन्त्रीजी ने पूरी स्थिति टीम के सामने रखी है। मैं समझता हूं पहले उनके क्या असेसमेन्ट के कारण रहे हैं लेकिन अब उनके असेसमेन्ट रियेलिस्टिक होंगे। अकाल की विषमता और सीवियरिटी स्वयं प्रधानमन्त्री के अनुसार और मैं समझता हूं जब उनको यह जानकारी है तो कोई कारण नहीं होता कि राजस्थान के पीड़ित लोगों को राहत नहीं पहुंचे और सेन्ट्रल असिस्टेन्स नहीं मिलेगी।

फूड के सम्बन्ध में यहां बात कही गई, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, फूड के सम्बन्ध में। लेकिन राज्य सरकार के पास में स्टॉक कतई नहीं है। हम जो कुछ डिपेन्ड कर रहे हैं, भारत सरकार के अलॉटमेन्ट पर कर रहे हैं और भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। हिन्दुस्तान के दो-तिहाई हिस्से में अकाल है और कई डेफिसिट स्टेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है।

इसके साथ एक लाख शरणार्थी आये, हमारे स्टॉक में कमी (पुनः) एक करोड़ के आने के बाद में भी उनको असिस्टेन्स उस असिस्टेन्स के बाद में रबी के प्रोडक्शन की, उसमें भी कमी है। अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली ऐसे जिले हैं जहां हजारों छोटे-छोटे सिंचाई के तालाब हैं। 2-4 को छोड़ दीजिये सबके

Page No 78

(78)

(श्री परसराम मदेरणा)
सब खाली हैं। रबी का प्रोडक्शन तो नहीं करते हैं लेकिन इन तालाबों के जरिये जो कुए हैं उनसे बहुत बड़ी सिंचाई होती है। अकाल पड़ जाता है जहां अन्डरग्राउण्ड वाटर नहीं है।

इन परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान के अन्दर एक करोड़ 33 लाख की पापूलेशन अभाव से ग्रसित हैं। उसके बाद अरबन पापूलेशन है 55-60 लाख के आस-पास, इसकी भी पूरी आवश्यकता को मीट करना पड़ता है। वहां भी लोगों को बराबर अनाज मिले, यह भी समस्या हमारे सामने है। अगर 8 किलो अरबन पापूलेशन का हिसाब लगावें तो डेढ़ लाख टन की आवश्यकताहै।

भारत सरकार से पिछले तीन महीने से मांग कर रहे हैं 95 थाउजैन्ड्स टन अनाज हमको मिलना चाहिये जो बेयर मिनिमम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपका ध्यान प्रधान मन्त्रीजी के वक्तव्य की ओर दिला दूं जिसमें उन्होंने कहा कि खाद्यान्न की कमी इतनी नहीं हैं। ये होर्डर्स जबरदस्ती कमी को क्रियेट करना चाहते हैं। जितनी कमी थी उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसलिये प्राब्लम यह नहीं है बल्कि जो कुछ प्राब्लम है वह यह है कि स्टॉक को होर्ड कर रहे हैं और महंगाई करने की दृष्टि से निकाल नहीं रहे हैं। इसलिये जो वक्तव्य आपने दिया कि हमारे पास स्टॉक नहीं है लेकिन निजी और लोग हैं उनके पास स्टॉक है। आज गेहूं किसी भी भाव बिक रहा है, उसको कह सकते हैं और फिर प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया उसकी दृष्टि से सारे हिन्दुस्तान को एज ए होल देखें तो इतनी कमी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। बहरहाल रबी की फसल खराब नहीं हुई है। वह स्टॉक यों का यों मौजूद है। अब आपके वक्तव्य से महंगाई और क्रियेट होगी। यह वास्तविक स्थिति से परे है। होर्डर्स को ये मदद देंगे इसलिये सही स्थिति रखें।

श्री परसराम मदेरणा : स्थिति तो मैं रख ही रहा था, मुझे रखने नहीं दी। मैं निवेदन कर रहा था कि रबी में राजस्थान के अन्दर गेहूं की ज्यादा पैदावार होती है और गेहूं की आज भी स्थिति यही है कि पूरा कन्ट्री एज ए होल आज राजस्थान का गेहूं गुजरात और महाराष्ट्र में जाता है तो राज्य सरकार किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट पर नहीं लगा सकती और न दूसरी स्टेट्स ही लगा सकती हैं। एक-दो स्टेट्स ने रेस्ट्रिक्शन की बात कही लेकिन भारत सरकार ने उसके लिए मना कर दिया और डाइरेक्टली लोगों को कह दिया कि आप ले जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने लेवी लगाई, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में कुछ मोटे अनाज की लेवी आनी चाहिए। कुछ जो बड़े-बड़े प्राड्यूसर्स थे उन्होंने और व्यापारियों ने सांठगांठ करके इस अनाज को अन्दर रख लिया। हम यह भी जानते हैं कि आजकल जो स्टॉक है जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी राजस्थान में लाखों टन अनाज है। लाखों टन का तो आज प्रश्न नहीं है हमने कहीं भी फूड ग्रेन लाइसेंसिंग आर्डर के तहत छापे मारे हैं तो व्यापारियों को स्टेटमेन्ट देना होता है, या गोडाउन्स हैं, उसकी इत्तला देनी होती है, लेकिन वह करीब-करीब

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टॉक का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। काश्तकारों को भी डिक्लेरेशन करने के लिए कानून में पाबन्दी थी लेकिन काश्तकारों ने नहीं किया है और डीलर्स को फूड ग्रेन्स लाइसेंसिग ऑर्डर के तहत डिक्लेयर करने की पाबन्दी थी उसके अन्दर तो वे कर रहे थे लेकिन जो यह अनाज है इसको हम किस तरह से ले सकते हैं। हमने भारत सरकार से बातचीत की।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक बात !

श्री फूलचन्द जैन : पूरा कर लेने दीजिए फिर कह दीजियेगा।

श्री परसराम मदेरणा : और भारत सरकार से बातचीत करने के बाद भारत सरकार ने दोनों के लिए राजस्थान फूड ग्रेन्स प्रिवेन्शन ऑफ होर्डिंग ऑर्डर निकाला है। इसके अन्दर कोई भी प्राड्यूसर राजस्थान के अन्दर 45 क्वि. से ज्यादा अनाज नहीं रख सकता और इस 45 क्वि. का भी उसको स्टेटमेन्ट देना होगा। इसके अलावा इस 45 क्वि. में 20 क्वि. तो गेहूं और 25 क्वि. दूसरे अनाज रख सकता है। यदि गेहूं उसके पास नहीं है तो दूसरा सब प्रकार का अनाज वह 25 क्वि. से ज्यादा नहीं रख सकता है। इसी तरह से हमने डीलर्स के ऊपर भी पाबन्दी लगाई है कि वह 100 क्वि. से ज्यादा अनाज नहीं रख सकता और 100 क्वि. में 50 क्वि. तो गेहूं और 50 क्वि. दूसरा अनाज है। यह प्रिवेन्शन ऑफ होर्डिंग ऑर्डर दूसरी स्टेट्स में भी है और उन्होंने यह लिमिट 500 क्वि. लगाई है, जब कि हमने 100 क्वि. की लगाई है और इसके लिए स्टेटमेन्ट प्राड्यूसर और डीलर्स को 16 फरवरी तक देना था और इसके बाद में हमने दो-तीन दिन चूंकि 13 तारीख को ऑर्डर गजट में पब्लिश हुआ है, इसलिए हमने कह दिया कि चूंकि सब को इत्तला नहीं थी और सिर्फ स्टेटमेन्ट देना था, लेकिन हमने इस बात का भी प्रावीजन रखा है कि जब कभी भी हमें आवश्यकता होगी किसी भी क्वान्टिटी की एक प्राईज जो भारत सरकार ने तय की है हारवेस्ट की 15 दिन पहले की तारीख उस पर पूरा का पूरा अनाज या उसकी कुछ क्वान्टिटी राज्य सरकार रिक्वीजीशन कर सकती है और इसलिए मैं ऐसे होर्डर्स जो इस राजस्थान में हैं, उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने स्टॉक के अलावा आठ-दस दिन के अन्दर माल लोगों को और कन्ज्यूमर्स को नहीं बेचा तो राज्य सरकार बहुत ही इफेक्टिव कदम उठाने वाली है, इतना ही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं।

यहां पर सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि 48 रुपये के अन्दर लिया हुआ बाजरा आपने जो 1970 में खरीदा था और वह बाजरा कहां है ? वह बाजरा आक्शन कर दिया गया और इसलिए हमारे पास में वह बाजरा नहीं है। लेकिन वह आक्शन 1971 के अन्दर अक्टूबर या नवम्बर में किया गया था हालांकि उस समय मेरे पास इस डिपार्टमेन्ट का चार्ज नहीं था और खरीदा मैंने इसलिए था कि उस समय प्रोक्योरमेन्ट प्राईज के नीचे भाव गिर गए और बाजरे का 30-32 रुपये क्वि० का भाव हो गया था। अकाल में 100 रुपये क्वि० का भाव था और उस समय बहुत

(श्री परसराम मदेरणा)

जबरदस्त फसल हुई और मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 1970 में भारत सरकार के पूरे देश में 100 मिलियन टन प्रॉडक्शन के एस्टीमेट्स थे और प्रॉडक्शन 1970 में 108 मिलियन टन हुआ। वह क्राप अच्छी थी इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय भाव गिर गए इसलिए उस समय बाजरा खरीदा। उसमें लॉस हुआ होगा। मैं इतना और निवेदन कर दूं कि उस समय में जिस तरह के भाव थे बाजरा तीन साल के बाद खराब हो जाता है। दो साल तो वह राज्य सरकार के पास था। यह निर्णय हाइएस्ट लेवल पर हुआ है, कोई नीचे के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि आपने 76 के भाव में गेहूं खरीदा और फिर प्राफिट किस बात की कर रहे हैं। 76 रुपये की प्रोक्योरमेन्ट प्राईज भारत सरकार की है इसी पर सारे हिन्दुस्तान में प्रोक्योरमेन्ट किया गया यह सेन्ट्रल पूल के लिए था और भारत सरकार की 78 रुपये की इश्यू प्राईज है और 78 रुपये की इश्यू प्राईज होने के बाद ओवरहैड चार्जेज 17 रुपये प्रति क्विंटल का सबसिडाइज किया है। और सबसिडी का मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार अनाज के थोक व्यापार से पीछे हटने वाली है लेकिन मैं यह कह रहा था कि आज 7 रुपये तो हमारे चार्जेज आ रहे हैं और पूरे हिन्दुस्तान में आप देख लीजिए कि इश्यू प्राईज 85 रुपये किसी भी स्टेट में नहीं है। हमने बीच में होलसेलर को नहीं रख कर 85 रुपये की प्राईज रखी है और इसमें हमने 7 रुपये ओवरहेड चार्जेज भी रखे। हिन्दुस्तान में कहीं भी 90 रुपये से कम कहीं नहीं है लेकिन हमने 85 रुपये प्राईज रखी है और सबसिडाइज कर रहे हैं।

मैं निवेदन कर दूं कि एक बात मक्का के लिए कही गयी कि दिसम्बर में जो राजस्थान की स्टेट को 20 हजार टन मक्का आवंटन हुई थी वह लेप्स क्यों हो गयी और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि जो कुछ अनाज आज देश में जा रहा है वह भारत सरकार के सेन्ट्रल पूल से जा रहा है और उसके अलॉटमेन्ट के बाद में भारत सरकार की रेल्वे मिनिस्ट्री और एफ. सी. आई. यह कह देती है कि जितना कोटा दिया है वह सबका सब हम भेज देंगे। वह इस तरह से पहले भी भेज रहे थे, पिछले वर्ष में भी भेज रहे थे लेकिन दिसम्बर में रेल्वे वैगन के बाटलनेट होने के कारण से जो कि कारण हमें बताया गया है, मैं सदन को कह दूं तो हर्ज नहीं है कि कुछ बंगला देश को वैगन गये थे, वहां पर लाइन की वजह से और यहां पर रुक जाने की वजह से वैगन्स की कमी रह गयी। तो हम सोच रहे थे इसको भिजवाने की व्यवस्था भारत सरकार कर देगी और उन्होंने हमें इसकी इनफार्मेशन भी नहीं दी और हमको माइलो दिया बाम्बे से। रेल्वे से भेजा, ब्राड गेज या मीटर गेज से भेजा और नहीं भेजेंगे तो राजस्थान के ट्रक ओनर्स को तो हम पंजाब में जाने नहीं देना चाहते हैं लेकिन पंजाब के ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर से बात करके हम पहले भी 2300 टन जनवरी में लाये थे और जो भी लेप्स हुआ इसमें हमारे दो अधिकारी एक तो सीनियर अकान्ट्स ऑफिसर और एक आई. ए. एस. अधिकारी

Page No 81

(81)

(श्री परसराम मदेरणा)

भी दिसम्बर के महीने में पंजाब में थे और उसके बावजूद भी उन्होंने 5,000 टन डिस्पेच किया। हम उनके भरोसे पर रहे। इसके अलावा मैं कह दूं कि हमारा ही लेप्स नहीं हुआ बल्कि जनवरी के महीने में महाराष्ट्र को जो अनाज दिया उसमें से 20 हजार टन उनका भी लैप्स हुआ लेकिन इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार उनके विश्वास पर रही। आगे हम सतर्कता बरतेंगे। आज ट्रेन डिस्पेच होती है तो हमारा आदमी टेलीग्राम करता है, रेल्वे का मूवमेन्ट ऑफिसर भी हमने डेपुटेशन पर लिया है ताकि वह हमको पोजीशन बता सके। हमें ऑफिसर्स भी डे टू डे इनफर्मेशन देते रहे हैं।

यहां पर बांसवाड़ा से आने वाले दो माननीय सदस्य, बागीडोरा और पीपलखूंट से आने वाले माननीय सदस्यों ने मक्का के सम्बन्ध में एक बात कही। इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी की है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 200 टन मक्का डूंगरपुर से उठा ली गई है। और चार सौ टन मक्का पिछले चार पांच रोज में उदयपुर से उठाई गई है। इस प्रकार छः सौ टन मक्का अब तक उठा ली गई है। इसके अलावा पांच सौ टन मक्का अगले चार पांच दिन में उठाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, मुझे यह कलेक्टर बांसवाड़ा ने कहा है।

इन शब्दों के साथ, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मक्का की बात कही है 80 या 90 टन के बारे में ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान के लिए गेहूं का अलाटमेंट राजस्थान से बाहर से भी हुआ है क्या कभी ?

श्री परसराम मदेरणा : गेहूं का अलाटमेंट राजस्थान के लिए राजस्थान से हीं होता है। गेहूं कभी लैप्स नहीं होता। एफ. सी. आई. ने गेहूं अपने सभी गोडाउन्स में बिखेर रखा है और सभी तरह अलग 2 शिफ्ट कर दिया है और सभी गोडाउन्स में रख रखा है।

दौसा के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 80 टन मक्का है और वहां स्केयरसिटी एरिया में आए हुए दौसा के 16-17 गांव हैं उनके साथ में बस्सी के गांव हैं इसलिए खास तौर से बस्सी के लिए मैंने आदेश दिए हैं कि दौसा से बस्सी ले जाने के लिए रखी हुई मक्का में से इन 16 गांवों के लिए 20 टन मक्का रख देना चाहिए और बाकी बस्सी में आने वाले स्केयरसिटी के गांवों में वितरण किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का जिसे मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, इसका समर्थन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन में संशोधन सम्बन्धी सूचना

श्री उपाध्यक्ष : आप की ओर से महत्वपूर्ण घोषणा !

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि कार्य सलाह- कार समिति के छठे प्रतिवेदन में विधेयकों को लिये जाने वाले क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नांकित परिवर्तन कर दिया गया है:—

(श्री उपाध्यक्ष)

(1) दिनांक 23-2-73 को निम्नांकित विधेयक विचारार्थ लिये जायेंगे:—

(अ) राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन, विधेयक, 1973. इस विधेयक को पारित भी किया जायेगा।

(ब) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1973. इस विधेयक पर दिनांक 27-2-73 को भी विचार जारी रहेगा और इसका पारण भी उसी दिन होगा।

(2) दिनांक 26-2-73 को निम्नांकित विधेयक विचारार्थ लेकर उनका पारण भी होगाः—

(अ) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973.

(ब) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973.

(स) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन व विधि मान्यकरण) विधेयक, 1973.

(द) राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 1973.

श्री मोहनलाल छंगाणी !

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसमें किस-किस दिन कौन-कौन से विधेयक लिए जायेंगे।

श्री **उपाध्यक्ष** : यह अभी सब वितरित कर देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वादविवाद

श्री परसराम मदेरणा : एक खास बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ हंगर से डैथ हो गई हैं और उनका जिक्र किया था। उन्होंने भीलवाड़ा के कजोड़ नाम के व्यक्ति की भूख से मृत्यु की बात कही थी। कुल तीन आदमियों की मृत्यु की बात कही गयी थी जिसमें दो बीकानेर जिले के रेवतराम वल्द सिद्धाराम और जोराराम वल्द तेजाराम, ये बिज्जू ग्राम के हैं, जिसके सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट जनसंघ की अभी जो कांफ्रेंस हुई थी जोधपुर में, उस वक्त भी वाजपेयी ने जिक्र किया था। जहां तक कजोड़ का प्रश्न है यह बात अखबारों में, जिसकी कटिंग वे पढ़ रहे थे, उनको देख करके यह बात कलेक्टर के ध्यान में आई और हिन्दुस्तान टाईम्स के करेसपोन्डेन्ट मिस्टर माथुर को साथ लेकर कलेक्टर भीलवाड़ा गए थे और उन्होंने बताया है कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ थी, भूख से डेथ नहीं हुई।

जहां तक दो व्यक्तियों, बिज्जू ग्राम के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में वे कह रहे थे कि भण्डारीजी ने जांच की थी और भन्डारीजी की जांच की बात वे बतला रहे थे। जिस दिन भण्डारीजी बीकानेर गए थे उसी दिन राजस्थान के राज्यपाल महोदय भी बीकानेर में थे। उनके सामने भी यह बात आई कि दो आदमियों की

(श्री परसराम मदेरणा)
भूख से मृत्यु की बात चल रही है। उन्होंने बीकानेर में ही इसकी जांच के आदेश दिए थे और बीकानेर में आदेश देने के बाद में, जो उनको जानकारी मिली है उसके आधार पर उन्होंने मुझे पत्र लिखा है 21 तारीख का जिसे में सदन में पढ़ना चाहता हूं :

"My dear Shri Mederna,

During my stay at Bikaner, I was informed that two persons named Rewat Ram s/o Sidha Ram and Shri Jora Ram s/o Teja Ram r/o Bajju Tehsil, Bikaner, had died of starvation. As soon as the information was received, I asked the District Magistrate to have the enquiry made. On my instructions Shri R. S. Dadhich, Additional Develoment Officer, went on the spot and informed that the information about death was totally incorrect. Shri Rewatram was suffering from chronic Asthma and fever also. He had sold 75 sheep for Rs. 3,000/- only one month prior to his death......

The second person is alive, hale and hearty, and the report that he has died is incorrect.

There has not been a single death due to starvation.

I am writing this with full responsibility and you can utilise it in any manner you like.

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि भीलवाड़ा गांव के अन्दर कजोड के बारे में जो उन्होंने बात बताई है तो क्या यह सही है कि उस गांव के अन्दर, जो परिवार हैं वे सारे के सारे खाली करने को मजबूर हुए हैं क्योंकि वहां अनाज नहीं है ? आज उनके अन्दर परिवारों के व्यक्ति नहीं रहते। क्या यह बात सही है कि कजोड की पत्नी अकाल राहत के कामों पर काम कर रही थी और उसको 15-20 दिन से कोई एक कौड़ी तक नहीं मिली ? क्या यह बात सही है कि एस. डी. एम.....

(व्यवधान-शोरगुल, अश्रव्य)

श्री विजयसिंह (मांडल) : जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं मैं उस क्षेत्र को रिप्रजण्ट करता हूं। उस गांव को रिप्रजन्ट करता हूं जो कवडिया गांव का कजोड....

(अनवरत शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो जाय और आप इस बात के लिए ताली बजा रहे हैं।

श्री विजयसिंह : मेरी बात सुन लीजिए।

(अनवरत शोरगुल, अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप भी कहिए लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि लोग किस प्रकार की बात करते हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : आप झूठ बोलने में माहिर हैं।

(दोनों पक्ष के माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिस गांव को रिप्रजण्ट करने की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहां इस प्रकार से कोई नहीं मरा है ?

श्री विजयसिंह : यहां कजोड़ मरा है इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो आपका तरीका है। मरने के बाद भी आप यह कह देते हैं कि भूख से नहीं मरा, डाक्टरी सर्टीफिकेट ले आते हैं कि बीमारी से मरा है।

(दोनों पक्ष के माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : मैंने इस मामले की जानकारी की है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सदस्य का अधिकार है लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका प्रश्न आ गया है। माननीय सदस्य।

राज्यपाल महोदय के पत्र को माननीय मंत्री द्वारा उद्धृत किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अकाल राहत मंत्री ने, जो माननीय राज्यपाल महोदय को सदन की कार्यवाही के बीच में विवादास्पद व्यक्ति के रूप में लाकर....

श्री उपाध्यक्ष : विवाद प्रश्नोत्तर काल में होता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने जो यहां पर कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : केवल उन्होंने तथ्यों के बारे में जानकारी यहां पर दी है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अकाल राहत मंत्रीजी, जनप्रतिनिधियों ने जो बात यहां पर कही है, नौकरशाही द्वारा कलेक्टर द्वारा जो सूचना उनको दी गई है कि भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने यह बात यहां पर कही है कि मौतें हुई है और हो रही हैं, तो क्या मंत्री महोदय हम जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर स्पाट पर जाकर इसकी जांच करेंगे ? क्या वे इसके लिये तैयार हैं ? × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

यह प्रश्न पहले आ चुका है। आप मंत्री महोदय का जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पाइन्ट ग्राफ ग्राडंर सर × × ×

(शोरगुल–ग्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रासन ग्रपने पैरों पर है ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। सदन के ग्रादेश के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : ग्रकाल राहत मंत्रीजी स्वयं वहां पर जाते, मुझे साथ में लेकर जाते ग्रौर जांच करवाते....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। ग्रकाल राहत मंत्रीजी !

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे साथ चल कर ग्राप स्वयं जांच कीजिये। कलेक्टर, एस. डी. एम. का सर्टीफिकेट लेकर काम नहीं चलने वाला है....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : Your information is incorrectd totally incorrecd.

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि भुखमरी से लोग मरे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : भूख से मरे हैं, यह जो ग्रारोप लगाया है वह सत्य है। भुखमरी से मौतें राजस्थान में हुई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसको राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप की ग्राज्ञा शिरोधार्य है। मैं ग्रकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्वयं ब्यूरोक्रेसी को कन्डेम करते हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी का एक उदाहरण ग्रापके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस ब्यूरोक्रेसी ने किसी व्यक्ति को ग्रन्धा डिकलेग्रर कर दिया। वह ग्रन्धा व्यक्ति हाईकोर्ट में गया ग्रौर जज के सामने उसने पुस्तक को पढ़कर सुनाया। यह वही ब्यूरोक्रेसी है....

(शोरगुल)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इस पाइन्ट पर ग्राप ब्लाइन्ड हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ग्रकाल राहत मंत्रीजी मेरे साथ चलें या ग्रपने प्रतिनिधि को भेजें....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज !

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, इस फैक्ट की जांच ए. डी. एम. ने की थी ग्रौर उसके लेटर के हवाले से ग्रापने यहां पर कहा है कि 200/300 में भेड़ें बेच दीं....

× × × ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रभिव्यक्ति निकाली गई।

एक माननीय सदस्य : तीन हज़ार में...

श्री केदारनाथ : इसका मतलब यह है कि उसके घर में भूख आ गई थी इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे सवालों पर एक हाउस की टीम एम. एल. एज. की टीम बना दी जाये....

श्री फूलचन्द जैन : जो आदमी जिन्दा है उसको मरा कहते हैं और यहां कहते हैं कि हाउस की टीम जानी चाहिये। यहां पर राजनैतिक झूठ नहीं बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुमत के आधार पर यह तय करना कि कोई मरा है या नहीं मरा है, यह अशोभनीय बात है।

श्री फूलचन्द जैन : सफेद झूठ बोलना भी अशोभनीय बात है, प्रजातन्त्र में। जिन्दे को मरा हुआ कोई नहीं कहेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अकाल राहत मंत्रीजी मेरे साथ चलें, स्वयं चल कर देखें और नोकरशाही के ऊपर भरोसा नहीं करें।

श्री फूलचन्द जैन : जिस तरह से आप बात कह रहे हैं उससे तो आप अपनी राजनैतिक निराशा निकाल रहे हैं। इस तरह से एक दिन वह वाक्या भी आयेगा कि सही बात कहने पर भी लोग सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं।....

श्री रोशनलाल शर्मा : मांडल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह भूख से नहीं मरा है। वह मरा है, यह सही है। परन्तु क्या आपने कभी मांडल भी देखा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप इनको चिलम क्यों भर रहे हैं। मालिश करने से काम नहीं चलेगा। आप अकाल राहत मंत्रीजी को साथ लेकर जांच करवाईये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

(शोरगुल)

श्री रोशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मांडल से आने वाले माननीय सदस्य पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं। आप इसके लिये व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

श्री विजयसिंह (माण्डल) : यह जो भूख से मृत्यु मांडल में हो जाने की बात जनसंघ दल के माननीय सदस्य कह रहे हैं इस बारे में मैंने भी जानकारी हासिल की है। जब यह बात मैंने सुनी तो मैं स्वयं वहां पर गया। मैंने भी सोचा कि वास्तव में ऐसी स्थिति बन गई है तो जाकर देखना चाहिये और राज्य सरकार को इत्तिला देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर गया और स्थिति को देखा है वहां के सरपंच से भी मैंने मालूम किया। उसने बताया कि एक मौत हो गई। परन्तु वह बीमार होकर मरा है मरा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। परन्तु मरने के पहले वह फैमीन के काम पर जाता था। बीमार हो जाने की वजह से वह घर पर रुक गया था। सर्दी के दिन थे, जुकाम वगैरह से बीमार हो गया। उसको खांसी भी चलती थी। इस तरह बीमार रहा और मर गया।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जुल्म से आदमी मर गया।

श्री विजयसिंह (मांडल) : इनके सेक्रेटरी जनसंघ के वहां पर गये बताते हैं, जीप लेकर और वहां पर उसकी फेमिली और दूसरे कुछ लोगों को, जो वहां के गरीब लोग हैं, उनको 10-10 रुपये इन लोगों ने दिये हैं और यह बयान करवाये हैं कि वह भूख से मरा है....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : यह पैसा बांटकर कराते हैं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : पैसा तो आप लोग बांटते हो क्योंकि आपके पास ब्लेक मार्केट का पैसा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : डूब कर मर जाओ कि इस तरह के झूठे आरोप लगाते हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 7 मार्च को यहां पर गोली काण्ड हुआ था उसमें सरकार ने 7 आदमी मरे बतलाए जब कि मरे कई हैं और हाईकोर्ट के जज के एवार्ड में यह कहा गया है। यह सरकार हमेशा झूठ बोलती है.... (अश्रव्य) यह कांग्रेस के सदस्य का निरर्थक आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपकी पार्टी का मोरल देख लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार से झूठे आरोप लगाये जायं...

श्री फूलचन्द जैन : आप तो रोज ही झूठ बोलते हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस प्रकार के काम तो आप लोग ही करते हैं। आप पैसा दे दे कर जीतकर आये हैं। पैसा देने का काम आप खुद करते हैं। यहां पर आरोप लगाये हैं तो उसको माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है....

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : + +

श्री प्रद्युम्नसिंह : + + + +

श्री गुमानमल लोढ़ा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय !....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किये गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की गरिमा के अनुकूल मैं यह अपेक्षा करता हूं कि कम से कम जब ग्रासन अपने पैरों पर खड़ा हो तो ग्राप ग्रासन को सुनने का कष्ट करेंगे। मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई इस तरह की कार्यवाही की जाय जो कि हाउस की गरिमा के विरुद्ध या शालीनता के विरुद्ध हो। मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न ग्रापने किया है, उसका मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं ग्रौर जवाब देने को तैयार हैं तो उसको शान्तिपूर्वक सुने। ग्रापका बहुमूल्य समय ग्रौर जो ग्रमूल्य समय ग्रापके सदन का है, वह उपयोग में ग्राये तो इस प्रकार की प्रक्रिया से ग्राप चलना चाहते हैं, पारस्परिक वार्तालाप में तो उससे सदन की कार्यवाही में बड़ी बाधा पहुंचती है। इसलिए मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि ग्राप मंत्रीजी को सुनें। उसके पश्चात् अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो तो ग्रासन के माध्यम से प्रश्न करिये तो ग्रापको जवाब मिल जायगा।

श्री गुमानमल लोढा : X X X

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : बिना ग्रापकी ग्राज्ञा के बोले जा रहे हैं। इसके लिए ग्रासन की तरफ से कोई व्यवस्था हो।

श्री गुमानमल लोढा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय से कहा जाय कि वह उत्तर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष, महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुमानमल लोढा : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि **क्या राज्यपाल महोदय इस सदन के वाद-विवाद के ग्रन्दर ग्रपना निर्णय दे सकते हैं ग्रौर राज्यपाल महोदय सर्टिफिकेट इश्यू करें ग्रौर उस सर्टिफिकेट्स को यहां पर बताया जाय।**

श्री फूलचन्द जैन : इनका गला बैठ-गया है, एक ग्लास पानी दिया जाय।

श्री गुमानमल लोढा : X X X

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : (श्री गुमानमल लोढ़ा से) लेकिन ग्राप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबन्ध में ग्राप ग्रासन की व्यवस्था को सुन लें।

राज्यपाल महोदय के विषय में ग्रापने जो कहा है उसको यहां से एक्सपन्ज करने के ग्रादेश देता हूं।

मन्त्री महोदय !

X X X ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रभिव्यक्ति निकाली गई

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं दो मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री मूलचन्द सामरिया : + + +

श्री प्रद्युम्नसिंह : पॉइन्ट आफ आर्डर !

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपका नहीं है। मेरा पॉइन्ट आफ आर्डर है।

श्रीवा प्रम्नसिंह : मैंने पॉइन्ट आफ आर्डर उठाया है।

(भारी शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजोरिया हत्या-काण्ड का क्या हुआ ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तुम झूठे हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तुम झूठे हो। हत्या-काण्ड के हत्यारे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल इस स्टेट के कान्स्टीट्युशनल हैड हैं। उनकी पोजीशन ऐसी है। अगर उनका लैटर सदन में पेश किया जायेगा तो कन्ट्रोवर्सी हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि लैटर सदन में नहीं पेश किया जाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : This is a very serious matter.

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री केदारनाथ : अगर राज्यपाल महोदय का लैटर पेश हो सकता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, इस पर डिबेट भी हो सकती है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस के किन नियमों के तहत आपने बताया कि यह पेश नहीं किया जा सकता है।

श्री केदारनाथ : राज्यपाल महोदय, कान्स्टीट्युशनल हैड हैं। राज्यपाल महोदय का लैटर पेश नहीं कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो यह बता दें राज्यपाल का लैटर कौनसे रूल के तहत में पेश किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह : राज्यपाल महोदय स्टेट के हैड हैं। वह अगर कहीं दौरा करते हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी यह खड़े हुये। आपके नेता क्या बक रहे थे।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : तभी तो उन्होंने कहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलते रहे)।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंश लिखे नहीं गये।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फिर कह रहे हैं। आपने एक बार कहा है, एक्सपंज करने के लिए। इन्होंने फिर कहा है। इनको एक्सपंज किया जाये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक्सपंज नहीं होगा। एक्सपंज होगा तो लैटर पहले एक्सपंज होगा। उसे आप गवाही बनाना चाहते हैं। उसे पहले एक्सपंज किया जायेगा। यह पक्षपातपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द जी !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नियमावली में तो इस विषय में कुछ नहीं है। परन्तु सदन की परम्परा यह रही है कि राज्यपाल महोदय के वक्तव्य को आलोचना का विषय नहीं बनाया जाये। अगर कोई वक्तव्य राज्यपाल महोदय का आयेगा तो यह नेचरल है कि माननीय सदस्यों को उस पर बहस का भी अधिकार होगा। मैं, हम और हमारा दल इस बात का पक्षपाती नहीं है कि इस प्रकार की परम्परा बनाई जाये। राज्यपाल महोदय की किसी बात की आलोचना नहीं हो। पहले भी हमने कहा है और मेरी मान्यता है कि राज्यपाल महोदय हम सब में से एक हैं। कोई राज्यपाल है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई माननीय सदस्य हैं। इसलिए कान्स्टीट्यूशनली रूल्स न लैटर लाने को मना करते हैं और न आलोचना को मना करते हैं। हमने एक ऐसी परम्परा बनाई थी। मैं समझता हूँ कि It is good if we give it a goodbye. In democracy, everybody should be a subject of criticism.

और यह हाउस है। इसके कण्डक्ट पर विचार होना चाहिए। मुझे खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने एडमिनिस्ट्रेटिव हैड होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाया है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो लैटर के बारे में स्थिति एराइज हुई है, यह प्रथम मौका है। यह पहली बार स्थिति आई है। You are behaving like....

श्री केदारनाथ : राज्यपाल महोदय के लैटर पर कण्ट्रोवर्सी आई है। वैसे हम तो बहुत खुश होंगे

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस वक्त जनसंघ भले ही इस पक्ष में हो कि राज्यपाल की आलोचना नहीं होती। हम लोगों को वोट देकर बाहर निकलवाया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राज्यपाल महोदय जो कहते हैं, वह विथ्ड्रा कर लिया जाय। हम सारे शब्द विथ्ड्रा कर लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जनसंघ पार्टी के नेता होकर ऐसी बातें करते हैं कि

(अल्प विराम)

गवर्नर को लेकर कन्ट्रोवर्सी एराइज हो। यह फर्स्ट टाइम है, जब कि यह कन्ट्रोवर्सी एराइज हुई है। मेरे ख्याल से सरकारी अधिकारियों से बात करके मिनिस्टर साहब देख सकते हैं। राज्यपाल महोदय कहीं बाहर दौरा करने के लिए जाते हैं। इस बारे में रूल्स हैं या नहीं और क्या परम्परा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
है। इस बारे में यह मामला एडजोर्न किया जा सकता है। मेरे खयाल से स्टडी कर ली जाये। सवाल यह है कि बीकानेर में टूर परफार्म करते हुये गवर्नर साहब ने, किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने उनको इतना बढ़ा चढ़ा कर बहुत ही आर्डनरी मेम्बर की तरह से बिहेव करना आरम्भ कर दिया, यह परम्परा अच्छी नहीं है। इससे पहले भैरोंसिहजी सदस्य रहे हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति कभी नहीं आने दी है।

(3. 48 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

इसका आसानी से हल निकाला जा सकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय अपना वक्तव्य दें यह हो सकता है। वह ऐसे पद पर हैं। आज कहीं कांग्रेस गवर्नमेन्ट, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की है तो एस. डी. एम. या कलेक्टर का पत्र नहीं, गवर्नर की छाप, लगा कर अगर यह कहा जाये कि गवर्नर साहब ने जांच कर ली है, तो हमें बाध्य हो कर राज्यपाल महोदय के पत्र पर डिबेट करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि राज्यपाल महोदय की आलोचना हो XXX

श्री श्रीराम गोटेवाला : XXX

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह यह भी कहेंगे, मैं इस एरिया में गया। वहां कांग्रेस के लोगों के बारे में ऐसी अच्छी राय है। इसलिए उन्हीं को मत दिया जाना चाहिए। यह उसकी परम्परा है। आप डिफेण्ड कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अकाल राहत मन्त्री अपनी स्वयं की जांच करें। कलेक्टर, एस. डी. एम. या जिला प्रमुख, प्रमाण चाहे जिनसे करायें लेकिन राज्यपाल को बीच में लाकर खड़ा नहीं करें। He is looking the Constitution to make Rajyapal a subject matter of the debate in the Assembly.

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी.......

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, विशेष कुछ मुझे निवेदन नहीं करना है....

श्री अध्यक्ष : आप भी फर्मा दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप तो बहुत कम फर्माते हैं। फर्मा दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : जितना मुझे ठीक लगता है उतना ही कहता हूं। फिजूल की बकवास में मैं विश्वास नहीं रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुनिये !

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री के विस्तृत भाषण को सुना। वह काम्प्रीहेंसिव और पेन्सटेकिंग

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

(श्री लक्ष्मणसिंह)
स्टेटमेंट है, मैं उसका स्वागत करता हूं एक हद तक, लेकिन उस भाषण के अंत में उन्होंने एक पत्र पढ़कर सुनाया। मेरा दल इस बात में विश्वास करता है कि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कान्स्टीट्यूशन के अबव है........

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अबव नहीं है।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : क्योंकि उनकी जो स्टैंडिंग और स्टेटस है वह गवर्नर इन कौंसिल है। गवर्नर और कौंसिल दोनों एक चकवा चकवी के माफिक अविभाज्य अंग हैं। लेकिन गवर्नर अपने आपको बिल्कुल अलग करके मंत्री को अपनी पर्सनल कैपिसिटी में कोई चिट्ठी लिखे, जैसे माननीय रघुनाथ विश्नोई ने कहा, ऐसा इस सदन में, मुझे भी दस बारह वर्ष होने को आये, यह पहला ही मौका है, जिस समय ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है। माननीय रामानन्द जी के दल का विचार है, गवर्नर अबव कान्स्टीट्यूशन नहीं माना जाय, मेरे दल का विचार है अबव कान्स्टीट्यूशन है। गवर्नर अपने आपको कन्ट्रोवर्सियल फिगर बनाये और मन्त्री महोदय अपनी बात को सब्सटेंसियेट करने के लिए गवर्नर की चिट्ठी को भूल से पढ़ कर एक कान्स्टीट्यूशनल मैटर को रेज करके गवर्नर को विवादास्पद बनायें तो यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बात एक कोमल फूल के समान है, It is a delicate flower. अगर इस डेलीकेट फ्लावर को थोड़ा सा नोचेंगे तो यह कुम्हला जायगा। मैं परम् आवश्यक समझता हूं, गवर्नर के पर्सन को इस हाउस में ड्रेग नहीं किया जाय, अगर यहां उसको ड्रेग करते हैं तो मेरे खयाल में हम जनतंत्र की अवहेलना करते हैं। मंत्री महोदय ने जनसंघ के माननीय नेता महोदय को कुछ हद तक बाध्य भी किया। अगर वह पत्र पढ़ कर नहीं सुनाते तो मेरे खयाल में अच्छा होता। लेकिन चूंकि पत्र को पढ़ कर सुनाया गया है और एक कन्ट्रोवर्सी रेज हुई है तो इस कन्ट्रोवर्सी को ग्रेसफुल्ली एण्ड कर दिया जाय। हमको गवर्नर को यहां पर ड्रेग नहीं करना चहिए, क्या गवर्नर ने एड्रेस पढ़ा, किस तरह पढ़ा, इन छोटी छोटी बातों को नजर-अन्दाज करना चाहिए विशेष मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष जी मैं उस कन्ट्रोवर्सी को तो माननीय महारावल साहब के कहने से यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मैं एक दूसरा लैटर पढ़ना चाहूंगा जो पांच मिनट पहले मुझे मिला है....

श्री **अध्यक्ष** : Not from the Governor.

श्री **परसराम मदेरणा** : Not from the Governor but from the Collector, Bikaner.

श्री **लक्ष्मणसिंह** : गवर्नर का होगा तो फिर वही बात होगी।

श्री **केदारनाथ** : हम आपकी बात मान लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय की बात मान लेते हैं फिर लैटर पढ़ने की क्या बात है, क्यों पढ़ कर सुनायें।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : कलेक्टर का लैटर है, पढ़ने दीजिये।

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीया** : असलियत सामने आने दीजिये, क्या बात है।

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया)

Let him read the letter.

आर्थेंटिक स्टेटमेंट है।

श्री रोशनलाल शर्मा : जनसंघ वाले गलत खबर देंगे तो क्या बार-बार लैटर पढ़ेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने जवाब दे दिया है, काफी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गवर्नर के पत्र को प्रासीडिंग्स से निकालने के लिए मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है तो मैं चाहता हूं, जो कुछ भी इस सम्बन्ध में कहा है, हमने भी कहा है उसको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने मेरा काम हल्का कर दिया। गवर्नर जो है, वह हैड आफ द स्टेट है, और राजस्थान में ही नहीं, सभी जगह हैड आफ स्टेट हैं, कामन वेल्थ और हर जगह, हर कन्ट्री में हैड आफ स्टेट हैं वह अवव कान्स्टीट्यूशन हैं, कान्स्टीट्यूशन में राइट है....

कान्स्टीट्यूशन में जितनी स्थिति है उतनी है, उससे ज्यादा नहीं। यह निश्चित मान्य सिद्धान्त है, हैड आफ स्टेट के लिए डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं किया जाना चाहिए.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : किया गया है।

श्री अध्यक्ष : किया है। नहीं किया जाना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × ×

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या कांग्रेसी गवर्नर नहीं हो सकता ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा....

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप दल के नेता है। हम आपकी बात को वजन देते हैं तो आपको भी वजन देना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई बीमारी हो गई है मेरे खयाल में।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं....

श्री केदारनाथ : मैं पाइन्ट ऑफ ऑर्डर वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, इस विषय पर इतनी उग्रता आयी, इतना विवाद हुआ, वह होना नहीं चाहिए था। वह हो गया। हो गया तो अब समाप्त करना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ाने से फायदा नहीं है। समय का भी अपव्यय होता है, कई बोलने वाले हैं, इसलिए समय का उधर उपयोग हो तो काफी अच्छा है, काफी एक्सप्रेशन आ गया है, विशेष अब नहीं बोल सकते हैं। मैं समझता हूं, इसे यहीं समाप्त कर दिया जाय।

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अभिव्यक्ति निकाली गई।

(श्री अध्यक्ष)

मैं दो शब्द निवेदन कर देता हूँ।

मैं निवेदन कर रहा था, विश्व के हर देश में हैड ऑफ स्टेट होता है, कान्स्टीट्यूशन में विशेष स्थिति है। उससे परे है कई मामलों में। जो भर्त्सना की बात है, डेरोगेटरी बात है वह हैड ऑफ स्टेट के लिए नहीं कही जाती है। हैड ऑफ स्टेट बजट सैशन में स्पीच देता है। वह स्टेट की पालिसी के बारे में देता है, गवर्नर के एड्रैस में राज्य की नीतियां रिफ्लेक्ट करती हैं, उन नीतियों को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वाजिब तरीके से किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। राज्य की नीतियां हैं, वह गवर्नर रख देता है, उसकी आलोचना होती है, व्यक्ति के बारे में, पर्सनेलिटी के बारे में, किसी राज्य में, किसी स्टेट में हैड ऑफ स्टेट विवाद का विषय नहीं बनता है। इसलिए कोई ऐसे शब्द कहना, जो सम्मान के लिए अनुचित हैं, मैं समझता हूँ, सदन के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं मानता हूं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि डेरोगेटरी वर्ड्स और पोर्शन के बारे में अच्छा है उन्हें एक्सपंज कर दिया जाय....

श्री खेतसिंह : सारा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात है, चिट्ठी, लैटर के बारे में जो आपके सामने आया है, जो अभी माननीय अकाल मंत्री जी ने रखा है। उसका क्या हो, उस पर रूलिंग की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले मैं समझता हूँ, उसमें स्थिति यह है, न तो हम यह कह सकते हैं रूल्स में वह रखा जा सकता है, न यह कह सकते हैं कि नहीं रखा जा सकता है, मतलब खामोश हैं रूल्स, इसलिए तुरन्त फैसला देना मुश्किल है। मैं यह नहीं कह सकता कि रखा जाय और न मैं कह सकता हूँ कि नहीं रखा जाय। इसलिए इसको स्टडी करना पड़ेगा इस पाइन्ट को, लैटर जिस प्रकार का है उसको रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। इस पर रूलिंग आगे दे सकता हूँ। इस पर स्टडी मेरी नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वापस ले लिया।

श्री अध्यक्ष : मैं रखने के बारे में बाद में रूलिंग देना चाहता हूँ।

श्री रोशनलाल शर्मा : लैटर वापस ले लिया, उसकी रूलिंग की क्या आवश्यकता है। उसे रूलिंग का प्रश्न क्यों बनाया जाय ?

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस चाहता है और वापिस ले लिया है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : वापस ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : तो रूलिंग की जरूरत नहीं है। मेरे कहने की बात कि रूलिंग मैं दे दूंगा, इसको वापस ले लेता हूँ।

मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आगे का काम सहूलियत के साथ चले। चार बजे हैं दो घण्टे और हैं, इससे सदन को लाभ हो जायेगा, सदन मे विचार हो ताकि राज्य को फायदा हो और ज्ञान में वृद्धि हो और शासन को आपके विचारों से लाभ मिले। तो उस तरफ चलें।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिस सौभाग्यपूर्ण वातावरण में समाप्त हो गया है यह काण्ड, तो मेरा निवेदन है कि ब्यूरोक्रेसी पर डिपेण्ड न करके अकाल राहत मंत्री स्वयं जाकर या अपने प्रतिनिधि को भेज कर या इस सदन के अलग अलग दल के दो तीन सदस्यों को भेज कर जांच करा लें। मुझे आपत्ति नहीं है. अगर गलत खबर है तो उसे गलत कहना चाहिए, वह सच है तो सच कहना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : आपने सुझाव दे दिया।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाये, हमने भी लगाये।

श्री **अध्यक्ष** : आपने सुझाव दे दिया।

श्री **केदारनाथ** : जब कोई हाउस में चीज आ जाय तो इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहता. वापिस लेना, आप कर सकते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : सदन चाहता है तो मैं कर दूंगा। वह हो ही गया।

श्री **रामनारायण चौधरी** : सदन की अनुमति से वापस हो गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वादविवाद

श्री **परसराम मदेरणा** : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर थैंक्स के मोशन को मूव करते हुए प्रस्तावक और समर्थक बोल गये, उसके बाद जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य तीसरे वक्ता थे। सदन के सामने उस वक्त भूख से मौत होने के कुछ लोगों के नाम बताये थे। उस दिन हाउस एडजोर्न होने के बाद मैं आपके पास गया था। बेंच पर, मैंने उन नामों को लिखा और लिखने के बाद में मैंने कलेक्टर, बीकानेर को टेलीफोन किया। सदन के माननीय सदस्य के ध्यान में भूख से मौत की किसी व्यक्ति के बारे में सूचना है, इस तरह की गम्भीर बात उनके ध्यान में आती है तो मैंने जिलाधीश को इमिजियेटली इसकी जांच करने के लिये टेलिफोन पर आदेश दिया। मैंने कहा, जांच रिपोर्ट मेरे पास 21 की शाम तक पहुंचनी चाहिये। 21 को नहीं आई, डाक में आई है, जिस डिपार्टमेन्ट में आई थी, वहां से पांच मिनिट पहले मुझे मिली, जो मैंने आदेश दिया उसके सम्बन्ध में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद भी अगर कोई जांच की जरूरत रही तो मुझे वह कराने में भी ऐतराज नहीं। यह लैटर है from the Collector, Bikaner to the Famine Relief Commissioner, dated 21st February, 1973:—

'Hon'ble Minister for Food and Famine Relief telephoned me on 19th evening that two starvation deaths were reported to him in the Assembly. The particulars told to me are as below.-

1. Shri Rewat Ram s/o Sidha Ram, Jat, resident of Bajju.

(श्री परसराम मदेरणा)

2. Shri Jora Ram s/o-Shri Teja Ram, resident of Tejpura, Jatavas (Bajju)

I deputed the Additional District Development Officer to make on the spot enquiry immediately. On investigation and after recording the statements of the villagers, it was revealed that Shri Rewat Ram expired about a month back due to chronic asthama. He was 55 at the time of his death. It is interesting to note that he had sold his 75 sheeps for Rs. 3,000 only a month before his death. His wife is still in possession of 15 sheep, 20 goats and 2 camels. Besides this, he has got 30 bighas of land. He has left four sons and one daughter. As far as Shri Jora Ram is concerned, he is hale and hearty and still alive.

श्री गुमानमल लोढ़ा : There was no allegation about Jora Ram.

मैंने जो नाम दिये थे उनमें जोराराम का नाम ही नहीं था। यह नाम आप कहां से ले आये ? कलेक्टर साहब स्वयं बीकानेर में बैठे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं, उन्होंने अपना डेवलपमेंट आफिसर भेज दिया। आप खुद चल कर जांच कर लीजिये। राजाराम की पत्नी का नाम दिया था मैंने और दो नाम और थे।

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ भी नाम आपने दिये उनके लिये मैंने लिखा है : "His wife of course died normally of complications in premature delivery. The hon'ble Minister may kindly be apprised with this information."

Many hon'ble Members : Shame !

Shri Gumanmal Lodha : Shame for this false enquiry, shame for this concocted report and shame for misleading the House about people who have died of starvation.

(शोर-गुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप दुबारा जांच करवाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना जोर से बोलेंगे तो प्रीमेचर डिलीवरी हो जायेगी।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये !

(घंटी)

(श्री अध्यक्ष)

(शोर-गुल)

माननीय सदस्य, बिराजिये !

श्री विट्ठलभाई : वह मरी भूख से, और उत्तर बता दिया दूसरा। डिलीवरी हुई होगी पर रोटी नहीं मिलेगी तो मरेगी ही।

श्री रोशनलाल शर्मा : माननीय सदस्य को बीमारी हो जाये या ब्लड प्रेशर हो जाये या हार्ट ट्रबल हो जायेगी तो मुसीबत हो जायेगी।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य के एलीगेशन लगाने के 48 घंटे बाद के अन्दर यह रिपोर्ट मिली है। इसमें कोई दो इन्टरप्रेटेशन की बात नहीं है। वज्जू गांव से दो-तीन मील पर राजस्थान कैनाल का काम चल रहा है और फिर बताया गया है कि उसके चार लड़के हैं और चारों लड़कों ने बहुत अफसोस जाहिर किया कि हमारा बाप तो अपनी मौत मरा है। आपने कैसे हमें डीफेम किया है कि हमारा बाप भूख से मर गया।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! Next speaker please ! श्री छंगाणी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मन्त्री यह कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आप उनके पीछे कब तक पड़े रहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह इनसिस्ट कर रहे हैं कि मैं स्वयं जांच करूं। मैं कल तो नहीं कर सकता क्योंकि फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेन्स है, वहां जा रहा हूं, लेकिन अगली छुट्टी में समय मिला तो पहली ही छुट्टी में माननीय सदस्य को लेकर वज्जू जाऊंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो कोई बात हुई।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : चलिये, शुरू करिये। श्री छंगाणी !

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Please sit down. I have finished that subject.

श्री छंगाणी !

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अकाल पर बहस हो रही है अगर समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : पहले ही समय बढ़ा दिया गया है साढ़े पांच बजे तक के लिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, जो राज्य सरकार द्वारा अकाल के लिये कदम उठाये हैं उसका वर्णन किया है तथा बसों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो निर्णय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

लिया है तथा राजस्थान में जो लोक आयुक्त, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की घोषणा की है यह सभी स्वागत योग्य है। इसके लिये मैं राज्य सरकार की सराहना करता हूं और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बसों के राष्ट्रीयकरण के लिये अभी तक, जो 25 प्रतिशत रूट्स में ही नेशनलाईजेशन की बात कही है, उसके लिये मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दो सालों में राज्य सरकार, जो बचा हुआ 75 प्रतिशत रूट है, उसका भी राष्ट्रीयकरण कर देगी। इसके लिये मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठायेगी ताकि हम भी गुजरात और महाराष्ट्र के बराबर आ जायेंगे।

(4.01 बजे)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय ...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय और अध्यक्ष महोदय दोनों ही हैं दोनों को सम्बोधित कीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज राजस्थान में जो अहम मसला है वह है अनाज के बारे में। अभी अकालग्रस्त इलाके में अनाज के हल के बारे में राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है और हमारे अकाल मन्त्री, जो कि इसके लिये जूझ रहे थे। सभापति महोदय, अकाल में दो ही चीजों की जरूरत रहती है। पहला तो है अनाज और दूसरा जल। अभी इस सदन में अकाल मन्त्री ने अपना स्टेटमेन्ट दिया उसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य खोलने में कोई देरी नहीं हुई है और हमने सही समय पर अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये थे। लेकिन मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे अनुभव के आधार पर कि राज्य सरकार ने कोई तत्परता नहीं दिखायी, क्योंकि मेरा अनुभव है खुद का कि सितम्बर के महीने में मेरे क्षेत्र फलोदी में भयंकर अकाल पड़ गया था। उस वक्त मैं श्री परसरामजी मदेरणा से, जो कि अकाल मन्त्री हैं, मिलने गया। मैंने उस वक्त देखा कि वे अकाल से जूझ रहे थे और यही देख रहे थे कि कौनसी जगह क्या पहुँचाया जाय। वे यही सोच रहे थे कि कौन से गांव में क्या राहत पहुँचायी जाय, कहां पर क्या क्या राहत कार्य खोले जायें। मैं यह मानता हूं कि वे काफी अनुभवी हैं और काफी अरसे से अकाल मन्त्री हैं, काफी गांवों की स्थिति का पता है और साथ-साथ यह भी पता है कि वहां पर किन किन कार्यों की जरूरत है। इसके लिये वे यह भी सोच रहे थे कि अकालग्रस्त एरिया में काम खोलने के लिये केन्द्र से पैसा भी लाना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार को यह पता है कि राजस्थान में हर साल अकाल पड़ता है और हमारे यहां फेमीन कोड भी बना हुआ है, हालांकि फेमीन कोड का नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूं क्योंकि यह फेमीन कोड का नाम बहुत गन्दा है, पहले लोगों की यह धारणा थी और फेमीन कोड वैसे ही नाम

(श्री मोहनलाल रंगाणी)

खराब है। उस कोड के अनुसार यह होता कि जहां अकाल पड़ने की स्थिति दिखायी देती है वहां पर अगस्त से ही कार्य शुरू कर दिये जाते हैं और अक्टूबर में तो अकाल का पीक सीजन होता है। लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार यह निर्णय नहीं कर पायी सितम्बर तक कि अकाल राजस्थान में है। इसलिये जो सेन्ट्रल स्टडी टीम अकाल के अध्ययन के लिये आ रही थी उसका हमें दौरा रद्द कराना पड़ा यह कह कर कि अभी तक हमारे पास गिरदावरी की रिपोर्ट वगैरह नहीं आयी। सभापति महोदय, होना तो यह चाहिये था कि उस वक्त पहले ही गिरदावरी व पटवारियों से रिपोर्ट मालूम हो जानी चाहिये। कलेक्टर्स से भी इसीलिये इन्फोरमेशन नहीं आ सकी। और जब तक कलेक्टर्स से रिपोर्ट नहीं आये तब तक हमें जानकारी होते हुए भी राज्य सरकार की हिम्मत नहीं होती कि अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य खोल दिये जायें। क्योंकि अकाल राहत कार्य खोलने में राज्य सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है और चूंकि हमारी राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है इसलिये इतने बड़े पैमाने पर अकाल राहत कार्य खोलने में काफी जोर पड़ता है और इसलिये हमें बार-बार केन्द्रीय सरकार की तरफ देखना पड़ता है। मैं यह मानता हूं कि इतना भयंकर अकाल पड़ने पर हमारी राज्य सरकार कुछ टेस्ट कार्य खोले। लेकिन कहीं तो यह कहती रही है कि हमारे पास 30 परसेन्ट कोम्पोनेन्ट नहीं और कभी कुछ कहती रही है। मतलब यह कि वह उसको इधर से उधर धक्के देती रही और इस प्रकार से अगस्त, सितम्बर के महीने तो यों ही निकल गये। लेकिन सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय पर एक्शन नहीं लेने से जनता को बहुत ही तकलीफ होती है। इसके लिये मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं कि सन् 1965–66 में एक बार उड़ीसा में अकाल पड़ा वहां पर केन्द्र से वर्कले कमीशन भेजा गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन वहां पर उस समय की राज्य सरकार यही सोचती रही कि किस किस जगह पर किस किस प्रकार का काम खोलना चाहिये। और इस प्रकार थ्योरिटिकल बेसिस पर सोचते रहे। इस दरमियान काफी तादाद में लोग मर गये। राज्य सरकार कुछ निर्णय नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, हमारे यहां भी यही हाल हुआ। कलेक्टर्स ने समय पर सूचना नहीं दी। आज हमारे यहां बी. एस. आर. के अन्तर्गत, जो तय किया गया था, उनके अनुसार 70 परसेन्ट लोगों को काम देने की बात वह नहीं दिया गया। हमारे यहां पर राज्य सरकार ने जो 5 लाख लोगों को काम देने की योजना थी वह भी राज्य सरकार पूरी नहीं कर सकी। आज बी. एस. आर. के हिसाब से सभापति महोदय, राजस्थान की जनता, जो कि फैमीन से ग्रस्त है, वह करीब 1 करोड़ 33 लाख के करीब होती है। उसका अगर हम 10 परसेन्ट के लोगों को काम देते हैं तो करीब 13 लाख लोगों को काम देना चाहिये। लेकिन हम काम नहीं दे सके। यह बहुत ही विषाक्त विषय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सभापति महोदय, एक बात की तरफ मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

आज हमारे क्षेत्र फलौदी में बहुत ही अनाज की समस्या है। सभापति महोदय, अनाज की इतनी विकट समस्या है कि लोग अन्न के बगैर भूखे मर रहे हैं। राज्य सरकार को इस भयंकर अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये 13 सौ टन अनाज देना चाहिये था वहां पर सिर्फ 200 से 250 टन अनाज ही दिया गया है। सिर्फ प्रति व्यक्ति दो किलोग्राम अनाज दिया गया है। दूसरे वहां पर जो अनाज के वितरण की व्यवस्था है वह भयंकर है, भ्रष्ट है। सभापति महोदय, अगर यही स्थिति रही तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जायेगी कि लोग वहां पर अन्न के लिये लूट-खसोट करने लग जायेंगे ऐसा मुझे भय है। आज स्थिति ऐसी है अकालग्रस्त क्षेत्रों में सभापति महोदय कि न तो वहां की जनता को अन्न मिल रहा है और न ही काम। आज राजस्थान में पिछले कई सालों से अकाल पड़ रहा है तो सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस अकाल से निपटने के लिये कोई निश्चित नीति क्यों नहीं निर्धारित कर लेती? आज राज्य सरकार इतने सालों से अकाल से जूझ रही है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार इस अकाल के लिये फेमीन इन्श्योरेन्स की नीति क्यों नहीं अपना लेती जिससे कि हम अकाल से मुकाबला कर सकें। मैं सभापति महोदय, आपको निवेदन करूं कि पुराने जमाने में भी अकाल के बारे में मेजर्स उठाये गये थे। अकबर के जमाने में एक दसेरी टैक्स लिया जाता था वह हर किसान से एक बीघे के पीछे दस मन अनाज के रूप में लिया जाता था ताकि कभी अकाल पड़े तो उस वक्त सरकार के पास अनाज की कमी नहीं रहे। इसी प्रकार लार्ड नार्थब्रुक के जमाने में अकाल पड़ा तो राज्य सरकार ने एडीशनल टैक्स लगाये और उसकी सैंक्शन उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने की उन्होंने उसे मन्जूर कर लिया। तो सभापति महोदय, जब हम सन् 49-50 मे लगातार यह देख रहे हैं कि एक दो साल को छोड़कर हरसाल अकाल पड़ता है और हम इसके लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं पर हमने अभी तक फेमीन इन्श्योरेन्स की स्कीम नहीं बनायी। सभापति महोदय, हमने इस अकाल के लिये अरबों रुपया खर्च कर दिया है पर इसके लिये कोई परमानेन्ट उपाय इसको निपटाने के लिये नहीं किये। सभापति महोदय, अगर कोई परमानेन्ट नेचर के काम किये जाते तो अच्छा होता। मुझे इस बात का दुःख है कि राज्य सरकार ने इसके लिये कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की। सभापति महोदय, सन् 1901 में जब भारतवर्ष में अकाल पड़ा तो उस जमाने की सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूरे देश में 20 हजार मील लम्बी रेल्वे लाइन बनायी जावे। और फिर बाद में 20 हजार मील लम्बी रेल्वे लाइन बिछायी गयी। इस बार भी हमने राज्य सरकार से इस बारे में निवेदन किया कि राजस्थान के कई ऐसे जिले है, जो कि रेल्वे लाइन से नहीं मिले हैं जैसे बांसवाड़ा, टोंक वगैरह उन्हें रेल्वे लाइन से जोड़ने का काम किया जाय पर यह निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया। तो ऐसे अहम मसले हैं, जिन्हें अकाल के समय में हम हल कर सकते हैं। सभापति महोदय, आज हम अकाल के ऊपर खर्चे का अनुमान लगायें तो हमें पता लगेगा कि हम अकाल के ऊपर करीब सवा दो सौ करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं! और सिर्फ 63 से

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
लेकर 72 तक हमने करीब 165 करोड़ रुपया खर्च किया है। इधर, सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार पर करीब 825 करोड़ रुपये का कर्जा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है जिसका हमें करीब 47 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ता है। ग्राज जो रुपया ग्रकाल राहत कार्यों पर राजस्थान में करीब सवा दो सौ करोड़ रुपया जो खर्च हुग्रा है वह इन कुल कर्ज का एक-तिहाई है। इसलिये ऐसे उपाय काम में लिये जायें कि हमें इससे राहत मिले। इसके ग्रलावा एक बात ग्रौर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, सभापति महोदय, इस बार तो इतना भ्रष्टाचार इन ग्रकाल राहत कार्यों के ग्रन्दर नहीं है जितना कि पहले ग्रकाल राहत कार्यों में था। मैं खुद इस वक्त ग्रकालग्रस्त क्षेत्रों में जा कर ग्राया हूं। मैंने वहां देखा है कि पहले जैसा भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने ग्रकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ इन्क्वायरी करके उन्हें दण्ड क्यों नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से किसी भी भ्रष्टाचारी ग्रधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। मैं ग्रापको एक उदाहरण राजगढ़ का देता हूं वहां पर 23 किलो-मीटर लम्बी सड़क बनाना दिखाया गया ग्रौर करीब 45 हजार ग्रादमी वहां पर काम करते हुए बताये गये। मैं कहता हूं कि वहां पर कोई सड़क नहीं बनी। पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो, सभापति महोदय, जब हर साल यहां पर ग्रकाल पड़ता है ग्रौर उसको निपटने के लिये कोई निश्चित नीति नहीं होने से हमेशा हमें केन्द्रीय सरकार के सामने देखना झांकना पड़ता है....

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : वह ग्रधिकारी तो मर गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो भी हो, यह घिनोना सत्य है। हमारे इलाके में भी बालू की सड़क बनी काम हुग्रा नहीं पैसे उठ गये। तो, सभापति महोदय, ऐसे दोषी ग्रधिकारियों को दण्ड जरूर मिलना चाहिये। सभापति महोदय, एक बात ग्रौर मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रभी कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली ग्रकाल सम्बन्धी कार्य के लिये गया था वहां पर मैं वित्त मंत्रीजी से मिला तो उन्होंने मुझ से दो प्रश्न किये–पहला प्रश्न तो यह कि जो ग्राप हर साल ग्रकाल के लिये करोड़ों खर्च करते हैं वह कब तक करते रहेंगे ? क्योंकि वह ग्रनप्रोडक्टिव है। ग्राज मैं मानता हूं कि फलौदी में जो सड़कें बनती हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जो प्रोडक्टिव प्लान बनाना चाहिये वह नहीं बन पाता है। दूसरा जो उनका इन्सिस्टेन्स है वह यह है कि सड़कें ग्रौर सॉइल कन्जरवेशन के काम को लेकर पैसा मांगते हैं उसके बजाय ग्राप कोई लम्बे ग्रौर परमानेन्ट तरीके प्रोजेक्ट के नीचे रुपया मांगें, वह दे सकते हैं। वे लोग राजस्थान सरकार से मांगते प्रोजेक्ट लेकिन राजस्थान सरकार उनको देती नहीं, यह उनका चार्ज था। राजस्थान सरकार ने इस ग्रोर ग्रब काम करना शुरू किया है। एक स्पेशल सेक्रेटरी मि० पांडे को इस काम में लगाया है। वे काफी होशियार हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है। न तो उनके पास कोई मशीनरी है ग्रौर न प्लान है। रेगिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है। हमारे प्रान्त का 65 प्रतिशत हिस्सा है। उसके लिये कोई परमानेन्ट

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

स्कीम नहीं बना पाये तो सबसे बड़ा फेल्योर होगा। आज एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिये कितने इन्जीनियर्स चाहियें, कितने कारकून चाहियें तब जाकर प्रोजेक्ट बनता है। हम 20 साल से कुछ कदम नहीं उठा पाये और प्रोजेक्ट नहीं बना पाये। लोन लेते रहे और ग्रान्ट लेते रहे और हर साल अकाल का सामना करते रहे। हमारे प्रोजेक्ट की मशीनरी को इतना मजबूत बनाया जाय कि हर क्षेत्र का सर्वे हो, इन्वेस्टिगेशन हो और एलोकेशन्स ऑफ फन्ड्स भी बराबर हों।

सभापति महोदय, हमने अनुभव किया है कि जो भी हमारी पिछली नीतियां थीं, उनका क्रियान्वयन बराबर नहीं था। अकाल फलौदी में पड़ता था और उसका इलाज गंगानगर में होता था। इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। सेमी एरिड एरिया, एरिड एरिया, एक एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा राहत पहुंचानी है. इन सब के लिये हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूं जिस तरह के लोग होने चाहियें नहीं हैं। अकाल कल भी पड़ सकता है, परसों भी पड़ सकता है। हमारे सामने अकाल से लड़ने के लिये कोई नीति नहीं है। यह सबसे बड़ा फेल्यार है।

मैं इस बात को मानता हूं बरकत सरकार के बनने के बाद इस ओर कोई न कोई ठास कदम उठाने चाहियें। 50 परसेन्ट एरिड एरिया है उसका कोई न कोई इलाज होना चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि फलौदी के लिये डिटेल्ड अन्डरग्राउन्ड वाटर का सर्वे नहीं हुआ। कौनसी योजना बन पायेगी? सूखा और नंगा इलाका है। कहां से पानी आवेगा? एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। फलौदी शेरगढ़ जैसे एरियाज, जो स्टार्क फेमीन एरिड एरियाज हैं, उनके लिये प्रायोरिटी की योजना नहीं ली गयी तो अकाल की लड़ाई से कैसे लड़ पायेंगे। इसलिये अकाल के सम्बन्ध में सरकार को एक निश्चित नीति बनानी चाहिये। सभापति महोदय, आपके द्वारा बरकत साहब को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फाइनेन्स कमीशन के सामने इस मसले को रखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान की जो कन्डीशन्स हैं, उन कन्डीशन्स को देखते हुए राजस्थान को उठाने के लिये जब तक सेन्टर कोई बड़ा कदम नहीं उठायगा और बड़ा कदम नहीं उठा सकेगा और बड़ा प्रोजेक्ट का प्रावधान नहीं होगा तो अकाल की इस लड़ाई से नहीं लड़ पायेंगे। हमारे यहां अकाल के खर्चों और गलत नीतियों के और कई कारणों के कारण जो रिसोर्सेज मोबेलाइज होने चाहियें वे नहीं हो पायेंगे। इसलिये सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं राज नेताओं से निवेदन करूंगा कि सदन को बिना किसी भेद-भाव के रेगिस्तान के लिये बड़ी लड़ाई लड़ने के लिये तैयार रहना चाहिये और तैयार हुए तो हम अवश्य सफल होंगे।

सभापति महोदय, जब प्रधान मंत्री से मिला तो ज्ञात हुआ कि उनको राजस्थान के रेगिस्तान की जानकारी मेरे से भी अधिक है। बबूल के लिये कहा तो कहने लगी कि वह ठीक नहीं है। और कुछ कदम उठायेंगे तो ही सफलता मिलेगी। केस्टर, युकिलपटस अफोरेस्टेशन जो कुछ भी व्यवस्था हमें करना है सामूहिक रूप से पैरी सौजन्यता और इन्वेस्टिगेशन और सर्वे के साथ आगे

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लड़ाई लड़ नहीं पायेंगे ।

एक सदस्य : अकाल से ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अकाल से लड़ नहीं पायेंगे ।

अकाल राहत मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं । जो अन्न का हिस्सा हम को मिलना चाहिये था वह हमें नहीं मिला । कम्पेरेटिवली दूसरे प्रदेशों के कम मिला । उस कम मिलने का कारण क्या है ? या तो यह हो सकता है कि हमें जिस तरह से केस को रखना चाहिये था हम केस को रख नहीं सके । यह तो उनके जानने की बात है । उनके कम्पेरिजन में हमको अन्न कम मिला है । यहां के होर्डर्स के पास है तो हमको उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहियें । फूड मिनिस्टर के हिसाब से हमारा अन्न का उत्पादन 100 मिलियन टन हुआ । 4 मिलियन टन का खरीफ में शार्ट-फाल हुआ । बाकी का अन्न कहां चला गया ? ठीक है दिल्ली नहीं दे । यहां जितना अन्न है फौरन उसकी वसूली की जाय और जिनको जरूरत है उनके वहां वह पहुँचाया जाय । इसकी शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये । यदि इसकी शीघ्र व्यवस्था नहीं हुई तो महीने-डेढ़ महीने में अन्न की स्थिति भयंकर हो जायेगी । लोगों को यदि अन्न कम मिलता है तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति अपनी चरमसीमा पर पहुँच जावेगी ।

सभापति महोदय, राहत कार्यों पर जो खास कर यह कहते हैं कि नया डी. एस. आर. आया है उससे 30 परसेन्ट बढ़ाया है । रिलीफ रेट्स हैं, टास्क फोर्स बनी हुई है । 200 क्युबिक फीट । पहले 110 फीट था । नयी टास्क फोर्स में 3.75 ग्रेवल 500 था नये में 1.76 हो गया व टास्क फोर्स बढ़ गया । 3½ से 7½ कर दिया टास्क फोर्स तिगुना हो गया । जो रेट थी 10 परसेन्ट कम कर दी । आज डेढ़ रुपया मजदूरों को औसतन मिलता है । फलोदी में रुपया-बारह आना भी नहीं मिलता है । इसलिये कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़ेगा ताकि मजदूरों को दो-ढाई रुपया तो मिल सके । महंगाई में यह नहीं मिलेगा तो जो राहत पहुँचायी जानी थी वह नहीं पहुँच जा सकेगी ।

मैं आपके द्वारा सरकार से फिर कहूंगा कि अन्न की समस्या को शीघ्र से शीघ्र हल करना चाहिये ।

सभापति महोदय, दूसरी बात शिक्षा के बारे में है । कल ही बात चल रही थी । गरीब और अमीर का सवाल पैदा हुआ था मैं शिक्षा के बारे में आपके द्वारा कुछ सूचना भेजना चाहूंगा । अभी अभी कमिश्नर शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी एक रिपोर्ट आयी ।

उस रिपोर्ट में खास तौर से अनुसूचित जाति और जन-जाति के बारे में लिखा है कि राजस्थान में उनकी आबादी कुल आबादी का 35 प्रतिशत है । इसी अनुपात से शिक्षा में इनका पार्टीसिपेशन हो, यह प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : आपका समय पूरा हो गया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनका समय तो अभी चालू हुआ है।

श्री सभापति : मैंने अलॉटमेन्ट ऑफ टाइम की बात कही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह अलग बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका समय तो बहुत बलवान है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप भी साथ में हो हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 65/66 में जहां 21 लाख बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में वहां इनके बहुत ही नगण्य थे। ये आंकड़े लड़कियों की शिक्षा के है। लड़कों में 77 लाख थे इनके सिर्फ 2 लाख 60 हजार। हायर एजूकेशन में 11500 के मुकाबले में इनके सिर्फ 242 लड़के थे। आप कहते हैं। कि गरीबों को शिक्षा पहुँच चुकी है पर ये आंकड़े उल्टी बात कहते हैं। अभी तो इनका पार्टीसिपेट होना भी शुरू नहीं हुआ है। टेक्निकल स्कूलों में मुश्किल से एक दो लड़के उनके पढ़ते हैं। इससे अधिक और क्या विडम्बना हो सकती है।

इस दृष्टि से आपकी शिक्षा की नीति पूरी की पूरी फेल हो चुकी है। इसे नव सिरे से आपको बनाना होगा। नहीं तो बुनियादी तौर पर हम सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन भी लाने में असफल होंगे।

मैंने थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उसमें आदर्श विद्या मन्दर का प्रश्न उठाया था। काफी तथ्य हमने दिये थे। फोटो स्टेट कॉपी भी दी थी। हम चाहते हैं कि साम्प्रदायिक स्कूलें जल्दी खत्म हों तो अच्छा। 12 कांग्रेसी एम. एल. एज ने भी प्रतिवेदन दिया था। उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमें पता नहीं चला कि इसमें क्या है। ग्रान्ट भी जो बन्द थी, वापस चालू कर दी।

समझ में नहीं आता हमारी शिक्षा नीति है क्या ?

सभापति महोदय, इसी तरह से उद्योगों की नीति है। मिनरल डवलपमेन्ट की तरफ और दूसरे उद्योगों की तरफ हमारी सही नीति नहीं है। 8300 करोड़ का मिनरल हमारे यहां आज पड़ा है। जो जानकारी आज दिन तक सर्वे से हमें मिली है उसके आधार पर उसका औद्योगिक उपयोग कैसे करें इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। राक-फास्फेट हमारा बुरी तरह से बेकार हो रहा है। सेठी साहब कह रहे हैं कि दस हजार टन का इसका दैनिक उत्पादन करेंगे। पर आज दो हजार से भी अधिक नहीं बढ़ रहे हैं। काम का ढंग उनका बहुत गलत है। इसी तरह से पाइराइट का हाल है। 200 टन रोज का बैनीफिसियेशन प्लान्ट लगाकर उससे सलफरिक एसिड दे सकते हैं। जिप्सम में हम धनी हैं। पर इनमें क्या काम हो रहा है सब तरफ आपाधापी और लालफीताशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह सब क्या तरीका है। इस पर बेस्ट इण्डस्ट्रीज की आज देश के औद्योगीकरण में काफी आवश्यकता है और इसके लिये साइजेबल योजना नहीं बन पावेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हम

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार लाना चाहते हैं, वह ला पावेंगे। लाक स्टेण्ड की हमारी पालिसी है। रियायतें लागू नहीं करते आज आप देखिये जै. के. के. प्रति ऋण की हमारी क्या नीति है। मैंने इस बारे में प्रश्न भी उठाया था। 89 प्रतिशत ऋण ये बडे-बड़े उद्योगपति ले जाते हैं। साहू जैन जैसे लोग ले जाते हैं। सही माने में जो एन्टर प्रेन्योर हैं, जो हिम्मत लगन और अपने बुद्धिबल से इसमें आना चाहते हैं पर आर्थिक स्थिति से कमजोर होने से आ नहीं सकते, उनको कोई ऋण सहूलियत से नहीं मिल पाता। आपकी नीति है क्या यह समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिये प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलता।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि एक्चुअली टैकनिकल और क्वालिफाइड आदमियों को, हम जो ऋण देते हैं कारखाना लगाने के लिये, उस में शिवचरण माथुर के पुत्र ने कारखाना लगाया पर वह बन्द पड़ा है। पैसा पूरा नहीं मिलता, जो सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती। उल्टे कठिनाइयां बढ़ाई जाती हैं। मैं पूछता हूं इस स्कीम के अन्तर्गत कौनसा कारखाना आपका चलता है। केवल कुछ को देकर खानापूर्ति करते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं।

कैपेसिटी सर्वे का प्रश्न उठाया गया। यह सर्वे नहीं हुआ। इसके लिये कितना स्टील, कितना कापर, कितना जिंक आदि चाहिये, कौनसा कारखाना कितना बनाता है, कितना-कितना उसको चाहिये इसका कोई सर्वे नहीं है।

वेज सर्वे पूरा का पूरा यों ही पड़ा है।

तो इन कामों के लिये निष्णात, ईमानदार और लगनशील मशीनरी चाहिये, जो आज आपके पास नहीं है। इसलिये जब तक इस प्रशासनिक मशीनरी में आमूलचूल परिवर्तन आप नहीं करेंगे इस दिशा में कुछ प्रगति नहीं कर पावेंगे।

सेन्ट्रल स्टोर परचेज ओरगेनाइजेशन की बात सामने आई। इसका भी वही हाल हुआ। इस तरफ आप ध्यान दें ताकि राजस्थान के छोटे-मोटे कारखाने वालों को समय पर ठीक कीमत पर सामान मिल सके। मारकेट की भी सुविधा उनको मिल जाय। इसके लिये सेण्टर मे आया हुआ पैसा भी पड़ा है। पर इसमें कोई काम नही हो रहा है। पांच लाख का प्रावधान है। बहस मुबाहसा सदन में होता है, यह ठीक है। पर किसी तरह से इनकी तरफ ध्यान दिया जाय तो अच्छा है।

सलादीपुर दिल्ली में बैठकर बातें करें। जो इसका कारखाना यहां पर आने वाला है, इन्जीनियरों से केमिकल इन्जीनियरों से एग्रीमेन्ट हो चुका है, ये केमिकल के सारे के सारे कारखाने सल्फर बेस्ड हैं और बड़े काम्पलीकेटेड हैं। वर्ल्ड बैंक इसमें फोरिन इन्जीनियरों की एडवाइज हो तो एड देने को तैयार हैं क्योंकि उनकी निगाह में यह काम बड़ा टेकनिकल और काम्पलीकेटेड है, काम्पलीकेटेड केमिकल बेस्ड ये कारखाने हैं। इण्डीजीनस टेकनिकल वालों के भरोसे पर वर्ल्ड बैंक फाइनेन्स करने को तैयार नहीं है। तो गलत नीतियों को अपनाकर हम आज इस स्टेज

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तक नीचे उतर गये हैं। इसके अभाव में हमारी औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही है। हम अपने टेक्निकल टैलेन्ट का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

बरकत सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है। काफी कम हुआ है। सेक्रेटरियेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। पर इसके साथ जो जन प्रतिनिधियों का महत्व होना चाहिये वह कम हुआ है। उनके पार्टीसिपेशन की योजना इस सरकार के पास नहीं है।

मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह जो भ्रष्टाचार कम होने की बात मैंने कही है उसके बावजूद भी सरकार इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं है, एक्शन लेने में फिर भी ढ़ील करती है। इससे शंका होती है कि भ्रष्टाचार क्या वास्तव में समाप्त हुआ है या नहीं। मैं उदाहरण दूंगा कुछ। एक. डी. एस. पी. हैं। डूंगरपुर की तरफ के। उन्होंने बलात्कार किया। कनफेशन भी किया। इसके बाद उनका सस्पेन्शन हुआ। पर उनको वापिस रिइन्स्टेट ही नहीं कर दिया बल्कि प्रोमोट करके एस. पी. भी बना दिया। अब कहां से आप भ्रष्टाचार मिटावेंगे ?

एक हैं डी. जगन्नाथद, डी. एस. पी. थे। उनका मामला है। प्रेसीडेण्ट तक उनका मामला गया। आई. पी. एस. आफिसर हैं इसलिये वहां से किसी तरह से उनको सजा दी जावे। उनका डिसमिसल कर दिया गया। ये दो मापदण्ड क्यों रखे गये। एक को सजा दिलवाई, दूसरे को प्रोमोट कर दिया।

एक आई. ए. एस. ऑफिसर हैं। मैं निश्चित सूचना के आधार पर कहता हूं कि इन्होंने तै कर लिया है और एक साजिश करके इस सरकार की जनहितकारी समाजवादी नीतियों को फेल करना चाहते हैं। वे इन प्रगतिशील नीतियों को अमल में नहीं आने देने के लिये लगातार कोशिश करते हैं। एक आई. ए. एस. अधिकारी हैं, उनकी पत्नी ब्यूटी डेकोरेशन एक्सपर्ट हैं। वे अपना धन्धा घर बैठे चला रही हैं, सरकारी टेलीफोन, बिजली, मकान आदि का उपयोग करती हैं। तो इस तरह से यह सब कब तक चलता रहेगा ?

एक माननीय सदस्य : यह ब्यूटी इलेक्ट्रीसेशन क्या बला है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह जिनके चेहरे के बाल उड जाते हैं कर जाते हैं उनको ठीक कर देते हैं। सुन्दरता को निखार देते हैं चेहरे की।

श्री केदारनाथ : हमें भी बताओ ऐसा कोई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आर. सी. मिश्रा का सवाल उठाया गया था। मामला विजिलेन्स कमीशन को भेजा गया। उसने लिखा :

Suitable advice has already been tendered to the Government for disciplinary action against the delinquent officer in respect of the allegations which were found primafacie established. इसके बाद आज जवाब आता है उनका कि हमने विजिलेन्स कमीशन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

के साथ बात करके इस केस को फाइल कर दिया। अब बताइये भ्रष्टाचर मिटे तो कैसे मिटे। कहां का भ्रष्टाचार मिटा। आप बताइये।

सभापति महोदय, अगर इसी तरह के किस्से होते रहेंगे और ब्यूरोक्रेसी इसी तरह से पावर में आती चली गई और ऐसे ठीक करने के लिये ठोस और सख्त से सख्त कदम नहीं उठाये जावेंगे तो भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा अमल में नहीं आवेगा, प्रगतिशील नीतियां आपकी आगे नहीं बढेंगी, सब धरी रह जावेंगी।

श्री सभापति : श्री पी० के चौधरी !

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने पिछले साल के काम काज का एक लेखा-जोखा और आने वाले साल के कामकाज की रूपरेखा प्रस्तुत की है। परन्तु आप पढ़ेंगे कि यह एक प्रकार का कम्पलीसेंस (Complasence) है। इस प्रकार से डील किया गया है जिससे लगता है सरकार कम्पलीसेन्ट है और समझती है एवरीथिंग इज रनिंग ओ० के०।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में जितने माननीय सदस्यों ने कहा है उसमें ज्यादातर प्राइसेज के लिये बोल रहे हैं, मंहगाई के लिये बोल रहे हैं लेकिन राज्यपाल महोदय का आशय मंहगाई शब्द हाई प्राइस से है, उसका मैंन्सन कहीं नहीं मिलेगा। अनाज की कमी है, लेकिन मंहगाई की कोई बात नहीं है। हम मानते थे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमें कुछ इन्फरमेशन मिलेगी, कुछ एनेलेसिस मिलेगा और कुछ बल मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिला। मंहगाई शब्द से सरकार को नफरत है। प्राइस का सवाल यहां आता नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा था, कम्पलेक्सन की बात कह रहा था। एक पैराग्राफ पढ़कर सुना देता हूं—अकाल और बाढ़ के कारण अनाज की पैदावार बहुत कम हुई। इस हालत में सस्ते अनाज की 4644 दुकानें खोली गई। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अनाज का आवंटन करती है और राज्य सरकार की बराबर यह कोशिश है कि यह आवंटन हमारी जरूरत के मुताबिक हो। यह जो स्टेटमेंट है राजस्थान की जो स्थिति है अनाज की यह काफी है। यह हमारी जो अनाज की स्थिति है उसकी सारी पिक्चर है। मैं समझता हूं, नहीं है बल्कि हमको मुगालते में रखा है। अभी भाषण में कहा 4644 सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई लेकिन मैं समझता हूं नहीं खोली गई, क्योंकि मेरी खुद की कान्सीट्यून्सी का गांव अकाल में है। वहां सस्ते अनाज की दुकान आज तक नहीं खुली है। कम से कम 20, 30 प्रतिशत भी नहीं खुली हैं। कह दिया गया 4644 सस्ते अनाज की दुकानें खोली इसका चैक करने को हमारे पास कोई नहीं है। अकालग्रस्त इलाका हर पंचायत में है। मेरे क्षेत्र का मुझे पता है और मैं कह सकता हूं सारे स्टेट की वही हालत हो सकती है। यह जो पढ़कर सुनाया इसमें सरकार की कितनी गैर जिम्मेदारी मालूम होती है अनाज की कमी है। सेन्टर से अनाज मिलता रहेगा

(श्री पी० के० चौधरी)

और हम आवश्यकतानुसार आवंटन करते रहेंगे। आज जो अनाज दिया जाता है दो किलो, चार किलो। जहां अनाज नहीं है वहां एक आदमी के हिस्से में रहने के लिये काफी नहीं है। मैं मानता हूं अनाज की जो स्थिति है, वह काफी गंभीर है। अनाज की स्थिति से भी सवाल आता है परचेजिंग पावर का सवाल आता है। परचेजिंग पावर जनता में है तो सब कुछ मिल सकता है—गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का। सवाल जो हमारे सामने है वह परचेजिंग पावर का है। कोई धन्धा नहीं है। रुजगार से आदमी के पास पैसा आता हैं और गांवों में कोई रुजगार है नहीं।

मैं मानता हूं 1 करोड़ 33 लाख लोग अकाल से ग्रस्त है इसमें कम से कम 20 लाख को एम्पलॉयमेंट मिलना चाहिये तब जाकर परचेजिंग पावर आती है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं मंहगाई की बात हमने इसलिये कहा आज अकाल घोषित हो गया। वहां पर कुछ अनाज पहुंचाया जाता है विशेष तौर से। हमारे कुछ जिले अकालग्रस्त हैं और कुछ जिले अकाल से प्रभावित हैं। जहां अकाल-ग्रस्त एरिया है वहां रिलिफ वर्क खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां की पंचायत अकालग्रस्त नहीं है, वहां रिलीफ वर्क नहीं खोले जाते हैं और दोनों जगह अनाज के भाव बराबर हैं। अकालग्रस्त पंचायत में कोटा ज्यादा देते हैं और जहां अकाल नहीं होता है वहां कोटा कम देते हैं। वहां के जो वीकर सेक्सन है वह बराबर रहता है। सवाल आता है न तो सरकार ने ध्यान दिया और न राज्यपाल महोदय ने ध्यान दिया। मेरे कहने का मतलब रिलीफ वर्क वहीं खोल सकते हैं, जहां अकालग्रस्त है, लेकिन जो अकाल ग्रसित नहीं हुआ वहाँ पर जो गरीब तबके के लोग है वहां पर भी रुजगार नहीं है। मेरा कहने का मतलब रिलीफ वर्क खोले लेकिन जो वीकर सेक्सन है जिसकी परचेजिंग पावर नहीं हैं और जो हाई प्राइस से पीड़ित हैं उसके लिये हमने क्या व्यवस्था की है। इसके लिये कोई संकेत न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से मिलता है और न अकाल राहत मंत्रीजी ने दिया, उससे मिलता है।

मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी प्राब्लम है जिसका अफेक्ट फेमीन अफेक्टेड एरिया से है, लेकिन गैर फेमीन एरिया है, और वहां के जो लोग है, उन वीकर सेक्सन पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रिलीफ वर्क अकालग्रस्त इलाके में खोले जा सकते हैं तो जो अकालग्रस्त नहीं है वहां पर भी एम्पलॉयमेंट वर्क होने चाहियें, उसका फन्ड कहां से आना चाहिये केस प्रोग्राम से या और कहीं से उसको मीट करना चाहिये।

दूसरी बात सभापति महोदय फूड डिस्ट्रिब्यूशन भी सही तरीके से नहीं होता है। अनाज का कोटा तय कर दिया लेकिन डिस्ट्रिब्यूशन सही नहीं होता है। सफिसिऐन्ट क्वान्टिटी नहीं मिलती है। एक किलो दो किलो, चार किलो का प्रावधान रखते हैं। यह काफी नहीं होता है क्योंकि एक-एक पंचायत में 20 बोरी दिया, किसी को 50 बोरी दिया, किसी को 30 बोरी दिया। हम इन्स्ट्रक्शन देते हैं सबको बराबर-बराबर बांटेगा तो कुछ भी हिस्से में नहीं आता है। हम रिलीफ वर्क के जो मजदूर हैं, उनको विशेष रूप से दें, यह

(श्री पी० के० चौधरी)

होना चाहिये इसलिये डिस्ट्रिब्यूशन में डिफरेन्स होता है। जो इन्स्ट्रक्शन देते हैं वह कहां तक फालो होता है और कहां तक फालो नहीं होता यह सबको मालूम है।

लोगों के पास पैसा हो तो खा सकते हैं। सरकार को फुल कोटे में अनाज देना चाहिये, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक सरकार ने होलसेल ट्रेड को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आज जो नक्शा दिखता है उससे ऐसा लगता है होल सेल ट्रेड सरकार ले पायेगी या नहीं। आज से एक महीने बाद रबी की फसल है, वह आने वाली है। गवर्नमेंट का उसके बारे में क्या होगा यह अभी तक पता नहीं चला है। सरकार ने कहा है– राज्य सरकार ने पैरा 11 में राज्यपाल महोदय कहते हैं होल सेल ट्रेड का हाथ में लेने का तय किया है और इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जबकि महीना भर बाकी रह गया है। महीने भर बाद मण्डियों में गेहूं आने वाला है। 1 अप्रेल से आने वाला है इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो मशीनरी आप प्रोक्योरमेंट की रखना चाहते हैं उसको फौरन फील्ड पर पहुंच जाना चाहिए। हमको डिस्ट्रिब्यूशन की मशीनरी भी फौरन तय करना चाहिए। It must be immediately set in motion. It must be finalised and kept in full running condition. वह नहीं होगा तो मैं मानकर चलता हूं कि महीने के बाद जब अनाज मण्डी में आयेगा तो बंगलिंग होगा और जो स्थिति आज है वही स्थिति तब भी रहेगी।

दूसरी बात मैं फेमिन रिलीफ वर्क्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा– 'राज्य सरकार ने राहत कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरी की दैनिक दरों को जनवरी, 1973 से दुगुना कर दिया है। अब जो मजदूरी चुकाई जायेगी, उसे काम की मात्रा से जोड़ दिया गया है।' सभापति महोदय, पहले फेमीन हुआ करते थे तो मैं आपको बताऊं कि जनवरी में 1½ या 1¾ रुपये से अधिक किसी को नहीं पड़ा है। 15 परसेंट तो कान्ट्रेक्टर को दिया जाता है। बी. एस. आर. में भी कान्ट्रेक्टर की रेट है। यह 70 परसेन्ट करते हैं तो 15 परसेन्ट तो कान्ट्रेक्टर को दिया जाता है फिर पानी पिलाई का भी उसमें आता था। दरअसल 70 परसेन्ट में नहीं होता है वह उससे भी ऊपर आकर पड़ता है। दूसरी एक दिक्कत और है कि आजकल 25 आदमियों को एक टास्क बताते हैं। उसमें हर आदमी को बराबर-बराबर काम नहीं होता है। इसलिए उस एक काम पर लगे बहुत से आदमी तो बहुत कम काम करते हैं और कुछ ज्यादा काम करते हैं। इसलिए सबको बराबर-बराबर पैसा नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा जिसके ऊपर यहां सदन में काफी चर्चा हुई और वह है मनचन्दा कमेटी के सम्बन्ध में। मेरी खुद की राय यह है कि मनचन्दा कमेटी सदन के सामने आकर अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती है इसलिए हमको इतने जोश से कन्डम इसको नहीं करना चाहिए और इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं

(श्री पी. के. चौधरी)

मानकर चलता हूं कि मनचन्दा कमेटी आई और उसने सुना और उसने अपनी कोई रिपोर्ट दी होगी लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेन्ट ने भी तो फैक्ट्स एण्ड फिगर्स उसके सामने रखी होगी जिसके ऊपर उसने रिपोर्ट दी होगी और प्राईम मिनिस्टर खुद आई थीं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने अपना असेसमेंट बताया है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति गंभीर है। आपने 18 हजार गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है तो मनचन्दा कमेटी ने यह तो नहीं कहा कि, नहीं 18 हजार गांवों में अकाल नहीं है। यह कहा हो तो बता दें ? मैं समझता हूं कि मैं इसके पक्ष में मैं नहीं हूं कि किसी आफिसर को, जो कि अपने को डिफेण्ड नहीं कर सकता, यहां आ नहीं सकता उसको इतना कन्डेम किया जाये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उस मनचन्दा कमेटी ने जैसी भी अपनी रिपोर्ट दी आखिर उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बताई होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी तो फैक्ट्स एण्ड फिगर्स रखे होंगे और उसमें कोई गलती है या उन्होंने गलत लिख दिया है तो वह बता दें। यह बता दें कि उसने कह दिया हो कि 18 हजार गांवों में अकाल नहीं है।

You should ask the Prime Minister to see.

दोनों देख लें कि कौन सी बात सही है। आप बता दें क्योंकि मनचन्दा कमेटी ने कोई रिपोर्ट दे दी है, इसलिए ऐसा हुआ। बात कुछ और है। मैं जानता हूं प्राईम मिनिस्टर ने कहा है कि राजस्थान में सीरियस फैमिन कन्डीशन्स हैं और उसके बावजूद भी पैसा नहीं आता है तो उसकी वजह दूसरी होगी। या तो आपके पास फण्ड्स पड़े हैं। हमने सुना है ऐसा कि आपके पास 20 करोड़ रुपया पड़ा है जिसको आप यूटीलाइज नहीं कर सके हैं। आपने 25-30 करोड़ मांगा 31 मार्च तक के लिए और आपको 5-6 करोड़ रुपया ही दिया और कहा कि 20 करोड़ पड़ा है उससे काम चलाओ। तो यह बात सामने आनी चाहिए मेरा कहना है कि एक ही आफिसर को कन्डेम नहीं करना चाहिए। इसको मैं उचित नहीं मानता हूं और मैं तो कहता हूं कि जो आफिसर गलती करता है....

Government of India is not Manchanda. Government of India is headed by Prime Minister, Smt. Indira Gandhi.

फण्ड्स हमको गवर्नमेंट आफ इन्डिया से मिलते हैं इसलिए यह बात मेरे गले से नहीं उतरती है। हालांकि मनचन्दा के ऊपर यहां हाउस में बहुत डिस्कशन हुआ जिसका मैं एप्रीशियेट नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में फैमिन 7 साल हुआ और करीब 200 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ और इस साल का जो फैमिन है उसमें भी करीब 100 करोड़ रुपया लगेगा तो 300 करोड़ रुपया फैमिन पर पड़ता है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड फाइव ईयर प्लान याने तीनों में मिलाकर 378 करोड़ रुपये

(श्री पी० के० चौधरी)

का प्लान एक्सपेन्डीचर है। फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में 67 करोड़, सेकिण्ड में 99 करोड़ और थर्ड फाईव ईयर प्लान में 212 करोड़ रुपया हमारे प्लान डवलपमेन्ट पर खर्च हुआ सारे राजस्थान के अन्दर। और 300 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं फैमिन पर पिछले दस बारह सालों से। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का डवलपमेन्ट कैसा होगा ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया गया)

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 12-13 साल में हमारा फैमिन रिलीफ में 300 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस साल के फैमिन को मिलाकर, लेकिन हमने कुछ एचीव नहीं किया और हमारे प्लान का खर्चा आता है 378 करोड़ रुपया। तो इस तथ्य को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि एक बात साफ जाहिर होती है कि 300 करोड़ रुपया फैमिन में खर्च करके हमने कोई असेट क्रियेट नहीं की ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर पाये 15-20 साल में जिससे कि इस फैमिन का कोई परमानेन्ट साल्यूशन हो राज्य सरकार के लिए यह कोई तारीफ की बात नहीं है। तीन प्लान का डवलपमेन्ट खर्चा 378 करोड़ किया है और फैमिन पर 300 करोड़ रुपया और उसके बाद भी हमारी राजस्थान की 1/3 जनता इस फैमिन से इफेक्टेड है। उसमें हमने भी 300 करोड़ रुपया खर्च किया है।

But it could do nothing.

वह मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट के लिए तारीफ की बात नहीं है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जैसे गरीब प्रदेश को फैमिन का या नेचुरल कैलेमिटी को फेस करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से सहमत हूं कि उन्होंने फाइनेन्स मिनिस्ट्री को कहा है कि अकाल के लिए फण्ड्स अलग से होने चाहिए इसके लिए सैपरेट फण्ड्स हों जिससे स्टेट के ऊपर बरडन नहीं हो। डेजर्ट डवलपमेन्ट सेन्ट्रल सब्जैक्ट हो तब तो यह स्टेट बोझ उठा सकती है।

दूसरा सभापति महोदय।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री पी. के. चौधरी : राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि कोर्स क्लॉथ का डिस्ट्रिब्यूशन ग्रेन शोप्स से सस्ते अनाज की दुकानों मे शुरू कर दिया गया है। यह कब से शुरू कर दिया गया है और कहां पर शुरू कर दिया गया हैं। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय का यह भाषण जो आफिसर लोग

(श्री पी० के० चौधरी)
ड्राफ्ट करके देते हैं वही होता है तो कम-से कम इस बात को देखें कि सही बात तो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। लिखा है।

सस्ते गल्ले की दुकानों पर मोटे कपड़े का वितरण भी राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है।

मैं और कहीं की बात नहीं करता, इस जयपुर शहर के अन्दर ही बता दें कि किस दुकान में कोर्स क्लोथ बिका है, अगर बिका हो तो बता दें। मेरा निवेदन करना यह है कि यह सरकारी, जो अफसर हैं, इस प्रकार की गलत बात को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी लिख देते हैं और मैं तो कहता हूं....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अनाज की दुकानें हैं गांवों में और मोटे कपड़े की दुकानें खोलते हैं शहर में जहां से ले नहीं सकते।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करिए।

श्री पी. के. चौधरी : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभिभाषण में कहा जा रहा है कि तारीख 16 को स्टडी टीम आएगी और फिर पैसा आएगा। वह तो बहुत पहले वाली बात है। मनचन्दा स्टडी टीम आने की बात तो पहले सुनते थे, उसके बाद तो स्टडी टीम आ भी गई और अब उसकी बात हमको सुना रहे हैं। हम एस्पेक्ट करते हैं कि राज्यपाल महोदय का जो भाषण हो वह तो अप टू डेट हो। अंत में मैं एक बात प्राईमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्राईमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में कहा गया है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

जस्ट मेंशन कर देता हूं। प्राईमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में कहा गया है कि 6 से 11 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को 60 परसेंट तक प्राईमरी स्कूल्स में भेज सकेंगे। हमारे इलेक्शन मेनीफेस्टो में यह है कि हम 75 तक हम हन्डरेड परसेंट 6 से 11 ईयर्स के एज ग्रुप के लड़कों को स्कूल में भेजेंगे। लेकिन अभी के अभिभाषण में हमको इसका कोई आभास नहीं मिलता है कि जो 40 परसेंट दो साल में करना है उसका क्या इन्तजाम किया जाएगा। अभिभाषण में कहा गया है कि मिडिल स्कूल्स इतनी खोली जायेंगी कि 5 प्रारम्भिक शालाओं पर एक मिडिल स्कूल बन जाय। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रारम्भिक स्कूल हैं, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो हमने इलेक्शन मेनीफेस्टो में कमिटमेंट किया है, हम इसके लिए कमिटेड हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है। इसका कोई जिक्र नहीं है, इसका मुझे बहुत खेद है। इसकी सही जानकारी आनी चाहिए थी और हमको बताया जाना चाहिए था कि जो इलेक्शन मेनफेस्टो में 75 तक हंडरेड परसेंट कवर करने की बात थी उसके लिए क्या किया जाना है।

अन्त में, मैं एक बात जयपुर शहर के बारे में कहना चाहता हूं। जयपुर जिले को जो अनाज कोटा देते हैं उसमें जयपुर शहर को शामिल करते हैं। नतीजा यह होता है कि हम आधा कोटा तो जयपुर शहर को दे देते हैं गेहूं और हमारे गांवों के लोग देखा करते हैं।

श्री सभापति : आप कृपया अब समाप्त करिए।

श्री पी. के. चौधरी : जयपुर शहर में दो किलो अनाज मिलता है लेकिन गांवों में मक्का देते हैं, वह भी नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी स्टेट केपिटल्स हैं उनको गेहूं सीधा सेंट्रल से अलाट होता है। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बम्बई हो, मद्रास हो सब स्टेट केपिटल्स को सेंट्रल कोटा से अलाटमेंट होता है, तो जयपुर शहर भी स्टेट केपिटल होने के नाते।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

उसका अनाज का कोटा भी सीधा सेंट्रल से आना चाहिए न कि जिले के कोटा से देना चाहिए। इस बात की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि समय सीमित हैं। जो समय अलाटेड है उसके अन्दर ही बोलें और दस मिनिट से ज्यादा समय नहीं लेते हुए उस परिधि के अन्दर ही सारी व्यवस्था जमावें।

श्री हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ) : सभापति महोदय. राज्यपाल का भाषण बहस के लिए प्रस्तुत है। इस भाषण से पहले जब हम मिले थे और 'हमने पिछला राज्यपाल का भाषण सुना था और साढे तीन दिन की लाजवाब असेम्बली भी देखी। इस दोरान में बहुत कुछ हुआ। जब साढे तीन दिन की असेम्बली लंगडी चली तो विधान सभा चारों तरफ से घिरी हुई थी। एक तरफ मेडिकोज के उबलते हुए विद्यार्थी, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर ग्रेज्युएट, तीसरी तरफ ज्योग्राफी के विद्यार्थी चारों तरफ से विद्यार्थियों के समूह से यह असेम्बली चारों ओर से घिरी हुई थी। इस दौर के अन्दर जब कि राज्यपाल का यह बुजुर्गाना भाषण पेश हुआ है, जिसमें कि एक बुजुर्ग की तरह अपने गोदाम को सम्भाला गया है। इस गोदाम में कितना माल है और उस गोदाम में कितना माल है। एक इंडेक्स बुक की तरह का यह भाषण है। न भाषण में प्रभाव है, न भाषण में जान है और न इस भाषण के अन्दर वह तेज है जो कि करोड़ों जनता ने आपको दिया है, न इस भाषण में इन लोगों की भावनाएं हैं जिन्होंने कि देश के अन्दर प्रधान मंत्री को इतने बड़े बहुमत से जिताया, न इस भाषण के अन्दर उन लोगों की बातें नजर आती हैं जिनके कारण यह फैला हुआ कांग्रेस का हमारा यह दल यहां पर बैठा है।

सभापति महोदय, इस भाषण के अन्दर मूल्यांकन होना चाहिए था कि इस एक साल के दौर के अन्दर मजदूरों ने हड़तालें की, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट और खेतड़ी के मजदूरों ने हड़तालें की. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के मजदूरों ने हड़तालें की। कर्मचारियों के संघों ने हड़ताल की, फोर्थ क्लास एम्पलाईज ने अपनी मांगें रखीं और फिर सारे नौजवान चाहे वह आई. टी. आई. के हों. चाहे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हों, चाहे मेडिकोज के विद्यार्थी हों, उन सब ने अपनी मांगें रखीं। आखिर इस भाषण के अन्दर, सभापति महोदय, इस असंतोष

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

का कारण होना चाहिए था और उस असंतोष के कारणों पर इस भाषण के अन्दर कुछ बात होनी चाहिए थी, कुछ चीज होनी चाहिए थी।

विजली इतनी आ गई, बस्तियों में इतनी पहुँचा दी। अगर वे भी आंकड़े देखें तो भी बड़ी घोर निराशा होती है। सबसे पिछड़े हुए वर्ग को ले लीजिए और बिजली की बात को ले लीजिए। 25 लाख रुपया बिजली पहुँचाने के लिए रखा गया। हरिजन और आदिवासियों की बस्तियों में बिजली पहुँचाने के लिए। सारे राजस्थान के लिए लक्ष्य रखे गए लेकिन 22 बस्तियों में लट्टू टांक दिए बिजली के, लेकिन किसी झोंपड़ी मे लट्टू जला हो ऐसी कल्पना करके नहीं चल सकते। और सारे राजस्थान में 50 लाख रुपया हरिजन और आदिवासियों की बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने के लिए रखा गया लेकिन किसी कच्ची और गन्दी बस्ती के अन्दर पानी का नल पहुँचाया हो ऐसी कल्पना लेकर नहीं चल सकते जब कि कहा गया था कि इतनी बस्तियों में पानी पहुँचाया जाएगा।

और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाल है। अकाल राजस्थान के लिए कोई नई चीज नहीं है। राजस्थान अकाल की गोद में पला है लेकिन राजस्थान के कुछ क्षेत्रों ने इस अकाल के पिशाच से हार स्वीकार कर ली और यह अकाल हमेशा राजस्थान को अपनी गोद में खिलाता रहेगा, अगरचे हम इस अकाल को नष्ट करने के लिए कोई पुख्ता योजना तैयार नहीं करते। वैसे तो मैं यह भी मानकर चलता हूं कि भारत सरकार के साथ जहां हमारे और उनके प्रान्तीय सम्बंधों का प्रश्न उठता है है हरएक को ज्योग्राफी और टोपोग्राफी को देखकर चलना चाहिए। अगर वे राजस्थान और बम्बई के बन्दरगाहों को या मछली पट्टम और कलकत्ता के बन्दरगाहों से होने वाली आमदनी को एक तराजू पर रख कर तोलें तो यह नहीं हो सकता। यह जो इम्बेलेंस कुदरत ने प्रदान किया है, इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसको कम्पन्सेट नेशनल पूल से किया जाना चाहिए। लगातार इस बात को दोहराया गया है लेकिन कोई भी कदम इस देश के अन्दर उठता हुआ नजर नहीं आता है। सभापति महोदय कुछ ऐसे कदम है जिनसे कि अकाल से लड़ा जा सकता है लेकिन उन कदमों के प्रति हमारा जो लक्ष्य है—राजस्थान नहर की बात बारम्बार यहां पर आती है। परन्तु जिस तरीके से इस नहर को टुकड़े टुकड़े कर के काटा गया है, जिस तरह से इस महान योजना की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से सिसक सिसक कर इसको तड़फाया गया है, जब इसका इतिहास पूछा जायेगा तो इसका कार्य करने वाले को, राजस्थान को यह देश कभी क्षमा नहीं करेगा। कंवरसेन ने योजना बनाई थी, 425 मील लम्बी नहर की—हेर के बारे से लेकर 111 मील पंजाब में और 425 रामगढ़ तक, कान्डला पोर्ट तक यह जाती है। एक खतोकिताबत हमारी कमेटी ऑफ डाइरेक्शन ने किया है सन् 1961 में। उससे पहले जिस तरीके से यह रामगढ़ से आगे नहर हटाई है उसका पूरा कारस्पोन्डेंस हुआ है। समय हुआ तो इसको भी रखूंगा। कमेटी ऑफ डाइरेक्शन ने सन् 60

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

के अन्दर यह निश्चय कर लिया कि यह 70 करोड़ और उसके बाद रामगढ़ का 140 करोड़ का खर्चा है वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सारे क्षेत्र के अन्दर बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, जोधपुर का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद गंगानगर जिले को लें तो आप देखेंगे कि यह नहर ही बनती रही, उसके ऊपर काम होता रहता जैसा कि माननीय सदस्य श्री छंगानी ने कहा तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती जिस स्थिति के अन्दर हम हैं। आज 280 करोड़ का कर्जा है और डेजर्ट ऑफ ब्लूम भी मूर्छा गया है। इस नहर के फर्स्ट स्टेज के अन्दर 16 लाख एकड़ का सिंचन हो सकता था और इसका टोटल सिंचन 46 लाख एकड़ का है। परन्तु राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर 16 लाख एकड़ का सिंचन पूरा न होकर 73 के अन्दर अभिभाषण में यह घोषणा की है कि इससे 4 लाख 50 हजार एकड़ में सिंचन होगा और दो महीने के बाद 25 हजार एकड़ में सिंचन और बढ़ जायेगा। इस बात को कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यहां पर एक छोटा मसला रखता हूं। श्री पी. शिवराम डवलपमेन्ट वर्क्स को देखने के लिये आ रहे हैं और उन्होंने यह बात कही कि हमारे पास में 40 करोड़ रुपया कोलोनाइजेशन के डवलपमेन्ट के लिये है। मैं भी वहां पर मौजूद था। कमिश्नर कोलोनाइजेशन भी मौजूद थे। कालोनाइजेशन के दूसरे अधिकारी भी थे। लेकिन 12 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट नहीं बना, डवलपमेन्ट वर्क्स को यूटिलाइज करने के लिये। जिस प्रकार से आज हम इस कोलोनाइजेशन को लेते हैं, अगर उस दृष्टिकोण को छोड़कर हम कोलोनाइजेशन के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लें तो अकाल से संघर्ष किया जा सकता है। कोलोनाइजेशन का मतलब जमीन का अलाटमेन्ट ही नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा अंग है। कोलोनाइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है। अगर आप स्टेडी करेंगे तो चार साल के अन्दर 16 हजार क्यूसेक्स की नहर बन जाती और उसमें एग्रीकल्चर का काम नहीं हुआ है। वहां पर पाश्चर ऑफ लैन्ड क्रियेट की गई है। पिगेरिज क्रियेट की गई हैं। यह साइन्टिफिकली ओरिऐन्टेड था। कोलोनाइजेशन का प्रोसेस था। अब हमारी स्थिति यह है कि राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि भाखरा नहर का काम पूरा हो गया है। सन् 55 में 6 लाख 20 हजार एकड़ जमीन का सिंचन होना था। यह बात आज 73 में कही गई है कि भाखरा योजना पूरी हो गई है। 17 साल के बाद 6 लाख 20 हजार एकड़ जमीन में सिंचन होने की घोषणा की जा रही है। लेकिन अगर कोलोनाइजेशन किया जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा पशुधन है, जो चार साल के इस अकाल से, सन् 68 के अकाल से, इन पिछले 5 सालों का अनुमान लगावें तो करीब 20 लाख पशु मर गये हैं और अब वाह, गुरु जाने इस अकाल के बाद क्या होगा अगर हम कोलोनाइजेशन के सारे प्रोसेस को समझ कर चलते तो यह स्थिति नहीं होती, पशुधन बचाया जा सकता था। आज हमने लिफ्ट इरीगेशन किया है जिस में एक बीघा की काश्त के सिंचन की कास्ट 180/- रुपया आयेगी। इसलिये हमने लिफ्ट इरीगेशन की योजना को नहीं बनाया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

था। यह योजना नहीं बनती और पाश्चर लैंड को क्रियेट करने के लिये योजना बनती तो पशुधन बचता, डेयरी उद्योग पनपता। लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना रशिया ने भी बनाई है, लीबिया ने भी बनाई है और इजरायल ने भी बनायी है। रशिया के अन्दर समुद्र के पानी को लिफ्ट् कर के साइबेरिया के लिये पानी केरी किया है। फर्टीलाजर और केमिकल्स को निकाला गया है। लीबिया ने भी पानी को लिफ्ट करके और उसको स्प्रे करके पाश्चर आफ लैन्ड क्रियेट किया। इजरायल ने भी लिफ्ट कर और स्प्रे के जरिये से पाश्चर आफ लैन्ड क्रियेट किये हैं। हमने लिफ्ट इर्रीगेशन के लिये किया है और जिसकी कास्ट 180/- रुपया फी बीघा आयेगी। यह एक बीघा इर्रीगेशन के चार्जेज हैं। यह चार्जेज देकर कौन कल्टीवेशन करेगा। यह इकोनोमी की दृष्टि से उपयुक्त नहीं किया गया है। यह इकोनोमी गलत बनाई गई है और यह हिन्दुस्तान के लिये उपयुक्त नहीं है। पाश्चर लैन्ड क्रियेट करने के लिये हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया। जो ढेबर कमेटी की रिपोर्ट थी वह बहुत ही इम्पारटेन्ट थी। उसके अनुसार काम किया होता तो हम आज दिल्ली मिल्क स्कीम को फीड कर सकते थे। हजारों मिल्क की फैक्ट्रियां वहां पर आज कायम हो जातीं यदि वहां पर पाश्चर लैन्ड क्रियेट की गई होती। राजस्थान के सारे पशुओं का वहां पर पालन हो सकता था। इसके लिये हम वाटर प्रोवाइड कर सकते थे।

सभापति महोदय, जहां तक अकाल का सम्बन्ध है इस बारे में आपसे कुछ कहा गया है। मैं कुछ हमारी जो सिंचन की योजनाएं हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। वैसे मीडियम साइज योजना के बारे में इसमें स्पष्ट संकेत किया गया है, जिसमें सब से बड़ी योजना माही प्रोजेक्ट है। इसके अतिरिक्त छोटे इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिये 110 लाख का प्रावधान है। लेकिन हमारी जो नहरें हैं उनसे हमें आज हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। इन्टर प्राविन्शियल प्राब्लम्स इस किस्म की सामने आ रही हैं और आज दूसरे प्रान्त हमारे हिस्से के पानी पर डाका डाल रहे हैं। भाखरा बोर्ड के चेयरमेन कुछ दिन पहले गंगानगर तशरीफ लाये थे और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। मैं भी साथ था। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर भी साथ थे। उन्होंने अैसाना अमरसिंह की टेल को देखा जहां पर 20 परसेन्ट भी पानी की इन्टेन्सिटी नहीं थी और 40 क्यूसेक्स पानी हरियाणा हमारा आउट राइट चोरी करता है। इसके अलावा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो पांच कान्ट्रेक्ट पाइन्टस् हैं, इन पाइन्ट्स पर जब पानी प्रवेश होता है तो हरियाणा हमारे इस पानी की चोरी कर लेता है। इसके लिये एक आन्दोलन हुआ था गंगानगर में और उसमें जेलें भर गई थीं। बीस हजार लोग जेल गये थे, मध्यप्रदेश की जेलें भी इनके लिये ली गई थीं और गंगानगर के किसानों को उनमें रखा गया था। इस आन्दोलन के दौरान सुखाड़िया साहब ने स्वीकार किया कि हम पंजाब के अन्दर ज्वाइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड सिस्टम लागू कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों जगह एक सेल बिठा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दिया गया है और उस सेल की क्या दुर्गति हो रही है, यह दुर्गति हो रही है कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप के नाम पंजाव और हरियाणा मीटिंग्स करते हैं और हमारे सेल के अधिकारियों को उसमें प्रवेश नहीं करने देते हैं। वे लोग रजिस्टर भी चेक नहीं कर सकते हैं। एक दो वार उनकी पिटाई भी हो गई है। हमारे एस. ई. और एक्स. ईएन. की पिटाई हो चुकी है। इसके अलावा हमारा जो टेलिग्राफिक सिस्टम है, इर्रीगेशन का अलग सिस्टम होता है उस सिस्टम का भी हमें यूज नहीं करने दिया जा रहा है और हम पी. एण्ड. टी. के सिस्टम को यूज कर रहे हैं। यह स्थिति आज हमारी पानी की है। इस सरकार ने यह घोषणा कर दी कि मोती-राम कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का कोई आसार मुझे नजर नहीं आता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में व्यास प्रोजेक्ट की फर्स्ट स्टेज-- फर्स्ट स्टेज व्यास-सतलज लिंक-- 73 में पूरी हो जायगी और सैकण्ड स्टेज पांग डेम 74 में पूरा हो जायगा। उससे हमें 50 मेगावाट विजली मिलने लग जायगी और उसके वाद में ज्यादा पानी मिलने लग जायगा, यह कहा गया है, लेकिन 250 (ढाई सौ) करोड़ का प्रोजेक्ट तो गंगानगर से यहां पर भेजा जा चुका है कि एक्सेस वाटर को लो। रात-दिन काम करके हरियाणा ने अपनी नहरों को ऊंचा कर लिया और वाटर टेक करने के पोटेन्शियल को इन्क्रीज कर लिया लेकिन हम पैसे देने को तैयार नहीं हैं।

अन्त में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ हमारे पास है उसको भी हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और स्टेट ट्रेडिंग को लेते हुए मैं इस चीज को उसके साथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि इस बहस को लगातार सदन में लाया गया कि अनाज है कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गंगानगर जिले में बड़े बड़े जमीदारों के पास में इतना अनाज है कि आज भी राजस्थान में 133 लाख अकाल से पीड़ित लोग हैं उनके बहुत बड़े हिस्से को नाज दे सकते हैं, लेकिन इस सरकार के अन्दर और उस इलाके से आने वाले लैण्डलार्ड मन्त्री के अन्दर, जो कि वहां पर फेमीन इन्चार्ज हैं, यह ताकत होना चाहिए कि अपने बड़े-बड़े जमींदार भाइयों के गोदामों में से अनाज बाहर निकालें। लेकिन वह जमींदारों के पोषक हैं। तो अनाज के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो आज गंगानगर के अन्दर स्थिति यह है कि जो गंगानगर सारे राज-स्थान को अनाज खिला सकता है आज उस गंगानगर के अन्दर 144 रुपये पर क्विंटल गेहूं का भाव है। आज गंगानगर की मण्डियों की हालत देखिये तो वह एक अजीब नजारा पेश करता है। काटन यानी कपास के ढेर लगे हुए हैं। गंगानगर शहर के अन्दर गलियां रुक गई हैं कपास के ढेरों से। कहीं पर तिल रखने को जगह नहीं होगी गंगानगर शहर के अन्दर, और कपास की हालत यह है कि एक एक किसान कपास की ढेरी के पास बैठा हुआ है। प्रोफेसर केदार का दफ्तर चारों तरफ से कपास से घिरा हुआ है। वे कपास पर चढ़कर दफ्तर में प्रवेश करते हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : और यहां पर आप से घिरे हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया उस काटन को खरीदता है। इस राजस्थान की इकोनामी की यह हालत है कि किसान की जो कैश क्रॉप है वह आज भी बनिये के ऊपर मोनोपोलिस्ट की मर्जी पर पड़ी हुई है वह मर्जी में आये उस कास्ट पर खरीदता है। अनाज की यह हालत है कि 140 रुपया क्विटल कणक अब पहुँच गई है जब कि छोटे किसान को अनाज खरीदना पड़ता है खाने के लिए और 130 रुपया और 120 रुपया क्विटल का बीज डालता है और वह 140 रुपया क्विटल का अनाज खाने के लिए खरीद रहा है। यह गम्भीर स्थिति है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और ज्यादा नहीं कहते हुए अन्त में मैं बेरोजगारी के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। जो असन्तोष इस भाषण में झलकना चाहिए था और जो दिशा राज्यपाल से राजस्थान की सरकार को मिलना चाहिए थी वह दिशा राजस्थान की सरकार ने नहीं दी और देती भी क्यों ? जिन लोगों ने आंदोलन किया उनके सिर फोड़ दिये। वर्कचार्ज के प्रश्न के ऊपर राजस्थान नहर के 5 हजार कर्मचारी 59 दिन तक लगातार हड़ताल पर रहे। वे लोग जिन्होंने रात-दिन खून और पसीना एक करके नहर का निर्माण किया यह सरकार ऐसे दो हजार कर्मचारियों को परमानेन्ट बनाने को तैयार नहीं है। आज यह राजस्थान सरकार की लेबर नीति का एक स्पष्ट नमूना है। इसके अलावा पी. डब्ल्यू. डी. में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी यही हालत है। सब जगह वर्कचार्ज ही वर्कचार्ज भरे हुए हैं जैसे बिरला की फैक्ट्री के अन्दर किसी को परमानेन्ट नहीं किया जाता है और टैम्परेरी रखा जाता है ताकि जब अपनी मरजी आये तब निकाल दें ताकि वह लेबर लॉ के नीचे नहीं आ जायं। यही स्थिति राजस्थान सरकार ने अपने यहां बना रखी है जो कि मोनोपोलिस्ट और केपिटेलिस्ट लोग अपने कारखानों में, फैक्ट्री के अन्दर रखते हैं। तिरंगे झण्डे की यूनियन और हम साथ हैं और उसके बाद फैसला हो गया और फैसला होने के बाद कि हम एक हजार या 800 वर्कचार्ज को हम परमानेन्ट कर देंगे, लेकिन इस सरकार ने 500 एम्प्लाईज को राजस्थान नहर के अन्दर से निकाल कर बाहर फेंक दिया है सड़क पर। यह राजस्थान सरकार की नीति है जब कि बेरोजगारी का यह आलम है कि इनके दफ्तर के आंकड़ों के मुताबिक ही अगर राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी की स्थिति को प्रस्तुत करूं तो यह अपने आप के अन्दर एक भयंकर स्थिति होगी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं यह कह कर समाप्त कर दूंगा।

राजस्थान में 71 की पापुलेशन के आधार पर 2,55,000....

श्री सभापति : दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेरोजगारों का टोटल 74.91 पर्सेन्ट है और इसमें से 64.6 लाख यह मेल बेरोजगार हैं और फीमेल बेरोजगार 91.66 के करीब हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

विलेजर्स को ले लीजिये सेपेरेटली तो मेल का 46-91 पर्सेन्ट और फीमेल का 90.93 पर्सेन्ट है। टाउन्स का अलग ले लें तो मेल का 54.92 पर्सेन्ट और फीमेल का 96.14 पर्सेन्ट है। क्या कोई इसके बारे में दिशा है? क्या आने वाले भविष्य में कोई बेरोजगार न बनें और आज जो इतना बड़ा बेरोजगारी का पोटेन्शल विलेजेज के अन्दर शहरों के अन्दर है क्या इस सरकार ने इस अभिभाषण के अन्दर कोई योजना रखी है? कोई 60 लाख रुपये कुछ एज्यूकेटेड लोगों को दे दिये, कोई 85 कारखाने बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट को दे दिये जिसमें 25 के लाइसेन्स मन्जूर होकर आ गये बाकी के लाइसेन्स मन्जूर होकर आयेंगे। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के नाम पर दो हजार का एस्टेब्लिशमेंट है और रेकार्ड एस्टेब्लिशमेंट एक हजार का इस पीरियड के अन्दर हो गया और जाकर सारे के सारे इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट्स को देखें तो उनके अन्दर ताले लगे हुए हैं। आज यदि कोई एन्क्वायरी कमेटी आये तो आप देख लेंगे कि इनमें से 50 पर्सेन्ट बोगस हैं और 50 पर्सेन्ट की छतों पर कव्वे बैठे हुए चिल्ला रहे हैं।

ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर आपके द्वारा वोटर की नब्ज को नहीं पहचाना गया है। उसके बावजूद यह बुजुर्ग भाषण बुजुर्गाना अन्दाज के अन्दर पढ़ा गया है उसमें कुछ खूबियां भी हैं, जिसे लोकायुक्त की नुमायन्दगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और 25 पर्सेन्ट बस रूटों का राष्ट्रीयकरण, लेकिन 25 पर्सेन्ट काफी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी.)

आपके एक तरफ गुजरात में 99 पर्सेन्ट, एक तरफ हरियाने में 90 पर्सेन्ट........

श्री शीशराम ओला : सेन्ट पर्सेन्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तरफ पंजाब में 92 पर्सेन्ट।

देखा कैसी चोट पहुंची है। सेन्ट पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण करना चाहिए तब जाकर समस्या का समाधान मामूली हो पायेगा।

श्री सभापति : शीशराम!

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, माननीय गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री शिवचरण माथुर ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। राजस्थान में जो अकाल है वह दूसरे प्रान्तों से भिन्न अकाल है; विचित्र है, लेकिन भारत सरकार का व्यवहार दूसरे प्रान्तों के साथ राजस्थान से भिन्न है तो यह जानकर हमें विशेष दुःख होता है। हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन कहने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया, इसलिए यह बात कहने जा रहे हैं।

इसलिए मैं यह बात कहने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में जहां अकाल पड़ा है, उसे हमारे जयपुर स्टेट से थोड़ा बड़ा कह दो। उसी के बराबर हरियाना है, वहां साढ़े 12 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। राजस्थान जिसका अकाल का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको साढ़े 4 करोड़ रुपया दिया है।

(5.31 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह बहुत ही अशोभनीय है। जहां

(श्री शीशराम ग्रोला)

अकाल जन्मसिद्ध अधिकार है, वहां साढ़े 4 करोड़ दिये हैं और महाराष्ट्र को 94 करोड़ रुपया दिया है। वहां अकाल से प्रभावित 2 करोड़ लोग हैं। राजस्थान में कई करोड़ लोग प्रभावित हैं। पता नहीं भारत सरकार ने राजस्थान के साथ में क्यों सौतेला व्यवहार अपनाया है। हर स्टेट की अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक दृष्टि का महत्व है। महाराष्ट्र और गुजरात में इतने कारखाने हैं। हरियाने में कारखाने हैं। हरियाना को लाभ है दिल्ली नजदीक होने का। गुजरात और महाराष्ट्र को लाभ है, समुद्र का। हमारे राजस्थान से 1460 किलोमीटर पाकिस्तान का बोर्डर लगता है। जो लोग 24 घण्टा वहां रहते हैं, कभी पाकिस्तान के लोग उनके जानवरों को ले जाते हैं। लेकिन वे जमीन छोड़ कर पीछे नहीं भागते हैं। जो दूसरी स्टेट है, उनको कहते नहीं है। बराबर की जो स्टेट हैं, सेन्ट्रल उनके प्रति पक्षपात लेकर चले तो इस प्रकार की नीति न केवल राजस्थान के लिए बल्कि सैन्ट्रल के लिए अच्छी नहीं है। जब इन्सान के शरीर में फोड़ा या बीमारी, गैंग्रिन या वेनेरियल डिजीज हो जाती है तो उसको अलग रखा जाता है। भारत सरकार ने हमारे यहां कोई कारखाना स्थापित नहीं किया है। और एक आधा भौगोलिक दृष्टि से हुआ भी तो उसको भी उठाकर भारत सरकार ले गई। यहां पर इण्डस्ट्रियल दृष्टि से स्थिति नगण्य है। खेतड़ी में ताम्बा मिला। वहां से गांव को हटा दिया गया। कापर प्रोजैक्ट बना। वहां पर 40-50 मील लम्बी ताम्बे की चेन है। शायद एशिया में इतनी लम्बी चेन नहीं है। लेकिन भारत सरकार वहां से हैड ऑफिस उठाकर कलकत्ता ले गई है। ऐसी जगह ले गई जो पहले से ही घिरा पड़ा है। जहां कोई गुंजाइश नहीं है, वहां ले गये हैं। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना लगाने की बात थी। अगर वह 100 मील पीछे ले जाते तो मैं समझता कि कोई बात है। पहले राजस्थान तय किया लेकिन फिर मथुरा में लगाया गया है। इससे जाहिर है कि भारत सरकार का हमारे साथ में कैसा व्यवहार है। यही नहीं सलादीपुरा में खाद का कारखाना लगाने की बात थी। यहां की अन्दरूनी बात थी लेकिन आज उसका नाम निशान नहीं है। वह हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्त में लगेगा। राजस्थान में नहीं लगेगा। इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान के साथ क्या रुख है। यहां बोलने वाले व्यक्तियों ने काफी बातें राजस्थान के बारे में कही हैं। अनाज के बारे में उन्होंने कहा है। यह सब बातें कहना आसान है। बोरियां भरने में पैसे देने पड़ते हैं। जो साधन हमारी सरकार को मिले हैं, मैं समझता हूं कि इतने पैसों में दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। आप चाहे मनचन्दा कमेटी कहो, या दूसरी कमेटी कहो, हमें किसी व्यक्तिगत नाम से सरोकार नहीं है। वह यहां आये। कितना पैसा देना है इस स्टेट को, इसके यहां आये। वह अपने साथ में बिस्तर भी नहीं लाये। हवाई जहाज से आये। वह ऐसी जगह पर नहीं जा सकते थे जहां उनको जाना चाहिए था। यहां तो अनाज है, मकान है, सब ठीक है। लेकिन अगर वह जाकर झुंझुनू और चूरू के किसी गांव में देखते। मेरा मतलब है, वह कहीं इण्टीरियर में जाकर देखते। किस प्रकार के वहां कपड़े पहनते हैं। किस प्रकार का खाना खाते हैं। वह यहां आकर सरकारी अफसरों और जन-प्रतिनिधियों से

(श्री शीशराम ओला)
मिले जो एक प्रकार से कुछ कह नहीं सकते थे ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : वह विस्तर इसीलिए नहीं लाये कि गांव-गांव में जायेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी ।

श्री शीशराम ओला : यही नहीं आपके पड़ोस में हरियाना लगता है, पंजाब लगता है । 15 से 16 रुपये तक मजदूरी पंजाब में है । 8 से 10 रुपये तक हरियाना में है । हमारे यहां पर 1 से 2 रुपया है । वह भी हिन्दुस्तान का नागरिक है । एक प्रकार के ही लोग हैं । एक प्रकार का ही चुनाव का तरीका है । उसमें इतना अन्तर क्यों है ? मैं नहीं समझता हूं कि यह व्यवस्था सही है । यहां का मजदूर दो रुपया ले और वहां का मजदूर 15 रुपया ले । यदि कोई जबरन करवाये तो यह चल नहीं सकेगा । तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार इन तथ्यों को इस प्रकार से भारत सरकार के सामने रखे, उसको मनचन्दा या दूसरी कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है बल्कि जो दूसरी सरकारों के साथ अकाल के बारे में किया गया है, वही यहां भी करें ।

अभी बात आई, प्रधान मंत्रीजी की कि वह आई घूमी है, उन्होंने देखा है, उनके स्टेटमेंट ठीक आए हैं लेकिन महाराष्ट्र में और मैसोर में वहां कई रेलवे लाइन्स मन्जूर हो गईं लेकिन यहां केवल मिट्टी उठाकर मिट्टी डालने की बात हो रही है । उससे क्या होने वाला है कि हमारे यहां राजस्थान पड़ोसी राज्यों–हरियाणा, यू. पी. और पंजाब को डेजर्ट बनाने जा रहा है । जब पश्चिम की हवायें चलती हैं तो पूर्व की ओर ले जाती है और छूआछूत की बीमारी की तरह वह वहां के क्षेत्रों को भी डेजर्ट बना देती है । इसलिए वहां पर ऐसे कई कार्य हुए जिनके जरिए इस अकाल का मुकाबला किया जा सके । अकाल राजस्थान का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है वह समाप्त हो ताकि यहां के लोगों को राहत मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां अलग-अलग तरह की डिमांड आई । लेकिन राजस्थान में काश्तकारों को खास तौर से झुंझुनूं जिले में कुए खोदने के लिए तकावी मिलनी चाहिए अकाल राहत कार्यों के तहत । सरकार झुंझुनूं जिले में तकावी देगी तो वह सरकार को वापस मिलेगी और एक जिले के लोग अकाल का मुकाबला करने के लिए उसका सदुपयोग कर सकेंगे और कुए खोदकर उन्हें बिजली दी जाय ताकि हमेशा होने वाले अकाल से प्रभावित न रहे और सही रूप से राष्ट्र के निर्माण में हमारा जिला कामयाब हो ।

इसी प्रकार से हमारे यहां लैंड सीलिंग और अर्बन सीलिंग भी आ रही है । गांवों में 25 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद मुश्किल से उनको कपड़ा पहनने को मिला नहीं तो नंगे रहते थे । वे अपने बेटे को, बेटी को पढ़ा नहीं सकते, पक्का मकान नहीं बनवा सकते, रहने के लिए कोई मकानों की व्यवस्था नहीं, खाने के बरतन ठीक नहीं, चिकित्सा व व्यवस्था ठीक नहीं । ऐसी हालत में जमीन जो उसके पास थी उस पर सीलिंग कर दें । हर किसान को 20 वर्ष में अपने आप सीलिंग करनी पड़ती । 20 वर्ष में पुत्र-पौते बालिग हो जाते हैं । अब आने वाली पीढ़ी के लिए मुश्किल होगा । ऐसी हालत में

(श्री शीशराम ओला)

आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो सर्विसेज में रिजर्वेशन रखा है, आप एक बहुत बड़ी संख्या में जन-समूह को भिखारी बनाते जा रहे हैं तो कम से कम उनको भिखारी न होने दें। उनकी आजीविका के लिए, उत्थान के लिए जरूरी है कि रूरल एरियाज के नाम पर राष्ट्रीय लेविल पर नहीं तो कम से कम राजस्थान लेविल पर रूरल एरियाज के लिए सर्विसेज का रिजर्वेशन रखें, किसी जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं है। इससे गांवों के लिए आने वाली जिंदगी अच्छी तरह से निर्वाह कर सकेंगे। आज यदि कोई बेरोजगार शिक्षित मिलेगा तो वह गांवों में मिलेगा। शहरों में रहने वाले लोकल आदमी हैं, यहां एम्प्लाइमेंट एक्सचेंज आॅफिस है, जब चाहें नाम लिखा दिया, जब वांट्स निकलती हैं फौरन अपना नाम प्रस्तुत करते हैं। एक आदमी गांव में रहता है उसके लिए टेलीफोन की व्यवस्था नहीं, डाक व्यवस्था नहीं, वह आदमी सर्विस के लिए एप्रोच करे, कतई संभव नहीं है। गांव में मां-बाप ने जमीन बेची, कर्जा लिया, उसको खर्च करके बच्चे को पढ़ाया अब सारे के सारे बेकार हैं। वह तो क्या, इंजीनियर और डॉक्टर भी बेरोजगार हैं। इसलिए गांवों के बेरोजगारों की विशेष तौर से सहायता करनी चाहिए और आने वाले समय में बेरोजगार न रहें इसकी व्यवस्था रिजर्वेशन के जरिए करनी चाहिए।

महाराष्ट्र में रुपया मिला, इसके लिए महाराष्ट्र ने कोई कम कोशिश की हो, वह बात नहीं है। अकाल के लिए उनको रुपया मिला। यदि आप महाराष्ट्र को देखें तो बम्बई की गली-गली में पोस्टर लगे हुए हैं 'भूख से बचाइए'। पोस्टरों पर बच्चा है, कहीं औरत है, कहीं बूढ़ा है। लिखा हुआ है 'इनको मौत से बचाइए'! इस प्रकार का प्रचार किया है युद्धस्तर पर सारा प्रचार किया। वहां की सिनेमाओं में न्यूज रील अकाल का जरूर देखने को मिलेगा, कोई अखबार खाली नहीं। अल्पबचत के लिए एक प्रकार के डिब्बे रखे हैं, जिन पर लिखा हुआ है "अकाल के मुंह से बचाइए!" इस प्रकार के डिब्बे लिए हुए फिरते हैं घर-घर में और उनका प्रचार किया। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने ध्यान दिया कि महाराष्ट्र उजड़ रहा है। हम, ऐसा टेम्पो नहीं बना सके तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है हमारा डी. पी. आर.। गवाह सुस्त, मुद्दई सुस्त। गवाह को बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। गवाही दिलाने वाला ही कुछ नहीं समझेगा तो गवाह क्या करेगा? यही हालत हमारी प्रचार की दृष्टि से है। सरकार के काम में कहीं दोष आया है तो वह सरकार के काम का आया है तो वह प्रचार की कमी का है। हमारा प्रचार ठीक नहीं है। मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार अब इस मामले में पीछे नहीं रहेगी, वास्तविक स्थिति जो राजस्थान की है, भारत सरकार के सामने, जनता के सामने, प्रस्तुत करेगी, यह मेरी मान्यता है और जोरदार शब्दों में मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जाए।

दूसरी बात सिहाना से चिड़ावा 12 मील का सड़क का टुकड़ा है। वह अगर रेल से जोड़ी जाए तो न सिर्फ आने-जाने वालों को लाभ होगा बल्कि पिलानी,

(श्री शीशराम ओला)

सूरतगढ़, चिड़ावा और बड़े-बड़े कस्बों और गांवों को भी उससे लाभ होगा। अकाल राहत कार्यों में गरीबों को मजदूरी मिलेगी। इसी प्रकार कई काम ऐसे हैं जो हाथ में लेने चाहिए। सारे जिले को बिजली और गंग नहर का लाभ मिलना चाहिए, इससे मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, राष्ट्रनिर्माण के कार्य हो सकेंगे और अकाल से हमेशा के लिए बचाया जा सकता है।

दूसरी बात अकाल राहत कार्यों में प्रधानों से भी काम लेना चाहिए, उनका नाम कहीं भी नहीं है। अकाल राहत सलाहकार समिति में प्रधानों को अलग रखकर मैं समझता हूं सहयोग लेने के बजाय असहयोग किया गया है। इसलिए उनका नाम होना जरूरी है ताकि कार्य के संचालन में उनका सहयोग मिल सके, तत्परता आ सके और गबन आदि न हो सके, इसकी देख-रेख वे कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अब 5 लाख आदमी अकाल में लगे हुए हैं, राज्यपाल महोदय ने 3।। लाख बताया है मगर 5 लाख आदमी हैं। आने वाले दिन बड़ी कठिनाई के आ रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा सारे दो फसली एरियाज हैं। वहां थोड़े दिनों में गेहूं, चने, जव आदि आ जायेंगे, मगर राजस्थान में थोड़ी सी एरियाज को छोड़कर दो फसली इलाका न होने से अब जो समय आएगा कठिनाई का समय आयेगा। यदि कठिनाई के समय में हम सबने सतर्कता से, बहादुरी से, हिम्मत से इस स्थिति को नहीं संभाला तो मुश्किल होगा। इसलिए आज जो कुछ स्थिति है, उस पर तो हम सब चर्चा कर रहे हैं, किसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, राजस्थान सरकार की गलती है, केन्द्रीय सरकार की गलती है, हम इस बात को भूल जायें और आने वाले समय के लिए सारी गलती को सुधार कर युद्धस्तर पर जुट जायें। अगर युद्धस्तर पर नहीं जुटे तो इससे अकालग्रस्त जनता का हित नहीं होगा और स्थिति हमारे काबू के बाहर हो जायगी।

एक बात और कहूंगा, जो महत्त्व की है। जमीन के एलाटमेन्ट का जिक्र गवर्नर महोदय के भाषण में हुआ। मैं अर्ज करूं, और जगह क्या हुआ होगा, मुझे पता नहीं लेकिन झुंझुनू जिले के 85 ऐसे केसेज हैं, जिनमें युद्ध के समय में भारत की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी विधवाओं को राजस्थान सरकार ने राजस्थान केनाल क्षेत्र में गंगानगर में जमीन एलॉट की लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया और उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया। यह स्टेट के लिए और हमारे लिए शर्मनाक और दुःखद घटना है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस प्रकार की ज़मीन को ऐसे लोगों के कब्जे से निकाला जाय और यह कार्यवाही जिन लोगों ने की है उन्हें सजा दी जाय ताकि आयन्दा वे नहीं कर सकें। राजस्थान में जिन लोगों को जमीन एलॉट की है, मुझे सन्देह है, उन पर उसका पजेशन मिलेगा जिनको जमीन एलॉट हुई है। मैं झुंझुनू जिले की बात बताऊं 85 औरतें मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि हमें जमीन पर से निकाल दिया गया है। हमने

(श्री शीशराम ओला)

जमीन पर पैसा खर्च कर दिया है, काश्त करवाई है, जमीन को ठीक करवाया है। यह महत्त्वपूर्ण मसला है उन महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपने पति दे दिये। जो सरकार से पूंजी मिली वह पूंजी जमीन पर खर्च कर दी और आज उनको बेदखल कर दिया गया है। वह भी सरकार ने नहीं, कुछ लोगों ने किया है। उन लोगों से उन्हें वापस जमीन दिलायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं भी मेरे विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। राजस्थान में इस वर्ष भयंकर अकाल है और अकाल की स्थिति इस प्रकार की है कि 34,571 गांवों में से 18,498 गांव अकाल से ग्रस्त हैं, 1 करोड़ 33 लाख जनता अकाल से ग्रस्त हैं। उसके हिसाब से देखते हुए जो पांच लाख जनता अभी अकाल राहत कार्यों में लगी हुई है, वह संख्या बहुत ही कम है। 1968–69 में जब अकाल था, उस समय इन दिनों में अकाल राहत कार्यों में लगे हुए लोगों की राजस्थान में जो संख्या थी, वह करीब 16 लाख थी और बाड़मेर जिले में 1 लाख की संख्या लगी हुई थी अकाल राहत कार्यों पर। इस समय जो अकाल राहत कार्यों में लगी हुई संख्या है वह सिर्फ 10 हजार है। बाड़मेर जिले में 570 गांव प्रभावित हैं, उन 570 गांवों में 10 हजार व्यक्ति-मजदूर अकाल राहत कार्यों में लगे हुए हैं जब कि जोधपुर जिले में 50 हजार मजदूर लगे हुए हैं, और जिलों में ज्यादा लगे हुए हैं, परन्तु बाड़मेर जिले की राजस्थान सरकार ने भी घोर उपेक्षा की है। अकाल राहत कार्यों में, अभी देख रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, जो जनवरी, एण्ड आफ जनवरी में चालू किये, फिर फरवरी में चालू किये, पहले 30 पर्सेन्ट मैटीरियल कम्पोनेन्ट था जब कि हमारे जिले में बहुत क्षेत्र में, चौहटन में काफी काम 30 पर्सेन्ट मैटीरियल कम्पोनेन्ट का अकाल राहत कार्यों में नहीं हो सकता। कुछ मेड़ के काम को लिया जाय या सौइल कन्जर्वेशन के काम लिये जायें, जो सेचुरेशन पॉइन्ट पर आ गये हैं और दूसरे कार्य हाथ में नहीं लिये गये हैं। इसलिए 50 पर्सेन्ट ही मैटिरियल कम्पोनेन्ट के कार्य हाथ में लिये जायं, उससे कम में टार रोड़ तैयार नहीं की जा सकती है, मैटल रोड तैयार नहीं की जा सकती है। चूरू जिले में नहीं की जा सकती है, बाड़मेर जिले में नहीं की जा सकती है, जैसलमेर जिले में नहीं तैयार की जा सकती है। पहले भी कार्य किये उसमें ग्रेवल रोड बनाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी 30 पर्सेन्ट और 50 पर्सेन्ट के कम्पोनेन्ट तैयार किये हैं, इससे परमानेन्ट यूटिलिटी की रोड नहीं बना सकते हैं और यह पैसा भी, जैसे करोड़ों रुपया पहले वेस्ट r, यूटिलिटी के काम उससे नहीं हुए, उसी तरह होगा। राजस्थान के अन्दर पहले चार वर्षों के अन्दर 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसका असेसमेंट किया जाय कि उसमें से कितने परमानेन्ट यूटिलिटी के काम हुए, कितने रुपये का उपयोग हुआ, तो डेढ़ करोड़ से ज्यादा का असेसमेंन्ट नहीं होगा। जब चौदह हजार का वर्क होता है तो उसमें कम से कम सात करोड़ का

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रीग्रल वर्क होना चाहिए लेकिन हम असेसमेंट करने जायेंगे तो हमें डेढ़ करोड़ का रीयल वर्क प्राप्त होगा। अभी जो वर्क चालू किये जा रहे हैं अवश्य ही इनमें आइडेंटिफिकेशन कार्ड और तमाम मैटीरियल संग्रहीत किया है, उससे अवश्य ही कार्य ठीक होगा, लेकिन यूटिलिटी के वर्क नहीं होंगे। अभी टार रोड के काम और डवलपमेंट वर्क्स इन डेजर्ट एरियाज में नहीं हो सकते। इसलिए राजस्थान को यह सोचना चाहिए। ठीक है कुछ लोगों को मजदूरी मिल जायगी और अकाल राहत कार्यों में लोगों के लग जाने के कारण वे लोग मरेंगे नहीं परन्तु डवलपमेंट वर्क्स और यूटिलिटी के वर्क्स इन डेजर्ट एरियाज में नहीं हो सकते, इसलिए जो 30 पर्सेन्ट मैटीरियल कम्पोनेन्ट है उसको बढ़ा कर 50 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट मैटीरियल कम्पोनेन्ट किया जाय ताकि यूटिलिटी के वर्क्स हो सकें, नहीं तो नहीं हो सकेंगे।

मनचंदा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया है। मैं चाहता हूं, गवर्नमेंट ने क्या रिप्रेजेंटेशन किया मनचंदा कमेटी के सामने, वह सदन में पेश किया जाय, अगर उसमें वीकनेस है तो वह देखने के लिए। नहीं तो मनचंदा कमेटी की रिपोर्ट का क्रिटिसिज्म करेंगे। इसलिए मनचंदा कमेटी की रिपोर्ट पेश हो और जब फेमीन पर डिस्कशन हो तो मनचंदा कमेटी की रिपोर्ट और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन दोनों प्रस्तुत हों तो अच्छी तरह हम डिस्कस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर वास्तव में गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन वीक किया गया है तो वह भी मालूम हो सकता है, अन्यथा सही स्थिति का पता नहीं लग सकता है। मनचंदा कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की। उसके बाद दूसरी बार आई, फिर रिपोर्ट पेश की। यह जनरल टेंडेंसी होती है, मनुष्य की वीकनेस होती है कि पहले जो रिपोर्ट पेश करे तो दूसरी बार जब रिपोर्ट पेश करेगा तो वह अडिग रहेगा, जिद्द करेगा। इस कारण रिपोर्ट किसी तरह की भी हो, अपने पक्ष में नहीं जा सकती। उस कमेटी के जो विचार आये, उसमें यह स्पष्ट था कि अनाज की कमी थी। अनाज की कमी है। अनाज तो सारे हिन्दुस्तान में कम है। राजस्थान में कम है। परन्तु यह स्थिति अकाल के कारण बहुत ही भयंकर है और 1968–69 और 1969–70 में अकाल रहा, फिर एक साल अच्छा आया लेकिन दूसरे साल फिर अकाल हो गया। इसलिए लोगों की क्रय शक्ति क्षीण हो गई है, लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी क्षीण हो गई है, और अकाल का मुकाबला करना उनके लिए कठिन है क्योंकि भाव मंहगे हो गये हैं और उनकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं रही है। सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं, दुकानों की संख्या बतायी है चार हजार जब कि अठारह हजार गांव प्रभावित हैं। यह चार हजार दुकानें खोली जा रही हैं और जहां-जहां दुकानें खोली गई हैं वहां राशन दे रहे हैं वह तीन किलो राशन दे रहे हैं यह कैसे सफीसियेन्ट हो सकता है, वह दूसरा अनाज लायें तो कहां से लायें। अगर वह लायें तो डेढ़ सौ रुपये क्विन्टल के भाव से खरीदें। यह उनकी कैपेसिटी नहीं है। यह भयानक स्थिति है, इसके लिए गवर्नमेन्ट की तरफ से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को 95 हजार टन की मांग की गई थी लेकिन उसमें से 42 हजार

Page No 126

126

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

टन मिला है। इसलिए इसके बारे में भी जब रिप्रेजेंटेशन किया, उसके अन्दर हमारी वीकनेस थी या सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रति नाराज है ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्या हम रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से नहीं कर सके ? क्यों अनाज कम मिल रहा है ? इसके बारे में हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर वहां पर हमारे फेमीन के बारे में हमारे एम. पी. स्ट्रगल नहीं करते हैं तो हमें उनको ब्रीफ करना चाहिए, उनको सशक्त करना चाहिए। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था, मैंने पाया कि जो हमारे एम. पीज. ने फेमीन के बारे में रिप्रेजेंटेशन किया, उसका जब शिन्दे साहब ने जवाब दिया तो उनका जवाब हमारे एम. पी. नहीं दे सके। ऐसी दयनीय पोजीशन हुई कि मैं देख कर दंग हो गया। तो उपाध्यक्षजी, यह आवश्यक है कि एम० एल० एज० और एम० पीज० में कॉपरेशन रहे। आज महाराष्ट्र के जो एम० पीज० हैं, उन्होंने अपने स्टेट के लिये केस प्लीड करके 96 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किये। इसका कारण यह है कि वहां के स्टेट के एम० एल० एज० और एम० पीज० में आपस में कोरडीनेशन है और इस कोरडीनेशन होने की वजह से वे अपने स्टेट के कॉज को अच्छी तरह प्लीड कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे राजस्थान सरकार के एम० पी० और एम० एल० एज० में शायद कोरडीनेशन नहीं है या यों समझलें कि हमारे राजस्थान के एम.पीज. इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने स्टेट की अकाल की स्थिति को अच्छी तरह रिप्रजैन्ट कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि जब तक आपके स्टेट के कॉज को अच्छी तरह रिप्रजैन्ट नहीं किया जायेगा सेन्टर में तब तक आप पूरी मदद केन्द्र से ले लें यह हो नहीं सकता। यहां हर साल अकाल पड़ रहा है लेकिन फिर भी कोई निश्चित हल राज्य सरकार उसके लिये नहीं निकाल सकी। अभी सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन आया था लेकिन मैं समझता हूं कि उसके सामने भी हम अपना केस अच्छी तरह से नहीं रिप्रजैन्ट कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अगर इस फेमीन के खर्चे का हिसाब लगा कर देखें कि सन् 1963-64 से लेकर सन् 1971-72 हमारे यहां कितना खर्च हुआ और हमें क्या मिला। आज सन् 1963-64 से सन् 71-72 तक केन्द्रीय सरकार से हमने 121.08 करोड़ रुपया प्राप्त किया, उसमें 99.53 करोड़ रुपया तो लोन के तहत प्राप्त किया और सिर्फ 21.58 करोड़ रुपया सबसिडी के तौर पर प्राप्त किया था। अब अगर 121.08 करोड़ हमारे यहां फेमीन में खर्चा हो और उसमें 21.53 करोड़ की सबसिडी ही मिले तो यह जरूरी है कि हमारे स्टेट की फाइनेन्शियल स्थिति खराब होती रहेगी। इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, देखें तो मालूम पड़ेगा कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। आज केन्द्रीय सरकार का हमारे ऊपर करीब 56 करोड़ रुपयों का कर्जा है और यह तो पंचम पंचवर्षीय योजना के पहले का है और जब पंचम पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करेंगे तो मैं समझता हूं कि और कर्जा बढ़ जायेगा।. तो इस प्रकार हम इतना कर्जा कैसे दे सकेंगे इसको कैसे मीट आउट करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 556 करोड़ नहीं, 793 करोड़ है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कर्जा बता रहा हूं वह 556.04 करोड़ रुपया है। दूसरे अलग हैं। लोन केन्द्रीय सरकार से ही लिए हुए हैं। अब इधर पंचम पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति में कर्जा होगा और उस लोन के ऊपर हमें ब्याज भी देना पड़ा होगा। इससे भी हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अकाल के लिये ड्राट प्रोन स्कीम भी बनायी है इसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जब हम पिछले 8-10 साल से लगातार यह देख रहे हैं कि हमारे यहां अकाल पड़ता है और हम उसके लिये निश्चित कार्य नहीं कर सके हैं, इसको निपटने के लिये और हर समय केन्द्रीय सरकार से लोन लेकर खर्च करते हैं तो फिर यह सब लोन हम किस प्रकार मीट आउट कर सकेंगे।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये हमारे यहां एक नेशनल डेट कमीशन मुकर्रर होना चाहिये। और उस नेशनल डेट कमीशन में ऐसे प्रोविजन्स हों जिससे कि अनप्रोडेक्टिव परपज के लिये जो लोन्स लिये गये हों उन्हें राईट ऑफ कर दें। तब तो काफी कर्जा खत्म हो सकता है। वरना तो यह अकाल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आता है। उन सभी प्रान्तों के लिये एक नेशनल डेट कमीशन स्थापित किया जाना चाहिये ऐसा मेरा सुझाव है। नहीं तो आज 85 पर्सेन्ट तो लोन मिलता है और सिर्फ 15 पर्सेन्ट सबसिडी। इससे तो राज्य सरकार की हालत ठीक होनी नहीं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात थोड़ी पावर के संबंध में भी निवेदन करूंगा। आज पावर के बारे में अगर स्थिति देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में हालत बहुत ही खराब है। हमारे राजस्थान में 14.47 पर्सेन्ट पावर देने का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया है। इसमें से जैसलमेर को सिर्फ एक पर्सेन्ट पावर देने का प्रावधान रखा है। वह एक पर्सेन्ट तो सिर्फ जैसलमेर और पोकरन में ही खर्च हो जायेगा और दूसरे इलाकों में बिजली का क्या होगा ? इसी प्रकार बाड़मेर के लिये आपने 3.7 प्रतिशत बिजली देने की व्यवस्था कर रखी है। यह बहुत ही कम है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके को भी आपके चम्बल हाईड्रोइलेक्ट्रिक योजना के अन्तर्गत बिजली मिलनी चाहिये। और जो ड्राट प्रोन स्कीम बनायी है उसमें आप जोधपुर से बालोतरा 132 के.वी. लाइन बिजली के लिये लगायी है वह बाड़मेर तक लायें और अगर ऐसा नहीं हो तो, मैं सजेस्ट करता हूं कि, आप 66 के.वी. लाइन जोधपुर से बालोतरा वाया पादरू होते हुए बाड़मेर की तरफ ले जावें। दूसरी लाइन जोधपुर से भीया, जोधपुर से बाड़मेर वाया देवीगेट, चानन नीमला, भाटीसा होते हुए ले जावें। ताकि वहां पर बिजली की सुविधा हो। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो वहां पर ट्यूब लगे हैं या लगेंगे उन्हें हम सिंचाई के काम में लेना चाहते हैं। बाकी कामों के लिये वह एडवान्टेजियस नहीं हो सकते हैं। अगर चम्बल से हाईड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम को इससे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जो बाड़मेर और जैसलमेर का इलाका है, उसे जोड़ा जाय तो काफी समस्या हल हो सकती है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है शराब के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शराबबन्दी के पक्ष में हूं और जो शराब बन्दी के लिये समिति है उसका मैं मेम्बर हूं। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में शराबबन्दी लागू होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया था सन् 67 में ही कि राजस्थान में सन् 72-73 तक शराबबन्दी पूर्णतया लागू हो जायेगी पर बड़े खेद का विषय है कि राजस्थान में सरकार ने अपना निर्णय चेंज कर दिया, जिससे कि राजस्थान में शराब बन्दी पूर्णतया लागू नहीं हो सकी है। लेकिन हमारे राजस्थान के पुराने वयोवृद्ध नेता श्री गोकुलभाई भट्ट, जो कि हमारे राजस्थान के पुराने नेता श्री जयनारायण व्यास और श्री माणिक्यलालजी वर्मा जैसे बड़े नेताओं के साथी हैं, अब उतने पुराने नेता वह अकेले ही रह गये हैं, वे इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर पूर्णतया शराबबन्दी लागू होना चाहिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार यह निर्णय ले लेती है तो बहुत ही अच्छा होगा और इससे राजस्थान के गरीबों के लिये बहुत ही लाभदायक रहेगा।

(घन्टी)

इससे लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही उसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आज मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने जिन जिलों में शराबबन्दी लगायी है, जैसे जालोर और बाड़मेर जिलों में वहां भी ऐसी स्थिति है कि अवैध शराब की बिक्री बहुत हो रही है। पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती नहीं है। अगर उन्हें कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास और भी दूसरे कार्य बहुत हैं। अगर एक्साइज डिपार्टमेन्ट वालों को कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास में फोर्स नहीं है और इन सब बातों से ऐसे हालात हो गये हैं कि जहां शराबबन्दी पूर्णतया की है वहां पर खूब अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि शराबबन्दी के लिये एक स्पेशल फोर्स इन इलाकों में लगायी जाय और इसमें जो दोषी व्यक्ति पाये जायं उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाये। बस इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल !

श्री नानालाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसके अनुमोदन में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने राजस्थान की इस भीषण अकाल की समस्या को ध्यान में रखते हुए जो इस पर प्रकाश डाला है मैं उसके लिये उनका आभार प्रदर्शित करता हूं तथा राज्य सरकार ने जिस रूप से अकाल राहत कार्य खोले हैं, उसके लिये राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं।

(श्री नानालाल)
उन्होंने अच्छे ढंग से, सुचारु रूप से कार्य किया है जिससे किसी को आशंका नहीं हो सकती है।

किन्तु अन्य बातों पर जो राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहिये था, वह नहीं दिलाया गया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर जिले में राजसमन्द की पाल पर नौचोकी है जो ऐसा पर्यटन केन्द्र है जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों यात्री आते हैं। परन्तु इस ओर राज्यपाल महोदय ने इस ओर कोई जिक्र नहीं किया है और सन् 1971 में राजसमन्द की पाल पर चार लाख रुपया खर्च कर उसको एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने के लिये रखा था परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया इसलिये इस कार्य को नहीं करने से आलोचना का एक विषय बन जाता है अतः इस ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष अकाल की समस्याओं को सुलझाने के लिये योजनाबद्ध कार्य नहीं किया बताया वह भी ध्यान देने योग्य है। बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिये स्थायी प्रोग्राम बनने चाहिये थे वह भी उन्होंने नहीं बताये। मैं इस ओर एक सुझाव रखना चाहता हूं।

राजस्थान में एक बड़ा ऐसा उद्योग पनप सकता है, बल्कि है जो राजस्थान की बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है। न तो राज्य सरकार ने ध्यान दिया और न ही उस ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे उद्योग के लिये कहना चाहता हूं जिसका प्रोडक्शन राजस्थान में 50 पर्सेन्ट रा मेटीरियल उत्पादित होता है और करीब 2.90 पर्सेन्ट इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। किन्तु राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार उस ओर ध्यान दे तो बहुत बड़ी बेरोजगारी दूर हो सकती है—वह है कालीन उद्योग। रा-मेटिरियल मजदूरों से खरीदा जा सकता है जो कि उसको कताई, धुलाई, धुनाई, रंगाई करते हैं जिनको योजनाबद्ध तरीके से कराया जाय तो काफी मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार और मजदूरी मिल सकती है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकार आंकड़ों में बताती है कि 1 करोड़ 50 लाख किलो ऊन उत्पादित हुई। आप 80 लाख की ऊन खरीदते हैं और बाकी की विदेशों में चली जाती है। दूसरे प्रांत वाले इसका लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले इससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया इसलिये मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

खनिज उद्योगों की भी राज्य सरकार ने उपेक्षा की है। रेलमगरा तहसील है वहां दरीबा है जिसका सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया है। वहां पर अतुल भंडार तांबे, शीशे और जस्ते के बताये हैं। लेकिन राज्य सरकार ने जावर माइन्स कम्पनी को इसको हाथ में सौंप दिया। वह एक दम शिथिल सा है। राज्य सरकार को इस ओर आलोचना का विषय नहीं बनना चाहिये।

पिछड़े क्षेत्रों की ओर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उनका सर्वेक्षण करवा कर उद्योग लगाने चाहिये थे लेकिन कोई उद्योग चालू नहीं किया। उस ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री नानालाल)

हरिजन बस्तियों में नल बिजली लगाने की व्यवस्था की वह किस प्रकार की है वह भी मैं बताना चाहता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है। घोषणा की गई कि कोई हरिजन बस्ती नहीं मिलेगी वहां नल और बिजली नहीं हो। लेकिन आज इस व्यवस्था को वास्तविक रूप से देखें तो बिलकुल शून्य। हरिजन बस्तियों के लिये बिजली की सेंक्शन होती है। पैसा समाज कल्याण विभाग से उठा कर बिजली विभाग लाता है और उस ओर खर्च नहीं करता है। उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं। उदयपुर जिले में मेड़ता गांव में हरिजन बस्तियों के लिये कुछ राशि आवंटित की गयी लेकिन वहां पर कोई लाइन ही नहीं बिछायी गयी। दूसरी जगह उसको खर्च कर देते हैं। ऐसा सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा ?

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो योजना बनाते हैं अधिकारी वर्ग उसको लागू नहीं करते हैं। उनके विचार थोड़े गलत हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षित सीटें हैं उन पर लोगों को लगाया नहीं जाता है। जिस प्रकार एम. पी. और विधान सभा सदस्य के लिये सीटें सुरक्षित हैं किन्तु पंचायत और परिषदों में स्थान सुरक्षित नहीं हैं। उनका जहां कोई प्रतिनिधि नहीं। पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। राज्य सरकार को कोई बात पहुंचानी हैं तो वहां उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होने से वह बात उन तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिये वे लोग महरूम रहते हैं। सरकार की नीति के अनुसार जो उनको फायदा मिलना चाहिये वह उनको नहीं मिल पाता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे के स्तर के प्रतिनिधियों के लिये सुरक्षित सीटें निश्चित की जायं जिससे सारी परेशानी दूर हो सकती है।

मेजा फीडर का कार्य चल रहा है। उसके लिये राज्य सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र का पानी है उस क्षेत्र के लोग तो उसको देखते रह जायें और दूसरी जगह वह पानी जाय यह बहुत बड़ा अन्याय है। जिस क्षेत्र में बांध बंध रहा है, उस क्षेत्र को एक बूंद पानी भी न मिले, वह सारा का सारा दूसरे जिले में चला जाय यह उस क्षेत्र की उपेक्षा की बात है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक किया जाय ताकि आलोचना, जो बराबर होती रहती है, वह नहीं होगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कृषि की भूमि राज्य सरकार ने आवंटित की है उसका जिक्र किया है। मैं उसके लिये राज्य सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने हर सम्भव गरीब तबके को जमीन मिले यह विचार रखा है। किन्तु उनको भूमि नहीं मिल पा रही है उसका यह कारण है कि नीचे उनके प्रतिनिधि नहीं हैं। सरकार के आदेश चले जाते हैं, लेकिन उनको बताने वाले उनके नीचे प्रतिनिधि नहीं हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की इस प्रकार की योजनाओं को पूरा करने के लिये सख्त से सख्त कदम उठाये जांय।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

शिक्षा के लिये राज्य सरकार ने स्कूल खोले हैं। आज उनकी क्या दशा हो

(श्री नानलाल)

रही है । प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित कर दिया । वहां हैडमास्टर नहीं मास्टर नहीं, अध्यापक और अध्यापिकायें नहीं और शालाएं इस स्थिति में हैं कि छात्र हैं वे परेशान हो रहे हैं और बराबर उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है । जो नये स्कूल खोले हैं माध्यमिक शालायें-- शिक्षा विभाग की मार्फत जो स्कूल चलते हैं उनमें और इसमें काफी अन्तर है । आज इस अन्तर की वजह से वहां कोई सुविधा नहीं है । आज मिडिल स्कूलों में अध्यापकों के बैठने के लिये कुर्सियां नहीं हैं, बच्चों के बैठने के लिये बेंचें नहीं हैं । टाट पट्टी तक नहीं है । इसका कारण यह है कि पंचायत समितियों के पास पैसा नहीं है, शिक्षा विभाग कुछ देता नहीं जब तक ये शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आ जाते । इसलिये इन सब बातों को देखते हुए कोई निर्णय आप शीघ्र करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हुआ अपना कथन समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : रामसिंह ।

श्री रामसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । पर जैसा माननीय जसवन्तसिंह जी नाहर साहब ने कहा कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं ? इसी तरह मैं नहीं समझता कि मैं कहां बैठा हूं ? तामिलनाडु विधान सभा में बैठा हूं, अथवा राजस्थान की विधान सभा में ? यहां के विधायकों के चेहरे देखता हूं तो राजस्थान की विधान सभा मालूम पड़ती है, पर कान से उनको भाषण सुनता हूं, जिसमें सेन्टर को चारों तरफ से कोसा गया है, तो लगता है मैं तामिलनाडु विधान सभा में बैठा हूं ।

मेरा कहना यह है कि हर मामले में सेन्टर को काफी कुछ कोसा गया है । पर वास्तव में देखा जाय तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती है । क्योंकि हमारा प्रशासन, जो है वह राजाओं की देन है और अभी तक इसी कारण से हमारे यहां के प्रशासन का स्तर पहले के ब्रिटिश भारत के प्रशासन के लेवल तक नहीं आ पाया है । यह कई चीजों से स्पष्ट हो जायगा । भारत सरकार जितने भी अनुदान राजस्थान को देने का प्रावधान अपने बजट में रखती है, वह अनुदान की रकम राजस्थान की यह राजाओं के जमाने की प्रशासन की मशीनरी समय के भीतर खर्च नहीं करपाती । उसे वापस लौटाना पड़ता है । जब कि भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के समय की स्टेटें जैसे महाराष्ट्र हुई, गुजरात हुई, हरियाणा हुई, बंगाल हुई उनको दी गई अनुदान की सम्पूर्ण राशि का समय के भीतर भीतर पूरा पूरा उपयोग कर लेते हैं । इसके आंकड़े मांगने पर राजस्थान में नहीं मिल पाते कि कितना सेन्टर से आया हुआ धन वे काम में ले सके हैं और कितना नहीं, तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता । इस पर से मेरी तो यह निश्चित धारणा बन गई है कि डेफीनेटली हर साल जो भी हमें रकम सेन्टर से मिलती है उसको हमने वापस लौटाया है तो इस हालत में सेन्टर को कोसना मुझे मुनासिब नहीं लगता ।

आज भी हमारी यह हालत है कि कभी एक काम शुरू करते हैं तो पता नहीं

(श्री रामसिंह)

कब उसको बन्द करदें। वह पूरा भी नहीं हो पाया कि बन्द कर दिया। आज भी ऐसी जगहें मिलेगी जहां 600 मजदूर बहुत कहने सुनने पर लगाये गये हैं वे कुछ दिनों बाद ही काम से हटा दिये जाते हैं। या दस दिन बाद मुश्किल से काम दिया जाता है जब कि पीछे पीछे उनके फिरते हैं तब। तो इस तरह के हालात को सुधारना जरूरी है। इसके बाद ही सेन्टर को हम कुछ कहने की स्थिति में हो सकते हैं।

आचार्यजी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये वह भी इस नौकरशाही के काम करने के तरीकों का नमूना है। उन्होंने आंकड़े देकर राजस्थान को बहुत ही पिछड़ा प्रदेश साबित किया है। पर इसमें वे भी भागीदार हैं। वे भी पिछले सालों में इस सरकार के अंग रहे हैं।

रियासतों के कारण हम पिछड़े रहे हैं। यहां तक कि केवल राजधानियों में हमें सड़कें देखने को मिलती थीं। बीकानेर शहर की बात मैं कह सकता हूं। मुझे बचपन की बात याद है बीकानेर नगर के सिवाय और कहीं सड़क नाम की चीज उस समय नहीं थी जब कि उस रियासत का 23 हजार के करीब रकबा था। पास ही हिसार उस समय भी छोटा सा शहर था। उसमें उस समय भी नहरें थी और काफी सड़कें भी थीं। तो उनके मुकाबले में हम नहीं आ सकते। इसमें दो राय नहीं हो सकती। फिर भी पिछले 25 सालों में हम ब्रिटिश भारत की स्टेटों के स्तर तक पहुँच सकते थे। पर हमने इस दिशा में बहुत कम काम किया है। इसलिये मैं इस सरकार को यह सुझाव देता हूं कि वह राजाओं के समय की इस नौकरशाही को जल्दी से जल्दी ठीक करें। नहीं तो यह उनके लिये भी खतरे की घंटी है। आप इतने बेबस क्यों हैं? यह समझ में नहीं आता मेरे।

ठीक है, यह नौकरशाही पुरानी रियासतों की देन है, पर पिछले 25 सालों में आप इसे काफी सुधार भी तो सकते थे। आपने क्या किया? आर. ए. एस और आर. पी. एस अधिकारी तो आपके ही नौकर हैं। इनको तो आप ठीक कर सकते थे। ठीक है कि आई. ए. एस और आई. पी. एस वालों को आप दण्ड नहीं दे सकते पर इनके लिये सेन्टर को लिख तो सकते थे।

हमारी विधान सभा फिर क्यों है, किसलिये है। यह सक्षम है। अगर आप इसको सक्षम नहीं मानते और इसके जरिये भी इस नौकरशाही को ठीक नहीं कर सकते तो फिर बात करने से भी क्या लाभ है? विधान सभा शक्तिशाली है। निश्चय ही हम अपनी प्रशासनिक मशीनरी को ठीक कर सकते हैं। चाहिये हमारे में मनोबल। इस के लिये कुछ करेंगे तो निश्चय ही कुछ ठीक हो सकता है। वैसे ब्यूरोक्रेसी के द्वारा सताये हुए हैं आप, मैं भी सताया हुआ हूँ। जिसका उदाहरण मैं आपको दूंगा।

चीफ मिनिस्टर साहब तीन चार महीने पहले दौरे पर मेरे इलाके में आये। मैंने उनको दिखलाया कि हमारे यहां तहसील पटवारी, एस. डी. ओ आदि मिलकर किस तरह गिरदावरी करते हैं। आप किसी खेत में जाकर वहां का रिकार्ड देख लीजिये।

(श्री रामसिंह)

चीफ मिनिस्टर साहब ने देखा और साफ कह दिया कि यह बिलकुल गलत है। मैं अच्छी तरह मानता हूं इस बात को। कहने की जरूरत नहीं है। शुरू में चीफ मिनिस्टर साहब आये। लोगों ने उनको दरखास्तें दी। पर इनका नतीजा क्या हुआ? एस. डी. एम ने दुबारा गिरदावरी की और कह दिया कि पहले वाली गिरदावरी ठीक है। मैं कलक्टर साहब से मिला उन्होंने भी कह दिया पहले की ठीक है। कलक्टर को ले गया। उनको खेत दिखलाये। सब बातें बतलाई तो उनके दिमाग में कुछ आया कि यह गलत कर रखी है गिरदावरी। परिणामस्वरूप जहां जहां वे देख सके उन बीस तीस गांवों को जरूर कम किया पर बाकी वैसे ही रहे। फिर मैं हाकिमों से मिला। पांच छः पैसे हर गांव में कम किया जावे तब भी ठीक है। पर नहीं सुना उन लोगों ने कुछ। कलक्टर से फिर इसके बारे में कहा। कहा कि 90 प्रतिशत घरों में चलकर आप देख लीजिये कि कहीं भी किसी भी घर में खाने तक को अनाज नहीं है। अगर आप अनाज उनमें दिखला सकते हैं तो मैं मान लूंगा आप के नीचे के अधिकारियों ने ठीक किया। पर उनके दिमाग में यह बात आती ही नहीं। आखिर दिमाग उनके वे ही राजाओं के है। राजाओं के समय में फिर भी राजाओं से तो डर लगता था। पर आज कौन है? असल में तो राजा वोटर है गांव का हर गांव का हर आदमी राजा है। पर इनका ध्यान कौन रखे? हम नहीं कहते कि एम. एल. ए. राजा है। वोट देते हैं वे राजा हैं। उनके लिये क्या सोचा है आपने? मैं यह सवाल आप से पूछता हूं।

अब भी कहता हूं विधान सभा में कि रिलीफ मिनिस्टर साहब चाहें तो 16 हजार गांव आज भी सबूत में खड़े हैं। 80 प्रतिशत घरों में आज भी उनके पास अनाज नहीं है।

अगर इस नौकरशाही की यही विचार धारा रही तो इस प्रदेश का क्या होगा। हम तो प्रगतिशील प्रदेशों के स्तर पर आने के लिये आतुर हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं। पर आप यह मानकर मस्त हैं कि हम तो ठीक हैं, बाकी कोई दूसरा रोता है तो रोने दें। अपना क्या लेते हैं क्योंकि जनता बेचारी ऐसी है उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है और इस 71 के बाद तो ऐसे ढंग से सोचने लगी कि तुम लोगों को कोई बचाने वाला होगा या नहीं।

महंगाई पर मैं आता हूं और थोड़ा सा बताता हूं फेमिन कोड़ में जो गिरदावरी होती है उसका पता लगाया पटवारी ने 30 प्रतिशत लगाया, कानूनगो ने उसको 40 परसेन्ट कर दिया, तहसीलदार ने 50 परसेन्ट कर दिया, एस. डी. एम. ने 60 परसेन्ट कर दिया, कलक्टर ने फिर उसको 70 परसेन्ट कर दिया अब मैं कहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आप 80 कर दो और फिर मुख्य मंत्री जी उसको 90 कर देंगे और उसके बाद मनचन्दा साहब 100 परसेन्ट कर देंगे। वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने वहां की परम्परा को निभाया है। मैं जहां तक कहता हूं गिरदावरी में जो कुछ किया गया है मनचन्दा ने यह कहा था राजस्थान में कोई अकाल नहीं है तो कोई बुरा नहीं किया! क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब ऐसा कर रहे है। तहसीलदार साहब के

बाद में एस. डी. एम. साहब को ले गया और मैंने कहा वह खेत देख लो। तब उन्होंने कहा यह हरापन तो दीखता है। इनके दिमाग में यही नहीं है कि खेती क्या है और क्या उपज है। मैं रिलीफ मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे समाजवादी नहीं है इसलिये इसको समाजवादी बनाने की कोशिश की जाय तो बहुत अच्छा रहेगा।

(घंटी)

सब लोगों ने समस्या अच्छी रखी है। आपने घंटी बजाई तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी !

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अकाल के ऊपर अपना दिमाग लगाया, सुझाव दिये और जहां तक सरकार को प्रेरणा देनी चाहिये थी वह दी भी है और उसके साथ साथ अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। बहुत सारे कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज के दिन दिमाग के अन्दर सबको परेशानी है, चाहे जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हो, चाहे जनता हो और चाहे कोई शहरी हो, सबके दिमाग में एक बहुत बड़ी परेशानी है और परेशानी रहने के कई कारण हैं। सबसे पहले हमें इस तरफ जाना पड़ेगा जो स्टडी टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें काफी चर्चा हुई है लेकिन मैं समझता हूं और सदन को आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं स्टडी टीम की चाहे जितनी रिपोर्ट हो, चाहे जैसी रिपोर्ट हो....

(6.34 सायं)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

लेकिन जितना रुपया राजस्थान को अकाल राहत के लिये चाहियेगा जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट है और इन्दिरा जी उस पार्टी की लीडर है वह रुपया हमें मिलेगा यह नहीं हो सकता है और यह मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं और मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत के लिये रुपये लाने में यह गवर्नमेंट नाकामयाब रही तो आप इस सरकार की शक्ल इस सदन में नहीं देखेंगे बल्कि पीछे की तरफ देखेंगे।

आज के दिन प्रश्न यह आता है कि आज अकाल कार्यों पर जो काम हम शुरू करना चाहते हैं उसमें रुपये सही तौर से लगने चाहिये और उस रुपये का लाभ राजस्थान को, राजस्थान की जनता को मिलना चाहिये। इस रुपये को आज के दिन जब फेमिन पड़ता है तो बहुत जोरों से कहते हैं जल्दी से जल्दी रुपया लगाओ। मैं भी मेम्बर हूं इस सदन का। इसी सदन में दो साल बाद आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहां अच्छे काम उड जाते हैं। माननीय सदस्यों ने जब यह कहा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये मैं बिलकुल सहमत हूं। उन्होंने जब यह कहा बर्दाश्त नहीं होना चाहिये, मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। उनसे सहयोग चाहता हूं, मदद चाहता हूं और जनता के प्रतिनिधि के नाते उनको यह दिमाग देना चाहता हूं यह जिम्मेदारी लें।

जहां काम हो रहा है, खुले तरीके से उसको देखें और करें। सदन चल रहा

(श्री बरकतुल्ला खां)

है, आप कह सकते है और कहना चाहिये, मगर मैं इतनी बात कह सकता हूं मेटेरियल कम्पोनेन्ट के 15 प्रतिशत बढ़ाये हैं, उसको और आगे बढ़ाकर मेटेरियल कम्पोनेन्ट को 30 प्रतिशत किया और भी 50 प्रतिशत तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वह इसलिये कर रहे हैं कि बार बार तो अकाल पड़ता है। इसका स्थायी तरीके से कोई हल निकालना चाहिये।

सड़कें बनाने के लिये बहुत हैं लेकिन कहीं सड़क खतम हो जाती है, नाम निशान नहीं रहता। पक्की सड़क बनाने के लिये आज हमारे नान प्लान का गेप 30 करोड़ से ऊपर है। एक सुख का जमाना था, अच्छा जमाना था जब हम ओवर ड्राफ्ट लें सकते थे। अब ओवर ड्राफ्ट पर पाबन्दी लग गई जो शायद साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा ओवर ड्राफ्ट नहीं ले सकते हैं और जब नहीं ले सकते है तो मुझे आज सदन को कान्फीडेन्स में लेते हुये कोई दिक्कत नहीं होती कि हम मुश्किलात और कठिनाई से गुजर रहे हैं खास तौर से इकोनोमी की है, आमदनी को बढ़ाया है लेकिन उसके बावजूद आज जो कर्जा हमने अकाल राहत के लिये लिया उसके अन्दर आम तौर से यह समझ में आता है 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण असल में होता है, लेकिन होता यह है कि 20 प्रतिशत से कम अनुदान मिलता है और 80 प्रतिशत ऋण कम्पोनेंट होता है और जब 80 पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट को वापस करना पड़ता है तो उसका असर राजस्थान की जनता पर, राजस्थान की सरकार पर पड़ता है।

मिसाल के तौर पर लीजिये इस साल 10 करोड़ रुपया फेमीन का चुका रहे हैं और 3 करोड़ 83 लाख रुपया ब्याज का चुका रहे हैं। यह एक एक्स्ट्रा बरडन है जो हम पर आया है। मैंने फेमीन कमीशन के सामने यह बात कही थी। यह नेशनल कैलेमेटीज है। इसको इसी तरह डीलविद करना चाहिये। बराबर हमारा भी शेयर लीजिये और आपका भी शेयर लीजिये और आपका भी शेयर कन्ट्रीब्यूट कीजिये तब तो बेकवर्ड से आगे बढ़ेंगे और यह नहीं हुआ तो आज बेकवर्ड हैं और हमेशा बेकवर्ड रहेंगे और बेकवर्ड रहेंगे तो कहीं तेलगांना, कहीं आन्ध्र का सवाल आयेगा और कहीं पर वेस्टर्न और इस्टर्न राजस्थान का भी सवाल बन सकता है। इसलिए हमारी जो गरीबी है वह हमारी गरीबी मजबूर करेगी इसके लिए कि हम एक रोटी, जो आप बैठकर खा सकते हैं, कोशिश यह होगी कि मुझे ज्यादा मिले, क्योंकि करीब-करीब सभी भूखे लोग हैं। हमारी राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती कि बहुत नीचे है, यह भी कहते हुए शर्म नहीं आती कि 60 पर्सेन्ट से ज्यादा लोग देहातों के अन्दर बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं और यह चेलेन्ज अपने सबके सामने है और इस चेलेन्ज का मुकाबला करना आपका और हमारा फर्ज है, कर्त्तव्य है और धर्म है। आखिर क्या हम उन लोगों को राइट आफ करके चलें कि जो गरीब हैं? क्या यह मानकर चलें कि गरीबों को हम आर्थिक अधिकार दे सकते हैं लेकिन आर्थिक और सामाजिक इन्साफ नहीं दे सकते? तो इस राजस्थान को बनाने में सबका सहयोग चाहिए, सबकी मदद चाहिए और सब

Page No 136

(136)

(श्री बरकतुल्ला खां)

मिलकर इस राजस्थान को बनाने में एक दूसरे को सहयोग दे सकेंगे ।

जहां तक फूड ग्रेन का संबंध हैं आज हमें यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान ही अकेला नहीं है । पहले हम लोग अकाल की चपेट में आते थे परन्तु अब आधे से ज्यादा भारत का हिस्सा अकाल की चपेट में आया हुआ है और इसीलिए पहले जब अकाल होते थे धान आसानी से पी० एल० 480 में मिल जाती थी । हमारी बहुत सी चीजें मिल जाती थीं । उसके द्वारा हमारा काम निकल जाता था लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिन भी और पी० एल० 480 के द्वारा मांगे तो हमें अनाज मिल सकता है लेकिन मुट्ठी भर अनाज के लिए अपनी इज्जत को बेचना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि अपने भारत में अपनी खुद की और आने वाली नस्लों की इज्जत बिके और उसके बदले हमें मुट्ठी भर गेहूं और माइलो मिले । हमारी कोशिश बराबर जारी है कि गेहूं खरीदा जाये, कोशिश जारी है कि माइलो खरीदा जाये और कोशिश रहेगी । लेकिन आज हम भारत के अन्दर राजस्थान को अकेला नहीं मान सकते । हमें पूरे भारत के साथ रहना है पूरे भारत को सपोर्ट देना है और सपोर्ट लेना है । कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आपको आइसोलेटेड समझें । और आइसोलेटेड समझें तो न तो डिस्ट्रेस के समय समझें और न ऐसे वक्त पर ही जब पाकिस्तान भारत पर हमला करें । तो वहां भारत की फौज लड़ती है राजस्थान में अपनी फौज नहीं है । इसलिए, आज जो देश की तस्वीर सामने है उसके अन्दर हम लोग फिट होंगे । हमारे साथ जस्टिस होगा और जरूर होगा और मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जैसे पहले कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि चाहे जितना भी वह करें उनको भी मैं दोष नहीं देता और मैं कोई जातीय तौर पर इसको नहीं लेता और न कोई मुझे उनके खिलाफ ग्रिवान्सेस है । उन्होंने तो अपनी अकल के हिसाब से इसका जायजा लिया लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि वह रियेलिटी से दूर रहे । अपनी जगह उन्होंने एक चीज को समझा और कह दिया लेकिन हम अपनी चीज को ज्यादा समझते हैं क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं और इसी मिट्टी के बने हैं । इसलिए इसका पूरी तरह से हमारा केस रखा गया है और मैं पहले भी कह चुका हूं, दुबारा और तिबारा भी इस पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमको रुपया मिलेगा । लेकिन उस रुपये के साथ दो बातें हैं । एक तो यह है कि रुपया फिजूल खर्ची में नहीं आयेगा । यह बहुत जरूरी चीज है कि यह रुपया फिजूलखर्ची में नहीं जाये क्योंकि अगर फिजूलखर्ची में गया तो राजस्थान का भविष्य फिर अंधकार में पड़ जायेगा ।

दूसरे जैसे मेरे मित्रों ने सब तरफ से कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए । और उसको रोकना चाहिए । तो जब हम यह दो चीजें कर पायेंगे कि एक तो फिजूलखर्ची न हो और दूसरे भ्रष्टाचार न हो तो यह दोनों करने के बाद जितना हमें जरूरत होगी वह लेंगे । हमें किसी प्रान्त से या किसी प्रदेश से यह होड़ नहीं है कि उसको ज्यादा रुपया मिला है

(श्री बरकतुल्ला खां)

और हमें कम मिला है। वह भी हमारे भाई हैं। उनको जरूरत है उतना उनको मिलना चाहिए और हमें जितनी जरूरत है उतना हमें मिलना चाहिए। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि मेरे दोस्त और साथी श्री परसराम जी ने एक घन्टे में सारी बातें जो कहनी थीं वह कह दीं और मुझे केवल अपने तौर से इतना ही कहना है।

सदन के अन्दर एक चर्चा चली उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन में दिलाना चाहता हूं वह चर्चा चली सर्विसेस के बारे में और ब्यूरोक्रेसी के बारे में। मैं यह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने कहा कि मैंने सर्विसेस को हावी किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने सर्विसेस को हावी किया या मैंने सर्विसेस को कन्ट्रोल किया। मैं उनमें से हूं जो अंग्रेजी में मिसाल है उसमें विश्वास रखता हूं: Give on to God what is his and give on to Ceasur what is his.

सर्विसेस को सिर पर चढ़ाता तो 60 से ज्यादा लोगों को कम्पलसरी 25 साल की सर्विस के बाद रिटायर नहीं करता। और यह मेरी मन्शा होती कि सर्विसेस को सिर पर चढ़ाना है, सर्विसेस के द्वारा हमें काम लेना है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह गवर्नमेन्ट जनता की गवर्नमेन्ट है और यह गवर्नमेन्ट कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेन्ट है, सर्विसेस की गवर्नमेन्ट नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि मैंने सर्विसेस को बराबर कहा कि मैं कमिटेड सर्विस नहीं चाहता, लेकिन साथ ही साथ नान-कमिडेड सर्विस भी नहीं चाहता हूं। नान-कमिटेड सर्विस और कमिटेड सर्विस का जब सवाल उठेगा उस समय मैं इस पर ज्यादा रोशनी डालूंगा। तो जिस तरह की डेमोक्रेसी हम बना रहे हैं और जो हमारी एप्रोच बनी है उसमें बिगड़ने के चान्सेस ज्यादा हैं और बनने के कम हैं। लेकिन यहां जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं वह यह है कि मैंने 60 गजेडेड आफिसर्स को रिटायर कर दिया। उसके साथ ही साथ बराबर स्टैंडिंग इन्सट्रक्शन्स जारी कर रहा हूं। यही नहीं बल्कि लोअर रैंक के अन्दर भी जहां थानेदारों के बारे में, सब-इन्सपेक्टर्स के बारे में काम नहीं करने की, तवोज्जोह नहीं देने की शिकायतें आई हैं वहां भी मैंने 25 थानेदारों को रिटायर किया है, 4 सर्किल इन्सपेक्टर्स को रिटायर किया है और इसी तरीके से आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने करीब 600 आदमियों के ऊपर मुकदमें चला रखे हैं और इसलिए चला रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन के बारे में एक सही राय और एक सही रूप लोगों के सामने आना चाहिए। हमें साथ ही ईमानदार आदमियों की पीठ पर हाथ रखना चाहिए। जो बेईमानी और बदमाशी करते हैं या जो जनता की बात को नहीं सुनते हैं, जनता की परवाह नहीं करते हैं वह इस काबिल नहीं हैं कि इस आजाद देश के अन्दर रह सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन जितनी एजेन्सियां हमने अपने यहां खोली हैं ग्रिवान्सेस को रिड्रेस करने की

(श्री बरकतुल्ला खां)

उतनी शायद सेन्टर ने भी नहीं खोली हैं-विजिलेन्स कमीशन, एन्टी-करप्शन, कमिश्नर फार डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज, कमिश्नर फार पब्लिक ग्रिवान्सेस एण्ड आफिसर्स अटेच्ड टू दी चीफ मिनिस्टर्स सेक्रेटेरियट और इसके साथ ही लोकपाल और उप-लोकपाल की व्यवस्था भी की गयी है। तो यह सब चीजें एक डाइरेक्शन में जा रही हैं, एक दिशा में जा रही हैं और वह दिशा क्या है कि जहां कि हमें नहीं मालूम हो, जनता के किसी आदमी को मालूम हो कि वाकई भ्रष्टाचार है तो उसके पास सारे फोरम ओपिन होने चाहिए कि जिसके द्वारा इस करप्शन को रोक सके। चन्द लोगों के पीछे सारी सर्विसेस को बदनाम करना मुनासिब नहीं हैं। हर जगह पर, हर सर्विसेस में और मैं यह दावे के साथ कहता हूं और चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि राजस्थान में हमने जिस तरीके से लोगों को रिटायर किया है, कम्पलसरी रिटायर किया है किसी स्टेट में भी इस तरह से रिटायर नहीं हुए हैं। और न मैंने यह दुश्मनी से किया, न नाराजगी से किया–मैंने धर्म और ईमान को सामने रखा है। उनकी शिकायतें, उनकी सी. आर. और जो भी है उसको पढ़ा है और अपने दिमाग को एप्लाई किया है और ईश्वर को, अल्ला को और भगवान को सामने रखकर मैंने केसेज को जांच करके आगे भेजा है। आज के दिन यह समझना कि नौकरशाही हावी हो रही है यह नौकर-शाही के लोग खुद कहलवाना चाहते हैं और वह इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि उनको जो एक छोटा सा आब्लीगेशन करने का मौका मिलता था वह अब मौका नहीं मिलता और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि सर्विसेज अपना रूप समझे, समझाया गया है और नहीं समझेंगे तो फिर से समझायेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ताकत जनता ने दी है उसका सदुपयोग करूंगा।

और उसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ग्रिवेंस के लिए हमने हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई है जिसके अन्दर कलेक्टर, उच्चाधिकारी, दो हमारे माननीय सदस्य जिनको आप नोमिनेट करेंगे वह होंगे, एक जिला परि-षद का प्रतिनिधि, जिसको जिला परिषद नोमीनेट करेगी, इस प्रकार पब्लिक का पार्टीशिपेशन ले रहे हैं ताकि ग्रिवेंसेज और करप्शन के जो केसेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ध्यान में आते हैं वे उस कमेटी के ध्यान में आने चाहिएँ। उसका डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन के लिए किस एम॰ एल॰ ए॰ को नोमीनेट करेंगे, यह गवर्नमेंट नहीं करेगी बल्कि माननीय अध्यक्ष आपको, सुपुर्द किया है। आपकी आज्ञा से कर रहे हैं और दो चार दिन में इसको कर देंगे।

तो मैं तो अपने साथियों को, जनता के प्रतिनिधियों को असरटेन करना चाहता हूं और असरटेन करने के साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इन मसलों पर अपना दिमाग लगायें और कई दफा जब हम वाईल्ड चार्ज लगा देते हैं तो उसके पीछे जो गिल्टी हैं वह भी बच जाता है। अगर इश्यु को पिन पोईन्ट करें तो यकीनन् तौर पर राज-स्थान के अन्दर जो इतना बड़ा फोरम तैयार हुआ है इस सदन के अन्दर और इस सदन के अलावा ऐसा कोई फोरम हो नहीं

(श्री बरकतुल्ला खां)

सकता, इस सदन में जो भी कम्पलेंट्स आई उनका राज्यपाल महोदय के भाषण में जिक्र किया गया है और उन्होंने विवरण भी दिया है, मैं उसको दुबारा दोहराना नहीं चाहता। इसी तरीके से जो मेरे पास अफसर लगा है उसने चार हजार कम्पलेंट्स पर वेरियस एक्शन लिया है और मेरे यहां जो शिकायत आती है उसकी रसीद, नम्बर तारीख सब देते हैं ताकि वह अगर वक्त पर जवाब न मिले तो हम कोंस्टेंटली उसका रिमाइण्डर देते हैं। उसके बाद भी अगर आफिसर कोग्नीजेंस नहीं लेता है तो मेरे पास अधिकार है. मैं उसकी सी. आर. खराब कर सकता हूं, उसको पेनलाईज कर सकता हूं अगर उसकी जनता के साथ हमदर्दी नहीं है। लेकिन सब लोग बुरे नहीं हैं तो सब लोग अच्छे भी नहीं। हर लेवल पर हर जगह पर मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर करप्शन मिटे और जो हमने कदम उठाये हैं छः सौ केसेज चलाये हैं और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंन्ट्स को भी स्क्रीन कर रहे हैं और जब स्क्रीन करते हैं तो, माननीय अध्यक्ष, उसमें बड़े अफसर ही नहीं बैठते, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिनिधि, जिसमें या तो वहां के चेयरमेन खुद आते हैं या जिसको वे नोमीनेट करते हैं, वह आकर बैठते है, और वे देखते हैं कि किसी के साथ गैर इंसाफी न हो जाय। तो इसलिए एक सिस्टेमेटाईज, चेनलाईज तरीके से हम चल रहे हैं। मैं कोई तानाशाह बनना नहीं चाहता या अपने हाथ में बहुत ताकत नहीं लेना चाहता कि मेरी शक्ल देखें और घबरायें। मैं यह चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर जो जनता के अधिकार हैं, वे सुरक्षित रहने चाहिएं और अफसरों के जो अधिकार हैं वे भी सुरक्षित रहने चाहिएं। लेकिन आखिर में इस डेमोक्रेसी की, इस सदन की, इस गवर्नमेंट की जिम्मेवारी यह है कि आम लोगों की सेवा करे और आम लोगों की मदद करे और आम जनता से दूर न रहें, क्योंकि जिन्दगी के अन्दर बहुत से चेलेंज आते हैं, आए हैं और देश ने उनका मुकाबला किया है।

आज हम एक तरफ अकाल की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ डवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाहे वह पहाडी इलाका हो, चाहे वह रेगिस्तानी इलाका हो, वहां के लिए स्थायी हल निकालने की बराबर कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई रास्ता ऐसा निकले, चाहे जितना रुपया इसमें लगे। आज के दिन में कहना चाहता हूं कि आज के दिन हमने पहाड़ी इलाकों के अन्दर कुछ काम ऐसे लिए है जिसके अन्दर नाईन्टी परसेन्ट मेटिरियल कम्पोनेन्ट होगा। जिस काम के अन्दर पहले फेमीन में अर्थ वर्क कम्पलीट किया, ग्रेवल वर्क कम्पलीट किया लेकिन ओवरहाल कम्पलीट नहीं हुआ तो उसका फायदा लेने के लिए उस पर रुपया लगाना पड़ेगा। हमारा जो प्लान है डवलपमेंट है, कुछ आउट साईड दी प्लान मदद मिली है इस मदद को लगाना पड़ेगा और लगा कर एक तरीके से स्थायी रूप से लोगों को राहत देने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिगनिंग किया है, पांच सात साल में पूरा कर पायेंगे।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी अर्ज करना चाहता था कि जहां पर हम लोग अकाल की बात करते हैं अपने डवलपमेंट को हमने नहीं रोका है। योजनाओं को हमने नहीं रोका है। योजनाओं

(श्री बरकतुल्ला खां)

के साथ हम चलना चाहते हैं और जैसा राज्यपाल महोदय ने कहा हम राजस्थान केनाल के लिए एक बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसके अन्दर हम लोग भी होंगे और एक्सपर्ट्स भी होंगे। राजस्थान के होंगे तो अच्छा है, राजस्थान के नहीं मिलते हैं तो बाहर के होंगे, लेकिन बोर्ड के अन्दर एक्सपर्ट्स को लाना चाहते हैं ताकि गाइडेन्स दे सकें, रास्ता बता सकें और जो हम एक सर्किल के अन्दर घूमने लगे हैं उस सर्किल को ब्रेक कर सकें। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। और इसलिए जो हम बोर्ड बनाना चाहते हैं। देर थोड़ी लग सकती है। लोगों से बात करनी पड़ती है। एक्सपर्ट्स से बात करनी पड़ती है, आया वे आने को तैयार हैं या नहीं, फुल टाईम आना चाहते हैं, पार्ट टाईम आना चाहते हैं, कितना समय दे सकते हैं। इसमें भले ही कुछ देर लगे लेकिन बोर्ड ऐसा बने कि जो एक्सपर्टटाईज नोलेज दे सके। बोर्ड ऐसा नहीं बनाना चाहते कि जिसके अन्दर फार्मलिटी पूरी कर दे। मैं यह चाहता हूं कि आने वाले पांच साल की रूपरेखा बनाने के अन्दर वह बोर्ड पूरी मदद करे, राजस्थान की समस्याओं को समझें और टेक्निकल राय दे सकते हैं वह टेक्निकल राय दें।

इसी तरीके से पावर के अन्दर जो हमने टार्जेट रखा फोर्थ फाईव ईयर प्लान के अन्दर उसको हम आगे बढाने जा ही रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूं। आम तौर पर लोगों का यह खयाल हो रहा है कि अकाल के नाम पर हम योजनाओं की ओर नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, कि हम योजनाओं की ओर जा रहे हैं और जाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर विद्युत के अन्दर फोर्थ फाईव ईयर प्लान में हमने तीन हजार गांवों के लिए रखा था और मैं समझता हूं कि बिजली के अन्दर भी हमारा यह प्लान खत्म हो उस वक्त तक साढ़े तीन हजार गांवों में बिजली पहुँचा सकेंगे। इसी तरह से जो कुओं का कोटा रखा था, हर साल उसको बढाते जा रहे हैं और राजस्थान के अन्दर जहां जहां बिजली ले जा सकते हैं वहां जल्दी से जल्दी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े।

इसी तरीके से शिक्षा के बारे में जिक्र हो चुका है जिसको मैं दुबारा लौटाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि शिक्षा के अन्दर मेरी भारत सरकार से बहुत बातचीत हुई है, शिक्षा मंत्रीजी से हुई है और कई लोगों से हुई है और मैने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा के अन्दर जैसा हमारा समाज का ढांचा है, इसकी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक वे के अन्दर समाज के ढांचे को ठीक करें। समाजवाद डेमोक्रेटिक मेथड़ से लायें यह मानते हुए कि समाजवाद जो कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है डेमोक्रेट्रिक इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा भी आ सकता है। यूनाईटेड किंग्डम की लेबर गवर्नमेंट ने और स्कैंडेनेवियन कंट्रीज ने इस बात को साबित कर दिया। लेकिन फिर भी हमारा समाजवाद जो है इस देश की हमारी परम्पराओं का होगा, इस मिट्टी का होगा। हमारी समस्यायें अलग हैं और दूसरे देशों की समस्यायें अलग हैं। लेकिन वह समस्याएं होते हुए भी हमारे देश के अन्दर आम तौर से जो समाजवाद

(श्री बरकतुल्ला खां)

की रूपरेखा है उसके अन्दर मैं विश्वास करता हूं और जो भी समाजवाद की नीतियों की क्रिटीसिज्म हुआ है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और उसको धन्यवाद देता हूं। परन्तु साथ में बताना चाहता हूं कि हम भी अहिस्ता अहिस्ता समाजवाद की ओर जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर गेहूं का थोक व्यापार है। इस गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि गेहूं का थोक व्यापार हम व्यापारियों से लेकर सरकार के पास लायेंगे। इसलिये किया है-- व्यापारियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, न हमारी उनसे कोई अदावत है और न लड़ाई ही है। मैं यह जानता हूं, अक्सर यह होता है कि थोड़ा सा सूखा पड़ा कि कीमतें बढ़ने लगती हैं। कुछ लोगों के हाथ में सारी जनता की गरदन चली जाती है। इस बात को क्लीअर करना चाहता हूं कि फूड ग्रेन के ट्रेड को नेशनलाइज करना चाहते हैं। नेशनलाइज करेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके अन्दर कोई दो राय नहीं हो सकती है। चाहे भारत सरकार करे या राजस्थान सरकार करे। चाहे हम करें, चाहे भारत सरकार करे। मैं इस सदन में कहना चाहता था आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष, कि जब हमने तय किया कि हम इस व्यापार को हाथ में लें, अन्दाजा समझिये कि करीब 30 करोड़ रुपया सालाना सबसीडी का देना पड़ेगा और यह हमारे नान प्लान से आयेगा। जो इसके लिये कमेटी बनी है उसने यह राय दी है कि भारत सरकार को जो एफ. सी. आई. है वह अगर इन तमाम चीजों को करती है तो उसके अन्दर भारत सरकार सबसीडी देगी और भारत की हरेक स्टेट को जितनी जरूरत होगी उसके मुताबिक अनाज देगी। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में है। मेरे साथियों के दिमाग में है कि तीस करोड़ रुपया मिल जाये। अगर वह मिल जाय भारत सरकार से तो इस मिडिल मेन को ऐलीमेंट करना जरूरी है। बराबर कीमतें बढ़ती जा रही है। मैं एक चीज और कहूंगा माननीय अध्यक्ष आपकी इजाजत से कि यह इस सदन से सम्बन्ध नहीं रखता है, मैं हमेशा इस राय का रहा हूं कि आज भी कीमतों को रोकना चाहिये। दुनियां में कीमतें बढ़ने की टेन्डेन्सी है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में भी बढ़ रही है, इसके लिये एक बात मेरे दिमाग में है। इन कीमतों को रोकने के लिये हमें कन्जूमर गुड्स की इन्डस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में लेना होगा (तालियां) क्योंकि प्राइज इन्डेक्स गेहूं का कम हो जाये, बाजरे का कम हो जाय, शुगर का कम हो जाय, परन्तु जो कन्जूमर गुड्स है वह कम नहीं होगा। आज यह एक आसान तरीका है कि कीमतें बढ़ते ही गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज ने ऐजीटेशन किया और उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। जो महंगाई भत्ता बढ़ता है उस हिसाब से कीमतें भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाती हैं और उसके बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ पाने वाला आदमी है वह है अन इम्प्लाईड, अन्डर इम्प्लाईड और सेल्फ इम्प्लायर। इसकी कौन देखभाल करेगा। आखिर वह भी भारत का रहने वाला है। हमारे देश का रहने वाला है। मैं समझता हूं कि महंगाई-भत्ता सारी स्टेट्स का मिलाकर, भारत सरकार का भी मिलाकर एक

(श्री बरकतुल्ला खां)

बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अगर इन्डस्ट्रीज लगाकर यह घाटा भी खावें लेकिन लोगों को चीजें वाजिब कीमतों पर दें तो मैं समझता हूं प्राइस इन्डेक्स को रोकने का और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और प्रोडक्शन की केपिसिटी हमारी नहीं है। थ्योरिटिकली हम बात कर सकते हैं, परन्तु ओवर प्रोडक्शन एक चीज में हो सकता है, दो चीजों में ओवर-प्रोडक्शन हो सकता है, परन्तु सारे कन्ज़ूमर गुड्स का प्रोडक्शन इतना नहीं हो सकता है कि 55 करोड़ इन्सानों की जरूरत को पूरा कर सके। अल्टीमेटली आज कर लें, बाद में कर लें, इस बात की जरूरत है। राजस्थान सरकार अगर आज डेफिसिट में नहीं होती तो यकीनी तौर पर हम इस बात की कोशिश करते कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर किसी न किसी तरीके से कन्ज़ूमर गुड्स के कारखाने खोल कर प्राइज को स्टेबिलाइज करते। बदकिस्मत से आज हमारे पास रुपया नहीं है ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं, राय दे सकते हैं और दे रहे हैं।

इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष, मेरे दोस्तों के दिमाग में भी कुछ समाजवाद की बात है। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवाद से हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं और समाजवाद का रास्ता हमने अपना लिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने 25 पर्सेन्ट बस ट्रान्सपोर्टेशन का नेशनलाइजेशन कर दिया और अगले वर्ष तक यह हो जायेगा। इसके लिये हम आर्डिनेन्स ले आये हैं। एक क्रिटिसिज्म थी कि हमनें जो अरबन प्रापर्टी की सीलिंग लगाई है उस सीलिंग के बिल पर प्रेसीडेन्ट की असेन्ट नहीं आई है। यह प्रेसीडेन्ट की असेन्ट कोई एक बिल पर ही नहीं आई है सारी स्टेट्स के बिल पर नहीं हो पायी है। इसलिये इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव हमने रखा है और इसके लिये यह आर्डिनेन्स निकाला है कि इस तरह से यह जो ट्रान्सफर हो रहे हैं उनको किसी तरह वे रोका जाये। इसी तरीके से पहले कहा जा चुका है हमारे फोरेस्ट प्रोड्यूज का कत्था, तेन्दू लीव्ज और बेम्बूज इन तीनों का हमने नेश्नलाइजेशन कर दिया है। ऐसा नहीं हैं कि हम नेश्नलाइजेशन से हटते जा रहे हैं। इस तरीके से मैं अर्ज करूंगा कि यह जो बीकानेर जिप्सम है उसके अन्दर जो आपके द्वारा भी सुना गया होगा उसके लिये हमने यह आॅर्डर कर दिया है कि पहले जो लोन दिया गया है वह लोन कम्पोनेन्ट इक्विटी में टर्न हो जावे ताकि पचास परसेन्ट शेयर राजस्थान सरकार के पास आ जावे और यह भी एक स्टेट इन्टरप्राइज बन जाये। इसी तरीके से टांके के चमड़े के कारखाने का शुबहा चल रहा था। फ्रेन्च कम्पनी से कान्ट्रेक्ट हो गया है और तीन महीने के अन्दर इसका काम शुरू हो जायेगा। कुछ काम बनना शीघ्र ही शुरू हो जायगा और बनने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है उसके साथ मशीनें भी तेजी से लगे ताकि यह न हो कि सिर्फ कारखाने का ढांचा ही खड़ा हो जावे। यहां पर मशीनें भी मोजूद रहेंगी और साइमलटेनियसली यह काम शुरू हो रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद के रास्ते पर हम जा रहे हैं, जाना चाहते हैं और इस देश में समाजवाद

(श्री बरकतुल्ला खां)

को लाना चाहते हैं। यह हो सकता हो कि हमारी कुछ मजबूरियां हों, क्योंकि पैसा हमारे पास में नहीं है। ये मजबूरियां हो गई हैं। नेश्नलाईजेशन करें तो हम इमीजियेट कम्पेनसेशन नहीं दे सकते हैं, यह हो सकता है। लेकिन जो रास्ता पकड़ा है उससे हम हटना नहीं चाहते हैं। उस पर चलना चाहते हैं और चलते रहेंगे। फाइनेन्शियल स्ट्रीजेन्सीज की वजह से होल्टिंग हो जाता है। इसके लिये मेहरबानी करके मैं दोस्तों से अर्ज करूंगा कि इसको गलत न समझिये।

राजस्थान केनाल के लिये बराबर प्रेशर पड़ रहा है। इस बात का प्रेशर पड़ रहा है कि राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर जमीन का आक्शन कर दिया जाये इससे रुपये अधिक मिलें। हमारी यह कोशिश है कि राजस्थान केनाल की जो जमीन आयेगी उसको हम आक्शन नहीं करेंगे, फिक्स्ड प्राइस पर, रिजर्व्ड प्राइस पर वहां के किसान को, जो खेती पर निर्भर करता है, मजदूर है, उसको देंगे ताकि पैसे वालों के पास जमीन न जावे। इसी तरीके से जमीन फोजियों के लिये रिजर्व रखी है, जिन्होंने कि हमारी सीमाओं के ऊपर जानें दी हैं या अपने हाथ-पैरों से बेकार हो गये हैं। यह करीब डेढ़ करोड़ रुपयों की जमीन है। इस तरीके से जहां-जहां जरूरत होगी वहां वहां लैन्डलेस को बसाने की बराबर कोशिश करेंगे। एक अजीब बात माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। जब यह तय हो गया था कि हरिजनों, आदिवासियों और वीकर सेक्शन को प्लॉट साइट दिये जायेंगे। मेरे पास एक कम्पलेन्ट आई और आन दी स्पाट मैंने उसको देखा। मैं यह किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं। कभी कभी आदमी क्या कर सकता है इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि ऐसी शिकायत है हरिजन, आदिवासी गरीब लोग हैं वे कहते हैं कि आप उन्हें गांव के अन्दर जमीन नहीं देकर गांव से बहुत दूर जमीन देना चाहते हैं। उसने कहा नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मैं खुद जाकर देख लूंगा तो पता हो जायगा। मैंने खुद ने भी सरपंच को लिखा था। मैंने यह देखा कि उनके मन में यह था कि अगर इन गरीब लोगों को यहां बसा दिया गया तो हमारा जो स्टेटस सिम्बल है वह कम हो जायगा और इसके लिए मैंने उसके बाद में यह फैसला किया कि ये बी० डी० ओ० वगैरह हैं और सरकारी कर्मचारी हैं वे जमीनों का एलॉटमेंट करें, क्योंकि मैं अपनी आंखों से यह देख कर आया था, हमसे भी नादानियां और गलतियां हो सकती हैं। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने फैसला किया कि जितने भी हरिजन और आदिवासी हैं इनके लिए पूरे तरीके से करेंगे और भी वीकर सेक्शन जितने हैं उनकी मदद करेंगे।

पूरे भारत में मुस्लिम लीग इमर्ज हुई है और दूसरी पार्टियां भी इमर्ज हुई हैं। हमने हमेशा देखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी और जितनी भी एक्स्ट्रीम लेफटिस्ट पार्टियां हैं वे अलग हुई हैं और जितनी भी रिएक्शनरी पार्टीज हैं वे मिल जाती हैं। हमने यह देखा है कि जब कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने इस्तिफा दिया था तो डे आॉफ डिलीवरेन्स मनाया गया था और मुस्लिम लीग और हिन्दू महा सभा दोनों साथ मना रही थीं।

(श्री बरकतुल्ला खां)

वे मन्दिर में मना रहे थे और वे मस्जिद में मना रहे थे। उस स्थिति में मैं यह कह सकता हूं कि जितनी भी कम्युनल पार्टीज हैं, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे किसी धर्म से वह सम्बन्ध रखती हों उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की जनता ने ऐसे दिनों भी लॉ एण्ड आॅर्डर को मेन्टेन रखा और इसके लिए मैं पुलिस कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि समझदारी के साथ उन्होंने काम किया। जनता का सहयोग मिला तब जाकर यह सारा काम चल सका।

तो मैं यही कहना चाहता था कि जयपुर शहर के डवलपमेन्ट के लिए रुपया लगाया गया 50 लाख के करीब और अलग-अलग शहरों पर भी लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा इन सब बड़े शहरों के ऊपर रुपया लगायेंगे। एक-एक को लेकर चल रहे हैं। सबको एक साथ ले लें तो कहीं पर भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि एक-एक टुकड़ा सभी में बांटना होगा। इसलिए पहले सबसे बड़े शहर को जो कि राजस्थान की राजधानी है जहां पर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, उसको पहले लिया गया है। लेकिन इससे यह समझें कि दूसरी सिटीज को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी सिटीज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी योजनाएं बन रही हैं और उनका भी होगा।

आखिर में मैं सिर्फ यही निवेदन करके खत्म कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो रेगिस्तानी इलाका है उसके अन्दर खेती होना सम्भव नहीं है। जहां तक मेरी बातचीत हुई है एक्सपर्ट्स से तो मुझे यही अन्दाजा लगा है कि यह सम्भव नहीं है, लेकिन यह सम्भव है कि वहां पर फोडर बैंक बनाये जायें, वहां पर घास उगाई जा सकती है और मैं समझता हूं कि तीन जगह तो एनीमल हस्बेन्ड्री का काम शुरू हो गया है। इस तरीके से जिन इलाकों के अन्दर काश्त नहीं हो सकती है वहां पर हम लोगों को एनीमल हस्बेन्ड्री पर जोर देना पड़ेगा, और जोर देने के साथ जिन इलाकों के अन्दर पहाड़ हैं और जो रेतीले नहीं हैं उनके अन्दर भी एनीमल हस्बेन्ड्री डेवलप हो सकती है तो एनीमल हस्बेन्ड्री को डेवलप करेंगे। इस मामले के अन्दर चार दफा वर्ल्ड बैंक से बातचीत की है। एक दफा राजस्थान कैनाल के बारे में, एक दफा व्हाइट रिवोल्यूशन यानी दूध के बारे में, एक दफा चम्बल के एरिया के अन्दर जो वाटर लागिंग हो रहा है उसके बारे में और इस तरीके से चार मर्तबा उनसे बातचीत हुई है, लेकिन क्या परिणाम निकला यह अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि देश के अन्दर प्लानिंग कमीशन और सेन्ट्रल केबिनेट को इस बात की चिन्ता है कि इसका स्थाई हल निकलना चाहिए। और मैं आशावादी हूं, जो समाजवाद में विश्वास रखता है वह आशावादी होता है, तो मैं विश्वास रख कर चल सकता हूं कि इसका स्थाई हल निकलेगा, और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन्हें मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, और फिर से धन्यवाद देता हूं, इस बात के लिए कि जिस तरीके से हमने अपने आपको कन्डक्ट किया

145

(श्री बरकतुल्लाखां)

है भारत के अन्दर उससे हमारी इज्जत बढ़ी है, दुनिया के सामने हमारी इज्जत बढ़ी है। प्रधान मन्त्रीजी के सामने भी हमने यही कहा था कि इन्दिराजी हमारे लोगों को भीख मांगने की आदत नहीं है। हमारी जान दे देने की आदत है और हम अपनी इज्जत रखना जानते हैं।

श्री केदारनाथ : केवल एक क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल की स्टडी टीम की रिपोर्ट के खिलाफ आपने आॅब्जेक्शन किया या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे यह बात कहनी है कि टीमें आती हैं और जाती हैं और टीमें आयेंगी और जायेंगी। ये टीमें आज बैठती हैं और कल जाती हैं। हमारा यह सवाल नहीं है। हमारा सवाल तो यह है कि हमारे लोग जो बेकार हैं और बे रोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिये। हमारे लोगों को भीख मांगने की आदत नहीं है। हम भीख मांगेंगे नहीं। तो यह चीज मैंने कही थी। टीम कुछ भी रिपोर्ट दे सकती है उससे मेरा कोई कन्सर्न नहीं है, क्योंकि आखिर में अन्दर जहां पर इन्सान और मनुष्य की जिन्दगी का सवाल है वहां पर टीम की स्टडी रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय शिवचरणजी माथुर ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का पेश किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23 फरवरी, 1973 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7 बज कर 16 मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 1973 के 11 बजे प्रातःकाल तक के लिए स्थगित की गई।)

—

Page No 146

(146)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची)

आवेदकों का जिलेवार विभाजन मय शैक्षणिक योग्यता

क्रम सं०	नाम जिला	प्राप्त आवेदन-पत्र	योग्यता		
			सैकेण्डरी	हायर सैकेण्डरी	स्नातक
1.	उदयपुर	634	289	345	—
2.	चित्तौड़	274	83	189	2
3.	भीलवाड़ा	236	97	139	—
4.	बून्दी	181	106	75	—
5.	कोटा	80	24	56	—
6.	अजमेर	35	15	20	—
7.	टौंक	19	7	12	—
8.	जयपुर	58	37	20	1
9.	सीकर	18	10	8	—
10.	झालावाड़	48	21	27	—
11.	झुन्झुनू	15	8	6	1
12.	सवाई माधोपुर	121	52	69	—
13.	चूरू	2	1	1	—
14.	पाली	2	1	1	—
15.	बीकानेर	5	3	2	—
16.	गंगानगर	1	1	—	—
17.	भरतपुर	31	16	14	1
18.	सिरोही	1	1	—	—
19.	अलवर	35	23	12	—
20.	बांसवाड़ा	356	150	206	—
21.	डूंगरपुर	462	163	298	1
22.	राजस्थान से बाहरी क्षेत्र के	10	4	6	—
	महा योग....	2624	1112	1506	6

———

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची :

गांव का नाम	जन सहयोग की जमा राशि (रुपये)
खमनोर	1340
सेमा	1000
झालों का मदार	2000
गांवगुढ़ा	1950
मोलीखां	2500
कुशीवाड़ा	2500
कठार	1000

प्रश्न 2 की सूची :

क्षेत्रीय योजना

गांव का नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार
गांव गुढ़ा	1298
झालों का मदार	2379
लखमावतों की भागल	619
भोखोरा	682
योजना की अनुमानित लागत 3,31,500 रु० है ।	(3,31,500 रु०)

पम्प एवं टैंक योजनायें

गांव का नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार	अनुमानित लागत (रुपये)
खमनोर	2278	2,36,000
मोलीला	2001	1,83,000
सेमा	1414	1,22,300
सीसोदा कलां	1504	1,30,500

———

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

छत्रपुर स्टेशन को नल योजना

79. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छत्रपुर स्टेशन (झालावाड़) की नल योजना से जनता को पूरे समय यानी गर्मियों में पानी नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिस कुए से पानी लिया जा रहा है वह कुआ सरकारी है पर एक काश्तकार इसी से खेती भी करता है, जिससे पानी की भारी परेशानी आ जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कुए की पानी देने की क्षमता बहुत ही कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कोई दूसरा हल ढूंढकर कार्यवाही करेगी जिससे जनता को समय पर पूरा पानी दिया जा सके ?

उत्तर.

(1) जी हां ! जिस कुए से जलदाय विभाग पानी सप्लाई करता है उसी कुए में खातेदारी का झगड़ा होने के कारण एक काश्तकार भी सिंचाई के लिये पानी लेता है जिससे पानी की कमी पड़ती है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। छत्रपुर में पीने के पानी की आवश्यकता के अनुसार कुए में पर्याप्त पानी है। यदि काश्तकार पानी लेना बन्द करदे तो भविष्य में जल कष्ट रहने की संभावना नहीं रहेगी।

गजसिंहपुर क्षेत्र में हरिजन परिवारों को आबादी भूमि

80. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका, गजसिंहपुर क्षेत्र में कितने ऐसे हरिजन परिवार हैं जिनके पास आबादी भूमि में रहने के लिये जमीन नहीं है ?

(2) इस वर्ष उक्त क्षेत्र में कितने परिवारों को आबादी भूमि दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)

(3) जिन परिवारों के पास आबादी भूमि नहीं है उन्हें कब तक आबादी भूमि दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) दस।

(2) इस वर्ष किसी हरिजन परिवार को भूमि नहीं दी गई।

(3) नगरपालिका द्वारा भू-खन्ड अलॉट करने की कार्यवाही की जा रही है।

किरायेदार कानून में संशोधन

81. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन् 1967 में किरायेदार कानून में संशोधन के लिये समिति का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो इस समिति की अवसान तक कितनी बैठकें हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कब तक रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है ?

(3) क्या राज्य सरकार टिनेन्सी एक्ट की धारा 13 (एच) में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। यह विचाराधीन है।

अकाल राहत कार्यों में के धन दुरुपयोग के मुकदमे

82. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न स्थानों में सन् 1968-69 तथा 70 में अकाल राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग, गबन एवं जाली कागजात बनाने के सम्बन्ध में जो मुकदमे पंजीकृत

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

किये गये थे उनमें अब तक क्या-क्या प्रगति हुई है ? कृपया ऐसे प्रत्येक मुकदमे के संबंध में विवरण सहित एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

भूतल-जल का सर्वेक्षण

83. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या भूतल-जल बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाइड्रोलोजिकल रिकोनेसन्स योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में भूतल-जल प्राप्ति की दृष्टि से सर्वेक्षण हुआ ? उन जिलों की सर्वेक्षण की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले का अभी तक उक्त योजना के अन्तर्गत विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ ? यदि हां, तो अब सर्वेक्षण कब तक करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) हाइड्रोलोजिकल रिकोनेसन्स योजना के अन्तर्गत 15 पंचायत समितियों का प्राथमिक सर्वेक्षण एवं 32 पंचायत समितियों का अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। ये 47 पंचायत समितियां निम्न 20 जिलों में स्थित हैं:—

1. टोंक, 2. कोटा, 3. अजमेर, 4. भीलवाड़ा, 5. पाली, 6. चूरू 7. झुंझुनूं, 8. जोधपुर, 9. बीकानेर, 10. जालोर, 11. जयपुर, 12. सवाईमाधोपुर, 13. नागौर, 14. उदयपुर, 15. अलवर, 16. सिरोही, 17. झालावाड़, 18. भरतपुर, 19. डूंगरपुर, 20. सीकर।

सर्वेक्षण की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या काफी बड़ी है और इनकी प्रतिलिपियां करवाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां, बाड़मेर जिले की सीवाना और धोरीमन्ना पंचायत समितियों में अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है। शेष पंचायत समितियों का अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 72-73, 73-74 एवंम् 74-75 में पूरा करा दिया जावेगा।

सांचोर कस्बे में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली-पानी की मांग

84. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्य यह सत्य है कि सांचौर कस्बे में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

मोहल्लों में समाज कल्याण विभाग को पानी व बिजली के लिये बावजूद बार-बार मांग के अभी तक कोई बजट मंजूर नहीं किया है ? अगर हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष उक्त योजना के लिये प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष उक्त मोहल्लों में बिजली एवं पानी के लिये उपयुक्त धनराशि मंजूर कर देगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सांचौर कस्बे में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने के लिये दिनांक 1-2-73 को निदेशालय में 19,200 रु० के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 16-2-73 को सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिये गये हैं। सांचौर कस्बे में अनुसूचित जाति एंव जन-जाति के मोहल्लों में नल लगाने के लिये कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन जन-स्वास्थ्य (अभियान्त्रिक) एवं जलप्रदाय विभाग ने अपने बजट में से 34,550 रुपये के निम्न प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये हैं:—

1.	भीलान का बास, सांचौर	9,050
2.	कुमारान का बास, सांचौर	12,500
3.	जट्टियान का बास, सांचौर	13,000
	योग	34,550

(2) उत्तर प्रश्न संख्या 1 में दे दिया गया है।

(3) धनराशि मंजूर कर दी गई है।

सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग की शिकायत

85. श्री जयकिशनलाल तोसवाड़ा (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री अगम प्रकाश सिंघल, एस. ई., सिंचाई विभाग के विरुद्ध सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग व झूठी लॉग बुक्स भरकर सरकार के साथ 420 करने के बारे में उप-महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर, को

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

दिनांक 13-1-72 व 28-3-72 को जांच करने हेतु शिकायत भेजी गई ? यदि हां तो, उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ? इन पर अब कब तक उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच में देरी होने का मुख्य कारण संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पूरा रेकर्ड जांच अधिकारी को नहीं देना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अधीक्षण अभियन्ता की मांग पर सतर्कता आयुक्त द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रतिलिपियां उन्हें दे दी गई हैं जिससे वे अपने बचाव में आवश्यक कार्यवाही कर सकें ? अगर हां, तो ऐसा करना कहां तक न्यायसंगत है ?

उत्तर

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में दिनांक 13-1-72 एवं 28-3-72 का परिवाद श्री रामकिशन, विधान सभा सदस्य एवं जिला प्रमुख, भरतपुर से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्राप्त हुआ था। इस पर विभाग के अधिकारी को जांच के आदेश दिये गये। जांच की जा रही है।

(2) क्योंकि इसी प्रकार का परिवाद सतर्कता आयोग द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पास भेजा था जिसकी जांच करवाई जा रही है। अतः सम्बन्धित अभिलेख आदि सिंचाई विभाग से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को उपलब्ध नहीं कराये जा सके। वांछित अभिलेख प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में जांच पूर्ण कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) सतर्कता आयोग, भष्टाचार निरोधक विभाग या मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता को शिकायतों की कोई प्रतिलिपियां नहीं दी गयी हैं।

घंटाघर ओवरब्रिज रोड़ का निर्माण कार्य

86. **श्री अमृतलाल गहलोत, सरदारपुरा** (जोधपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर के द्वारा कब से जोधपुर नगर में घंटाघर ओवरब्रिज रोड़ के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया ?

(2) अब तक कितनी धनराशि इस परियोजना पर व्यय की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क को लापरवाही के कारण नगर के कूड़े-करकट से ढक दिया गया है ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(4) उपरोक्त सड़क का निर्माण कब तक कितनी धनराशि से पूर्ण कर दिया जायगा।

उत्तर

(1) निर्माण का कार्य जनवरी, 1965 में प्रारम्भ किया गया था।

(2) जनवरी, 1973 तक इस योजना पर 19,92,856 रुपये व्यय हो चुके है ?

(3) योजना पर कुछ समय से कार्य बन्द होने के कारण लोगों ने सड़क पर कुछ कूड़ा-करकट डाल दिया है जो नगर सुधार न्यास की लापरवाही के फलस्वरूप नहीं हुआ है।

(4) सड़क के निर्माण पर 20 लाख रुपये और व्यय होने का अनुमान है। निर्माण का पूर्ण करना मकानों की अवाप्ति पर निर्भर करता है।

राजकीय प्रवास भवन, जयपुर की बकाया

87. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) राजकीय प्रवास भवन, जयपुर की मार्च, 1972 तक कुल कितनी (आउट स्टैंडिंग) बकाया किस-किस संस्था सरकारी विभाग अथवा व्यक्ति में है ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय प्रवास भवन की बकाया में अधिकांश बकाया विधान सभा के वर्त्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों में है ? यदि हां तो किस-किस में कितनी-कितनी व किस अवधि की है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय प्रवास भवन में बकाया से सम्बन्धित लेजर्स तथा रजिस्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो बकाया निकालने का आधार क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उच्च अधिकारियों को लेजर्स व रजिस्टर्स न होने की सूचना बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी ? यदि हां तो वह सूचना कब मिली थी और उस संदर्भ में कब और कौन सी कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ?

(5) क्या यह सही है कि कई भूतपूर्व सदस्यों ने बकायात का भुगतान कर (नो ड्यूज) अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था परन्तु उसके बाद भी उनमें बकायात निकाली गई ? यदि हां, तो किस-किस में कितनी-कितनी बकायात निकाली गई ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उत्तर

(1) 62 से 72 तक की अवधि में बकाया कुल रु० 1,01,080.34 धन राशि बकाया है, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ! सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । बकाया का आधार बिल-बुक, रसीद-बुक एवं लेजर आदि रजिस्टर हैं ।

(4) जी नहीं । यह सूचना 20 दिसम्बर, 72 को प्राप्त हुई । इस पर विभाग ने लेखों की जांच शुरू करवाई जो चल रही है ।

(5) जी हां । कुछ सम्बन्धित लेखे बाद में मिले । अतः ऐसी स्थिति पैदा हुई । लेखों की जांच अभी तक जारी है, सही स्थिति का ज्ञान जांच पूर्ण होने पर हो सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरगढ़ क्षेत्र के शीतलनगर गांव में कुए पर मशीन

88. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र में एक शीतल-नगर नाम का नया हरिजनों का ग्राम आबाद हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम में एक अथाह मीठे पानी का कुआ बना हुआ है, जिसमें मशीन लगाने के लिये विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिये काफी समय से मांग चल रही है ?, यदि हां, तो यह सहायता जन-स्वास्थ्य विभाग या ग्राम पंचायत को पहुंचा कर कब तक यह कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । लेकिन इस वर्ष पेय जल कूप के लिये अनुदान स्वीकृत करने के लिये विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं है । अतः प्रस्ताव मंगवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Page No 155

(155)

थाना नारायणपुर, जिला अलवर में रिश्वत लेने की शिकायत

89. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के ग्राम अजबपुरा के निवासी श्री चिरंजीलाल महाजन ने करीब 2 साल पहले थाना नारायणपुर के नायब थानेदार व सिपाही के खिलाफ अलवर शहर में चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 4101 रु० रिश्वत ले लेने की शिकायत की और उसकी शिकायत पर जांच की गई ?

(2) उक्त शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई और उसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि 2 साल पहले इस अधिकारी को मोअत्तिल कर दिया गया था मगर उसके बाद बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) अब तक इस जांच में देर होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार अब शीघ्र इस जांच को पूरा कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा की जाकर दिनांक 30-6-72 को नतीजा दिया गया। पुलिस अधीक्षक, अलवर ने उपरोक्त नतीजे से असहमत होते हुये दोषी मुख्य आरक्षक (नायब थानेदार) श्री मानसिंह को पहले बरखास्त करने का 15-2-73 को नोटिस दिया और उसका जवाब प्राप्त होने पर दिनांक 19-2-73 को उसे बरखास्त कर दिया। दोषी आरक्षक श्री रामसिंह के जांच नतीजे से भी असहमत होते हुये पुलिस अधीक्षक, अलवर, ने उस पर अतिरिक्त चार्जेज लगा कर जांच को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अलवर के पास 10-2-73 को दुबारा भेजा और 20-2-73 को उस पर फैसला कर बर्खास्त करने का नोटिस दे दिया है।

(3) जी हां, दिनांक 19-5-71 को दोनों दोषी मुल्जिमानों को निलम्बित किया गया था लेकिन गत भारत-पाक संघर्ष के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक रेन्ज के आदेशानुसार सभी निलम्बित मुल्जिमानों को बहाल कर दिया गया था जिनमें ये दोनों मुल्जिमान भी शामिल थे।

(4) दिनांक 19-2-73 को दोषी मुख्य आरक्षक श्री मानसिंह को बरखास्त कर दिया गया है और दोषी आरक्षक श्री रामसिंह को बरखास्तगी का नोटिस दिनांक 20-2-73 को दे दिया गया है।

सराड़ा और गिरवा तहसील के अकालग्रस्त गांव

90. **श्री देवीलाल (सराड़ा)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने उदयपुर जिले की सराड़ा और गिरवा तहसील के कितने व कौन-कौन से गांव अकालग्रस्त घोषित किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त तहसीलों के गांवों के व्यक्तियों को सहायता कार्यों में काम पर लगाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों के व्यक्तियों को कहां पर किस काम पर लगाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि भूख के मारे आदिवासी व्यक्ति भेड़ व बकरों को मार कर खाने लग गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सराड़ा क्षेत्र के कई गांवों में आदिवासियों के पास काम-धन्धा नहीं होने तथा अन्न के बिना भूखा सोना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सहायता करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उदयपुर जिले में भूख के मारे मवेशियों को मार कर खाने की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिली है ? यदि हां तो कहां-कहां से ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील के समस्त 157 ग्राम एवं गिरवा तहसील के कुल 228 गांवों में से 211 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(2) वांछित सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं है। सहायता कार्य इन क्षेत्रों में चालू है, जिन पर उपस्थित होकर लोग जीवनयापन का साधन जुटा सकते हैं।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलो है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

157

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं० 73 की सूची)

RAJASTHAN POLICE REGULATIONS

1948

No. 181. (a) When there is a dispute, Police shall never be deputed at the cost of either party. If it is necessary in any case to employ police to prevent a breach of the peace, the cost shall be met by Government. The maintenance of order is one of the regular duties of the police. But the necessity for extra force shall first be established and they shall not be deputed if proceedings under the preventive sections will produce the desired result.

Additional Police for private reasons.

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न सं० 34 की सूची)

नाम तहसील	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1. भीम तहसील	1. भोजपुरा फीडर	1.75
	2. लालपुरा	3.00
	3. लवली पोंग टेंक	1.00
	4. रजवारा पड	3.00
	5. खायतनका	4.00
	6. देवीसागर टेंक	1.00
	7. काकरोरापट	2 00
	योग	15.75
2. देवगढ़ तहसील	1. घाटी	4.20
	2. टाटोगरा	0.30
	3. सुखई केनाल एक्स्टेन्शन	0.90
	4. झरोन का नाका	4.00
	5. देवपुरा	0.40
	6. वनवाटोडो	1.50
	7. कुण्डाली टेंक	4 00
	8. हीरा का खेड़ा	1.60
	9. भुटाड़ा	1.50
	10. मीठाझारा	3.00
	11. रालईता	0.50
	12. कुमाखेड़ा	0.60
	योग	22.50

Page No 159

(159)

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न सं० 35 की सूची)

बून्दी जिले में कार्यरत उचित मूल्य की दूकानों की सूचना

नाम ग्राम या शहर	संख्या
1. नैनवा	1
2. लाखेरी	2
3. जवाहरसागर डेम	1
4. हिण्डोली	1
5. मण्डोली	1
6. बून्दी	10

बून्दी जिले में उचित मूल्य की दूकानों से कितना खाद्यान्न अब तक वितरण कराया उसकी सूचना

नाम ग्राम या शहर	मात्रा (क्विन्टल में)	
	गेहूं	मक्का
1. बून्दी	3940	465
2. जवाहरसागर डेम	2100	200
3. नैनवा	660	100
4. लाखेरी	1700	–
5. हिन्डोली	10	–
6. मण्डोली	–	–
योग	8410	765

———

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं० 38 की सूची)

राजस्थान निर्माण से लेकर अब तक शिक्षा पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय (करोड़ में)
50-51	2.02
51-52	2.30
52-53	2.59
53-54	2.90
54-55	3.22
55-56	3.82
56-57	4.29
57-58	6.07
58-59	7.38
59-60	8.83
60-61	10.51
61-62	11.58
62-63	12.83
63-64	13.84
64-65	15.85
65-66	19.00
66-67	21.42
67-68	27.07
68-69	32.11
69-70	35.75
70-71	34.18
71-72	37.15

नोट:— वित्तीय वर्ष 1950-51 से 1969-70 तक संलग्न सारणी में दिखलाये गये व्यय में शिक्षा हेतु कॉलेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मण्डल का व्यय आदि शामिल है। वित्तीय वर्ष 1970-71 व 1971-72 में जो व्यय दिखलाया गया है उसमें केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग द्वारा नियंत्रित मदों का व्यय शामिल है।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्धि	शुद्धि
1	2		3	4
5	अन्तिम से	16	मेरा	मे
6	ऊपर से	8	आदीवासी	आदिवासी
7	अन्तिम से	15	प्रीफरेन्स	प्रिफरेन्स
8	ऊपर से	10	श्री जकशयिन	श्री जयकिशन
13	अन्तिम से	1	में	मैं
15	,,	13	–	68
25	,,	5	डवलमेंट	डवलपमेन्ट
30	,,	1-6-22	ग्रेज्युएट	ग्रेज्युएटी
35	ऊपर से	1	बुड्ढो	बुड्ढों
35	,,	2	जवाव	जवान
35	अन्तिम से	6	761	76
54	,,	6	बून्दो	बून्दी
57	,,	13	श्री बृद्धिचन्द	श्री वृद्धिचन्द्र
68	,,	3-10	श्री झावरमल	श्री झावरमल
79	,,	3	श्रो	श्री
86	,,	17	हों	हो
89	,,	9	—	कर दिया
89	,,	2	करप्श	करप्शन
91	ऊपर से	1	श्री केदारनाथ	—
103	अन्तिम से	2	श्री केसीरमल	श्री केसरीमल
103	,,	16	स्थागित	स्थगित
107	,,	11	औषघलाय	औषधालय
135	ऊपर से	13	जय हिन्दि	जयहिन्द

1	2	3	4	5
158	अन्तिम से	4–28	प्राईज	प्राईस
159	,,	1-3-11-12-15	,,	,,
162	,,	7	मार	आसन
177	ऊपर से	9	श्री वा प्रम्नसिह	श्री प्रद्युम्नसिंह
214	अन्तिम से	13	कान्सीट्यून्सी	कान्स्टीट्यूएन्सी
248	,,	9	।	हुआ
274	,,	20	तवोज्जोह	तवज्जोह
296	,,	1	श्री गुरुदयाल संधु	श्री गुरदयाल संधु
297	,,	6	सर्वक्षण	सर्वेक्षण
300	अन्तिम से	2–4	बकायात	बकाया